VIDYA UNIVERSITY PRESS

TOUCH n PASS

सर्वश्रेष्ठ परीक्षा पथ-प्रदर्शक

B.A.
प्रथम वर्ष
(सर्टिफिकेट कोर्स)
सेमेस्टर-I

शिक्षाशास्त्र

शिक्षा की अवधारणात्मक संरचना

SYLLABUS

UNIT-I **Education : Concept and Aims :** Concepts of Education-Meaning, Nature. Education in the context of Prachin Bhartiya Gyan Parampara : The Way of Life, Concept of Guru and Shiksha. Vidya-Gyan-Teaching. Training vs. Education. Influencing Factors of Education. Aims of Education : Individualistic, Social, Democratic and Vocational.

UNIT-II **Functions of Education :** Individual and Social Development. Transmission of Cultural Heritage. Acquisition and Generation of Human Values. Education for National Integration. Education for International Understanding. Education for HRD.

UNIT-III **Agencies of Education :** Concept of Formal, Informal, Non-formal Agencies.

UNIT-IV **Indian Constitution and Education :** Inculcation of Constitutional Values through Education. Constitutional Provisions for Education.

UNIT-V **Pre-primary Education :** Concept, Objective, Importance of Pre-primary Education. Some Models of Pre-primary Education : Dalton, Montessori, Kindergarten. Background and Present Scenario of Pre-primary Education in India. NEP-2020 and Pre-primary Education.

UNIT-VI **Primary and Secondary Education :** Concept, importance and present Scenario of Primary Education in India. Concept, importance and present Scenario of Secondary Education in India.

UNIT-VII **Higher Education :** Concept, Objective of Higher Education. Need of Higher Education in India. Types of Universities-Central, State, Deemed, Private, Open. Present Scenario of Higher Education in India.

UNIT-VIII **Different Guiding/Regulatory Bodies of Education System in India :** Role and functions of : Education Ministry (MHRD), UNESCO, NCERT, SCERT, DIET, NIOS, NUEPA, NCTE, UGC, NAAC, IQAC, AICTE, International Boards, National Boards, CBSE, State Board.

TOUCH n PASS

VIDYA®
UNIVERSITY PRESS

पंजीकृत कार्यालय
विद्या लोक, टी०पी० नगर, बागपत रोड,
मेरठ, उत्तर प्रदेश (NCR) 250 002
फोन : 0121-2513177, 2513277
www.vidyauniversitypress.com

© प्रकाशक

सम्पादन एवं लेखन
शोध एवं अनुसन्धान प्रकोष्ठ

मुद्रक
विद्या यूनिवर्सिटी प्रेस

TOUCH n' PASS

विषय-सूची

UNIT-I : शिक्षा-अवधारणा एवं लक्ष्य ...3
UNIT-II : शिक्षा के कार्य ...22
UNIT-III : शिक्षा के अभिकरण ...37
UNIT-IV : भारतीय संविधान एवं शिक्षा ...52
UNIT-V : पूर्व-प्राथमिक शिक्षा ...68
UNIT-VI : प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा ...95
UNIT-VII : उच्च शिक्षा ...116
UNIT-VIII : भारत की शिक्षण व्यवस्था में विभिन्न निदेशक एवं नियामक संस्थाएँ ...129
मॉडल पेपर ...144

UNIT-I

शिक्षा-अवधारणा एवं लक्ष्य

Education : Concept and Aims

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. डॉ० अल्तेकर के अनुसार उपनयन संस्कार का महत्त्व बताइए।
Mention the importance of '*Upanayan Sanskara*' as per Dr. Altekar.

उत्तर **डॉ० अल्तेकर** के अनुसार—"उपनयन संस्कार का आरम्भ पूर्व-ऐतिहासिक युग से माना जाता है। यह संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों के बालकों के लिए अनिवार्य था। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बिना 'कलमा' के मुसलमान या बिना 'बपतिस्मा' के ईसाई नहीं कहा जा सकता है, उसी प्रकार प्राचीन भारत में कोई बालक बिना 'उपनयन' के वैदिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था।"

प्र.2. 'समावर्तन संस्कार' किसे कहते हैं? समझाइए।
What is '*Samavartan Sanskara*'? Explain.

उत्तर प्राचीन भारतीय शिक्षा के अन्तर्गत जो संस्कार छात्र की शिक्षा पूर्ण होने के समय सम्पन्न होता था, उसे 'समावर्तन संस्कार' कहते थे। इस संस्कार के अवसर पर गुरु शिष्य को मधुपर्क देता था। तत्पश्चात् गुरु सार्वजनिक रूप में शिष्य को 'समावर्तन उपदेश' देता था। वह इस उपदेश में कहता था, "हे शिष्य! सर्वदा सत्य बोलना, अपने कर्त्तव्य का पालन करना, जो अच्छे कार्य हमने किए हैं, तुम उनका अनुकरण करना, श्रद्धा से दान देना, तुम्हें हमारा यही आदेश है, यही उपदेश है।"

प्र.3. उपनयन संस्कार किसे कहते हैं?
What is *Upanayan Sanskara*?

उत्तर जब बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल ले लाया जाता था, उस समय उपनयन संस्कार सम्पन्न होता था। इस अवसर पर गुरु द्वारा शिष्य को गायत्री मन्त्र का उपदेश दिया जाता था, तदुपरान्त व्यवस्थित शिक्षा प्रारम्भ की जाती थी।

प्र.4. प्राचीन भारतीय शिक्षा के सन्दर्भ में विद्यारम्भ संस्कार से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by *Vidyarambh Sanskara* in the context of ancient Indian education?

उत्तर प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा का मुख्य आधार धर्म था अर्थात् शिक्षा धर्म पर आधारित थी। इसलिए बालक की शिक्षा को प्रारम्भ करते समय एक धार्मिक संस्कार सम्पन्न किया जाता था जिसे विद्यारम्भ संस्कार कहा जाता था।

प्र.5. वैदिक कालीन शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by Vedic education?

उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा का एक व्यापक अर्थ स्वीकार किया गया था। शिक्षा के अर्थ को 'विद्या', 'ज्ञान', 'बोध' तथा 'विनय" के रूप में स्पष्ट किया गया था।

प्र.6. प्राचीन भारतीय शिक्षा के विषय में विद्वानों का क्या विचार था?
What was the view of scholars about ancient Indian education?

उत्तर प्राचीन काल में विद्वानों का मानना था कि शिक्षा व्यक्ति के लिए प्रकाश का स्रोत, अन्तर्दृष्टि या अन्तर्ज्योति प्रदान करने वाली, ज्ञान-चक्षु तथा तृतीय नेत्र तुल्य है।

TOUCH 'n' PASS

प्र.7. वैदिक शिक्षा के महत्त्व को दर्शाने वाला डॉ० अल्तेकर का कथन लिखिए।
Write the statement of Dr. Altekar extolling the importance of Vedic education.

उत्तर वैदिक शिक्षा के महत्त्व से सम्बन्ध में **डॉ० अल्तेकर** ने कहा है—"शिक्षा को प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता था जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का निरन्तर एवं सामंजस्यपूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और उसे उत्कृष्ट बनाती है।"

प्र.8. प्राचीन काल में चिकित्साशास्त्र के प्रमुख अध्ययन केन्द्रों और चिकित्सकों के नाम बताइए।
Write the names of medical education centres and medical practitioners in ancient time.

उत्तर प्राचीन काल में चिकित्साशास्त्र के प्रमुख अध्ययन केन्द्र थे—पाटलिपुत्र एवं तक्षशिला। चरक, सुश्रुत, धन्वन्तरि आदि प्रमुख चिकित्सक थे।

प्र.9. शिक्षा का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ समझाइए।
Make clear the meaning and origin of education.

उत्तर शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की 'शिक्ष्' धातु से बना है। 'शिक्षा' के व्युत्पत्तिमूलक अर्थ के अनुसार ज्ञान अथवा विद्या प्राप्त करने या प्रदान करने का माध्यम 'शिक्षा' कहलाता है।

प्र.10. शिक्षा के अर्थ सम्बन्धी मतभेद का कोई एक कारण लिखिए।
Write any one cause of the differences regarding the meaning of education.

उत्तर शिक्षा के अर्थ सम्बन्धी मतभेद का कारण है—शिक्षा अपने आप में एक अत्यधिक व्यापक एवं जटिल प्रक्रिया है जो किसी-न-किसी रूप में जीवनपर्यन्त चलती रहती है। इस स्थिति में शिक्षा के अर्थ का व्यापक तथा बहुपक्षीय हो जाना स्वभाविक ही है।

प्र.11. शिक्षा के प्रचलित अर्थ से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by the prevelant meaning of education?

उत्तर शिक्षा के प्रचलित अर्थ से तात्पर्य है—विभिन्न विषयों से सम्बन्धित कुछ तथ्यों एवं सूचनाओं को किसी भी माध्यम से प्राप्त कर लेना या एकत्र कर लेना ही शिक्षा है।

प्र.12. शिक्षा के संकुचित अर्थ से आपका क्या प्रयोजन है?
When do you mean by the narrow meaning of education?

उत्तर शिक्षा का संकुचित अर्थ है—किसी व्यवस्थित रूप से स्थापित शिक्षण संस्था में नियमानुसार प्रवेश प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करना तथा सम्बन्धित योग्यता प्रमाण-पत्र अर्जित करना।

प्र.13. आधुनिक विचारधारा के अन्तर्गत शिक्षा की प्रक्रिया का मुख्य कारक कौन है?
According to modern thinking, what is the main factor in the process of education?

उत्तर आधुनिक विचारधारा के अन्तर्गत शिक्षा की प्रक्रिया का मुख्य कारक शिक्षार्थी है।

प्र.14. शिक्षा की प्रकृति को अपने शब्दों में लिखिए। **[2021]**
Write the nature of education in your own words.

उत्तर विद्वानों के अनुसार, शिक्षा न तो शुद्ध विज्ञान है और न ही शुद्ध कला। इसमें इन दोनों के गुण एवं तत्त्व स्पष्ट रूप से दिखाई पडते हैं। इन तथ्यों के आधार पर शिक्षा को व्यावहारिक विज्ञानों की श्रेणी में रखा जा सकता है।

प्र.15. शिक्षा के विषय में दी गई जॉन डीवी की परिभाषा लिखिए।
Give John Dewey's definition of education.

उत्तर शिक्षा के विषय में **जॉन डीवी** ने कहा है—"शिक्षा का अर्थ व्यक्ति की उन समस्त शक्तियों का विकास है जो कि उसको अपने वातावरण को नियन्त्रित करने में और सम्भावनाओं की पूर्ति में सहायक होगा।"

TOUCH 'n' PASS

प्र.16. शिक्षा को वैयक्तिकता के विकास की प्रक्रिया मानने वाले मुख्य शिक्षाशास्त्री कौन थे?
Who were the main educationists who believed education to be the process of personality development?

उत्तर पेस्तालॉजी, नन, काण्ट तथा रवीन्द्रनाथ टैगोर शिक्षा को वैयक्तिकता के विकास की प्रक्रिया मानने वाले शिक्षाशास्त्री थे।

प्र.17. किस प्रकार के वातावरण में शिक्षा का सर्वोत्तम सम्पादन हो सकता है?
In what kind of atmosphere be education best accomplished?

उत्तर सामाजिक वातावरण में ही शिक्षा का सर्वोत्तम सम्पादन हो सकता है।

प्र.18. शिक्षा को व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों की अभिव्यक्ति करने वाली प्रक्रिया मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन थे?
Who were the main scholars who believed education to be the expression of a person's innate powers?

उत्तर सुकरात, फ्रोबेल तथा विवेकानन्द शिक्षा के व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों की अभिव्यक्ति करने वाली प्रक्रिया मानने वाले प्रमुख विद्वान थे।

प्र.19. शिक्षा का व्यापक अर्थ समझाइए।
Make clear the comprehensive meaning of education.

उत्तर शिक्षा एक व्यापक एवं अत्यन्त जटिल प्रक्रिया है। यह जन्म से प्रारम्भ होती है तथा जीवनपर्यन्त चलती रहती है। यह शिक्षण संस्थाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि पूरा विश्व ही इस शिक्षा को ग्रहण करने तथा प्रदान करने का क्षेत्र है।

प्र.20. शिक्षा के व्यापक अर्थ को स्पष्ट करने वाला मैकेन्जी का कथन लिखिए।
Write McKenzie's statement that makes clear the comprehensive meaning of education.

उत्तर शिक्षा के व्यापक अर्थ को स्पष्ट करते हुए **मैकेन्जी** के कहा है—"व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है तथा जीवन के प्राय: प्रत्येक अनुभव से उसके भण्डार में वृद्धि होती है।"

प्र.21. शिक्षा के संकुचित तथा व्यापक अर्थ में क्या सम्बन्ध है?
What is the relation between the narrow and comprehensive meaning of education?

उत्तर शिक्षा के संकुचित तथा व्यापक अर्थ अपने आप में अलग-अलग रूप में उचित नहीं है। शिक्षा के समस्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षा के संकुचित तथा व्यापक अर्थ का परस्पर समन्वय करके एक मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। यही समन्वित अर्थ शिक्षा का वास्तविक अर्थ होगा।

प्र.22. शिक्षा के विषय में प्रतिपादित फ्रोबेल की परिभाषा लिखिए।
Give Froebel's definition of education.

उत्तर शिक्षा के विषय में प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री **फ्रोबेल** ने कहा है—"शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं।

प्र.23. 'मानवतावाद' से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by 'Humanism'?

उत्तर 'मानवतावाद' का अर्थ मानवमात्र के कल्याण को सर्वोपरि समझना है।

प्र.24. विज्ञान के क्षेत्र में अमेरिका आगे है। क्यों?
America leads the world in science. Why?

उत्तर विज्ञान के क्षेत्र में अमेरिका आगे है; क्योंकि अमेरिका के शिक्षा पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक कारकों को अत्यधिक प्राथमिकता दी गई है।

प्र.25. शिक्षा को प्रभावित करने वाले कोई पाँच मुख्य कारक लिखिए।
Write any five factors that affect education.

उत्तर शिक्षा को प्रभावित करने वाले पाँच मुख्य कारक हैं—
(1) भाषायी, (2) वैज्ञानिक, (3) भोगोलिक, (4) सांस्कृतिक, (5) नैतिक।

TOUCH 'n PASS

प्र.26. शिक्षा को आर्थिक कारक किस प्रकार प्रभावित करते हैं?
How do economic factors affect education?

उत्तर किसी देश की अर्थव्यवस्था के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं, स्पष्ट रूप से यह आर्थिक कारकों का ही प्रभाव है।

प्र.27. शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य से आपका क्या तात्पर्य है?
What do you mean by personal purpose of education?

उत्तर जिस उद्देश्य के अन्तर्गत व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताओं को प्राथमिकता दी जाती है तथा उनके अधिक-से-अधिक विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, उसे शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य कहा जाता है

प्र.28. शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करने वाले मुख्य आधार लिखिए।
Write the main bases to determine the purposes of education.

उत्तर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करने वाले मुख्य आधार हैं—सामाजिक परम्पराएँ, दार्शनिक, मान्यताएँ, समाज की आर्थिक तथा राजीनतिक स्थिति, समाज की औद्योगिक स्थिति तथा वैज्ञानिक प्रगति।

प्र.29. औद्योगिक आधार पर पिछड़े हुए समाज में शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित कीजिए।
Determine the education's purpose in an industrially backward society.

उत्तर औद्योगिक आधार पर पिछड़े हुए तथा वैज्ञानिक ज्ञान से वंचित समाजों में आध्यात्मिक, धार्मिक, भाग्यवादी एवं पारम्परिक दृष्टिकोणों को अधिक महत्त्व दिया जाता है तथा इन्हीं के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं।

प्र.30. शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य से आप क्या समझते हैं? **[2021]**
What do you understand by the social purpose of education?

उत्तर शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य हैं—शिक्षा के माध्यम से बालकों में सामाजिकता की भावना का संचार एवं विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसके माध्यम से समाज की तत्कालीन आवश्यकताओं की अच्छे ढंग से पूर्ति होती रहे।

प्र.31. शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के मुख्य समर्थकों के नाम बताइए एवं उनकी मुख्य मान्यता लिखिए।
Write the names of main supporters of social purpose of education and their beliefs.

उत्तर हरबर्ट, जॉन डीवी, टी० रेमॉण्ट, प्रो० जेम्स तथा स्मिथ शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के मुख्य समर्थक हैं। इनकी मुख्य मान्यता यह है कि शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था समाज के अधिक-से-अधिक उत्थान के लिए होनी चाहिए।

प्र.32. शिक्षा के वैयक्तिक तथा सामाजिक उद्देश्यों में क्या सम्बन्ध होना आवश्यक हैं?
Is it necessary that the personal and social purposes of education should have a relationship?

उत्तर शिक्षा के वैयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्यों में परस्पर समन्वय होना आवश्यक है एवं उन्हें परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि परस्पर पूरक होना चाहिए।

प्र.33. शिक्षा के आदर्श उद्देश्य के प्रमुख गुण लिखिए।
Write the main characteristics of the ideal purpose of education.

उत्तर शिक्षा के आदर्श उद्देश्य के प्रमुख गुण हैं—(1) शिक्षा के उद्देश्य को व्यापक होना चाहिए, (2) शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट एवं निश्चित होना चाहिए, (3) शिक्षा के उद्देश्य को परिवर्तनशील होना चाहिए, (4) शिक्षा के उद्देश्य को व्यावहारिक होना चाहिए, (5) शिक्षा के उद्देश्य को देश, काल एंव परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए।

प्र.34. शिक्षा के उद्देश्य के महत्त्व के विषय में प्रो० भाटिया का कथन लिखिए।
Write Prof. Bhatia's statement regarding the importance of education's purpose.

उत्तर **प्रो० भाटिया** के अनुसार, "उद्देश्य के बिना शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं तथा उसे विद्यार्थी उस पतवारविहीन नौका के समान हैं जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाती हुई तट की ओर से बढ़ती जा रही है।"

प्र.35. शिक्षा की प्रकिया में उद्देश्य के निर्धारण की क्या भूमिका होती है? स्पष्ट कीजिए।
What is the role of determination of purpose in the process of education? Make clear.

उत्तर शिक्षा की प्रक्रिया में उद्देश्यों के स्पष्ट निर्धारण के पश्चात् उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षण-विधियों, शिक्षक के स्थान तथा शिक्षण-संस्था की व्यवस्था को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा से आप का क्या आशय है? संक्षिप्त विवरण दीजिए।
What do you understand by ancient Indian knowledge tradition? Write in brief.

उत्तर भारतीय ज्ञान परम्परा अद्वितीय ज्ञान एवं प्रज्ञा का प्रतीक है। यह जड़ न होकर सतत् प्रवाहित है। इसमें ज्ञान एवं विज्ञान, लौकिक एवं पारलौकिक, कर्म एवं धर्म तथा भोग व त्याग का अद्‌भुत समन्वय परिलक्षित होता है। इसमें विवेक के उपयेाग की स्वतन्त्रता है। ऋग्वेद के समय से ही शिक्षा प्रणाली जीवन के नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक एवं बौद्धिक मूल्यों पर केंद्रित होकर अनुशासन, आत्मनिर्भरता, विनम्रता, सत्यता एवं सभी के लिए सम्मान जैसे मूल्यों पर बल देती है। इसमें बताया गया है कि कर्म वही है जो बंधनों से मुक्त करें और विद्या वहीं है जो मुक्ति का मार्ग दिखाए। इसके अतिरिक्त जो भी कर्म हैं वह सब निपुणता देने वाले मात्र हैं। भारतीय वेदों (ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं यजुर्वेद) में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि विद्या मनुष्यता की श्रेष्ठता का आधार है। इसमें छात्रों को मानव, जीव-जन्तुओं एवं प्रकृति के मध्य संतुलन को बनाए रखना सिखाया जाता है। शिक्षण एवं अधिगम के लिए वेद व उपनिषद् के सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है। जिससे व्यक्ति स्वयं, परिवार व समाज के प्रति कर्त्तव्यों को पूरा कर सके। इस प्रकार जीवन के सभी पक्ष इस ज्ञान परम्परा में सम्मिलित हैं। इस ज्ञान परम्परा में सीखने और शारीरिक विकास दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। शिक्षा के इस संकल्प को भारतीय परंपरा में अगीकृत कर तदनुरूप ही विश्वविद्यालयों और गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। घर, मंदिर, पाठशाला तथा गुरुकुल में संस्कार युक्त स्वदेशी शिक्षा प्रदान की जाती थी। छात्रों को कक्षा में जो विषय पढ़ाया जाता था उसको वे लोग कंठस्थ कर उसका मनन करते थे।

प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली ज्ञान, परम्पराओं और प्रथाओं एवं मानवता को प्रोत्साहित करती थीं। पुराण में ज्ञान को अप्रतिम माना गया है। भारत के तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, बल्लभी, उज्जयिनी, काशी आदि विश्वप्रसिद्ध शिक्षा एवं शोध के प्रमुख केन्द्र थे तथा यहाँ कई देशों के छात्र ज्ञानार्जन के लिए आते थे।

प्र.2. प्राचीन भारत में गुरु कितने प्रकार के होते हैं? संक्षेप में लिखिए।
How many types of teachers were there in ancient India? Write in brief.

उत्तर प्राचीन भारत में गुरु निम्नलिखित प्रकार के थे—

उपाध्याय—प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध मनीषी मनु ने गुरुओं की कई श्रेणियाँ बताई हैं। उनमें 'उपाध्याय' भी एक श्रेणी है। उनके अनुसार जो ब्राह्मण वेद के एक देश (मन्त्र तथा ब्राह्मण भाग) को तथा वेदांगों (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्दशास्त्र) को जीविका के लिए पढ़ाता था, वह 'उपाध्याय' कहा जाता था। अपने शिष्यों से जो दक्षिणा, उपहार, द्रव्य और धन ग्रहण करके अपने परिवार का पोषण करता था वह 'उपाध्याय' था।

आचार्य—जो गुरु अपने शिष्यों को 'आचार' या 'चारित्र्य' की भी शिक्षा प्रदान करता था उसे 'आचार्य' कहा जाता था। मनु के अनुसार, जो ब्राह्मण विद्वान शिष्य को यज्ञोपवीत संस्कार कर उसे कल्प (यज्ञ विद्या) तथा रहस्यों (उपनिषदों) के सहित वेदशाखा पढ़ाता था, वह आचार्य था। वेद व्यास के विचार में आचार्य वह था जिसमें वेदों के प्रति उत्सर्ग की भावना हो, उत्तम परिवार का हो, क्षोत्रिय हो, शुचि हो, वैदिक शाखा का अध्ययन किया हो तथा जो आलसी न हो।

प्रवक्ता—जो गुरु अपने शिष्यों को प्रोक्त (शाखाग्रन्थ, ब्राह्मण और श्रौतसूत्र का विद्वान्) साहित्य की शिक्षा देता था, उसे समाज में प्रवक्ता कहा जाता था। वह 'आख्याता' भी कहा जाता था।

श्रोत्रिय—ये वे गुरु होते थे जो वेद की शाखाओं को कण्ठस्थ करके छात्रों को दीक्षा देते थे, वे 'श्रोत्रिय' कहलाते थे।

अध्यापक—वैज्ञानिक और लौकिक साहित्य का ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु को 'अध्यापक' के नाम से जाना जाता था।

ऋत्विक्—जो ब्राह्मण वृत होकर (वरण-संकल्पपूर्वक पादपूजनादि कराकर) अग्याधान (आहवनीय आदि अग्नि को उत्पन्न करने का कर्म), पाकयज्ञ (अष्टकादि) और अग्निष्टोम आदि का यज्ञ करता था, वह 'ऋत्विक्' के नाम से जाना जाता था।

गुरु—जो गृहस्थ विद्वान शिक्षा प्रदान करता था, 'गुरु' की श्रेणी में आता था। पिता भी 'गुरु' की श्रेणी में गृहीत किया जाता था। मनु का कथन है कि जो शास्त्रानुसार गर्भाधानादि संस्कारों को करता था और अन्नादि के द्वारा अपने परिवार का संवर्द्धन करता था, वह ब्राह्मण 'गुरु' कहा जाता था। इस कथन से स्पष्ट है कि समाज में ऐसे शिक्षक भी थे जो अपने परिवार का भरण-पोषण भी करते थे और शिष्यों को शिक्षा भी प्रदान करते थे।

चरक—प्राचीन काल में कुछ ऐसे भी अध्यापक थे जिनका जीवन भ्रमण और यायावर का था। वह घूम-घूमकर अपने शिष्यों का स्वयं चयन करते थे, तथा उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। इस प्रकार स्थान-स्थान पर विचरण वाले ऐसे अध्यापक 'चरक' कहलाते थे। वह देश में भ्रमण करके ज्ञान का प्रसार करते थे। उपनिषद्काल के महान् विद्वान् उद्दालक आरुणि ऐसे ही 'चरक' आचार्य थे।

प्र.3. शिक्षा के सन्दर्भ में 'गुरुकुल' नामक शिक्षण-संस्था का संक्षिप्त विवरण लिखिए।
Write a brief destruction of the educational institution named *'Gurukul'*, in the context of education.

उत्तर प्राचीन भारत में शिक्षण के लिए विशिष्ट प्रकार की संस्थाएँ स्थापित की जाती थीं। इन्हें '**गुरुकुल**' कहते थे। गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ है—गुरु का परिवार। शिक्षण संस्था को गुरुकुल कहने के पीछे जो भाव निहित था, वह यह कि इस शिक्षा संस्था में शिक्षण का कार्य पारिवारिक वातावरण में होता था। गुरु अपने शिष्यों को अपने बच्चों अर्थात् अपने परिवार के सदस्यों के रूप में देखता था। गुरुकुल का वातावरण बहुत ही अधिक स्नेहेमय तथा सौहार्दपूर्ण होता था। गुरु-शिष्य में पारस्परिक पिता-पुत्र के सम्बन्ध होते थे। गुरुकुल की स्थापना किसी योग्य गुरु (शिक्षक) द्वारा की जाती थी। गुरुकुल से आशय गुरु के आश्रम से था। सामान्य रूप से प्राय: सभी गुरु नगर अथवा ग्राम से कुछ दूरी पर किसी रमणीक प्राकृतिक स्थल पर अपना आश्रम स्थापित किया करते थे तथा यह आश्रम अमुक गुरु के 'गुरुकुल' के रूप में जाना जाता था। इस प्रकार गुरुकुल शिक्षा के तत्कालीन मुख्य अभिकरण होते थे। सभी गुरुकुल आवासीय शिक्षा-अभिकरण होते थे अर्थात् सभी छात्र गुरुकुल में रहकर ही शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरुकुल के पाठ्यक्रम, शिक्षण-विधि तथा अन्य नियम आदि न तो अधिक कठोर होते थे और न ही पूर्ण रूप से पूर्व-निर्धारित। वास्तव में गुरु अपनी योग्यता एवं विशिष्ट ज्ञान के आधार पर शिष्यों को अधिक-से-अधिक ज्ञान प्रदान करने तथा सम्बन्धित क्षेत्र में पारंगत बनाने का भरसक प्रयास करते थे।

प्र.4. प्राचीनकाल में प्रचलित किन्हीं पाँच भारतीय शिक्षण संस्थाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
Give a brief description of any five Indian educational institutions prevalent in the ancient times.

उत्तर प्राचीनकाल में प्रचलित प्रमुख शिक्षण-संस्थाओं में से पाँच का सामान्य परिचय निम्न प्रकार है—

1. **गुरुकुल**—प्राचीन शिक्षण संस्थाओं में 'गुरुकुल' का प्रमुख स्थान था। गुरुकुल की स्थापना तथा उसमें शिक्षण का कार्य सामान्य रूप से एक गुरु द्वारा ही किया जाता था गुरुकुलों में प्रमुख रूप से वेदों, साहित्य तथा धर्मशास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी।
2. **परिषद्**—इस शिक्षण संस्था में सामान्य रूप से दस शिक्षक हुआ करते थे। इनमें विभिन्न विषयों की व्यवस्थित शिक्षा प्रदान की जाती थी। ऐसी विशिष्ट शिक्षण संस्था को 'परिषद्' कहा जाता था।
3. **घटिका**—धर्म तथा दर्शन की उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्था 'घटिका' कहलाती थी। ये शिक्षण संस्थाएँ बड़ी होती थीं तथा इन शिक्षण-संस्थाओं के लिए अनेक शिक्षक नियुक्त हुआ करते थे।
4. **चरण**—वेद के किसी एक अंग की शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्था को 'चरण' कहते थे। इस शिक्षण-संस्था में भी एक ही शिक्षक हुआ करता था।
5. **टोल**—प्राचीन काल में स्थापित होने वाली एक शिक्षण संस्था को 'टोल' कहते थे। इन शिक्षण संस्थाओं में केवल एक ही शिक्षक हुआ करता था तथा प्रमुख रूप से छात्रों को संस्कृत की ही शिक्षा दी जाती थी।

प्र.5. विद्या क्या है? इस अर्थ को स्पष्ट कीजिए।
What is knowledge? Make clear its meaning.

उत्तर विद्या की उत्पत्ति 'विद्' धातु से हुई है जिसका अर्थ जानना, समझना, सीखना, अनुभव करना, विवेचना या व्याख्या करना आदि है। अन्य शब्दों में अध्ययन, शिक्षा एवं अनुभव से प्राप्त व्यवस्थित ज्ञान विद्या है, जैसे—जादू कोई विशेष कला एवं गुण

आदि। इस प्रकार विद्या का अर्थ किसी तथ्य या विषय के व्यवस्थित ज्ञान से लगाया जाता है। विद्या का सामान्य अर्थ है—ज्ञान, शिक्षा एवं अधिगम। महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार, जिन पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो उसे विद्या कहते हैं। विद्या, शिक्षा का परिणाम होता है। अर्थात् व्यक्ति जो कुछ भी अध्ययन करता है या किसी चीज का अभ्यास करता है। उससे वह कुछ न कुछ सीखता है, कुछ अनुभव करता है पर इसमें से वह बहुत सारी चीजों को भूल भी जाता है। इसे सबके बावजूद भी जो बचा रह जाता है वह विद्या है।

संस्कृत का एक श्लोक है—

विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रताम्।
पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम्।!

अर्थात् विद्या विनय देती है जिससे पात्रता आती है, पात्रता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म और फिर धर्म से सुख प्राप्त होता है। इस श्लोक से सिद्ध होता कि विद्या से विनय आती है न कि शिक्षा से। इस प्रकार विद्या, शिक्षा से कहीं आगे की चीज है।

मुण्डकोपनिषद में विद्या के दो भेद किए गए हैं—परा विद्या तथा अपरा विद्या। जिस विद्या से ब्रह्मज्ञान या अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे परा विद्या कहते हैं। एवं जिस विद्या से लौकिक ज्ञान या पदार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे अपरा विद्या कहते हैं।

वैशेषिक दर्शन के अनुसार, दोषरहित ज्ञान विद्या है एवं दोषसहित ज्ञान अविद्या है। यदि कोई व्यक्ति विद्या एवं अविद्या दोनों को ही सच्चे अर्थों में जान ले एवं उसी के अनुसार कर्म करे तो उसे मोक्ष मिल जाता है।

विष्णुपुराण के अनुसार, 18 विद्याएँ हैं—चार वेद, छह वेदांग (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष) मीमांसा, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्व और अर्थशास्त्र। इन्हीं में से चारों वेद और छहों वेदांगों को अपरा विद्या कहा जाता है। आधुनिक काल में अपरा विद्या को विज्ञान कहा जाता है।

ईशोपनिषद् में उपलब्ध एक मंत्र का अंतिम वाक्यांश निम्नलिखित है—

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदाभ्यां सह।
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते॥

इसका शाब्दिक अर्थ है कि जो विद्या एवं अविद्या, इन दोनों को ही एक साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृतत्त्व (देवतात्मभाव = देवत्व) प्राप्त कर लेता है।

प्र.6. विद्या एवं अविद्या में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
Make clear the differences between knowledge and ignorance.

उत्तर विद्या एवं अविद्या में निम्नलिखित अन्तर हैं—

क्र०सं०	विद्या	अविद्या
1.	विद्या का अर्थ किसी तथ्य या विषय का व्यवस्थित ज्ञान है।	अविद्या शब्द का प्रयोग माया के अर्थ में होता है।
2.	अपरा विद्या, जो निम्नकोटि की विद्या मानी गई है, सगुण ज्ञान से सम्बन्ध रखती है। इससे मोक्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन पराविद्या है। इसी को आत्मविद्या या ब्रह्मविद्या भी कहते हैं।	दर्शनों में प्रायः पारिभाषिक अर्थ अज्ञान या मिथ्याज्ञान लिया जाता है। अविद्या का यौगिक अर्थ है विद्या से भिन्न ज्ञान जो यथार्थ ज्ञान नहीं है।
3.	महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार जिन पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो उसे विद्या कहते हैं।	यह चेतनता की स्थिति तो हो सकती है, लेकिन इसमें जिस वस्तु का ज्ञान होता है, वह मिथ्या होता है।
4.	वैशेषिक दर्शन के अनुसार अदुष्ट विद्या अर्थात् जो ज्ञान दोषपूर्ण नहीं है, वह विद्या है।	तद् दुष्टज्ञानम् अर्थात् दोषपूर्ण ज्ञान अविद्या है।

प्र.7. शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य के बारे में आप क्या जानते हैं?
What do you know about the commercial purpose of education?

उत्तर जब कोई शिक्षा को जीविकोपार्जन का साधन मान लेता जाता है तब उस शिक्षा के उद्देश्य को व्यावसायिक या जीविकोपार्जन शिक्षा कहते हैं। शिक्षाशास्त्रियों ने शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का विवरण प्रस्तुत करते हुए शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य का भी उल्लेख किया है अर्थात् यह भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। आधुनिक परिस्थितियों में शिक्षा के इस उद्देश्य को अधिक

महत्त्व दिया जाने लगा है। यही नहीं, बहुत-से लोग तो जीविकोपार्जन के उद्देश्य को ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार करने लगे हैं। इस मान्यता का एक विशिष्ट कारण है। यह एक व्यावहारिक सत्य है कि आधुनिक युग में प्राय: सभी व्यवसायों तथा विशेष रूप में समस्त सरकारी एवं गैर-सरकारी नौकरियों पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक योग्यता को ही मुख्य आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह भी मान्यता है कि व्यक्ति के व्यवसाय का निर्धारण उसकी शिक्षा के माध्यम से होता है तथा व्यवसाय का वरण करके ही जीवनयापन किया जाता है। इन मान्यताओं के ही कारण शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य को प्राथमिकता दी जाती है। इस उद्देश्य पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था के फलस्वरूप व्यक्ति आर्थिक दृष्टिकोण से स्वावलम्बी बन सकता है। व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त करके तथा योग्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, लिपिक अथवा किसी अन्य व्यवसाय का वरण कर सकता है। जैसे-जैसे समाज में भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास हो रहा है, वैसे-वैसे शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य को अन्य उद्देश्यों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाने लगा है।

प्र.8. शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
Briefly describe the social purpose of education.

उत्तर शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का अर्थ व्यक्ति के अन्दर सामाजिकता की भावना उत्पन्न करना है। यह उद्देश्य मुख्य रूप से व्यक्ति को सामाजिकता अथवा नागरिकता का विकास करने पर बल देता है। इस उद्देश्य के समर्थकों और दार्शनिकों की मान्यता है कि समाज से परे मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। समाज में रहकर ही वह अपनी योग्यताओं, क्षमताओं का विकास कर अपने तथा अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता है।

रेमाण्ट (Raymont) **के शब्दों में,** "नि:समाज व्यक्ति कोरी कल्पना है।" (An isolated individual is only a figment of imagination)। बिना समाज के व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। समाज की उन्नति में ही उसकी उन्नति है और समाज की क्षति उसकी क्षति है। अत: व्यक्ति को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे समाज को हानि पहुँचे अर्थात् शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में ऐसी योग्यता और क्षमता उत्पन्न करना होना चाहिए जससे वह समाज के हितों के लिए अपने हित को त्याग दे, समाज के दूसरे सदस्यों के साथ प्रेम, सहयोग, भाईचारे के साथ रह सके तथा एक आदर्श सामाजिक प्राणी बन सके। भारत एक लोकतान्त्रिक देश है। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति के लोग निवास करते हैं परन्तु इन सभी में राष्ट्र के प्रति एकता की भावना पाई जाती है। इस प्रकार शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य से तात्पर्य एक आदर्श जनतन्त्र से है जिसमें सभी व्यक्तियों को एक सुखी, सम्पन्न एवं समृद्धशाली जीवन व्यतीत करने के समान अवसर प्राप्त होते हैं, साथ ही चिन्तन व मनन करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। कभी-कभी व्यक्तियों के मध्य संघर्ष एवं द्वेष की भावना भी जन्म ले लेती है।

अत: इन समस्याओं के निवारण हेतु शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य निम्न प्रकार हैं—

1. व्यावसायिक एवं उदार शिक्षा देना।
2. सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करना।
3. लोकतान्त्रिक गुणों का विकास करना।
4. नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना।
5. राष्ट्रीय एकता एवं अन्तर्राष्ट्रीय अवबोध को प्राप्त करना।
6. धार्मिक सहिष्णुता का विकास करना।
7. लोकतन्त्र एवं लोकतान्त्रिक नागरिकता की शिक्षा।
8. सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास करना।

प्र.9. मनुष्य को शिक्षा के निश्चित लक्ष्यों की आवश्यकता क्यों होती है? संक्षेप में समझाइए।
Why does a person need fixed aims of education? Describe in brief.

उत्तर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। उसकी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में शिक्षा ही प्रमुख रूप से सहायक होती है। शिक्षा सामाजिक क्रियाओं में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वही सामाजिक प्रतिमानों, संस्कृति, प्रथाएँ, रीति-रिवाज, मूल्यों आदि का हस्तान्तरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को करती है। उसी प्रकार समाज का भी शिक्षा के संचालन एवं अस्तित्व में भी विशेष महत्त्व है। समाज के लिए अनौपचारिक शिक्षा के

प्रमुख उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। सुनिश्चित एवं स्पष्ट उद्देश्यों के अभाव में इसकी कल्पना करना भी व्यर्थ है। शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों की आवश्यकता को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है—

1. **समय एवं शक्ति का सदुपयोग**—शिक्षक तथा विद्यार्थी को जब शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं तो शिक्षा की प्रक्रिया में दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं एवं शिक्षा की प्रक्रिया निश्चित उद्देश्यों की तरफ व्यवस्थित ढंग से चलती है। इससे समय एवं शक्ति दोनों का उचित उपयोग होता है। इसलिए शिक्षा में निश्चित उद्देश्यों का होना अत्यन्त आवश्यक होता है।
2. **शिक्षा प्रकिया का संचालन**—जब उद्देश्य निश्चित हो जाते हैं, तब अधिगम सरल एवं स्पष्ट हो जाता है। अधिगमकर्ता को अपने अधिगम के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। उसे क्या सीखना है, कैसे सीखना है तथा क्यों सीखना है। ये समस्त बातें वह स्वयं सीख जाता है। इस प्रकार उद्देश्य निश्चित होने से शिक्षा की प्रक्रिया सही ढंग से चलती है।
3. **पाठ्यचर्या तथा शिक्षण विधियाँ**—समाज के अनुरूप शिक्षा के उद्देश्य निश्चित होने के उपरान्त उनकी प्राप्ति हेतु पाठ्यचर्या तथा उसकी शिक्षण विधियों का निर्माण किया जाता है। इन सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य होने आवश्यक हैं क्योंकि निश्चित एवं स्पष्ट उद्देश्यों के अभाव में न तो पाठ्यचर्या पूरी की जा सकती है और न ही शिक्षण विधियाँ।
4. **औपचारिक शिक्षा**—प्रत्येक समाज का मानव हित में कुछ कर्त्तव्य निश्चित होते हैं एवं वह निरन्तर मानव प्रगति के लिए कुछ उद्देश्य निर्धारित करता है। इन विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह शिक्षा का विधान करता है। इस प्रकार समाज की आधारभूत औपचारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों की आवश्यकता होती है।

प्र.10. पारिस्थितिकीय कारक शिक्षा को प्रभावित करते हैं, कैसे?
How do situational factors affect education?

उत्तर प्रत्येक राष्ट्र अथवा मानव सभ्यता अपने पारिस्थितिक तन्त्र से प्रभावित होती है अर्थात् जिस राष्ट्र का पारिस्थितिक तन्त्र जैसा होगा उस देश का निर्माण अथवा शिक्षा प्रणाली भी वैसी ही होगी। उदाहरणार्थ, टुण्ड्रा क्षेत्र के राष्ट्र अपने पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तन्त्र के अनुसार ही अपना जीवनयापन करते हैं तथा उसी के अनुरूप अपनी शिक्षा प्रणाली भी विकसित करते हैं। इसी प्रकार भारत भी मानसूनी जलवायु वाला राष्ट्र है इसलिए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पारिस्थितिकी से प्रभावित है।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए शिक्षा के अर्थ एवं प्रकृति को समझाइए।
Making clear the concept of education, explain its nature and meaning.

उत्तर

शिक्षा की अवधारणा
(Concept of Education)

शिक्षा मानव के जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त तक निरन्तर चलती रहती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मानव जब जन्म लेता है तो वह विभिन्न बौद्धिक योग्यताओं एवं सांस्कृतिक तत्त्वों से युक्त होता है जो उसे अन्य पशुओं से भिन्न बनाते हैं। शिक्षा मानव जाति का संरक्षण करती है तथा बौद्धिक योग्यताओं एवं सांस्कृतिक परम्पराओं को बनाए रखने में सहायता करती है।

शिक्षा ही एक ऐसी विस्तृत प्रक्रिया है जो मानव को निर्धनता, अन्धकार एवं संकट से बाहर निकालती है एवं व्यक्तित्व के समस्त पक्षों (शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक) का विकास करती है। अत: शिक्षा जीवन का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपना आर्थिक विकास करता है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु के समान रहता है। वह अपने आदर्शों, विश्वास, परम्परा, आकांक्षाओं, आशाओं तथा सांस्कृतिक विरासत को विकसित नहीं कर सकता है।

शिक्षा का अर्थ (Meaning of Education)

मानव जीवन में शिक्षा का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन निरर्थक है। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में रह सकता है। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य का विकास सम्भव है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। यह जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई नियमबद्धता नहीं होती है और न ही ये पूर्वनियोजित एवं औपचारिक होती है। इसे कहीं भी किसी भी समय किसी के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। इस दृष्टि से शिक्षा ही जीवन है, जीवन ही शिक्षा है (Life is education, education is life)।

शिक्षा मनुष्य के चहुँमुखी विकास के लिए बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण है। शिक्षा का व्यापक अर्थ यह है कि मनुष्य द्वारा अर्जित वह ज्ञान जो इसे अपने भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूलन में सहायता करे या उसमें समायोजित होने से मनुष्य की रक्षा करे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 'शिक्षा' का अर्थ एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है, जिससे मनुष्य की अन्त:शक्तियों का विकास हो सके।

शिक्षा की कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्न प्रकार हैं—

विवेकानन्द के अनुसार, "मानव की सम्पूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है।"

सुकरात के अनुसार, "शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है, जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित हैं।"

टैगोर के अनुसार, "शिक्षा का अर्थ बालक को उस योग्य बनाना है कि वह शाश्वत सत्य की खोज कर सके, उसे अपना बना सके और उसकी अभिव्यक्ति कर सके।"

अरस्तु के अनुसार, "शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का और विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिसमें वह परम सत्य, शिव और सुन्दर के चिन्तन का आनन्द उठा सके।"

प्लैटो के अनुसार, "शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है, जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करें।"

शिक्षा की प्रकृति (Nature of Education)

शिक्षा के स्वरूप या प्रकृति का निर्धारण करने से पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि शिक्षा विज्ञान है या कला। 'शिक्षा विज्ञान है या कला' इस विषय का निर्धारण बहुत पहले से नहीं स्पष्ट हो रहा है। शिक्षा की प्रकृति का निर्धारण करने से पूर्व यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि विज्ञान क्या है एवं कला क्या है? इसका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हैं—

कला क्या है? (What is Arts?)

कौशलात्मक ज्ञान कला की श्रेणी में आता है। कलाकार का कौशल उसकी कलात्मक विशेषता होती है। कला का लक्ष्य व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाना है न कि ज्ञानी। इस प्रकारा कला किसी कार्य को करना है न कि जानना। कला में जिस प्रकार से कौशल तथा अभ्यास सम्मिलित है, उसी प्रकार से विज्ञान में किसी तथ्य के जानकारी पर बल दिया जाता है। कला में अभ्यास एवं पुनरावृत्ति पर बल दिया जाता है।

विज्ञान क्या है? (What is Science?)

किसी भी विषय के क्रमबद्ध विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार विज्ञान ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है। विज्ञान को नियमित ज्ञान के रूप में प्रयोगात्मक तथा निरीक्षणात्मक ढंग से प्राप्त किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ—तथ्यात्मकता, सार्वभौमिकता, प्रमाणिकता, कार्य–कारण सम्बन्धों का अन्वेषण तथा उनके सम्बन्ध में भविष्यवाणी करना आदि हैं। विज्ञान को सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दो भागों में वर्गीकृत करके समझा जा सकता है। सैद्धान्तिक विज्ञान में सत्य के लिए सत्य का अन्वेषण किया जाता है तथा व्यावहारिक विज्ञान में मानव जीवन के वैज्ञानिक सिद्धान्तों की व्यवहारिकता पर बल दिया जाता है।

शिक्षा की प्रकृति विज्ञान एवं कला के रूप में (Nature of Education inform of Science and Arts)

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि शिक्षा न तो केवल विज्ञान है और न ही केवल कला। अत: यह विज्ञान एवं कला दोनों हैं। वैज्ञानिक प्रवृत्ति से शिक्षा की प्रकृति में परिवर्तन हुआ है। इसी परिवर्तन के फलस्पवरूप शिक्षा को विज्ञान के रूप में माना जाने लगा है, परन्तु विज्ञान का स्वरूप सामाजिक होने के साथ–साथ प्रमाणिक एवं नियामक है। जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा के विषय क्षेत्र में शैक्षिक अनुसंधान, शैक्षिक तकनीकी एवं शैक्षिक मूल्यांकन आदि को स्थान मिला। विज्ञान का सामाजिक स्वरूप होने के कारण शिक्षा को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में माना जाता है जिससे शिक्षा गतिशील तथा प्रगतिशील तथा प्रगतिशील हो रही है। इसके विपरीत शिक्षा को पूर्ण रूप से न तो वैज्ञानिक एवं न तो सैद्धान्तिक ही कहा जा सकता है। यह सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों हैं। शिक्षा में जीव विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान के साथ–साथ मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञानों को स्थान प्राप्त है। इसमें शिक्षण कौशल को अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। अत: इस प्रकार स्पष्ट होता है कि शिक्षा की प्रकृति विज्ञान एवं कला दोनों है।

TOUCH 'N PASS

प्र.2. ज्ञान क्या है? शिक्षा एवं ज्ञान में अन्तर लिखिए।
What is knowledge? Write the difference between education and knowledge.

उत्तर

ज्ञान का अर्थ
(Meaning of Knowledge)

ज्ञान का अर्थ स्पष्ट रूप से उन सूचनाओं का संग्रह है जो किसी वस्तु परिस्थिति और अनुभव की समझ को विकसित करने में सहायक होता है। ज्ञान समस्त शिक्षा का आधार है। चाहे किसी भी प्रकार की शिक्षा हो औपचारिक, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक (Formal, Informal and Non formal)। ज्ञान एक साध्य एवं साधन दोनों ही रूपों में पाया जा सकता है। शिक्षा के कई उद्देश्यों में से 'ज्ञान प्राप्ति' एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका अभिप्राय यह है कि ज्ञान सूचनाएँ हैं। ये सूचनाएँ (Informations) किसी भी वस्तु के बारे में हो सकती हैं जो हमें उस वस्तु की विशेषताओं के बारे में बताती हैं। इसी ज्ञान के कारण ही बालक हमारे समाज में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को उसी नाम से पुकारते हैं जो नाम सम्पूर्ण समाज प्रयोग करता है। इस प्रकार से वस्तुओं की जानकारी हस्तान्तरित होती है।

ज्ञान किसी परिस्थिति और प्रक्रिया से सम्बन्धित तथ्य और सत्य है। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ (Circumstances) और वातावरण उपस्थित हैं। इन परिस्थितियों और वातावरण से सम्बन्धित कई प्रकार के तथ्य होते हैं जो सत्य पर आधारित होते हैं। इन परिस्थितियों और वातावरण की लक्ष्यपूर्ण जानकारी ज्ञान कहलाता है जो वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों के लिए सदैव परिमार्जित एवं परिशोधित रूप में हस्तान्तरित होता रहता है। ज्ञान अनुभवों की समझ पर आधारित सूचनाएँ हैं। सभी को जीवन में अनुभव होते रहते हैं और इन अनुभवों का जब हम सामान्यीकरण (Generalisation) कर लेते हैं और एक सिद्धान्त और नियम के रूप में विकसित कर लेते हैं तो यह ज्ञान बन जाता है और यही ज्ञान सम्पूर्ण समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो जाता है।

उदाहरण के लिए—महान वैज्ञानिक, न्यूटन, आंइस्टाईन, आर्किमिडीज आदि ने जो अनुभव किया उसके तथ्य को सिद्धान्त के रूप में विकसित कर दिया गया जो आज विज्ञान के आधारभूत ज्ञान के रूप में विद्यमान है।

ज्ञान का अर्थ जागरुकता (Awareness) भी है। जागरुकता का अर्थ किसी भी वस्तु या परिस्थिति की सूचना हमारे मस्तिष्क में होने से है और यही मानसिक विद्यमान सूचनाएँ या तथ्य हमें जागरुक बनाते हैं। यही जागरुकता ज्ञान है क्योंकि जब तक कोई तथ्य हमारे मस्तिष्क में विद्यमन नहीं होता या प्रत्यक्षीकरण नहीं कर लिया जाता, तब तक वह मात्र सूचना होती है पर वही सूचना जब हमारे मस्तिष्क में प्रेषित (Transmitted) या ग्रहित (Acquired) हो जाती है तो यही हमारा ज्ञान बन जाती है।

ज्ञान की विशेषताएँ (Characteristics of Knowledge)

इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. ज्ञान समाप्त नहीं हो सकता है।
2. ज्ञान शक्ति होती है।
3. ज्ञान का स्रोत सूचना है।
4. सत्यता का नाम ही ज्ञान है।
5. ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुभव अनिवार्य है।
6. ज्ञान की सीमा नहीं होती है अत: ज्ञान जगत अनन्त है। इसमें ज्ञात एवं अज्ञात सभी ज्ञान समाहित रहता है।
7. कोई व्यक्ति जितना ज्ञान प्राप्त करेगा उसके ज्ञान की भूख और बढ़ती जाएगी।
8. ज्ञान तीन तथ्यों पर आधारित है—सत्यता, साक्ष्य एवं विचार।
9. ज्ञान बहुआयामी हैं जिसमें चिन्तन, अध्ययन एवं अनुसन्धान के द्वारा नवीन ज्ञान तथा नए विषय क्षेत्रों की उत्पत्ति निरन्तर होती रहती है।
10. ज्ञान सतत् रूप से विकसित होता रहता है। जिसके फलस्वरूप विषयों की निरन्तरता बनी रहती है।

उपरोक्त वर्णित समस्त विशेषताओं के फलस्वरूप ज्ञान जगत कभी भी एक जैसा नहीं पाया जा सकता। इसके आकार, प्रकार एवं प्रकृति में सतत् परिवर्तन होता रहता है।

शिक्षा एवं ज्ञान में अन्तर
(Differences between Education and Knowledge)

क्र०सं०	भेद के आधार	शिक्षा	ज्ञान
1.	परिभाषा	शिक्षा एक औपचारिक संस्था जैसे स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय से व्यवस्थित तरीके से सीखने की एक प्रक्रिया है।	ज्ञान अपने स्वयं के अनुभवों या सीखों के माध्यम से तथ्यों, सूचनाओं और कौशलों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है।
2.	प्राप्ति का स्थान	शिक्षा एक औपचारिक संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय से ही प्राप्त की जा सकती है।	ज्ञान प्राप्त करने के स्थानों की कोई सीमा नहीं होती क्योंकि यह अनुभवों और वास्तविक जीवन स्थितियों से सीखा जाता है।
3.	नियम	शिक्षा में एक पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम नियम एवं विनियम होते हैं।	ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई निर्देश, नियम या सीमाएँ नहीं हैं।
4.	विधि	शिक्षा औपचारिक संस्था में पुस्तकों से प्राप्त होती है।	ज्ञान परिवेश और जीवन के अनुभवों से प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है।
5.	प्रक्रिया	शिक्षा एक औपचारिक प्रक्रिया है।	ज्ञान अनौपचारिक अनुभव है।
6.	माध्यम	शिक्षा शिक्षकों के माध्यम से प्राप्त की जाती है।	ज्ञान स्वयं अर्जित या स्व-संचालित होता है।
7.	विकास एवं वृद्धि	शिक्षा उम्र के साथ बढ़ती हैं क्योंकि एक व्यक्ति जुड़कर अधिक से अधिक सीख सकता है।	ज्ञान की कोई आयु सीमा या कोई विकास दर नहीं है। यह पूरी तरह से उसके जीवन की समझ पर आधारित है।
8.	रूप एवं उपयोग	शिक्षा ही विद्या हैं। शिक्षा तथ्यों और आंकड़ों को सीखने और जानने की प्रक्रिया है।	ज्ञान समझ है। ज्ञान उन तथ्यों और सिद्धांतों का अनुप्रयोग है।
9.	प्रणाली	शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रणाली का पालन करना होता है।	ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसी किसी प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती है।
10.	सीमा	शिक्षा आयु के साथ बढ़ती है।	ज्ञान परिवेश से प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रत है एवं इसकी कोई आयु सीमा नहीं है।

प्र.3. प्रशिक्षण का अर्थ स्पष्ट करते हुए शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अन्तर लिखिए।
Making clear the meaning of training, write the differences between teaching and training.

उत्तर

प्रशिक्षण
(Training)

प्रशिक्षण एक सतत् प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति में ज्ञान, कौशल, दक्षता, कार्य क्षमता तथा निष्पादन क्षमता का विकास होता है ताकि व्यक्ति सौंपे गए कार्य का कुशलतापूर्वक सम्पादन कर सके। परिभाषाओं के माध्यम से हम प्रशिक्षण को भली-भाँति समझ सकते हैं।

डेविस के अनुसार, "प्रशिक्षण को तथ्यों, नियमों तथा प्रविधियों के किसी संगठित संस्था की जानकारी के विकास की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।"

बनार्ड के अनुसार, "प्रशिक्षण का शिक्षा के प्रवर्तन और विकास की विचारधाराओं से अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है। विकास विस्तृत रूप से शिक्षा और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के द्वारा व्यक्ति में प्रवृत्त परिवर्तन की प्रकृति और दिशा निर्दिष्ट करता है।"

मैक्फरलैण्ड के अनुसार, "प्रशिक्षण का सम्बन्ध किसी विशेष उद्देश्य के लिए विशेष दक्षता प्रदान करना है। शिक्षा एक व्यापक शब्द है जिसमें व्यक्ति का समाजिक, बौद्धिक और भौतिक रूप से सम्पूर्ण विकास शामिल है। इस प्रकार प्रशिक्षण शिक्षा की सफल प्रक्रिया का केवल एक भाग है।"

इस प्रकार प्रशिक्षण एक सुव्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति एक निश्चित उद्देश्य के लिए ज्ञान और कुशलताएँ सीखता हैं।

TOUCH n PASS

प्रशिक्षण की विशेषताएँ (Characteristics of Training)

1. यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।
2. प्रशिक्षण एक नियोजित विकास की प्रकिया हैं।
3. प्रशिक्षण परिवर्तन के प्रति अनुकूल तथा सकारात्मक (Positive) वातावरण पैदा करता है।
4. प्रशिक्षण सीखने की एक महत्त्वपूर्ण क्रिया है जो व्यक्तियों के आत्मविश्वास में वृद्धि करती है।
5. सभी स्तर के व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण आवश्यक हैं। प्रशिक्षण से व्यक्ति के ज्ञान एवं योग्यता एवं कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। इसे हम निम्न चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं—
6. प्रशिक्षण शिक्षा तथा विकास से भिन्न होता है।
7. प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति की चिन्तन शैली, अभिरुचि तथा व्यवहार में परिवर्तन (Bhavioural Change) आता है।
8. प्रशिक्षण प्रदान किसी भी संस्था का महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व है जो संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति करता है।
9. यह एक व्यावहारिक क्रिया है।
10. तकनीकी एवं प्रबन्धन के क्षेत्रों में नवीन परिवर्तन के कारण ही प्रशिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन होता रहता है।

शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अन्तर
(Differences between Teaching and Training)

क्र०सं०	भेद के आधार	शिक्षण	प्रशिक्षण
1.	अर्थ	शिक्षण का अर्थ है पढ़ाना, शिक्षा देना, ज्ञान देना। यह शिक्षक-शिक्षार्थियों की उपस्थिति में सम्पन्न होने वाली अन्त: क्रिया है।	प्रशिक्षण एवं व्यविस्थत प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ज्ञान एवं कौशल को सीखता है।
2.	प्रकृति	शिक्षण को विज्ञान एवं कला माना गया है।	प्रशिक्षण की प्रकृति वैज्ञानिक विधियों पर आधारित है।
3.	लक्ष्य एवं उद्देश्य	शिक्षण को मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर को बेहतर बनाना है।	प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों की आदतों एवं निष्पादन को सुधारना है।
4.	समयावधि	शिक्षण की समयावधि दीर्घकालिक होती है।	प्रशिक्षण अल्पकालिक होता है जैसे—3 माह, 6 माह अथवा 1 वर्ष।
5.	क्षेत्र	शिक्षण का क्षेत्र अधिक व्यापक है।	प्रशिक्षण शिक्षण का एक अंग है। अत: इसका क्षेत्र शिक्षण की अपेक्षा कम व्यापक है।
6.	आधार	शिक्षण सैद्धांतिक अवधारणा पर आधारित है।	प्रशिक्षण ज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित है।

प्र.4. शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए
Describe the factors that affect education.

उत्तर

शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक
(Factors Affecting Education)

शिक्षा को प्रभवित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं—

1. **सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक**—किसी भी समाज की जैसी सामाजिक व्यवस्था या स्तर होता है। उससे शिक्षा के उद्देश्य प्रभावित होते हैं। अत: समाज विशेष की संरचना, संस्कृति तथा धार्मिक स्थिति उसकी शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करने के आधार होते हैं। जैसे आर्य समाज में जाति व्यवस्था पनपी या ब्राह्मणों की जाति सर्वोच्च जाति मानी गई। अत: उनकी जीवनशैली आचरण आदर्श मानी गई। दलितों और जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक दशा बहुत निम्न और खराब थी; अत: उन्हें शिक्षा से वंचित किया गया। प्रत्येक समाज की अपनी विशेष संस्कृति होती है, उसके विशेष आदर्श मूल्य प्रतिमान, मान्यताएँ, रीति रिवाज और जीवन शैली होती है, नई पीढ़ी को उसमें ढालना, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है।

TOUCH 'n PASS

अत: समाज में विभिन्न परिस्थितियों में समाज की संस्कृति, खान-पान, रीति-रिवाज, भाषा-साहित्य, कला-कौशल, प्रथाएँ, प्रतिमान एवं धर्म-दर्शन आदि सभी कुछ आते हैं। समाज के इन समस्त पक्षों को शिक्षा द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है। इसी प्रकार समाज परिवर्तनशील है, उसकी संरचना, धार्मिक, राजनैतिक एवं आर्थिक सभी स्थितियों में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा ही प्राचीन मान्यताओं एवं परिवर्तनों को प्रसारित करती है अत: शिक्षा के इन्हीं उद्देश्यों को इन्हीं आधार पर निर्मित किया जाता है।

2. **दार्शनिक कारक**—दार्शनिक रूप से संसार के निर्माण को कोई आध्यात्मिक शक्ति द्वारा तो कोई प्राकृतिक शक्ति द्वारा मानता है। आध्यात्मिक विचारधारा वाले व्यक्ति मनुष्य जीवन का अन्तिम लक्ष्य आत्मानुभूति मानते हैं। तथा इसकी अनुभूति हेतु शिक्षा द्वारा मानव के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास पर बल देते हैं। वहीं भौतिकवादी इसके विपरीत भौतिक जगत के पदार्थ एवं क्रियाओं के ज्ञान एवं अधिकतम प्रयोग पर बल दते हैं। जिसके कारण शिक्षा के उद्देश्य निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। शिक्षा के उद्देश्य आवश्यकतानुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे—बौद्धकाल में भगवान बुद्ध की दार्शनिक एवं धार्मिक शिक्षाएँ फैली थी उस समय शिक्षा का उद्देश्य बौद्ध दर्शन को प्रसारित करना था। हिंदू धर्म में चली आ रही जातिवाद, छुआछूत, स्त्रियों के प्रति दासता अंधविश्वास का विरोध करना या मुस्लिम काल में इस्लाम धर्म के जो भी शासक हुए उनका शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रसार करना था। अत: जिस काल में जिस प्रकार के दार्शनिक आए और उन्होंने जिस प्रकार से उद्देश्य दिए उसी का प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा।
3. **राजनीतिक कारक**—शिक्षा के राजनीतिक कारक अत्यधिक प्रभावित करते हैं। शिक्षा पर सबसे अधिक राज्य एवं राज्यतन्त्र का प्रभाव पड़ता है। समाज की शासन व्यवस्था के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निश्चित होते हैं। एकतन्त्रीय शासन प्रणाली में व्यक्ति को स्वतन्त्र अभिव्यक्ति एवं विकास के अवसर प्रदान नहीं किए जाते हैं अर्थात् शिक्षा के माध्यम से ऐसे समाज का निर्माण किया जाता है जिसमें मात्र शक्तिशाली लोगों का अधिकार हो। इसके विपरीत प्रजातांत्रिक समाज में राजनीतिक विचारधारा सभी का समान विकास करना है क्योंकि लोकतन्त्रीय शासन में व्यक्ति को पूर्णतया विकास एवं विचाराभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है।

   इस प्रकार, ऐसे समाज में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। यह तभी संभव है जब समाज के लोगों में राजनीतिक जागरूकता आएगी। वे अपने अधिकार तथा कर्तव्य को सही तरह से समझ सकेंगे तथा समाज का विकास करने में अपना संपूर्ण योगदान दे सकेंगे।
4. **आर्थिक कारक**—शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने में आर्थिक कारक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक रूप से समृद्ध समाज की शिक्षा अत्यन्त व्यापक होती है। पिछड़े हुए समाजों में शिक्षा व्यवस्था में कठिनाइयाँ आती हैं परन्तु प्राय: उसके उद्देश्य इस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। वर्तमान वैश्वीकरण की बढ़ती हुई, प्रवृत्तियों ने आर्थिक चिंताएँ एवं कष्ट बढ़ाए हैं, इनसे प्रभावित होकर अब शिक्षा का प्रमुख उद्देश्या नौकरी या व्यवसाय की शिक्षा देना बन गया है। अधिकतर छात्र पारंपरिक विषयों जैसे दर्शन कला धर्म संस्कृति आदि को न पढ़कर विभिन्न व्यवसायिक विषय पढ़ना चाहते हैं।
5. **नैतिक कारक**—व्यक्ति एवं समाज दोनों का वास्तविक एवं स्थायी कल्याण उत्तम नैतिक चरित्र से होता है। जिस देश में नागरिक बड़ों का आदर नहीं करते, सत्य नहीं बोलते तथा जो न्याय को न्याय नहीं समझते उस देश का पतन होना निश्चत है। समाज के अंदर प्रेम, सहानुभूति, दया, सद्भावना तथा प्रियता आदि सामाजिक एवं नैतिक गुणों को विकसित करके बालक को चरित्रवान बनाया जा सकता हैं। देश को उन्नत बनाने के लिए नागरिकों को चरित्रवान बनाना आवश्यक है। इसके लिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन विषयों को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए जो नैतिक विचारों से परिपूर्ण हैं।
6. **वैज्ञानिक कारक**—आज का युग निरन्तर प्रगति एवं विज्ञान का है। वर्तमान में वैज्ञानिक प्रविधियों के प्रयोग से आधुनिक तकनीकों द्वारा राष्ट्रीय आय में निरन्तर वृद्धि हो रही है। शिक्षा में वैज्ञानिक सोच के माध्यम से पुरानी धारणाओं को सुधारा जा सकता है एवं सत्य तक पहुँचा जा सकता है। आज मानव कम समय एवं श्रम से अधिक उत्पादन कर रहा है। विज्ञान

द्वारा अन्धविश्वासों की समाप्ति एवं नवीन आविष्कारों का उदय हुआ है। अत: किसी भी समाज की शिक्षा के उद्देश्य विज्ञान एवं तकनीकी पर अवश्य आधारित होते हैं। तकनीकी के प्रयोग से जीवन को सरल तथा सहज बनाया, जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में नए-नए आविष्कार किए जा सकते हैं। यदि शिक्षा प्रदान करने के साधन के रूप में जनसंचार के साधन जैसे विज्ञापन, इंटरनेट, फिल्म समाचार पत्र, दूरदर्शन आदि का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए।

7. **मनोवैज्ञानिक कारक**—आज शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक की आवश्यकता एवं उसकी मनोवैज्ञानिक क्षमताओं के अनुरूप ज्ञान प्रदान करना है। मनोविज्ञान के द्वारा व्यक्ति की मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास का अध्ययन किया जाता है। इससे ज्ञात होता है कि कोई भी दो बच्चे, समान नहीं होते। उनकी, रुचि, क्षमता, योग्यता, अधिगम एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं में अन्तर पाया जाता है। अत: इन समस्त तथ्यों को आधार मानकर ही शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं।

प्र.5. शिक्षा के वैयक्तिक एवं लोकतान्त्रिक उद्देश्य क्या हैं? विस्तार से समझाइए।
What are the individualist and democratic aims of education? Explain in detail.

उत्तर

शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य
(Individualistic Aims of Education)

विद्वानों के अनुसार व्यक्ति का महत्त्व समाज की तुलना में अधिक है। ऐसी परिस्थिति में समस्त सामाजिक संस्थाओं का यह दायित्व होता है कि वे व्यक्ति के जीवन के चहुँमुखी विकास में अधिक-से-अधिक योगदान दें। इस वर्ग के सुप्रसिद्ध विद्वान शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का समर्थन मानव-मनोविज्ञान के आधार पर भी करते हैं। प्रकृतिवादी दार्शनिकों ने शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य को सर्वाधिक मान्यता प्रदान की है। इन विद्वानों की मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति की रुचि, इच्छा-शक्ति, मनोवृत्ति, स्मरण शक्ति तथा बौद्धिक क्षमता आदि वैयक्तिक गुण भिन्न-भिन्न होते हैं। इस स्थिति में शिक्षा की व्यवस्था इन विभिन्नताओं को पूरी तरह से ध्यान में रखकर ही की जानी चाहिए अर्थात् शिक्षा के क्षेत्र में वैयक्तिक भिन्नता को समुचित महत्त्व दिया जाना चाहिए। शिक्षा व्यक्ति-केन्द्रित होनी चाहिए। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों का समुचित विकास किया जाना चाहिए। प्रमुख प्रकृतिवादी विद्वान **रूसो** के अनुसार, "प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट स्वभाव को लेकर जन्म लेता है। हम बिना सोचे-समझे भिन्न-भिन्न रुचियों वाले बालकों को एक ही प्रकार के कार्यों में जुटा देते हैं। ऐसी शिक्षा उनकी विशेषताओं को नष्ट करके एक निर्जीव समानता की छाप लगा देती है।" इस कथन को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि शिक्षा में व्यक्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

गुरु द्वारा प्रत्येक शिष्य के गुण-स्वभाव एवं क्षमता आदि को ध्यान में रखकर उसी के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। इसी प्रकार, प्राचीन यूनान में भी शिक्षा में व्यक्तिगत भेदों को विशेष महत्त्व दिया जाता था। वैयक्तिकता के विकास को शिक्षा का उद्देश्य माना जाता था।

आधुनिक युग के अनेक शिक्षाशास्त्रियों ने शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य को प्राथमिकता प्रदान की है। इन शिक्षाशास्त्रियों में **टी०पी० नन** का उल्लेखनीय स्थान है। **नन** ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को उसकी वैयक्तिकता के विकास में सहायता प्रदान करना होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही कुछ गुण निहित होते हैं। इन निहित गुणों का समुचित विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। **नन** के अनुसार—मानव जगत में यदि कुछ भी अच्छाई आ सकती है तो वह व्यक्तिगत पुरुषों तथा स्त्रियों के स्वतन्त्र प्रयासों के द्वारा ही आ सकती है अत: शिक्षा का संगठन इस सत्य के आधार पर ही होना चाहिए।" इस प्रकार स्पष्ट कि समाज के विकास के लिए भी व्यक्ति के विकास पर ही बल देना आवश्यक है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए नन ने शिक्षा का उद्देश्य वैयक्तिकता का पूर्ण विकास ही माना है। उसके अनुसार—"शिक्षा से प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी अवस्थाएँ प्राप्त होनी चाहिए जिनमें उसकी वैयक्तिकता का पूर्ण विकास हो सके।" नन का विचार है कि समाज एवं जगत की उन्नति एवं विकास की अपेक्षा व्यक्तियों के व्यक्तिगत विकास को सर्वाधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए। यह शिक्षा के द्वारा बालक की व्यक्तिगत रुचियों एवं मूल प्रवृत्तियों की अवहेलना करके उस पर विभिन्न सामाजिक नियमों को थोपा जाए तो निश्चित रूप से

बालक का व्यक्तित्व समुचित रूप से विकसित नहीं हो पाता तथा इसके कुण्ठित हो जाने की आशंका बनी रहती है। इस प्रकार शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य के अनुसार शिक्षा के माध्यम से बालक को आत्माभिव्यक्ति के योग्य बनाना है तथा उसके स्वाभाविक विकास में सहायता प्रदान करना है।

शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का समर्थन करने वाले विद्वानों के व्यापक दृष्टिकोण से शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की आत्माभिव्यक्ति (self-expression) न होकर आत्मबोध या आत्मानुभूति (self-realization) है। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का समर्थन **यूकेन** (Eucken) ने भी किया है। उसके शब्दों में, "हमारे जीवन का मुख्य कार्य अपने सच्चे स्वरूप को विकसित करना और व्यक्तित्व एवं आध्यात्मिक व्यक्ति के परिवर्द्धन में इस स्वरूप को निखारना होता है। प्रत्येक व्यक्ति के सामने सत्यपूर्ण व्यक्तित्व तथा आध्यात्मिक व्यक्तित्व के निर्माण का कार्य जीवन भर होता रहता है।" इस कथन से वैयक्तिकता के विकास का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। वैयक्तिकता से तात्पर्य है व्यक्ति की निजी विशेषताओं का समुचित विकास। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि व्यक्ति की प्रमुख निजी विशेषताएँ हैं—व्यक्ति की रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ तथा आन्तिरक गुण। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि शिक्षा-प्रणाली द्वारा व्यक्ति की निजी विशेषताओं के समुचित विकास में सहायता प्रदान की जानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति तब ही एक अच्छा नागरिक एवं अच्छा व्यक्ति बन सकता है जबकि उसकी निजी विशेषताओं का समुचित विकास हो।

शिक्षा के लोकतान्त्रिक उद्देश्य
(Democratic Aims of Education)

शिक्षा के लोकतान्त्रिक उद्देश्यों का विवरण निम्न प्रकार है—

1. **राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति का उद्देश्य**—शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति का अर्थ है ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना जिससे आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति हो। शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है इसलिए यह आवश्यक है कि किसी भी देश अथवा राष्ट्र की तत्कालीन समस्याओं के समाधान एवं उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए व्यक्जि एवं समाज को तैयार करें।

   उदाहरण के लिए—आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या पिछड़ेपन की है इसके लिए हम वैज्ञानिक प्रवृत्ति पर बल दे रहे हैं। दूसरी बड़ी समस्या देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है, इसके लिए जनसंख्या नियन्त्रण सम्बन्धी शिक्षा की व्यवस्था है, तीसरी बड़ी समस्या साम्प्रदायिकता की है, इसके लिए हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। सबसे बड़ी समस्या अलगाववाद और आतंकवाद है। इस समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय एकता के विकास पर बल दिया जा रहा है जो वर्तमान समय की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है।

   शिक्षा केवल तत्कालीन समस्याओं के समाधान एवं आकांक्षाओं तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि मानव जीवन के सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति पर भी ध्यान देना चाहिए। समस्याओं के समाधान हेतु स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण पहली आवश्यकता है। व्यवसाय एवं उद्योग द्वारा धनोपार्जन दूसरी आवश्यकता है। मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए उसका सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करना भी आवश्यक है जब तक मनुष्य का नैतिक एवं चारित्रिक विकास नहीं किया जाता तब तक उसे स्वार्थ लिप्सा की सीमा से नहीं निकाला जा सकता है अत: व्यक्ति का नैतिक एवं चारित्रिक विकास होना भी परमावश्यक हैं।

2. **नागरिकता की शिक्षा का उद्देश्य**—लोकतन्त्र शासन प्रणाली का मूल सिद्धान्त-स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय, समाजवाद, एवं धर्मनिरपेक्षता है। वास्तविकता यह है कि हम इन सिद्धान्तों को राष्ट्रीय जीवन में जब तक नहीं उतार पाए हैं जबकि इन सिद्धान्तों का ज्ञान एवं सिद्धान्तों का जीवन में पालन करने का प्रशिक्षण हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों को भी नागरिक के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का ज्ञान कराना चाहिए। शिक्षा ऐसा साधन हे जिसके द्वारा कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। अत: शिक्षा का यह अनिवार्य उद्देश्य है कि वह राष्ट्र की मान्यता के अनुरूप नागरिकों का निर्माण करें। प्रत्येक देश का संविधान अपने देश के नागरिकों को उनके अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का ज्ञान कराता है तथा उसको अनुकूल व्यवहार करने की ओर प्रवृत्त करता है। इससे नागरिकों में राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध

होता है, वे नागरिकता के उत्थान के लिए क्रियाशील होते हैं। राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए नागरिकता की शिक्षा परमावश्यक होती है। प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि वे अपने राष्ट्र के प्रति ईमानदारी होने के साथ-साथ इसके आदर्शों परम्पराओं एवं विधियों का पालन करें।

3. **धार्मिक सहिष्णुता का विकास**—संसार के अधिकांश लोग मनुष्य को शरीर, मन, एवं आत्मा का योग मानते हैं तथा इनके इन तीनों पक्षों के विकास की बात करते हैं। धर्म वह साधन है जिसको धारण करने से मनुष्य के तीनों पक्षों का विकास होता है। हमारे देश में अनेक धार्मिक सम्प्रदाय हैं। धर्म के वास्तविक स्वरूप को न समझने के कारण व्यक्ति का नैतिक पतन हो रहा है। इसलिए धार्मिक सहिष्णुता का विकास हमारी भारतीय शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए।
4. **सांस्कृतिक सहिष्णुता**—किसी भी समाज की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी संस्कृति होती है। संस्कृति के द्वारा ही उस समाज विशेष की जीवन शैली, खान-पान, धर्म मूल्य एवं प्रतिमान प्रभवित होते हैं। बालक प्राय: अपने परिवार एवं समाज के द्वारा संस्कृति को सीखता है परन्तु भारत एक विभिन्न समाजों एवं संस्कृति वाला देश है जिसमें बालक अपने संस्कृति एवं जाति समूह के प्रतिमानों को ही सीखते हैं तथा महत्त्व देते हैं। अत: देश में शिक्षा द्वारा सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास करना आवश्यक है। उस उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यालयों में प्राय: एक दूसरे की संस्कृतियों का स्पष्ट ज्ञान कराएँ इसके साथ ही अन्य राज्यों, देशों, का ज्ञान कराके उनके प्रति उदार भावना का विकास करें।
5. **जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, देश को आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय एकता एवं अन्तर्राष्ट्रीय अवबोध की प्राप्ति**—वर्तमान समय में देश के समक्ष सबसे बड़ी समस्या है—बढ़ती जनसंख्या, दूषित वातावरण, पिछड़ापन, अलगाववाद एवं स्वार्थपरता। अत: शैक्षिक उद्देश्यों में जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी की शिक्षा तथा राष्ट्रीय एकता के विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए तथा हमें शिक्षा द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय अवबोध का विकास भी करना चाहिए।

प्र.6. भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। [2021]
Throw light on the characteristics of ancient knowledge-tradition of India.

उत्तर भारतीय ज्ञान परम्परा अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है जिसमें ज्ञान और विज्ञान, लौकिक और पारलौकिक, कर्म और धर्म तथा भोग और त्याग का अद्‌भुत समन्वय है। ऋग्वेद के समय से ही शिक्षा प्रणाली जीवन के नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक मूल्यों पर केंद्रित होकर विनम्रता, सत्यता, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सभी के लिए सम्मान जैसे मूल्यों पर जोर देती थी। वेदों में विद्या को मनुष्यता की श्रेष्ठता का आधार स्वीकार किया गया था (ऋग्वेद, 10/71/7)। छात्रों को मानव, प्राणियों एवं प्रकृति के मध्य संतुलन को बनाए रखना सिखाया जाता था। शिक्षण और सीखने के लिए वेद और उपनिषद् के सिद्धान्तों का अनुपालन जिससे व्यक्ति स्वयं, परिवार और समाज के प्रति कर्त्तव्यों को पूरा कर सके, इस प्रकार जीवन के सभी पक्ष इस प्रणाली में सम्मिलित थे।

शिक्षा प्रणाली ने सीखने और शारीरिक विकास दोनों पर ध्यान केंद्रित किया। कर्म वही है जो बंधनों से मुक्त करे और विद्या वही है जो मुक्ति का मार्ग दिखाए। इसके अतिरिक्त जो भी कर्म हैं वह सब निपुणता देने वाले मात्र हैं (विष्णु पुराण, 1/9/41)। शिक्षा के इस संकल्प को भारतीय परंपरा में अंगीकृत कर तदनुरूप ही विश्वविद्यालयों और गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। घर, मंदिर, पाठशाला तथा गुरुकुल में संस्कार युक्त स्वदेशी शिक्षा दी जाती थी। उच्च ज्ञान के लिए छात्र विहार और विश्वविद्यालयों में जाते थे तथा शिक्षण अधिकतर मौखिक था, छात्रों को कक्षा में जो विषय पढ़ाया जाता था उसको वो याद कर मनन करते थे।

प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली ज्ञान, परम्पराएँ और प्रथाएँ मानवता को प्रोत्साहित करती थीं। पुराण में ज्ञान को अप्रतिम माना गया है (ब्रह्माण्ड पुराण, 1/4/15)। भारत के तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, बल्लभी, उज्जयिनी, काशी आदि विश्व प्रसिद्ध शिक्षा एवं शोध के प्रमुख केन्द्र थे तथा यहाँ कई देशों के शिक्षार्थी ज्ञानार्जन के लिए आते थे। वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रसिद्धि थी जिसमें मैत्रेयी, ऋतम्भरा, अपाला, गार्गी और लोपामुद्रा आदि जैसे नाम प्रमुख थे। बौधायन, कात्यायन, आर्यभट्ट, चरक, कणाद, वाराहमिहिर, नागार्जुन, अगस्त्य, भर्तृहरि, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद जैसे अनेकानेक महापुरुषों ने भारत भूमि पर जन्म लेकर अपनी मेधा से विश्व में भारतीय ज्ञान परंपरा के समिद्ध हेतु अतुल्य योगदान दिया है।

गुरुकुल शिक्षा के प्रमुख आधार स्तम्भ थे। शिक्षार्थी अठारह विद्याओं—छः वेदांग, चार वेद (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद), चार उपवेद (आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्व वेद, शिल्पवेद), मीमांसा, न्याय, पुराण तथा धर्मशास्त्र का अर्जन गुरु के निर्देशन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अनुष्ठानपूर्वक अभ्यास कर सम्पादन करते थे जिससे आजीविका निर्वहन में कोई परेशानी नहीं होती थी तथा प्रौढ़ावस्था तक आते-आते अपने विषय के निपुण ज्ञाता बन जाते थे। त्याग, वृत्तिसम्पन्न तथा धन की तृष्णा से परे आचार्य ही भारतीय शिक्षा पद्धति में शिक्षक माना गया है। शिक्षा को व्यवसाय और धनार्जन का साधन नहीं माना जाता था। वायु पुराण (77/128) में उल्लेख है कि गुरु रूपी तीर्थ से सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह सभी तीर्थों से श्रेष्ठ है। प्राचीन भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा अति समृद्धि थी तथा इसका उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को समाहित करते हुए व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को विकसित करना था। जब सारा विश्व अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता था तब सम्पूर्ण भारत के मनीषी उच्चतम ज्ञान का प्रसार करके मानव को पशुता से मुक्त कर, श्रेष्ठ संस्कारों से युक्त कर संपूर्ण मानव बनाते थे।

प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च लक्ष्य माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि पूर्ण आत्म ज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत् विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य चार में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास योजना के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। इस हेतु संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी ताकि सतत् विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्त्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होगा जो कि किसी से पीछे नहीं है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है तथा भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए, 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

अनुसंधान एवं ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। मानविकी और कला की माँग बढ़ेगी; क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ-साथ दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने के साथ-साथ आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। वर्तमान में सीखने के परिणामों और जो आवश्यक है उनके मध्य की खाई को, प्रारंभिक बाल्यावस्था से देखभाल और उच्चतर शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में उच्चतम गुणवत्ता, इक्विटी और सिस्टम में अखंडता लाने वाले प्रमुख सुधारों के जरिए पूर्ण किया जा सकता है।

शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलाव के केंद्र में निश्चित तौर पर शिक्षक होने चाहिए। यह नीति निश्चित तौर पर प्रत्येक स्तर पर शिक्षकों को समाज के सर्वाधिक सम्माननीय और श्रेष्ठ सदस्य के रूप में पुनः स्थान देने में सहायक होगी। शिक्षा ही नागरिकों को हमारी अगली पीढ़ी को सही मायने में आकार देती है। इस नीति द्वारा शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की योजना है जिससे कि वे अपने कार्य को प्रभावी रूप से कर सकें। हर स्तर पर शिक्षण के पेशे में सबसे होनहार लोगों का चयन करने की योजना है। जिसके लिए उनकी आजीविका, सम्मान, मान मर्यादा और स्वायत्तता सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही तंत्र में गुणवत्ता नियंत्रण और जवाबदेही के बुनियादी प्रक्रियाएँ भी स्थापित होनी हैं। इस नीति का उद्देश्य ऐसे अच्छे इंसानों का विकास करना है जिनमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मकता, कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य का समावेश हो तथा संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान कर सकें।

भारतीय भाषाओं को महत्त्व देते हुए अभियांत्रिकी, चिकित्सा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित लगभग सभी पाठ्यक्रमों में भारतीय भाषा का विकल्प रखा गया है। शिक्षकों और अभिभावकों को हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और

उनके विकास हेतु संवेदनशील बनाने की योजना इस शिक्षा नीति के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है। अकादमिक और अन्य क्षमताओं में सर्वांगीण विकास पर पूरा ध्यान देने का उल्लेख है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है जिससे कि सभी बच्चे कक्षा तीन तक साक्षरता और संख्या ज्ञान विषयों को सीखने के मूलभूत कौशलों को प्राप्त कर सकेंगे। रटकर परीक्षा पास करने वाली पद्धति को इस शिक्षा नीति में नकारा गया है और अवधारणात्मक समझ पर जोर देने वाली शिक्षा को विकसित करने की योजना बनाने का प्रयास किया गया है जिससे तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मक और तार्किक सोच वाली शिक्षा को विकसित किया जा सके।

सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय को विद्यार्थियों में बनाये रखने के लिए नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य पर आधारित बनाने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निहित योजना बहुत ही प्रभावशाली होगी। अध्ययन, अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहित किया जाएगा। छात्रों के सतत् मूल्यांकन पर काफी जोर दिया गया है और साथ-ही-साथ तकनीकी के यथासंभव उपयोग का भी उल्लेख है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सकें, पूर्ण समता और समावेशन निर्णय की आधारशिला रखी जाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की बात कही गयी है जिसमें बहुविषयक विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा अन्तर्विषयक शोध प्रमुख हैं। उच्चतर शिक्षा में तीन प्रकार के संस्थान होंगे—शोध गहन विश्वविद्यालय, शिक्षण गहन विश्वविद्यालय एवं स्वायत्त डिग्री देने वाला महाविद्यालय। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के अनुभव में वृद्धि के लिए पाठ्यचयन, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउन्डेशन की स्थापना, शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता वाले उच्चतर शिक्षा के सभी एकल नियामक द्वारा लचीला लेकिन स्थायित्व प्रदान करने वाले विनियमन का गठन इत्यादि। डिग्री कार्यक्रमों में महत्त्वपूर्ण बदलाव किये जाएँगे जिसमें एक वर्ष पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट, दो वर्ष पर डिप्लोमा एवं तीन वर्ष पर डिग्री की उपाधि दी जायेगी। चार वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर एक वर्ष के पश्चात् स्नातकोत्तर की डिग्री दी जायेगी। अकादमिक क्रेडिट बैंक की स्थापना अति महत्त्वपूर्ण कदम है। वर्ष 2035 तक उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान 2030 तक बहुविषयक संस्थान बनाने की योजना तथा 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षण संस्थान का उद्देश्य अपने आपको बहुविषयक संस्थान के रूप में स्थापित करना होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य प्रत्येक विद्यार्थी को ज्ञान केन्द्रित भारतीय मूल्यों से विकसित गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाकर एक जीवंत और न्याय संगत समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करेगी। इस नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्व और संवैधानिक मूल्यों को देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परम्पराओं का सम्पोषित विकास कर सम्बल प्रदान करते हुए भारत केन्द्रित तथा समाज पोषित होकर भारत को परम वैभव राष्ट्र तथा जगतगुरु बनाने में महती भूमिका का निर्वहन करेगी।

❑

TOUCH 'n PASS

UNIT-II

शिक्षा के कार्य

Functions of Education

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. संस्कृति के विकास में शिक्षा महत्त्व बताइए।
Mention education's importance in the development of culture.

उत्तर शिक्षा संस्कृति के विकास का मुख्य साधन शिक्षा है। शिक्षा से ही संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्द्धन होता है। इसके साथ-साथ शिक्षा के द्वारा ही संस्कृति का हस्तान्तरण आगामी पीढ़ी को किया जाता है।

प्र.2. व्यावसायिक कौशल के विकास में शिक्षा का योगदान संक्षेप में बताइए।
Briefly mention education's contribution in the development of commercial skills.

उत्तर शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को से व्यावसायिक जानकारी एवं आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है एवं उसके अव्यावसायिक कौशल का विकास किया जाता है। इस क्षेत्र में व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा का सर्वाधिक योगदान है।

प्र.3. शिक्षा के कार्यों के सम्बन्ध में मिल्टन की परिभाषा दीजिए।
Mention Milton's definition regarding works of education.

उत्तर शिक्षा के कार्यों के सम्बन्ध में मिल्टन ने कहा है—"मैं केवल उसी शिक्षा को पूर्ण शिक्षा कहता हूँ जो मनुष्य को शान्ति और युद्ध से सम्बन्धित निजी तथा सार्वजनिक समस्त कार्यों को उचित प्रकार से करने के योग्य बनाती है।"

प्र.4. शिक्षा के माध्यम से बालक में कौन-कौन से सामाजिक गुण विकसित होते हैं?
Which social qualities are developed in a child through the medium of education?

उत्तर शिक्षा के माध्यम से बालक में प्रेम, दया, सहयोग, सहनशीलता, परोपकार, आदि सद्गुण समुचित रूप से विकसित होते हैं।

प्र.5. शिक्षा के चार प्रमुख सामान्य कार्य लिखिए।
Write the four main normal works of education.

उत्तर शिक्षा के चार प्रमुख कार्य हैं—1. बालक की मूल प्रवृत्तियों का नियन्त्रण, 2. जन्मजात शक्तियों का समुचित विकास, 3. बालक को प्रौढ़ जीवन के लिए तैयार करना, तथा 4. बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास,

प्र.6. राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के चार प्रमुख कार्य बताइए।
Write four main works of education in national life.

उत्तर राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के चार प्रमुख कार्य हैं— 1. राष्ट्रीय एकता के विकास में योगदान तथा भावात्मक एकता में वृद्धि, 2. राष्ट्रीय विकास में योगदान, 3. सभ्यता एवं संस्कृति के संरक्षण का कार्य, 4. सार्वजनिक हित के विकास के लिए व्यक्तिगत हित के बलिदान का भाव विकसित करना।

प्र.7. मानवीय मूल्यों के अर्जन सम्बन्धी शिक्षा के चार प्रमुख कार्य बताइए।
Write four main works of education related to earning of human values.

उत्तर मानवीय मूल्यों के अर्जन सम्बन्धी शिक्षा के चार प्रमुख कार्य हैं—1. व्यक्ति को सभ्य बनाने का कार्य, 2. पर्यावरण के साथ अनुकूलन, उसे परिवर्तित तथा नियन्त्रित करने का कार्य, 3. सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास में सहायता प्रदान करना, 4.व्यक्ति को व्यावसायिक कुशलता तथा आत्मनिर्भरता प्रदान करने का कार्य।

TOUCH 'n PASS

प्र.8. भारतीय संविधान के अनुसार प्रमुख मूल्य बताइए।
Mention the main values as per Indian constitution.

उत्तर भारतीय संविधान के अनुसार प्रमुख मूल्य हैं—प्रजातन्त्र, न्याय, सहिष्णुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, व्यक्ति की गरिमा तथा विचार की अभिव्यक्ति आदि।

प्र.9. राष्ट्रीयता की शिक्षा के महत्त्व को बताइए।
Mention the importance of education of nationality.

उत्तर राष्ट्रीयता की शिक्षा देश के नागरिकों को एक सूत्र में बाँधती है, राष्ट्रभक्ति की भावना को विकसित करती है, कर्त्तव्यों एवं अनुशासन का बोध कराती है एवं उनके प्रति सजग बनाती है तथा त्याग एवं बलिदान जैसे गुणों के विकास में सहायक होती है।

प्र.10. राष्ट्रीयता की शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है?
What do you understand by education of nationality?

उत्तर देश के भावी नागरिकों के मन में राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने में सहायक शिक्षा को राष्ट्रीयता की शिक्षा कहते हैं।

प्र.11. अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए विश्व के विभिन्न देशों के बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करने के प्रमुख शैक्षिक उपाय लिखिए।
Write the main educational means to develop direct contacts between different countries of the world for the development of international goodwill.

उत्तर अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए विश्व के विभिन्न देशों के बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करने के प्रमुख शैक्षिक उपाय हैं—1. अन्तर्राष्ट्रीय शिविरों का आयोजन तथा 2. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों एवं छात्रों का आदान-प्रदान।

प्र.12. अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए अपनायी जाने वाली शिक्षण-विधियाँ कौन-सी हैं? **[2021]**
Which educational methods are adopted for the development of international goodwill?

उत्तर अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए अपनायी जाने वाली प्रमुख शिक्षण विधियाँ हैं—1. व्याख्यान विधि, 2. कहानी-कथन विधि, 3. योजना विधि तथा 4. वाद-विवाद विधि।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. शिक्षा के कार्यों को संक्षेप में समझाइए।
Explain in brief the works of education.

उत्तर हम शिक्षा के कार्यों का विवेचन निम्न प्रकार करेंगे—

शिक्षा एक व्यापक एवं बहुपक्षीय प्रक्रिया है। अत: इसके कार्य भी अनेक तथा बहुपक्षीय होने स्वाभाविक ही हैं। शिक्षा के कार्यों के विषय में महान् शिक्षाशास्त्रियों में भी सदैव मतभेद रहा है। **एम० एल० जैक्स** (M.L. Jacks) ने शिक्षा के कार्यों के विषय में कहा है—"शिक्षा को अनेक कार्य करने हैं·····शिक्षा द्वारा बालक को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह स्वयं सोच सके, परिश्रम की प्रतिष्ठा कर सके, उत्तम मित्र बना सके, कला का मूल्यांकन तथा अमरता का अनुभव कर सके।" इसके विपरीत **डेनियल वेब्स्टर** (Daniel Webster) ने अपने ही दृष्टिकोण से शिक्षा के कार्यों का उल्लेख इस प्रकार किया है—"शिक्षा का कार्य भावनाओं को अनुशासित, आवेगों को नियन्त्रित, प्रेरणाओं को उत्तेजित तथा धार्मिक भावनाओं को विकसित करना है।"

शिक्षा के कार्यों का विवरण भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से भी प्रस्तुत किया गया है; उदाहरण के लिए, 'शिक्षा के सामान्य कार्य', 'मानवीय जीवन में शिक्षा के कार्य' तथा 'राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य' आदि।

प्र.2. शिक्षा द्वारा किए जाने वाले सामाजिक-सम्बद्धता के कार्यों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए।
Give a brief explanation of educational works related to social affiliation.

उत्तर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके जीवन की सभी आवश्यकताएँ समाज में ही रहकर पूरी होती हैं। इसलिए समाज के गठन एवं सुचारु रूप से कार्य करने के लिए उसकी सभी इकाइयों में सामाजिक-सम्बद्धता का होना अति आवश्यक है। सामाजिक सम्बद्धता के विकास में शिक्षा का महत्त्वपूर्ण योगदान है। सामाजिक सम्बद्धता के विकास के लिए आवश्यक है कि समाज में

विघटनकारी तत्त्व एवं समस्याएँ प्रबल न हों। शिक्षा द्वारा प्रारम्भ से ही बच्चों में सामाजिक सम्बद्धता के गुण के विकास के लिए उपाय किए जाते हैं। घर-परिवार द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा का प्रमुख कार्य बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास करना ही होता है। यह कार्य परिवार में भाई-बहनों में सहयोग, परस्पर सहायता तथा अन्य सम्बन्धों के विकास के लिए निर्देशों द्वारा किया जाता है। विद्यालय में भी बालकों को मित्रता, सहयोग तथा सहानुभूति आदि सामाजिक सद्‌गुणों के विकास के लिए सामाजिक-सम्बद्धता को ही विकसित किया जाता है। इन कारकों को समाप्त या निष्क्रिय करने का कार्य भी प्रमुख रूप से शिक्षा द्वारा ही किया जाता है। शिक्षा का एक मुख्य कार्य सामाजिक समस्याओं एवं अन्धविश्वासों का उन्मूलन करना भी है। इस प्रकार शिक्षा का एक प्रमुख कार्य सामाजिक सम्बद्धता को विकसित करना तथा बनाए रखना भी है।

प्र.3. शिक्षा के कुशलता-अर्जन सम्बन्धी कार्य समझाइए।
Explain the educational works related to earning of skills.

उत्तर शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण कार्य व्यक्ति को कुशलता-अर्जन करने में सहायता प्रदान करना होता है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिक-से-अधिक कुशलता अर्जित करने का इच्छुक होता है। शिक्षा व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के कार्यों को करने में निपुण बनाती है। घर-परिवार द्वारा की जाने वाली शिक्षा-व्यवस्था के फलस्वरूप व्यक्ति स्वास्थ्य एवं दैनिक कार्यों को करने में निपुणता अर्जित करता है। तदुपरान्त विद्यालय द्वारा आयोजित औपचारिक शिक्षा का भी कार्य बालक को विभिन्न कार्यों में निपुण एवं कुशल बनाना ही है। आज की शिक्षा का तो मुख्य कार्य ही व्यक्ति को अधिक-से-अधिक कुशल बनाना है। आजकल विशिष्ट शिक्षा के अन्तर्गत अनेक प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था को अधिक महत्त्व दिया जा रहा है। शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य को ध्यान में रखकर आयोजित शिक्षा के लिए प्रमुख कार्य व्यक्ति को व्यावसायिक कुशलता अर्जित करने में सहायता प्रदान करना है। व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा का कार्य व्यक्ति को सम्बन्धित कार्यों में कुशल बनाना ही है। व्यावहारिक-प्रशिक्षण का एकमात्र उद्‌देश्य व्यक्ति को अधिक-से-अधिक कुशल बनाना ही है। वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था के अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा के आयोजन का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक-से-अधिक कुशल बनाना ही है। निरोपचारिक शिक्षा के माध्यम से किसी भी आयु-वर्ग का व्यक्ति अपनी कुशलता में वृद्धि करके जीवन में प्रगति कर सकता है। इस प्रकार शिक्षा द्वारा कुशलता के अर्जन का कार्य भी किया जाता है।

प्र.4. राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा के विश्वविद्यालय स्तर पर किए जाने वाले उपाय बताइए।
Mention the educational ways for national unity at university level.

उत्तर राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रबल करने के लिए शिक्षा के विश्वविद्यालय स्तर पर प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए—

1. समय-समय पर देश के भिन्न-भिन्न भागों में युवा-उत्सवों का आयोजन किया जाना चाहिए। इन उत्सवों में देश के सभी भागों के युवक-युवतियों को भाग लेना चाहिए। इससे देश की एकता की भावना सुदृढ़ होगी।
2. सभी विश्वविद्यालयों में देश की विभिन्न भाषाओं, साहित्य एवं संस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
3. प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर राष्ट्रहित से सम्बन्धित विषयों पर गोष्ठियों, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं एवं परिसंवादों आदि का आयोजन किया जाना चाहिए। इनमें भाग लेने के लिए देश के सभी क्षेत्रों से छात्र-छात्राओं को आमन्त्रित किया जाना चाहिए।
4. देश के प्रत्येक विश्वविद्यालय में अन्य क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं के लिए भी कुछ स्थान सुरक्षित रखने चाहिए।

प्र.5. राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर किए जाने वाले उपाय बताइए।
Mention the educational ways for national unity at primary level.

उत्तर राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रबल बनाने के लिए प्राथमिक स्तर पर प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए—

1. सभी विद्यालयों में राष्ट्रीय उत्सवों; जैसे—**स्वतन्त्रता दिवस** तथा **गणतन्त्र दिवस** को अत्यन्त श्रद्धा, उत्साह एवं धूमधाम से मनाया जाना चाहिए।

2. बच्चों में राष्ट्रप्रेम की भावना तथा सम्मान के भाव को विकसित करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय चिह्न, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय पशु-पक्षी तथा राष्ट्रीय पुष्प आदि की विस्तृत जानकारी देनी चाहिए। यह कार्य आकर्षक चित्रों के माध्यम से किया जाना चाहिए।
3. बच्चों को देश के विभिन्न क्षेत्रों की लोक-कथाओं एवं लोक-गीतों की जानकारी विस्तारपूर्वक रोचक ढंग से देनी चाहिए।
4. राष्ट्रीय स्तर के महापुरुषों के जन्म-दिवस तथा बाल-दिवस एवं शिक्षक-दिवस आदि का उत्साहपूर्वक आयोजन किया जाना चाहिए। इस अवसर पर सम्बन्धित महापुरुषों के देश-प्रेम एवं राष्ट्र सेवा का विस्तृत उल्लेख किया जाना चाहिए।
5. बच्चों को देश के मानव-भूगोल की प्रारम्भिक जानकारी रोचक ढंग से देनी चाहिए।
6. बच्चों को सामाजिक मान्यताओं एवं परम्पराओं की प्रारम्भिक जानकारी देनी चाहिए।

प्र.6. राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर किए जाने वाले उपायों को संक्षेप में बताइए।
Mention in brief the educational ways for national unity at secondary level.

उत्तर राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रबल बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा स्तर पर निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए—

1. समस्त छात्र-छात्राओं को देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की सामाजिक दशाओं तथा सांस्कृतिक धारणाओं की समुचित जानकारी देनी चाहिए।
2. सभी छात्र-छात्राओं को देश की आर्थिक उन्नति एवं वास्तविक स्थिति का समुचित ज्ञान कराना चाहिए।
3. सभी छात्र-छात्राओं में राष्ट्रीय चेतना का समुचित विकास किया जाना चाहिए।
4. विद्यालयों में समय-समय पर विद्वानों द्वारा राष्ट्रीयता से सम्बन्धित व्याख्यानों का आयोजन किया जाना चाहिए।
5. शिक्षा के पाठ्यक्रम में देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास को समुचित स्थान दिया जाना चाहिए।
6. देश के सभी क्षेत्रों में, विद्यालयों में, राष्ट्रभाषा का अधिक-से-अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास में शिक्षा के कार्य लिखिए।
Write the functions of education for individualistic and social development.

उत्तर

व्यक्तिगत विकास में शिक्षा के कार्य
(Functions of Education in Individual Development)

शिक्षा मानव जीवन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य निम्न प्रकार हैं—

1. **आत्मनिर्भरता का विकास** (Development of Self-Dependence)—मानव जीवन में शिक्षा का कार्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। कोई भी व्यक्ति जन्म से आत्मनिर्भर नहीं होता है। शिक्षा व्यक्ति को धीरे-धीरे इस योग्य बनाती है कि वह पूर्ण रूप से निर्भर हो सके। अत: व्यक्ति में अपनी योग्यतानुसार व्यावसायिक कुशलता का विकास करना भी शिक्षा का कार्य है।
2. **व्यक्तिगत का समग्र विकास** (Holistic Development of Personality)—शिक्षा का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य व्यक्ति या बालक का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी प्रकार का विकास करना है। अत: शिक्षा का कार्य व्यक्ति का सन्तुलित एवं सर्वांगीण विकास करना है।
3. **वातावरण से अनुकूलन की क्षमता का विकास** (Development of the Ability of Adaptation of Environment)—शिक्षा बालक को वातावरण से अनुकूलन करने की क्षमता का विकास करती है। कभी-कभी वातावरण के अनुकूल स्वयं को ढालने से अधिक उपयोगी वातावरण का बदलना भी होता है। अत: वातावरण पर नियन्त्रण भी शिक्षा द्वारा ही सम्भव है।
4. **सृजनात्मकता का विकास** (Development of Creativity)—शिक्षा बालक या व्यक्ति की छिपी हुई क्षमताओं को बाहर लाती है क्योंकि प्रत्येक बालक में विशेष योग्यताएँ होती हैं। शिक्षा के द्वारा बालक मूल प्रवृत्तियों को स्वतन्त्र रूप में व्यक्त कर पाता है जिससे उसकी सृजनात्मकता को प्रस्फुटित होने का उचित अवसर प्राप्त होता है।
5. **आवश्यकता की पूर्ति** (Fulfilment of Need)—शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण कार्य बालक की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। सामाजिक प्राणी होने के कारण उसे समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक सम्बन्ध स्थापित

करने की आवश्यकता है जो शिक्षा के माध्यम से ही स्थापित हो सकती है। व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताएँ भोजन, वस्त्र, भवन आदि हैं जिनको पूरा करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है।

6. **बालक का चारित्रिक विकास** (Character Development of Child)—आज के नगरीकरण में फँस कर बालक के नैतिक व चारित्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। बालक में छल-कपट, झूठ, स्वार्थ, द्वेष आदि अवगुण घर कर चुके हैं इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षा ऐसी हो जिसके द्वारा बालक में सदगुणों का विकास किया जा सके।

सामाजिक विकास में शिक्षा के कार्य
(Functions of Education in Social Development)

सामाजिक विकास की दृष्टि से शिक्षा के निम्नलिखित कार्य हैं—

1. **सामाजिक भावना की जागृति**—मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है। उसका समाज से गहरा सम्बन्ध है। इसका कारण यह है कि वह समाज में रहते हुए अपनी भी उन्नति कर सकता है तथा दूसरे व्यक्तियों की भलाई भी। बिना समाज के उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस दृष्टि से व्यक्ति में सामाजिक भावना का विकसित होना परम आवश्यक है। इस महान् कार्य को केवल शिक्षा के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है।
2. **सामाजिक विरासत का संरक्षण**—शिक्षा सामाजिक विरासत को सुरक्षित रखती है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रत्येक समाज के रीति-रिवाज, परम्पराएँ, नैतिकता तथा धर्म आदि सब अलग-अलग होते हैं। इन सब को प्रत्येक समाज ने अति प्राचीन काल से लेकर आज तक अर्जित किया है। ध्यान देने की बात है कि प्रत्येक समाज को अपनी-अपनी संस्कृति तथा सभ्यता पर इतना गर्व होता है कि वह इसको किसी भी मूल्य पर नष्ट नहीं होने देना चाहता। शिक्षा इस महान् कार्य में सहायता करती है।
3. **सामाजिक नियन्त्रण**—शिक्षा समाज पर नियन्त्रण बनाए रखती है। यह समाज की कुप्रथाओं तथा अन्धविश्वासों के दोषों को स्पष्ट करती है। इतना ही नहीं, इनके विरोध में जनमत तैयार करके इन्हें समाप्त भी करती है। दूसरे शब्दों में, सामाजिक नियन्त्रण के लिए शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है। यदि शिक्षा सामाजिक नियन्त्रण न करे तो समाज में सुधार लाना बहुत कठिन है।
4. **समाज का आर्थिक विकास**—समाज का आर्थिक विकास भी शिक्षा ही करती है। इस कार्य को पूरा करने के लिए शिक्षा अपने व्यावसायिक उद्देश्य को लेकर अग्रसर होती है। वह बालकों को विभिन्न व्यवसायों तथा उद्योगों में दक्षता प्रदान करती है; फलस्वरूप बालक अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन करते हुए समाज का आर्थिक विकास करते हैं। यदि शिक्षा इस कार्य को पूरा न करे तो देश का आर्थिक विकास असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है।
5. **समाज का राजनीतिक विकास**—संसार की विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का ज्ञान व्यक्ति को केवल शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। शिक्षा समाज के राजनीतिक विकास में महत्त्वपूर्ण योग देती है। शिक्षा की सहायता से ही व्यक्ति अपने देश की राजनीतिक विचारधारा को दूसरे देशों की राजनीतिक विचारधाराओं से तुलना करके उसकी सार्थकता का ज्ञान प्राप्त करता है। इससे राजनीतिक जागरूकता प्रसारित होती है तथा व्यक्ति को अपने कर्त्तव्यों एवं अधिकारों का ज्ञान होता है। जो व्यक्ति शिक्षित होते हैं वही अपने देश की राजनीतिक विचारधारा की रक्षा एवं उसका विकास कर सकते हैं। स्पष्ट है शिक्षा समाज का राजनीतिक विकास करती है।
6. **सामाजिक सुधार**—शिक्षा व्यक्ति का सामाजिक सुधार एवं उन्नति करती है। कोई भी समाज शिक्षा की व्यवस्था केवल इसलिए नहीं करता कि बालक समाज के प्रचलित नियमों, सिद्धान्तों तथा रूढ़ियों से अनुकूलन करना सीख जाएँ अपितु वह यह भी चाहता है कि शिक्षित होकर वे (बालक) सामाजिक कुरीतियों का ज्ञान प्राप्त करें, उनकी आलोचना करें तथा उनमें आवश्यक सुधार भी कर सकें जिससे समाज उचित दिशा की ओर विकसित होता रहे। इस प्रकार शिक्षा बालकों को इस योग्य बनाती है कि वे समाज की प्रचलित कुरीतियों में आवश्यक सुधार कर सकें।
7. **सामाजिक परिवर्तन**—'ओटावे' (Ottaway) के अनुसार, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आधुनिक विज्ञान तथा प्रविधियों (Techniques) के क्षेत्र में विभिन्न अनुसन्धानों के परिणामस्वरूप आश्चर्यजनक परिवर्तन होते रहते हैं। शिक्षा इन अनुसन्धानों का ज्ञान कराती है तथा इनके द्वारा होने वाले लाभों पर प्रकाश डालती हुई जनधारणा को इनका प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है। इन्हीं प्रयोगों से जनसाधारण के विचारों, आदर्शों, मूल्यों तथा

लक्ष्यों में परिवर्तन हो जाता है। कहने का आशय यह है कि परिवर्तनों का प्रचार करके शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाती रहती है।

8. **बालक का समाजीकरण**—समाज की संस्कृति को अपना लेना ही समाजीकरण है। शिक्षा बालक का समाजीकरण भी करती है। जब बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाता है तो वहाँ पर दूसरे बालकों के सम्पर्क में आता है। इस सम्पर्क में उसे उन बालकों के विचारों, आदर्शों तथा संस्कृति का ज्ञान हो जाता है तथा वह शनैः शनैः इस संस्कृति को अपना लेता है। स्पष्ट है बालक के समाजीकरण में शिक्षा महत्तवपूर्ण योग देती है।

प्र.2. सांस्कृतिक विरासत के हस्तान्तरण का वर्णन कीजिए।
Describe the transmission of cultural heritage.

उत्तर

सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण
(Transmission of Cultural Heritage)

किसी भी देश के लिए उसकी विरासत अनमोल होती है इसीलिए अपनी इन अनमोल विरासत के महत्त्व को समझते हुए इसे सम्भाल कर रखना आवश्यक है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ की विरासत अत्यंत विस्तृत एवं विविध है। अपनी अद्वितीय विरासत को बचाए रखना व्यक्ति का कर्त्तव्य और हमारा अधिकार दोनों है। वैश्वीकरण एवं औद्योगीकरण के कारण होने वाले तीव्र परिवर्तनों एवं लोगों में इसके महत्त्व के प्रति जागरूकता के अभाव के कारण इसे सुरक्षित रख पाना वास्तव में किसी चुनौती से कम नहीं है। सरल शब्दों में देश के अंदर व्यक्ति के चारों ओर उपस्थित वे सभी वस्तुएँ जो उसे उसके पूर्वजों से प्राप्त हुई हैं, विरासत कहलाती है। विरासत, देश एवं लोगों की पहचान को परिलक्षित करती है। किसी भी व्यक्ति के लिए विरासत उसकी पहचान होती है। वह अपने समृद्ध विरासत के बल पर गौरव प्राप्त करता है।

सांस्कृतिक विरासत भौतिक तत्वों एवं अर्मूत विशेषताओं का एक समूह है जो एक व्यक्ति या समाज का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे पूर्वजों के सामाजिक विरासत द्वारा हासिल किया गया है। इस विरासत में इमारतों एवं स्मारकों, वस्तुओं तथा कला के कार्यों में प्रतिनिधित्व किए जाने वाले सांस्कृतिक तत्त्व सम्मिलित हैं। जैसे—रीति-रिवाज, धर्म, संस्कृति, भाषा, संगीत, नृत्य, भवन, अभिलेख, सिक्के, रहन-सहन, खान-पान आदि। प्राकृतिक विरासत के अन्तर्गत पर्वत, भूमि, नदी, समुद्र, खनिज, मौसम, पशु-पक्षी आदि आते हैं। किसी भी देश की शिक्षा उस देश की संस्कृति पर पूरी तरह से आधारित होती है। शिक्षा की सामग्री का निर्माण संस्कृति की सामग्री से ही होता है। बिना संस्कृति के शिक्षा का कोई भी महत्त्व नहीं है। समाज की संस्कृति के ही कारण शिक्षा में समाज की विशिष्टता होती है। प्रत्येक समाज अपनी शिक्षा की व्यवस्था अपनी संस्कृति के अनुरूप ही करता है। संस्कृति की सहायता से ही शिक्षा अपने उद्देश्य निर्धारित करती हैं एवं उनकी पूर्ति के लिए स्वयं संस्कृति की सहायता लेती है।

ब्रामेल्ड के अनुसार, "संस्कृति की सामग्री से ही शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से निर्माण होता है और यही सामग्री शिक्षा को न केवल उसके स्वयं के उपकरण वरन उसके अस्तित्व का कारण भी प्रदान करती हैं।

संस्कृति एवं शिक्षा के सम्बन्ध को निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है—

1. **संस्कृति के हस्तान्तरण में शिक्षा की भूमिका**—शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में संस्कृति को सीखकर उसे अगली पीढ़ी में हस्तान्तरित करता है। संस्कृति का हस्तान्तरण शिक्षा के अभाव में सम्भव नहीं है। संस्कृति के हस्तान्तरण में शिक्षा का महत्त्वपूर्ण योगदान है। मनुष्य अज्ञात रूप से संस्कृति में समाहित अनेक परम्पराओं एवं रीति-रिवाजों को सीखता है एवं संस्कृति से सम्बन्धित अन्य बातें भी मनुष्य शिक्षा के माध्यम से ही सीखता है। **ओटावे के अनुसार**, "शिक्षा का एक कार्य समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहार के प्रतिमानों को उसके तरुण और समर्थ सदस्यों को हस्तान्तरित करना है।"
2. **संस्कृति की निरन्तरता में शिक्षा की भूमिका**—किसी भी देश के इतिहास का विशुद्ध सार ही उस देश की संस्कृति कहलाता है। संस्कृति के अन्तर्गत् उस देश की पुरानी मान्यताओं एवं रीति-रिवाजों का सार आता है जिन्हें संस्कृति स्वयं में समाहित रखती है। यदि संस्कृति का विनाश होता है तो निश्चित रूप से उस देश का विनाश होगा। शिक्षा के माध्यम से ही संस्कृति अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं को निरन्तरता प्रदान करती है। शिक्षा ही संस्कृति को सम्भालकर निरन्तर जीवित रखती है। **स्पेन्स रिपोर्ट के अनुसार**, "विद्यालय वह साधन प्रदान करते हें जिनके द्वारा राष्ट्र का जीवन अखण्ड रूप से पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता रहता है।"

3. **व्यक्ति के सांस्कृतिक विकास में शिक्षा की भूमिका**—हमें अपने संस्कृति के विकास की प्रेरणा अपने उन शूरवीरों एवं महान हस्तियों से प्रेरित होकर मिलती हैं जिनके विषय में हमने इतिहास में पढ़ा हैं। हमारे कला, साहित्य संविधान एवं इतिहास पर हमारी संस्कृति का गहरा प्रभाव है। हमारे द्वारा अर्जित ज्ञान जो कि आदिकाल से ही संचित किया गया है वह सब हमारी संस्कृति का ही अंग है।
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार, "मानवता की स्वभाविक झलक सांस्कृतिक विकास की विधि है। जिनमें स्वयं महानता नहीं है, उन्हें (इतिहास का अध्ययन करके) महान शक्तियों की संगत में रहना चाहिए।"
4. **संस्कृति के परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका**—बालक अपनी आयु में वृद्धि के साथ-साथ अपनी संस्कृति के नियम, आदतों एवं रीति-रिवाजों को सीखता है एवं समझता है। बालक ये सब रीति-रिवाज, परम्पराएँ एवं नियमों को समाज (अध्यापक, पारिवारिक सदस्य, माता-पिता, आस-पड़ोस के लोगों) से सीखता है। इस कारण बालक के अचेतन मन में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा की उपयोगिता संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में तभी सार्थक होगी जब अध्यापक द्वारा शिक्षण का कार्य एक निश्चित योजना बना कर बालकों को संस्कृति का ज्ञान दिया जाए। **बट्स (Butts) के अनुसार**, "जब कभी एक व्यक्ति या समूह जान-बूझ कर व्यवहार को निर्देशित करने का प्रयत्न करता है, तभी शिक्षा विद्यमान रहती है। इस प्रकार शिक्षा उन प्रक्रियाओं में जिनके द्वारा संस्कृति हस्तान्तरित और परिवर्तित की जाती है, बहुत ही अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य करती है।"
5. **शिक्षा में संस्कृति का समावेश**—बिना संस्कृति के उचित शिक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। संस्कृति का समावेश शिक्षा में होना अति आवश्यक है। जिस शिक्षा में संस्कृति का समावेश नहीं होगा वह शिक्षा अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल नहीं हो सकती। शिक्षा के माध्यम से बालक की अन्तर्निहित शक्तियों एवं योग्यताओं को विकसित किया जाता है।
हुमायूँ बकीर के कथनानुसार, "यही कारण है कि आजकल यह बात सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है कि कला, प्रसाधन सा सजावट की कोई वस्तु नहीं हैं वरन् बालकों के शैक्षिक विकास के लिए अति आवश्यक तत्त्व हैं।" समाज के सम्पूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति के अन्तर्गत समाज के प्रत्येक पहलू (नियम, रहन-सहन, रीति-रिवाज, आचार-विचर इत्यादि) के प्रतिमान आ जाते हैं। व्यक्ति इन प्रतिमानों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सीखता रहता है।
बट्स के अनुसार, "माता-पिता परिवार, गिरजाघर, सरकार और अधिकांश प्रकार की संगठित संस्थाएँ सोच-समझकर छोटों और बड़ों के व्यवसाय को समान रूप से प्रभावित करके शिक्षा देने का प्रयास करती हैं। इस प्रकार, शिक्षा सदैव और सर्वत्र मानव संस्कृति का अभिन्न अंग होती है।
6. **व्यक्तित्व के विकास में सहयोग**—बालक के व्यक्तित्व का विकास शिक्षा के मूल उद्देश्यों में से एक है किन्तु शिक्षा इस मूल उद्देश्य की पूर्ति संस्कृति की सहायता के बिना नहीं कर सकती है। शिक्षा को संस्कृति से अनेक ऐसे उपकरण प्राप्त होते हैं जो बालक की चारित्रिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा आध्यात्मिक बुद्धि का विकास करने में सहायक होती है।
ओटावे के अनुसार, "जिस संस्कृति में व्यक्तित्त्व का विकास होता है उसके द्वारा उसका आंशिक निर्माण किया जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति के विकास से सम्बन्धित होने के कारणा, शिक्षा संस्कृति पर आश्रित रहती हैं।"

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा संस्कृति का अभिन्न अंग है तथा दोनों में अटूट सम्बन्ध होता है।

प्र.3. शिक्षा के क्षेत्र में कौशल के अधिग्रहण एवं मानवीय मूल्यों का अर्जन एवं सृजन को विस्तार से समझाइए।
Explain in detail the acquistion of skills and earning and creation of social values in the field of education.

उत्तर

कौशलों का अर्जन
(Acquisition of Skills)

कौशल का अधिग्रहण या अर्जन शिक्षा का एक प्रमुख कार्य है। यह कार्य शिक्षा निम्नलिखित प्रकार से करती है—

1. जीवन में कौशल का अधिग्रहण मानव को खुश करता है एवं दिन-प्रतिदिन की समस्याओं को हल कर सकता है।
2. व्यक्ति के कौशल एवं ज्ञान के अधिग्रहण पर बहुत बल दिया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य एवं कार्य छात्रों को ज्ञान एवं कौशल देना है एवं बच्चों को जीवन में बुद्धिमानी से इस कौशल का उपयोग करना सिखाना है।

3. ज्ञान सीखने को कौशल मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का विकास करने में सक्षम बनाता है। यह सभ्यता की प्रगति का प्रमुख साधन है।
4. यह समस्या समाधान कौशल विकसित करके छात्रों को समस्याओं को हल करने में भी सहायता करता है साथ ही छात्रों में उनके जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करने का विश्वास भी विकसित करता है।
5. वर्तमान स्थिति में कौशल का अधिग्रहण अधिक महत्त्वपूर्ण है, इससे वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक, आर्थिक एवं राजीनतिक उन्नति होती है। ज्ञान व कौशल का अधिग्रहण, वास्तविक ज्ञान है जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन के मूल्यों, जीवन स्तर, समायोजन आदि को सीखता है।
6. शिक्षा छात्रों को प्रयोगात्मक कौशल, कला कौशल, निर्माण कौशल एवं अवलोकन कौशल में प्रशिक्षित करने में सहायता करती है।
7. शिक्षा विभिन्न बुनियादी कौशल जैसे-पढ़ना, लिखना एवं गणना करना भी विकसित करती है, जो बदले में ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करती है। कौशल शिक्षा के बहुत महत्त्वपूर्ण परिणाम हैं।

मानवीय मूल्यों का अर्जन एवं सृजन
(Earning and Creation of Human Values)

मानव के जीवन तथा मानवीय समाज का प्रमुख आधार-मानवीय मूल्य हैं, जिनमें मानव से सम्बन्धित-शारीरिक, आर्थिक, नैतिक, चारित्रिक, धार्मिक, संवेगात्मक सभी मूल्य शामिल किए जाते हैं। मानवीय मूल्यों की बात की जाए तो मानवीय मूल्य वे मानवीय मान हैं जिनसे लक्ष्य, आदर्श, प्रेम भावना, दया इत्यादि विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। मानवीय मूल्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक तथ्यों से जुड़ा रहता है। ये मानवीय मूल्य ही समाज या राष्ट्र में मानव से मानव के समायोजन में सहायता करते हैं। मानवीय मूल्य एक साथ रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। मानवीय मूल्य समाज में सभी को मिलजुलकर रहने तथा राष्ट्र प्रेम, रक्षा तथा राष्ट्र कल्याण हेतु प्रेरित करते हैं।

मानव मूल्य—जिसका अर्थ है मानव, मानव होने के लिए करुणा, एकजुटता जैसे मूल्यों को ही मानव मूल्य कहते हैं। मानवीय मूल्य प्रतिबद्धता की भावना है। मानवीय मूल्यों के अर्थ तथा क्षेत्र में व्यापकता देखी गई है। इनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष भौतिक मूल्यों के साथ-साथ आध्यात्मिक तथा नैतिक मूल्यों के साथ-साथ भी है। मानवीय मूल्य, सम्मान स्वीकृति, विचार, प्रशंसा, सुनना, खुलेपन, स्नेह सहानुभूति तथा अन्य मानुष (मनुष्य) के प्रति प्रेम भाव को ही शामिल करते हैं। यह उस मानवीय मूल्यों के साथ हैं, जो वास्तव में अपने नैतिक मूल्यों जैसे—न्याय, अखण्डता, हिंसा से इंकार तथा नरसंहार व हिंसा पर प्रतिबद्ध होते हैं। इस प्रकार मानवीय मूल्यों से तात्पर्य है—मानव द्वारा नैतिकता तथा मानवीयता के गुणों को धारण कर समाज तथा मानव कल्याण हेतु प्रतिबन्धित होना। मानवीय मूल्य मानव में सहयोग की भावना का प्रसार करता है।

"मानवीय मूल्य वे गुण हैं जो हमें मानवीय तत्त्व को ध्यान में रखकर, दूसरों के साथ सामंजस्य तथा सहयोग सद्भाव के लिए प्रेरित करते हैं।"

मानवीय मूल्य के विकास में शिक्षा की अहम भूमिका रही है जो इस प्रकार है—

1. शिक्षा द्वारा प्रारम्भ में ही बालक को समाज के अनुसार व्यवहार, बातचीत, भावना व्यक्त करना सिखाया जाता है।
2. शिक्षा के माध्यम से बालक को समाज की नीति, नियम, विचारधारा तथा सामाजिक, नैतिक मूल्यों से अवगत कराकर उन्हें उसी के अनुरूप ढाला जाता है। इस प्रकार मानव के समाजीकरण में मानवीय मूल्यों का परम योगदान है।
3. शिक्षा, मानव में प्रारम्भ से मानवीय मूल्यों के प्रति सजगता का समावेश करती है।
4. शिक्षा वह माध्यम है जिसके माध्यम से मानव मूल्यों की जानकारी को प्राप्त कर समाज में अनुकूल होकर मोक्ष प्राप्त करता है
5. समाजीकरण के माध्यम से बालक को समाज के अनुसार ढाला जाता है जिससे कि वह समाज में स्वयं को उचित ढंग से स्थापित कर सके।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव के जीवन में शिक्षा की अहम भूमिका है जो मानव को जीवन में सफलता तथा प्रकाश की तरफ ले जाती है। सम्पूर्ण विद्यालय में मूल्य की झलक मिलनी चाहिए ताकि मूल्यों के द्वारा मानवीय समाज की सत्ता तथा अखण्डता को बनाए रखा जा सके।

प्र.4. राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शिक्षा की व्याख्या कीजिए।
Discuss education for national integration.

अथवा **"शिक्षा राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी स्रोत है।" इस कथन पर प्रकाश डलिए।** **[2021]**

Or **"Education is an effective source of national integration." Throw light on this statement.**

उत्तर

राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शिक्षा
(Education for National Integration)

राष्ट्रीय एकता का अर्थ है—सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता एक राष्ट्र के निवासियों को एकता के सूत्र में बांधती है। उनमें एकता की भावना का विकास करती है। इस भावना के विकसित होने से व्यक्ति केवल अपने हितों का ही ध्यान नहीं रखता वरन् अपने समाज एवं राष्ट्र के आगे अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, जातीय एवं धार्मिक हितों का बलिदान करने को भी तत्पर रहता है। मुख्य रूप से राष्ट्रीयता राष्ट्र के प्रति अपार भक्ति, आज्ञापालन एवं कर्त्तव्यपरायणता एवं सेवा है।

राष्ट्रीय एकता सम्मेलन (1961) के अनुसार, "राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा लोगों के दिलों में एकता, संगठन एवं सन्निकटता की भावना सामान्य नागरिकता की भावना, देश के प्रति भक्ति की भावना का विकास किया जाता है।"

राधाकृष्णन के अनुसार, "राष्ट्रीय एकता से तात्पर्य एक ऐसी सभ्यता एवं संस्कृति से है जो भारत में विभिन्न प्रांतों से अलग-अलग है फिर भी जिसमें घनिष्ठ सम्बन्ध है।"

स्मिथ के अनुसार, "भारत में नि:संदेह रूप से गहरे अधोभाग पर आश्रित आधारभूत एकता राष्ट्रीय एकता है।"

राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य निम्नलिखित हैं—

1. **विशेषज्ञों का निर्माण**—प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है कि उस देश के नागरिकों में विशेषज्ञों वाले गुणों का विकास हो जिससे देश की उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो सकें। व्यक्तियों की जन्मजात विशिष्टाओं को पहचान कर उनके विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण शिक्षा द्वारा ही सम्भव है। अत: विशेषज्ञों का निर्माण करना भी शिक्षा का एक आवश्यक कार्य है।
2. **राष्ट्रीय सम्पत्ति का संरक्षण करना**—राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है कि वह बालकों को इस प्रकार प्रशिक्षित करे कि वे अपने निजी स्वार्थ में लिप्त न होकर देश की सम्पत्ति का संरक्षण करें क्योंकि देश की सम्पत्ति ही उनकी अपनी सम्पत्ति है। यदि देश की सम्पत्ति को हानि पहुँचती है तो वहाँ के नागरिकों की ही हानि होगी। यह भावना प्रत्येक बालक में शिक्षा के द्वारा ही उत्पन्न की जाती है।
3. **कुशल नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण**—राष्ट्र को चलाने के लिए कुशल नेता की आवश्यकता पड़ती है और प्रत्येक व्यक्ति नेता नहीं बन सकता। शिक्षा ही व्यक्तियों में कुशल नेतृत्व के गुण का विकास करती है तथा उन व्यक्तियों की पहचान कर सकती है **जो राष्ट्रहित** के लिए कार्य कर सकते हैं। अत: शिक्षा का एक कार्य कुशल नेतृत्व के प्रशिक्षण के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना है।
4. **विज्ञान एवं तकनीकी चेतना का विकास**—वर्तमान काल में किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए वैज्ञानिक व तकनीकी साधनों का विकास होना भी आवश्यक है। अत: शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो बालकों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कर सके जिससे आगे चलकर छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। विद्यालयों में आयोजित होने वाली पाठ्यसहगामी क्रियाओं (जैसे—विज्ञान मेला, प्रदर्शनी) के माध्यम से छात्रों में वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। और वे देश की उन्नति व विकास में अपने योगदान को समझते हैं।
5. **राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास**—नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर उनके अन्दर देश प्रेम तथा देश-हित की भावना का विकास करना शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक के मन में राष्ट्र-सेवा की भावना का विकास कर सके।
6. **अच्छे नागरिकों का निर्माण**—किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए उसके नागरिकों को योग्य, बनाती है कि वह अपने कर्त्तव्यों व अधिकारों का पालन कर सके।

7. **व्यक्तिगत हित को सार्वजनिक हित से निम्नता**—राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का एक अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य बालक में ऐसे गुणों का विकास करना है कि वे स्वयं के हितों से ऊपर उठकर सम्पूर्ण राष्ट्रीय हितों को महत्त्व दे सकें। भारतीय समाज जातिवाद, अन्धी-धार्मिकता, वर्ग भेद और विभिन्न राजनैतिक दलों में विभाजित हो गया है जिसके परिणामस्वरूप देश के नागरिकों में द्वेष, शत्रुता, कटुता, ईष्या जैसी अनेक बुराइयाँ आ गई हैं। ऐसे में शिक्षा के द्वारा ही बालकों की इन बुराइयों को दूर किया जा सकता है।

प्र.5. अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को स्पष्ट कीजिए। अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करने वाले तर्कों की व्याख्या भी कीजिए।
Make clear international goodwill. Also discuss the arguments that develop international goodwill.

उत्तर शिक्षा व्यक्ति में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना विकसित करती है। प्रत्येक राष्ट्र अपने नागरिकों को राष्ट्र के प्रति समर्पित एवं आस्थावान् बनाने का हर सम्भव प्रयास करता है। आधुनिक युग में विश्व की परिस्थितियों में बड़ी तेजी से परिवर्तन हुए हैं। अब विश्व-मानव का जीवन एवं हित किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा बल्कि अत्यधिक व्यापक हो गया है। संचार एवं यातायात के साधनों के अभूतपूर्व विकास के फलस्वरूप विश्व के सभी राष्ट्र परस्पर निकट सम्पर्क में आए हैं तथा सभी राष्ट्रों ने अनेक क्षेत्रों में पारस्परिक निर्भरता को अनुभव किया है। इसके साथ ही राष्ट्रीयता की भावना को अनेक प्रकार से दोषपूर्ण एवं संकुचित अनुभव किया जाने लगा है। इन सभी कारकों के प्रबल होने के फलस्वरूप एक नई अवधारणा का जन्म हुआ है जिसे **अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना** (International Understanding) के रूप में जाना गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ तथा परिभाषा
(Meaning and Definition of International Goodwill)

अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना एक उदार एंव व्यापक भावना है। राष्ट्रीयता की सीमाओं को लाँघकर विश्व-मानव के साथ जुड़ने की भावना ही अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना कहलाती है। यह विश्व-नागरिकता या विश्व-बन्धुत्व की भावना का विकास करती है। अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का तात्पर्य है विश्व के सभी देशों के निवासियों में पारस्परिक प्रेम, सहयोग तथा मैत्री के भाव का विकास होना। अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का आशय है कि, विश्व का प्रत्येक व्यक्ति अपने राष्ट्र का नागरिक होने के साथ-साथ सम्पूर्ण विश्व का भी नागरिक है। इस सैद्धान्तिक मान्यता के आधार पर विश्व के सभी व्यक्तियों में एक व्यापक सम्बन्ध स्वीकार किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को अपना लेने के उपरान्त विश्व के सभी नागरिकों का दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है एवं वे 'जिओ और जीने दो' (Live and let live) के सिद्धान्त को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं। 'अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना' की अवधारणा मूल रूप से एक मानवतावादी अवधारणा है तथा इसका लक्ष्य विश्व-मानव या सम्पूर्ण मानव जाति का कल्याण है।
'अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना' के सामान्य अर्थ को जानने के पश्चात् इसकी व्यवस्थित परिभाषा निर्धारित करना भी अनिवार्य है। कुछ विद्वानों द्वारा प्रतिपादित परिभाषाएँ निम्न प्रकार हैं—

1. **डॉ० वाल्टर लेक्स** ने अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की एक विस्तृत परिभाषा एवं स्पष्टीकरण इन शब्दों में प्रस्तुत किया है—"अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का तात्पर्य आलोचनात्मक तथा निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करने तथा लोगों की राष्ट्रीयता या संस्कृति पर बिना ध्यान दिए उनके व्यवहार की उत्तमताओं की एक-दूसरे से प्रशंसा करने की योग्यता से है। ऐसा करने के लिए मनुष्य को इस योग्य होना चाहिए कि वह समस्त राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों और जातियों का इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की समान रूप से महत्त्वपूर्ण विभिन्नताओं के रूप में निरीक्षण कर सके।"
2. **ओलिवर गोल्ड स्मिथ** ने अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीयता की एक सरल एवं स्पष्ट परिभाषा इन शब्दों में प्रस्तुत की है—"अन्तर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है वरन् विश्व का नागरिक भी है।" इस प्रकार, अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना के विकास के फलस्वरूप विश्व का प्रत्येक व्यक्ति सम्पूर्ण विश्व अर्थात् सभी राष्ट्रों से सम्बद्ध हो जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना विकसित करने वाले तर्क
(Arguments Developing International Goodwill)

अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना विकसित करने के मुख्य कारक अग्र हैं—

1. **सभी राष्ट्रों की पारस्परिक निर्भरता के कारण**—राष्ट्र की पारस्परिक निर्भरता एक ज्वलन्त सत्य है। आज के युग में विश्व का कोई भी देश पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, भले ही वह कितना भी अधिक सम्पन्न एवं विकसित क्यों न हो। राष्ट्रों की इस पारस्परिक निर्भरता एवं सहयोग की आवश्यकता ने भी अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को आवश्यक बना दिया है।
2. **लोकतान्त्रिक आदर्श होने के कारण**—आज सम्पूर्ण विश्व लोकतन्त्र की ओर अग्रसर हो रहा है। लोकतान्त्रिक व्यवस्था के प्रमुख आधार—स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय हैं। इन मान्यताओं ने विश्व-मानव को आपस में जोड़ दिया है तथा फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीयता की अवधारणा क्रमशः प्रबल होने लगी है।
3. **आधुनिक विज्ञान और तकनीक के विकास के लिए**—वर्तमान में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान का बोलबाला है। विज्ञान के आधुनिकतम आविष्कारों ने सम्पूर्ण विश्व को एक निकटता एवं परस्पर सम्बद्धता प्रदान की है। दूरसंचार के साधनों के विकास ने सभी राष्ट्रों को आपस में जोड़ दिया है। विज्ञान के अनेक आविष्कार तो ऐसे हैं जिनसे लाभान्वित होने के लिए विश्व के सभी राष्ट्रों को आपस में घनिष्ठता से जुड़ना नितान्त आवश्यक है। इस युग में विज्ञान एवं तकनीकी विकास के लिए आवश्यक है कि विश्व के सभी देश समुचित विकास करें। विश्व के किसी भी देश के अविकसित रह जाने की स्थिति में विज्ञान के आविष्कारों का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। उदाहरणार्थ यदि विश्व का कोई भी देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है तो उसका प्रतिकूल प्रभाव विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ सकता है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा विज्ञान एवं तकनीक के आविष्कारों से भरपूर लाभ प्राप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करना आवश्यक माना गया।
4. **विभिन्न देशों के मध्य होने वाले युद्धों को रोकने हेतु**—विश्व में प्रारम्भिक काल से ही विभिन्न देशों के बीच तनावपूर्ण सम्बन्ध उत्पन्न होते रहते हैं। विश्व-मानव ने दो महायुद्धों की विभीषका को भी देखा एवं झेला है। विश्व-मनोविज्ञान का गहन विश्लेषण करने पर पाया गया है कि राष्ट्रीयता की संकुचित अवधारणा का प्रबल हो जाना भी इस प्रकार के युद्धों के पीछे एक मुख्य कारण रहा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनेक मानवतावादी विद्वानों ने विश्व को युद्धों की विनाशकारी लीला से बचाने के लिए राष्ट्रीयता के संकुचित दायरे से निकलकर एक व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय धारणा के विकास को आवश्यक माना। इस तर्क को **डॉ० राधाकृष्णन** के अनुसार—"युद्धों का मनुष्य के मस्तिष्क में ही जन्म होता है। अतः शिक्षा के माध्यम से मनुष्य के मस्तिष्क को सुन्दर बनाने की आवश्यकता है। आज इस आण्विक युग में मानव-चेतना के अनुकूल ही हमें रहने की आवश्यकता है। अब यह विचार करने योग्य विषय है कि मानव परमाणु अस्त्रों की तैयारी द्वारा अपने विनाश को प्राप्त करने जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो यह तकनीकी जागरण या क्रान्ति में मानव चेतना के अनुकूलन की असफलता होगी।"
5. **सम्पूर्ण विश्व के नागरिक मानव-जाति से ही हैं**—हम सब मानव-जाति के सदस्य हैं। इस समानता को ध्यान में रखते हुए यह अनुभव किया गया है कि विश्व-मानव समाज में एक सम्बन्ध होना चाहिए। भले ही भिन्न-भिन्न देशों एवं छात्रों में भिन्न-भिन्न प्रजाति, रंग, जाति एवं धर्मों आदि को मानने वाले मनुष्य हैं परन्तु यदि व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस बाहरी भिन्नता के पीछे एक आधारभूत एकता या समानता निहित है। यह समानता है विश्व के सभी नागरिकों का मानव होना। इस उदार विचार के कारण अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करना आवश्यक माना गया तथा उसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं।
6. **साहित्य एवं विभिन्न कलाओं के विकास के लिए**—साहित्य एवं कलाओं के समुचित विकास के लिए विश्व-मानव को शान्त एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण की आवश्यकता होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को आवश्यक माना गया तथा उसका समर्थन किया गया।
7. **अविकसित तथा विकासशील राष्ट्रों के विकास के लिए**—आज के युग में भले ही विश्व-मानव चन्द्रमा पर पहुँच गया हो लेकिन आज भी हमारी इस पृथ्वी पर अनेक राष्ट्र ऐसे हैं, जो विकास की प्रक्रिया में अत्यधिक पिछड़े हुए हैं तथा अनेक समस्याओं के शिकार हैं। यदि विश्व-मानव को अपने आप को सही अर्थों में विकसित एवं समृद्ध कहलाना है तो विश्व के प्रत्येक राष्ट्र को विकसित होना होगा। इस आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास को अति आवश्यक माना गया तथा विश्व के विकसित राष्ट्रों ने इस दिशा में पहल करनी आरम्भ की।

प्र.6. मानव संसाधन विकास में शिक्षा का क्या योगदान है? विस्तार से लिखिए।
What is education's contribution in human resource development? Write in detail.

उत्तर किसी भी क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा अभीष्ट उपलब्धियाँ प्राप्त करने के लिए विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है। उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग के अभीष्ट परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत, संसाधनों के उचित उपयोग के अभाव या कमी की स्थिति में अभीष्ट परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते। सामान्य रूप से समस्त संसाधनों को दो मुख्य वर्गों में बाँटा जाता है। ये वर्ग हैं—भौतिक संसाधन तथा मानवीय संसाधन। भौतिक संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं या उन्हें खोजा जाता है। इसके विपरीत मानवीय संसाधनों के समुचित विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक होती है।

मानव संसाधन के विकास के लिए शिक्षा
(Education for Human Resource Development)

मानव जाति से सम्बन्धित संसाधन 'मानवीय संसाधन' कहलाते हैं। मानवीय संसाधन अमूर्त एवं अदृश्य होते हैं। मानव में पायी जाने वाली क्षमताएँ एवं गुण मानवीय संसाधन माने जाते हैं। मुख्य मानवीय संसाधन हैं—रुचि, स्वास्थ्य एवं शक्ति, ज्ञान, योग्यता और कुशलता, मनोवृत्तियाँ तथा समय। इन सभी मानवीय संसाधनों का अधिक-से-अधिक विकास होना आवश्यक है। इन संसाधनों के विकास के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था भी आवश्यक होती है। इस प्रकार मानवीय संसाधनों के विकास के लिए की गई शिक्षण-व्यवस्था 'मानवीय संसाधनों के विकास के लिए शिक्षा' कहलाती है। मुख्य मानवीय संसाधनों के विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैं—

1. **ज्ञान के विकास के लिए**—ज्ञान के अभाव में तो सभ्य मानव का जीवन ही व्यर्थ है। ज्ञान का विकास सदैव शिक्षा के माध्यम से ही होता है। शिक्षा की प्रक्रिया का एक प्रमुख उद्देश्य ज्ञान का विकास ही है। वास्तव में प्रत्येक प्रकार की शिक्षा ज्ञान के लिए ही आयोजित की जाती है। ज्ञान का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है तथा इसकी कोई सीमा नहीं है। इस स्थिति में व्यक्ति रुचि, योग्यता एवं अभिरुचि के अनुकूल उसे ज्ञान प्रदान करना शिक्षा का कार्य है।
   ज्ञान की शिक्षा केवल बालकों के लिए हीं नहीं बल्कि सभी के लिए आवश्यक एवं उपयोगी है। ज्ञान के विकास के लिए न केवल विद्यालय परिसर में बल्कि सम्पूर्ण समाज में भी व्यवस्थित ढंग से प्रयास किए जा रहे हैं। प्रौढ़ स्त्री-पुरुषों के ज्ञान की वृद्धि के लिए प्रौढ़-शिक्षा या सामाजिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरणों के माध्यम से निरन्तर ज्ञान के प्रसार से प्रयास किए जा रहे हैं।
2. **रुचियों के विकास के लिए**—व्यक्ति की रुचि भी एक प्रमुख मानवीय संसाधन कहलाती है। रुचि के अभाव में सम्बन्धित कार्य कभी भी उच्च कोटि का नहीं हो पाता। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि किसी कार्य में रुचि होने की स्थिति में वह कार्य शीघ्रता, सरलता तथा सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाता है।
   बालक अपनी रुचि के अनुकूल विषयों को सरलता से सीख सकता है। बालक की रुचियों के विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रावधान अनिवार्य होते हैं। सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विकल्प उपलब्ध हों अर्थात् शिक्षा के पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों में चयन की छूट हो। इस स्थिति में प्रत्येक बालक अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सकता है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा के क्षेत्र में बालकों की रुचि के विकास के लिए कुछ उपाय एवं प्रयास भी करने पड़ते हैं। इस विषय में कहा जा सकता है कि शिक्षा को रुचिकर बनाने में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका शिक्षक द्वारा ही निभाई जाती है।
   वास्तव में शिक्षा ग्रहण करने में रुचि विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण होती है। इसलिए शिक्षा की व्यवस्था करते समय यदि बालक की रुचि का ध्यान रखा जाए तो वह शिक्षा सफल होती है और बालक के लिए उपयोगी भी सिद्ध होती है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्र की रुचियों से सम्बन्धित जानकारी का निम्नलिखित कारणों से विशेष महत्त्व है—
   (i) रुचि की जानकारी के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए।
   (ii) रुचि की जानकारी होने की स्थिति में ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम बनाने सम्भव होते हैं, जो बालकों की सामान्य रुचियों से मेल खाते हों।

(iii) रुचि की जानकारी होने की स्थिति में ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम बनाने सम्भव हाते हैं, जो बालकों की सामान्य रुचियों से मेल खाते हों।

(iv) छात्रों की रुचियों का पता लगाकर उन्हें उनके अनुकूल पढ़ने के लिए प्रोत्साहित या निर्देशित किया जा सकता है, जिस विषय के प्रति रुचि में वृद्धि करनी हो, उसे न तो अधिक कठिन होना चाहिए और न ही अधिक सरल।

(v) रुचियों को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा की व्यवस्था करने की स्थिति में अनुशासन सम्बन्धी समस्या के उत्पन्न होने की कम आशंका रहती है।

(vi) बालकों की रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था करने पर शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन की समस्या उत्पन्न हीं नहीं होती।

3. **स्वास्थ्य एवं शक्ति के विकास के लिए**—स्वास्थ्य एवं शक्ति एक महत्त्वपूर्ण मानवीय संसाधन है। जनसाधारण के स्वास्थ्य एवं शक्ति के विकस के लिए समुचित शिक्षा की आवश्यकता होती है। वास्तव में केवल स्वस्थ एवं ऊर्जावान् व्यक्ति ही स्वयं अपने लिए तथा समाज एवं राष्ट्र के लिए उपयोगी होता है। वास्तव में स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी प्रदान करना ही स्वास्थ्य शिक्षा है। स्वास्थ्य शिक्षा; का वह स्वरूप है, जिसके अन्तर्गत व्यक्तिगत एवं जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी बहुपक्षीय जानकारी किसी एक पक्ष द्वारा किसी अन्य पक्ष को दी जाती है। स्वास्थ्य शिक्षा पर्याप्त व्यापक होती है तथा जीवन के प्रत्येक स्तर पर दी एवं ली जा सकती है। स्वास्थ्य शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं—स्वास्थ्य रक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, रक्षा, लोगों को बुरी आदतों से मुक्ति दिलाना तथा उनका सर्वांगीण विकास करना। 'स्वास्थ्य शिक्षा' के अन्तर्गत स्वास्थ्य नियमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य के मुख्य नियम है—(i) उचित पोषण, (ii) नीरोगता, (iii) नियमबद्धता, (iv) व्यायाम करना, (v) शारीरिक स्वच्छता, (vi) समुचित विश्राम एवं निद्रा, (vii) मादक पदार्थों के सेवन से बचाव तथा स्वस्थ मनोरंजन।

स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा जन-स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। वास्तव में अधिकांश रोगों एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के लिए जिम्मेदार मुख्य कारक है—अज्ञानता। स्वास्थ्य एवं रोगों के विषय में समुचित जानकारी न होने की स्थिति में व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। कुछ रोग पोषक तत्त्वों की कमी के कारण होते हैं जबकि अनेक रोग संक्रामक होते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के अन्तर्गत जहाँ एक ओर सन्तुलित एवं पौष्टिक आहार के महत्त्व एवं आयोजन सम्बन्धी जानकारी प्रदान की जाती है, वहीं संक्रामक रोगों के प्रसार तथा उनसे बचाव के लिए उपायों की भी समुचित जानकारी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, व्यक्ति को अच्छी एवं स्वास्थ्य में सहायक आदतों के निर्माण तथा स्वास्थ्य-रक्षा के नियमों की भी समुचित जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा के अन्तर्गत ही प्रदान की जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा विभिन्न प्रकार से महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक है।

4. **मनोवृत्तियों के विकास के लिए**—शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि व्यक्ति में उत्साह एवं आशावादिता की मनोवृत्तियों का समुचित विकास हो। मनोवृत्तियाँ भी व्यक्ति के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण मानवीय संसाधन हैं। इनके द्वारा ही व्यक्ति स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं। शिक्षा का एक मुख्य कार्य व्यक्ति की मनोवृत्तियों को उचित रूप एवं दिशा प्रदान करना भी है। इसके लिए शिक्षक को अनुकूल वातावरण तैयार करना चाहिए तथा छात्रों को प्रोत्साहन देना चाहिए।

5. **योग्यता एवं कुशलता के विकास के लिए**—किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए व्यक्ति में उस कार्य को करने की योग्यता एवं कुशलता का होना नितान्त अनिवार्य कारक है। भिन्न-भिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की योग्यता एवं कुशलता की आवश्यकता होती है तथा इस योग्यता एवं कुशलता को अर्जित करने के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है तथा इस योग्यता एवं कुशलता को अर्जित करने के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ही व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार की शिक्षा योग्य एवं कुशल व्यक्ति तैयार करती है।

6. **समय के सदुपयोग के लिए**—समय एक ऐसा मानवीय संसाधन है जो विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल समान उपलब्ध हुआ है। बच्चों को समय के सदुपयोग का सही ढंग शिक्षक ही सिखा सकता है। अत: इसके विकास के लिए किसी प्रकार के प्रयास की न तो आवश्यकता ही है और न ही इसका विकास सम्भव है। इस मानवीय संसाधन के सन्दर्भ में

यह आवश्यक है कि इसका सदुपयोग हो। समय के सदुपयोग के लिए शिक्षा की विशेष आवश्यकता होती है। उपयुक्त शिक्षा के अभाव में व्यक्ति समय को व्यर्थ ही गँवा देता है। उचित शिक्षा समय के सदुपयोग के व्यावहारिक नियमों की जानकारी प्रदान करती है। वास्तव में नियोजन द्वारा समय का सदुपयोग किया जा सकता है। अपने समय का सही विभाजन करके उसके अनुसार ही कार्य करने चाहिए।

प्र.7. अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा की पाठ्यक्रम-सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? What do you understand by co-curricular activities for development of international goodwill?

उत्तर वर्तमान काल में अन्तर्राष्ट्रीयता को विश्व-मानव की आवश्यकता स्वीकार किया जा चुका है। शिक्षा ही विश्व के युवकों को अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर उन्मुख कर सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास का प्रमुख साधन शिक्षा ही है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दार्शनिकों एवं शिक्षाशास्त्रियों ने शिक्षा के पाठ्यक्रम में विभिन्न परिवर्तनों का सुझाव दिया है एवं साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम-सहगामी क्रियाओं (Co-curricular Activities) को अपनाने का भी सुझाव दिया है।

अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए पाठ्यक्रम-सहगामी क्रियाएँ (Co-curricular Activities for Development of International Goodwill)

अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के समुचित विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुखतया निम्नलिखित पाठ्यक्रम-सहगामी क्रियाओं को अपनाने का सुझाव दिया जाता है—

1. **विश्व की महान विभूतियों के जन्म-दिवसों का आयोजन**—अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए देश के समस्त विद्यालयों में विश्व की सभी महान् विभूतियों के जन्म-उत्सव आयोजित किए जाने चाहिए। ऐसे अवसरों पर सम्बन्धित महान् विभूतियों के उपदेशों, आदर्शों तथा मानवतावादी दृष्टिकोण एवं विचारों के विषय में संवाद किया जाना चाहिए। इन आयोजनों से निश्चित रूप से अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना में वृद्धि होगी।
2. **विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन**—अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निश्चित किए गए विभिन्न महत्त्वपूर्ण दिवसों का उत्साहपूर्ण आयोजन करना चाहिए। इस प्रकार के कुछ महत्त्वपूर्ण दिवस हैं—(i) अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, (ii) मानव-अधिकार दिवस, (iii) विश्व पर्यावरण दिवस, (iv) संयुक्त राष्ट्र दिवस, (v) विश्व-स्वास्थ्य दिवस, (vi) विश्व विकलांगता दिवस तथा (vii) अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इन सभी अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों का सभी विद्यालयों में आयोजन किया जाना चाहिए एवं उनकी पृष्ठभूमि तथा महत्त्व को स्पष्ट किया जाना चाहिए।
3. **विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन**—समस्त विद्यालयों में कुछ ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए जिनका विषय अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का पोषक हो। इस प्रकार की मुख्य प्रतियोगिताएँ; जैसे—वाद-विवाद, निबन्ध-लेखन, काव्य तथा सामान्य-ज्ञान आदि हैं।
4. **उपयोगी व्याख्यानों का आयोजन**—सभी विद्यालयों में समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए ऐसे व्यक्तियों द्वारा व्याख्यानों का आयोजन किया जाना चाहिए, जो अन्य राष्ट्रों के रहन-सहन एवं जीवन-प्रतिमानों तथा परम्पराओं से भली-भाँति परिचित हों। इन व्याख्यानों से छात्रों का दृष्टिकोण व्यापक एवं उदार बनता है।
5. **विभिन्न प्रदर्शनियों का आयोजन**—छात्रों में अन्तर्राष्ट्रीयता के भाव को विकसित करने के लिए अन्य महत्त्वपूर्ण उपाय हैं—विद्यालय के प्रांगण के समय-समय पर कुछ ऐसी प्रदर्शनियों को आयोजित करना जिनमें विश्व के भिन्न-भिन्न देशों की सभ्यता एवं संस्कृति को दर्शाया गया हो। इन प्रदर्शनियों को देखकर अन्य राष्ट्रों के साथ एक विशेष प्रकार का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है।
6. **विभिन्न राष्ट्रों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन**—समय-समय पर विद्यालयों में भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन किया जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों के आयोजन से छात्रों को विभिन्न राष्ट्रों के रहन-सहन, जीवन एवं वेशभूषा आदि की समुचित जानकारी प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो जाती है तथा आपसी सौहार्द एवं निकटता के सम्बन्ध विकसित होते हैं।

7. **अन्तर्राष्ट्रीय खेलों आदि का आयोजन**—इन आयोजनों से विभिन्न राष्ट्रों के बीच मित्रता एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा के भाव विकसित होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास का अत्यधिक उपयोगी एवं लोकप्रिय उपाय है—अन्तर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। इन खेलों के आयोजन से विश्व के विभिन्न देशों के खिलाड़ी तथा दर्शक परस्पर सम्पर्क में आते हैं।
8. **विश्व के किसी भी देश में प्राकृतिक आपदा आने पर सहायता कार्यों का आयोजन**—विश्व के प्राय: सभी क्षेत्रों में समय-समय पर कोई-न-कोई प्राकृतिक आपदा आती ही रहती है। इन आपदाओं के अवसर पर विश्व के अन्य देशों की सहायता एवं सहानुभूति की विशेष आवश्यकता होती है। सभी विद्यालयों द्वारा इस प्रकार की सहायता में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। इस सहायता एवं सहानुभूति से सारा विश्व पीड़ित क्षेत्र के नागरिकों के साथ जुड़ जाता है। इस सम्बन्ध से अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का भरपूर विकास होता है।
9. **पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं का आदान-प्रदान**—विश्व के प्राय: सभी देशों में प्रकाशित होने वाली पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं का परस्पर आदान-प्रदान होना चाहिए। इन माध्यमों से विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के नागरिकों के बीच निकटता के सम्बन्ध विकसित होते हैं तथा अनेक महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इस प्रकार की जानकारियों से अनेक प्रकार के दुरागह समाप्त हो जाते हैं। तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के दृष्टिकोण में उदारता आती है। यूनेस्को द्वारा इस प्रकार का उपयोगी साहित्य निरन्तर प्रकाशित किया जा रहा है तथा उसे विश्व के विभिन्न देशों में प्रसारित किया जा रहा है।
10. **पत्र-मित्रता एव अन्तर्राष्ट्रीय क्लबों का गठन**—पत्र-मित्रता एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्लबों के गठन को प्रोत्साहन देना भी है। छात्रों एवं युवकों में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास का एक उपाय पत्र-मित्रता से भिन्न-भिन्न देशों के युवाओं को परस्पर विचारों एवं भावनाओं के आदान-प्रदान का अवसर प्राप्त होता है। इससे सम्बन्धित पक्षों का दृष्टिकोण उदार बनता है तथा पारस्परिक सद्भावना में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से विभिन्न देशों के पारस्परिक सम्बन्धों पर आधारित कुछ क्लब भी स्थापित किए जा सकते हैं।
11. **प्रत्यक्ष सम्पर्क के उपाय**—अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए विश्व के विभिन्न देशों के बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क के भी कुछ उपाय किए जा सकते हैं। इस प्रकार कुछ मुख्य उपाय हैं—
(i) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों एवं छात्रों का आदान-प्रदान, (ii) अन्तर्राष्ट्रीय शिविरों का आयोजन तथा (ii) अध्ययन परिभ्रमण का आयोजन।

उपर्युक्त विवरण द्वारा स्पष्ट कुछ उन पाठ्यक्रम-सहगामी क्रियाओं का सामान्य परिचय प्राप्त हो जाता है, जिनके माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास सम्भव है।

❑

TOUCH 'n' PASS

UNIT-III

शिक्षा के अभिकरण
Agencies of Education

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. शिक्षा के अभिकरण के प्रमुख प्रकार लिखिए।
Write the main types of agencies of education.

उत्तर शिक्षा के अभिकरण के प्रमुख प्रकार हैं—1. शिक्षा के औपचारिक अभिकरण, 2. शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण, 3. शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरण, 4.शिक्षा के सक्रिय अभिकरण तथा, 5. शिक्षा के निष्क्रिय अभिकरण।

प्र.2. शिक्षा के अभिकरण से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by agency of education?

उत्तर वह संस्था एवं साधन जो शिक्षा की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से सहयोग देती है, शिक्षा के अभिकरण के रूप में जानी जाती है।

प्र.3. शिक्षा के अभिकरणों के विषय में व्यापक दृष्टिकोण की व्याख्या करने वाला थॉमसन का कथन लिखिए।
Write Thomson's statement discussing the extensive outlook regarding the agencies of education.

उत्तर **थॉमसन** के शब्दों में, "व्यापक अर्थ में सम्पूर्ण वातावरण मनुष्य की शिक्षा का अभिकरण है परन्तु इस पर्यावरण में कुछ तत्त्व विशेषत: बालक की शिक्षा से सम्बन्धित हैं; जैसे—विद्यालय, चर्च व्यवसाय, सार्वजनिक जीवन, मनोरंजन तथा आदतें।"

प्र.4. शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरणों से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by informal agencies of education?

उत्तर वे समस्त संस्थाएँ एवं केन्द्र जहाँ बिना किसी नियम अथवा व्यवस्था के किसी को भी किसी भी विषय की शिक्षा दी जा सकती है, शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण कहलाते हैं। परिवार, मित्र-मण्डली, धार्मिक संस्थाएँ, खेल-समूह तथा यात्रा एवं साहचर्य आदि प्रमुख अनौपचारिक अभिकरण हैं।

प्र.5. शिक्षा के औपचारिक अभिकरणों से आप क्या समझते हैं? **[2021]**
What do you understand by formal agencies of education?

उत्तर वे समस्त संस्थाएँ या स्थल, जहाँ नियमित रूप से शिक्षा प्रदान करने अर्थात् शिक्षण की व्यवस्था होती है, शिक्षा के औपचारिक अभिकरण कहलाते हैं। इन संस्थाओं के निर्धारित एवं निश्चित नियम होते हैं। विद्यालय शिक्षा का प्रमुख औपचारिक अभिकरण है।

प्र.6. शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरणों से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by non-formal agencies of education?

उत्तर जो व्यक्ति औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उन्हें शिक्षा प्रदान करने तथा शैक्षिक योग्यता में वृद्धि करने के लिए स्थापित शिक्षा-अभिकरणों को शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरण कहा जाता है।

प्र.7. शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिक अभिकरणों में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
Make clear the difference between formal and informal agencies of education.

उत्तर शिक्षा के औपचारिक अभिकरण पूर्णतया सुव्यवस्थित होते हैं एवं निर्धारित नियमों के आधार पर कार्य करते हैं जबकि अनौपचारिक अभिकरणों में ऐसा नहीं होता। औपचारिक अभिकरण केवल सीमित काल तक शिक्षा प्रदान करते हैं जबकि अनौपचारिक अभिकरण सदैव शिक्षा प्रदान करते रहते हैं।

प्र.8. विद्यालय शिक्षा का किस प्रकार का अभिकरण है?
What type of agency is school education?

उत्तर विद्यालय शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है।

प्र.9. परिवार किस प्रकार की शिक्षा का अभिकरण है?
What kind of agency of education is a family?

उत्तर परिवार शिक्षा का एक प्रमुख अनौपचारिक एवं सक्रिय अभिकरण है।

प्र.10. शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की आर्थिक सहायता को स्पष्ट कीजिए।
Make clear the state's financial help in the field of education.

उत्तर शिक्षा एक व्यापक कार्य है। इसलिए राज्य द्वारा शिक्षा पर बहुत अधिक धन व्यय किया जाता है। प्रत्येक राज्य के कोष में से एक निश्चित भाग शिक्षा पर खर्च किया जाता है। राज्य ही निर्धारित करता है कि अध्यापकों को कितना वेतन दिया जाए तथा कितने छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जाएँ। राज्य द्वारा अधिकांश शिक्षण संस्थाओं को पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जाती है।

प्र.11. राज्य द्वारा जनसामान्य को शिक्षा के प्रति किस प्रकार जागरूक बनाया जाता है?
How does the state make the public conscious about education?

उत्तर देश के सभी मनुष्यों को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाना राज्य का एक मुख्य शैक्षिक कार्य है। इसके लिए राज्य देश के समस्त शहरी एवं ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करता है। राज्य ही लोगों को अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करके शिक्षा के प्रति उन्मुख करता है। इसके अतिरिक्त, राज्य विभिन्न प्रकार के प्रचार कार्यों के माध्यम से जनसाधारण में शिक्षा के प्रति अनुराग उत्पन्न करता है। छात्र–छात्राओं की प्राथमिक शिक्षा का नि:शुल्क होना, छात्राओं को स्कूल की यूनीफॉर्म मुफ्त देना तथा निर्धन एवं पिछड़े वर्गों के बच्चों की छात्रवृत्ति तथा प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त अल्पाहार देना इसी प्रकार के कुछ उपाय हैं।

प्र.12. विद्यालय के विकास में परिवार की बदलती परिस्थितियों की क्या भूमिका है?
What role do the changing conditions of a family play in the development of school?

उत्तर प्राचीन काल में जब व्यवस्थित विद्यालय नहीं थे तब बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था परिवार नामक संस्था द्वारा ही की जाती थी। परिवार की परिस्थितियों में हुए विभिन्न परिवर्तनों ने ही विद्यालय के विकास को प्रेरित किया और विद्यालय ही बच्चों की शिक्षा के मुख्य औपचारिक अभिकरण बन गए। सर्वप्रथम परिवार के आकार में परिवर्तन हुआ तथा परिवार का आकार छोटा हो गया। ऐसी स्थिति में परिवार में बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कठिन हो गई। इसके अतिरिक्त शिक्षा के स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए परिवार ने अपने आपको बच्चों की शिक्षा के दायित्व से मुक्त कर लिया तथा इस कार्य के लिए विद्यालय का विकास हो गया।

प्र.13. बालक के सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक तथा सांस्कृतिक विकास में सर्वाधिक योगदान किसका होता है?
Whose contribution is the most in the child's social, physical, emotional and cultural development?

उत्तर गृह अथवा परिवार का सर्वाधिक योगदान होता है।

प्र.14. परिवार द्वारा बालक के लिए उपयुक्त भोजन चिकित्सा, मनोरंजन, स्वास्थ्य की देखभाल तथा विश्राम आदि की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?
What is the main aim of the family to arrange for suitable food, medical facilities, entertainment, health and rest for the child?

उत्तर बालक का सुचारु शारीरिक विकास करना होता है।

प्र.15. परिवार द्वारा बच्चों की शिक्षा-व्यवस्था विद्यालय को सौंपने के क्या कारण हैं?
What are the reasons for the family entrusting the school for education of children?

उत्तर परिवार के आकार में परिवर्तन हो जाने के कारण एवं उसकी शैक्षिक असमर्थता के कारण परिवार ने बच्चों की शिक्षा–व्यवस्था को विद्यालय को सौंप दिया।

प्र.16. विद्यालय के उद्भव से पूर्व बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कौन-सी संस्था करती थी?
Which institution arranged for children's education before the evolution of school?

उत्तर विद्यालय उद्भव से पूर्व बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था परिवार करता था।

प्र.17. राज्य का मुख्य शैक्षिक कार्य क्या है?
What is the main educational work of the state?

उत्तर राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारित करना तथा उसे क्रियान्वित करना राज्य का मुख्य शैक्षिक कार्य है।।

प्र.18. बच्चों के शारीरिक विकास के लिए विद्यालय क्या उपाय करता है?
What does the school do for the physical development of the child?

उत्तर बच्चों के शारीरिक विकास के लिए विद्यालय खेल तथा व्यायाम की व्यवस्था करता है।

प्र.19. 'राज्य' शिक्षा के किस प्रकार का अभिकरण है?
What kind of an educational agency is the 'state'?

उत्तर 'राज्य' शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है।

प्र.20. शिक्षा के क्षेत्र में अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण के लिए कौन-सी संस्था स्थापित की गई है?
Which body has been founded for research and training in the field of education?

उत्तर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. पुस्तकालय भी शिक्षा का एक प्रमुख अभिकरण है, कैसे? सामान्य परिचय दीजिए।
How is a library also a main agency of education? Give a general introduction.

उत्तर जिस स्थान पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का संग्रह किया जाता है, उसे पुस्तकालय कहते हैं। पुस्तकालय एवं वाचनालय ज्ञान के भण्डार होते हैं एवं इनके माध्यम से व्यक्ति बहुपक्षीय शिक्षा प्राप्त कर सकता है। पुस्तकालय में मुद्रित सामग्री उपलब्ध होती है। पुस्तकालय में हर प्रकार के विषय एवं ज्ञान के प्राय: सभी क्षेत्रों से सम्बन्धित पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। इन पुस्तकों से ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति लाभान्वित होते हैं। इस सामग्री का अध्ययन करके व्यक्ति शिक्षित हो सकता है। पुस्तकों को शिक्षा का निष्क्रिय अभिकरण ही माना जाएगा क्योंकि पुस्तकें जीवन्त नहीं होतीं परन्तु शिक्षा प्राप्ति के दृष्टिकोण से पुस्तकों एवं पुस्तकालयों का विशेष महत्त्व है। पुस्तकालय सभी के लिए विशेष रूप से छात्रों के लिए विशेष उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण होते हैं। छात्र अपनी आवश्यकता की पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाएँ पुस्तकालय से लेकर अथवा वहीं बैठकर पढ़ सकते हैं। सीमित आर्थिक साधनों वाले छात्रों के लिए तो पुस्तकालय वरदान स्वरूप हैं।

प्र.2. शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक अभिकरणों में क्या अन्तर है? संक्षेप में लिखिए।
What is the difference between the formal and informal agencies of education? Write in brief.

उत्तर शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक अभिकरणों में विद्यमान अन्तर का सामान्य विवरण निम्नवर्णित है—

क्र०सं०	शिक्षा के औपचारिक अभिकरण	शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण
1.	शिक्षा के औपचारिक अभिकरण समाज में संगठित रूप में होते हैं तथा ये स्थापित संस्था के रूप में होते हैं; जैसे—विद्यालय।	शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण न तो सुसंगठित हाते हैं और न ही ये संस्थागत रूप में स्थापित होते हैं; जैसे—मित्र मण्डली।
2.	शिक्षा के औपचारिक अभिकरण प्रत्यक्ष रूप से केवल शिक्षा प्रदान करने का ही कार्य करते हैं।	शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रदान नहीं करते। ये जीवन से सम्बन्धित विभिन्न अनुभव प्रदान करते हैं।

3.	शिक्षा के औपचारिक अभिकरण सदैव किसी-न-किसी निश्चित स्थान पर होते हैं।	शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण किसी निश्चित स्थान पर नहीं होते। ये कहीं भी हो सकते हैं।
4.	शिक्षा के औपचारिक अभिकरणों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है एवं इन साधनों द्वारा केवल एक सीमित काल तक ही शिक्षा ग्रहण की जाती है।	अनौपचारिक अभिकरणों से शिक्षा ग्रहण करने के कोई कठोर निर्धारित नियम नहीं होते। इन साधनों से जीवन भर अनुभवों के रूप में शिक्षा प्राप्त की जा सकती है।।
5.	शिक्षा के औपचारिक अभिकरणों की व्यवस्था जानबूझकर की जाती है तथा समाज अथवा राज्य द्वारा इन संस्थाओं पर पर्याप्त व्यय भी किया जाता है।	शिक्षा के अनौपचारिक साधनों की स्थापना जानबूझकर नहीं की जाती। ये स्वत: ही समाज में विद्यमान रहते हैं। इन पर किसी प्रकार का व्यय नहीं करना पड़ता।
6.	शिक्षा के औपचारिक अभिकरण केवल निर्धारित पाठ्यक्रम का ही ज्ञान प्रदान करते हैं।	शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरणों का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत होता है।
7.	संस्थागत शिक्षा ग्रहण करने के लिए निर्धारित शुल्क के रूप में धन देना पड़ता है।	अनौपचारिक अभिकरणों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए सामान्य रूप से धन व्यय नहीं करना पड़ता।
8.	औपचारिक अभिकरणों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए निर्धारित परीक्षा आदि को उत्तीर्ण करना पड़ता है।	अनौपचारिक अभिकरणों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना पड़ता।

प्र.3. शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरणों की उपयोगिता बताइए।
Write the utility of the non-formal agencies of education.

उत्तर आधुनिक काल में शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरणों का महत्त्व निरन्तर बढ़ रहा है। शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरणों की व्यवस्था से उन समस्त व्यक्तियों को भी शिक्षा प्राप्त करने तथा अपनी शैक्षिक योग्यता में वृद्धि करने का अवसर उपलब्ध हो जाता है, जो किन्हीं कारणवंश शिक्षा प्रक्रिया से दूर हो जाते हैं। निरौपचारिक अभिकरणों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रों की आयु तथा शिक्षण की अवधि सम्बन्धी नियमों का कोई बन्धन नहीं होता। वास्तव में शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरणों के नियम कठोर नहीं होते। इनमें छात्रों की सुविधा एवं परिस्थितियों का अधिक ध्यान रखा जाता है। इन अभिकरणों में शिक्षण के स्थान एवं समय आदि में सुविधानुसार परिवर्तन कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त, इन अभिकरणों के माध्यम से शिक्षार्थी स्वेच्छा से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरणों का एक अन्य महत्त्व या लाभ यह है कि इनके माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना कम खर्चीला होता है।

प्र.4. औपचारिक तथा निरौपचारिक अभिकरणों में प्रमुख अन्तर समझाइए।
Describe the main differences between formal and non-formal agencies.

उत्तर औपचारिक तथा निरौपचारिक अभिकरणों में प्रमुख अन्तर निम्न प्रकार हैं—

क्र०सं०	औपचारिक अभिकरण	निरौपचारिक अभिकरण
1.	औपचारिक अभिकरणों के स्थान एवं शिक्षण समय आदि पूर्ण रूप से निश्चित एवं अपरिवर्तनीय होते हैं।	निरौपचारिक अभिकरणों द्वारा स्थान एवं समय आदि में सुविधानुसार परिवर्तन कर लिया जाता है।
2.	औपचारिक अभिकरण छात्रों की आयु तथा शिक्षा की अवधि आदि का कठोरता से पालन करते हैं।	निरौपचारिक अभिकरणों द्वारा छात्रों की आय तथा शिक्षण की अवधि के नियमों का कोई बन्धन नहीं होता।
3.	इनमें बाध्यता का भाव प्रधान होता है।	इनमें स्वेच्छा का भाव प्रधान होता है।
4.	औपचारिक अभिकरणों द्वारा अधिक शिक्षा-शुल्क लिया जाता है अर्थात् ये खर्चीले होते हैं।	निरौपचारिक अभिकरणों द्वारा अधिक शुल्क नहीं लिया जाता अर्थात् ये कम खर्चीले होते हैं।
5.	औपचारिक अभिकरणों का संचालन कठोर नियमों द्वारा होता है।	निरौपचारिक अभिकरणों के नियम कठोर नहीं होते। इनमें छात्रों की सुविधा एवं परिस्थितियों का अधिक ध्यान रखा जाता है।

प्र.5. बच्चों की शिक्षा में परिवार की क्या भूमिका होती है? संक्षेप में लिखिए।
What is the role of a family in a child's education? Write in brief.

उत्तर शिक्षा वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से बच्चों की नैसर्गिक रूप से निहित क्षमताओं, गुणों एवं योग्यताओं का समुचित विकास होता है। इस प्रकार परिवार ही वह महत्त्वपूर्ण केन्द्र है, जहाँ बच्चों के बहुपक्षीय विकास में सर्वाधिक योगदान दिया जाता है। परिवार में सामाजिक मूल्यों तथा सद्गुणों एवं संस्कारों के प्रदर्शन एवं पालन द्वारा बच्चों के सामाजिक विकास में आवश्यक योगदान दिया जाता है। परिवार द्वारा बच्चों के सुचारु शारीरिक विकास के लिए उसके उचित पोषण, रोग-प्रतिरक्षण तथा व्यायाम-विश्राम आदि की समुचित व्यवस्था की जाती है। परिवार के ही सदस्यों द्वारा बच्चों के स्वाभाविक मानसिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाता है तथा विभिन्न प्रकार की आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। परिवार बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में भी उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह करता है। बच्चों के धार्मिक सांस्कृतिक विकास के लिए प्रत्येक परिवार द्वारा कुछ धार्मिक-सांस्कृतिक गतिविधियों का अनिवार्य रूप से आयोजन किया जाता है, जहाँ तक बालक के चारित्रिक विकास का प्रश्न है, इसकी नींव भी परिवार द्वारा ही डाली जाती है। यदि माता-पिता चरित्रवान् हैं तो उनके बच्चों का चारित्रिक विकास भी सुचारु रूप से होता है। इस प्रकार बालक के बहुपक्षीय विकास में विशिष्ट भूमिका निर्वाह करने के साथ-ही-साथ बच्चों की प्रारम्भिक औपचारिक शिक्षा का दायित्व भी परिवार द्वारा ही निभाया जाता है। परिवार में बच्चों को भाषा का ज्ञान, अंक ज्ञान, रंगों एवं आकारों का ज्ञान, शारीरिक अंगों एवं वस्तुओं के नामों से अवगत काने का कार्य परिवार द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बच्चों की शिक्षा में परिवार का बहुपक्षीय योगदान होता है।

प्र.6. 'बच्चों की शिक्षा के लिए घर तथा विद्यालय परस्पर पूरक हैं।' कैसे? संक्षेप में लिखिए।
'The home and school are mutually complementary for child's education.' How? Wite in brief.

उत्तर शिक्षा के प्रत्येक पक्ष का प्रारम्भ घर से ही होता है। जीवन भर किसी-न-किसी रूप में घर एवं परिवार अपने सदस्यों (बच्चों) को शिक्षित करता रहता है। विद्यालय शिक्षा का सर्वप्रमुख औपचारिक अभिकरण है। देखने में ये दोनों अलग-अलग संस्थाएँ हैं परन्तु बच्चों की शिक्षा के लिए इन दोनों में सामंजस्य होना अवश्यक है। **जैक्स** के अनुसार—"घर बालक की प्रथम पाठशाला है और स्कूल वास्तव में घर का ही विस्तृत रूप है इसलिए सर्वाधिक प्रयत्न करने पर भी पाठशाला शिक्षा-संस्था के रूप में घर का स्थान नहीं ले सकती है। दोनों को एक-दूसरे के सहयोग से कार्य करना है।" जैक्स के अनुसार यह भी स्पष्ट है कि विद्यालय घर का ही विस्तृत रूप होता है, इसलिए दोनों में सामंजस्य होना सम्भव और आवश्यक है। घर एवं विद्यालय के मध्य सम्बन्ध को स्वीकार करते हुए **डीवी** ने लिखा है—"पाठशाला को वास्तव में घर का एक विस्तृत रूप होना चाहिए, जिस प्रकार का अनुशासन बालक को घर में कभी-कभी प्राप्त होता है, उसी की अधिक विस्तृत रूप में उच्च साधनों द्वारा वैज्ञानिक ढंग से, विद्यालय में सदैव स्थापना की जानी चाहिए।" वास्तव में घर और पाठशाला में सामंजस्य स्थापित होना परमावश्यक है। आशय यह है कि सभी शिक्षाशास्त्री घर व विद्यालय में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं और दोनों को एक-दूसरे का पूरक मानते हैं। वास्तविकता यह है कि बालक की शिक्षा का सम्मिलित उत्तरदायित्व घर तथा स्कूल दोनों का है।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. शिक्षा के अभिकरण से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण कीजिए।
What do you understand by agencies of education? Classify agencies of education.

उत्तर

शिक्षा के अभिकरण
(Agencies of Education)

व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा एक व्यापक एवं जटिल प्रक्रिया है। मनुष्य के जीवन में जन्म से ही शिक्षा का आरम्भ हो जाता है एवं जीवन-पर्यन्त यह प्रक्रिया चलती रहती है। अभिकरण या साधन उन माध्यमों को कहा जाता है जिनके द्वारा कोई प्रक्रिया सम्पन्न होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक प्रक्रिया के सम्पन्न होने में उन

अभिकरणों का विशेष महत्त्व है जिनके माध्यम से वह प्रक्रिया परिचालित होती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के अभिकरणों या माध्यमों का भी व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है।

शिक्षा के अभिकरणों के वर्गीकरण को प्रस्तुत करने से पूर्व शिक्षा के अभिकरणों के अर्थ को भी स्पष्ट करना आवश्यक है। शिक्षा के अभिकरणों या साधनों के अर्थ को **प्रो० बी०डी० भाटिया** ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है—"समाज ने शिक्षा के कार्यों को सम्पादित करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया है। इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा के साधन के रूप में जाना जाता है।" इसी प्रकार **सीताराम चतुर्वेदी** ने भी शिक्षा के अभिकरणों को अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है—"जिन व्यक्तियों, संस्थाओं तथा व्यवस्था-केन्द्रों के द्वारा या उनकी ओर से शिक्षा दी जाती है, उसे शिक्षा-केन्द्र या अभिकरण कहते हैं।"

शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण
(Classification of Agencies of Education)

शिक्षा के अनेक अभिकरण हैं। इस विषय में **थॉमसन** कहते हैं—"व्यापक अर्थ में सम्पूर्ण वातावरण मनुष्य की शिक्षा का साधन है परन्तु इस पर्यावरण में कुछ तत्त्व विशेषत: (बालक की) शिक्षा से सम्बन्धित हैं; जैसे—विद्यालय, चर्च, प्रेस, व्यवसाय, सार्वजनिक जीवन, मनोरंजन तथा आदतें।" शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है—

1. **औपचारिक अभिकरण**—संस्थाएँ या स्थल जहाँ नियमित रूप से शिक्षा प्रदान करने अर्थात् शिक्षण की व्यवस्था होती है। शिक्षा के औपचारिक साधन या अभिकरण कहलाते हैं। इन संस्थाओं के निर्धारित एवं निश्चित नियम होते हैं; जैसे कि निर्धारित योग्यता वाले बालकों को निर्धारित शुल्क जमा करके विद्यालय की सम्बन्धित कक्षा में प्रवेश लेना पड़ता है तथा निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन करके निर्धारित परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ता है। इन संस्थाओं में शिक्षण का ढंग एवं पद्धति भी निश्चित होती है। इनके शिक्षण के काल एवं समय भी निर्धारित होते हैं। शिक्षा के औपचारिक अभिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की पद्धति पूर्ण रूप से निश्चित एवं पूर्व-निर्धारित होती है; मुख्य औपचारिक अभिकरण है—पाठशाला या पुस्तकालय, वाचनालय, संग्रहालय, कलाविधियाँ तथा व्यायामशालाएँ। इन संस्थाओं द्वारा निर्धारित परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लेने पर निर्धारित प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाते हैं।
2. **अनौपचारिक अभिकरण**—उन सब संस्थाओं एवं केन्द्रों को शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण या साधन कहा जाता है जहाँ बिना किसी नियम या व्यवस्था के किसी को भी किसी भी विषय की शिक्षा दी जा सकती है। ऐसे केन्द्रों पर न तो कोई स्पष्ट रूप से निर्धारित शिक्षक होता है और न ही 'शिक्षार्थी। विद्यालय की भाँति यहाँ न तो किसी को प्रवेश लेना पड़ता है और न ही निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन ही करना पड़ता है। परिवार, मित्र-मण्डली, धार्मिक संस्थाएँ, खेल-समूह तथा यात्रा एवं साहचर्य आदि। शिक्षा के मुख्य अनौपचारिक साधन हैं।
3. **निरौपचारिक अभिकरण**—वर्तमान समय में औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार की शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है। इसे **निरौपचारिक शिक्षा** (Non-formal Education) कहा जाता है। निरौपचारिक शिक्षा में पाठशाला से बाहर की वह सम्पूर्ण शिक्षा सम्मिलित है जो विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। यह औपचारिक शिक्षा की भाँति कठोर नहीं होती एवं अनौपचारिक शिक्षा की भाँति अनियोजित तथा अव्यवस्थित भी नहीं होती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के मध्य मार्ग को निरौपचारिक शिक्षा के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार की निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करने वाले अभिकरणों को शिक्षा के **निरौपचारिक अभिकरण** (Non-formal Agencies of Education) कहते हैं। शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरण सामान्य शिक्षण संस्थाओं के समान सुसंगठित एवं प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण-कार्य करने वाले अभिकरण नहीं होते, परन्तु इन अभिकरणों द्वारा शिक्षण की व्यवस्थित प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण योगदान अवश्य दिया जाता है। मुक्त विद्यालय एवं मुक्त विश्वविद्यालय, पत्राचार पाठ्यक्रम तथा दूरस्थ शिक्षा आदि शिक्षा के मुख्य निरौपचारिक अभिकरण हैं।

   निरौपचारिक शिक्षा प्रदान करने में समाचार पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो तथा दूरदर्शन, भाषणों एवं भाषण-प्रलेखों, शैक्षिक भ्रमण, गोष्ठियों एवं चर्चाओं, मुद्रित सामग्री तथा अभिक्रमित पाठ्य-सामग्री को साधन स्वरूप अपनाया जाता है। 'निरौपचारिक शिक्षा' की व्यवस्था केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा की जाती है तथा विभिन्न निजी संस्थान एवं स्वैच्छिक संगठन भी अपना योगदान दे रहे हैं।

4. **सक्रिय तथा निष्क्रिय अभिकरण**—इस वर्गीकरण के अन्तर्गत दो प्रकार के अभिकरणों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें: क्रमश: शिक्षा के सक्रिय अभिकरण तथा शिक्षा के निष्क्रिय अभिकरण कहा गया है। इन दोनों प्रकार के अभिकरणों का सामान्य विवरण निम्नवर्णित है—
   (i) **सक्रिय अभिकरण**—शिक्षा के वे समस्त अभिकरण, जिनमें शिक्षक अर्थात् शिक्षा प्रदान करने वाले पक्ष तथा शिक्षार्थी अर्थात् शिक्षा ग्रहण करने वाले पक्ष में आमने-सामने के तथा प्रत्यक्ष सम्बन्ध होते हैं, उन्हें शिक्षा के सक्रिय अभिकरण कहा जाता है। इस प्रकार के अभिकरणों द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया के परिचालन के दौरान शिक्षक तथा शिक्षार्थी के बीच जीवन्त अन्त:क्रिया होती है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों एक-दूसरे के व्यवहार के प्रति जागरूक रहते हैं तथा शिक्षक अपनी-अपनी प्रतिक्रिया रूप से शिक्षा प्रदान करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर शिक्षार्थी भी अपनी समस्याओं का तुरन्त समाधान प्राप्त कर लेता है। सक्रिय अभिकरणों के माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया के परिचालन के दौरान दोनों पक्षों के व्यवहार में रूपान्तरण की सम्भावना रहती है। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के दृष्टिकोण से शिक्षा के सक्रिय अभिकरणों को उत्तम माना जाता है। शिक्षा के सक्रिय अभिकरण औपचारिक भी हो सकते हैं तथा अनौपचारिक भी। इस प्रकार परिवार, मित्र-मण्डली, विद्यालय, क्लब, धार्मिक-संस्थान तथा समाज कल्याण केन्द्र आदि शिक्षा के प्रमुख सक्रिय अभिकरण हैं।
   (ii) **निष्क्रिय अभिकरण**—शिक्षा के वे समस्त अभिकरण जिनमें शिक्षक अर्थात् शिक्षा प्रदान करने वाले पक्ष तथा शिक्षार्थी अर्थात् शिक्षा ग्रहण करने वाले पक्ष में आमने-सामने के तथा प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होते, उन्हें शिक्षा के निष्क्रिय अभिकरण कहा जाता है। इस प्रकार के अभिकरणों द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया के परिचालन के दौरान केवल एक-तरफा प्रयास होते हैं। सामान्य रूप से शिक्षा प्रदान करने वाला पक्ष अपना प्रभाव डालता है, परन्तु शिक्षा-ग्रहण करने वाले पक्ष से प्रभावित नहीं होता। इस व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षा ग्रहण करने वाला पक्ष तुरन्त कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं कर सकता। व्यवहार रूप में शिक्षा प्रदान करने वाला पक्ष शिक्षा ग्रहण करने वाले पक्ष से प्रभावित नहीं होता। इस व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षा ग्रहण करने वाला पक्ष निष्क्रिय रहता है तथा तात्कालिक रूप से अपनी किसी समस्या का निवारण भी नहीं कर सकता। पत्र-पत्रिकाएँ, सिनेमा, दूरदर्शन, रेडियो तथा पत्राचार पाठ्यक्रम आदि शिक्षा के निष्क्रिय अभिकरण हैं।

प्र.2. औपचारिक शिक्षा का अर्थ समझाइए तथा औपचारिक शिक्षा के गुण एवं दोष लिखिए।
Explain the meaning of formal education and write its merits and demerits.

उत्तर

औपचारिक शिक्षा का अर्थ
(Meaning of Formal Education)

औपचारिक शिक्षा वह है जिसे सचेतन प्रयासों से प्रदान तथा प्राप्त किया जाता है। यहाँ शिक्षा प्रदान करने वाला भली प्रकार से जानता है कि उसे शिक्षा प्रदान करनी है। यहाँ शिक्षक एवं बालक दोनों को ही शिक्षा के उद्देश्य ज्ञात रहते हैं। इसमें बालक किसी कार्यक्रम के अनुसार नियन्त्रित वातावरण में रहते हुए किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित पाठ्यक्रम (ज्ञान) को, निश्चित शिक्षण-पद्धति के द्वारा, निश्चित स्थान पर, निश्चित समय में समाप्त करके, परीक्षा देकर, उपाधि ग्रहण कर लेता है। ऐसी शिक्षा को प्रदान करने के साधन विद्यालय हैं। औपचारिक शिक्षा को नियमित एवं साविधिक शिक्षा भी कहा जाता है।

औपचारिक शिक्षा के गुण (Merits of Formal Education)

औपचारिक शिक्षा के गुण निम्नलिखित हैं—

1. औपचारिक शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति, समाज, राज्य आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करती है। यह शिक्षा व्यवस्थित ज्ञान के द्वारा छात्रों को उनकी आवश्यकतानुसार व्यवसाय चुनने में सहायता करती है।
2. यह शिक्षा किसी शैक्षिक संस्था के निश्चित व नियन्त्रित वातावरण में पूर्व-निर्धारित उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों के अनुसार प्रदान की जाती है।
3. इस शिक्षा के द्वारा छात्रों को उनके पाठ्य-विषयों का उचित मार्गदर्शन एवं उचित मार्गदर्शन एवं उचित ज्ञान निश्चित एवं निर्धारित समय में मिलता है।

4. इस शिक्षा के द्वारा संस्कृति के संरक्षण, सुधार एवं हस्तान्तरण होता है।
5. यह शिक्षा योजनाबद्ध ढंग से प्रदान की जाती है, इस शिक्षा में पाठ्यक्रम, अवधि, शिक्षण-विधि, स्थान आदि पूर्व-निश्चित होता है। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके प्रमाणपत्र/डिग्री प्राप्त करना होता है।
6. इनके द्वारा मानव समाज के उन अनुभवों एवं गुणों को निश्चित समय में प्राप्त किया जा सकता है जो अन्य साधनों के द्वारा असम्भव है। औपचारिक शिक्षा विभिन्न प्रकार की औपचारिकताओं से पूर्ण होती है, जो नियमित, विधिवत एवं व्यवस्थित होती है।

औपचारिक शिक्षा के दोष (Demerits of Formal Education)

औपचारिक शिक्षा के दोष निम्नलिखित हैं—

1. औपचारिक शिक्षा पाठ्यक्रमों से बंधी होती है जिसके कारण छात्र को समय-चक्र एवं कठोर अनुशासन के बन्धनों में बांधकर नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है। ऐसे नियन्त्रित वातावरण में रहते हुए छात्र रट्टू तोता तो अवश्य बन जाता है, परन्तु ज्ञानी नहीं बन पाता है।
2. यह साधनों के द्वारा प्राप्त शिक्षा अस्पष्ट, निर्जीव एवं पुस्तकीय होती है।
3. यह शिक्षा परीक्षा प्रधान होती है एवं यह पाठ्यचर्या, स्थान, समय आदि से बंधी हुई होती है। इस शिक्षा में छात्र को स्वतन्त्र रूप से ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने के अवसर नहीं प्राप्त होते हैं।
4. इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए समय व धन की आवश्यकता होती है। अत: इसके कारण शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोध की समस्या बढ़ती है। इसी कारण वंचित बालकों, अति पिछड़े, एवं निर्धन समाजों के बच्चे इस शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।
5. इस शिक्षा के कृत्रिम होने के कारण शिक्षित बेरोजगारों की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
6. औपचारिक शिक्षा परीक्षा-प्रधान शिक्षा होती है, जो छात्रों द्वारा मात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रेरित करती है।
7. इस शिक्षा में छात्र उन अनुभवों से वंचित रह जाता है जिन्हें वह स्वयं क्रिया करके स्वाभाविक रूप से ग्रहण करता था।
8. चूँकि औपचारिक शिक्षा कुछ विशेष नियमों से बंधी होती है, जिसके कारण यह शिक्षा कहीं भी, कभी भी एवं किसी के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है।
9. इस शिक्षा में ज्ञान प्राप्त करने की पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं होती है। कभी-कभी औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यक्ति के जीवन सम्बन्धी आवश्यकताओं से पर होता है।

प्र.3. बालक की शिक्षा में परिवार का क्या योगदान है? इसके महत्त्व को विस्तार से समझाइए।
What is the family's contribution in child's education? Explain its importance in detail.

उत्तर वस्तुत: परिवार या घर बालक की शिक्षा की प्रथम पाठशाला कहलाता है। यह शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण है। बच्चे की शिक्षा की प्रक्रिया घर या परिवार से ही प्रारम्भ होती है। घर-परिवार द्वारा ही बच्चे की शैक्षिक-प्रक्रिया की नींव डलती है तथा उसके आधार पर शिक्षा के अन्य अभिकरण बालक को विभिन्न प्रकार से शिक्षित करते हैं। सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों ही रूपों में बालक की शिक्षा में परिवार या गृह का विशेष महत्त्व है। शिक्षा के एक अनौपचारिक अभिकरण के रूप में बालक की शिक्षा में घर या परिवार के महत्त्व को निम्न प्रकार समझा जा सकता है—

I. परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है (Family is the First School for Child)

साधारण रूप से पाठशाला का तात्पर्य उस संस्था से है, जो बालक को शिक्षित करती है। परिवार एक ऐसी संस्था है, जो बालक को प्रत्येक विषय की प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करती है। बालक को बोलना अर्थात् भाषा का प्रारम्भिक ज्ञान परिवार के सदस्यों द्वारा ही प्राप्त होता है। शारीरिक स्वच्छता, खान-पान, आचार-व्यवहार आदि विषयों का प्रारम्भिक ज्ञान भी बालक को माता-पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों से मिलता है। बच्चों को नैतिक शिक्षा अर्थात् अच्छी आदतों के निर्माण के लिए भी परिवार द्वारा ही निर्देश दिए जाते हैं। बच्चों की अच्छी आदतों की उपयोगिता तथा बुरी आदतों की हानियों की जानकारी भी परिवार द्वारा ही दी जाती है। परिवार ही बालकों को विभिन्न सद्गुणों की शिक्षा प्रदान करता है। परिवार ही बालकों के संवेगों को नियन्त्रित तथा रूपान्तरित

करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त परिवार ही बच्चों को व्यावहारिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने की शिक्षा देता है। वर्तमान नगरीय परिस्थितियों में बालक की संस्थागत शिक्षा के प्रारम्भ होने से पूर्व बालक को उसके लिए तैयार करने का कार्य भी परिवार द्वारा ही किया जाता है। अब अधिकांश अच्छे विद्यालयों में बच्चे को प्रवेश देने से पहले विद्यालय बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखते हैं। इस प्रकार इन समस्त शैक्षिक भूमिकाओं को दृष्टिगत रखते हुए ही परिवार को 'बालक की प्रथम पाठशाला' कहा जाता है।

व्यापक अर्थ में शिक्षा का आशय है—बालक का बहुपक्षीय विकास तथा व्यवहार में अभीष्ट रूप में परिवर्तन। इस दृष्टिकोण से बालक की शिक्षा में परिवार का उल्लेखनीय योगदान होता है। परिवार बालक के बहुपक्षीय विकास में सर्वाधिक योगदान करता है। बालक के शारीरिक विकास के लिए उसके उचित पोषण, रोगों से बचाव तथा व्यायाम-विश्राम आदि की व्यवस्था परिवार द्वारा ही की जाती है। बालक के सामाजिक विकास के लिए परिवार बालक को सामाजिक मूल्यों एवं सद्गुणों से अवगत कराता है। बालक के मानसिक विकास के लिए परिवार द्वारा उचित वातावरण तैयार किया जाता है तथा विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रत्येक परिवार द्वारा कुछ धार्मिक-सांस्कृतिक गतिविधियों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है। परिवार ही बालक के चरित्र के विकास में सर्वाधिक योगदान करता है। यही कारण है कि सामान्य रूप से सुदृढ़ चरित्र वाले माता-पिता के बच्चे भी चरित्रवान् बनते हैं। बालक के व्यक्तित्व के विकास में भी परिवार ही सर्वाधिक योगदान करता है। परिवार ही बालक को यथासम्भव अच्छे-से-अच्छे विद्यालय में प्रवेश कराता है। परिवार ही बालक की शिक्षा के खर्च की व्यवस्था करता है। परिवार जहाँ एक ओर बालक की अनौपचारिक शिखा में उल्लेखनीय योगदान देता है, वहीं परिवार ही बालक की औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करता है। यही नहीं, परिवार ही ध्यान रखता है कि बच्चे की शिक्षा सुचारु रूप से चल रही है या नहीं। हम कह सकते हैं कि माता-पिता ही बच्चों को आवश्यक शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का भी कार्य करते हैं।

II. शिक्षा में परिवार का महत्त्व
(Importance of Family in Education)

प्राय: सभी शिक्षाशास्त्रियों ने बालक की शिक्षा में परिवार या घर के महत्त्व को प्रमुख रूप से स्वीकार किया है। इस महत्त्व के सन्दर्भ में हम यहाँ प्रमुख शिक्षाशास्त्रियों के विचार प्रस्तुत कर रहे हैं—

1. **रेमॉण्ट के विचार**—रेमॉण्ट ने बालक की शिक्षा में परिवार का महत्त्व प्रस्तुत करते हुए कहा है—"घर ही वह स्थान है, जहाँ वे महान् गुण उत्पन्न होते हैं, जिनकी सामान्य विशेषता सहानुभूति है। घर में ही घनिष्ठ प्रेम की भावनाओं का विकास होता है। यहीं पर बालक उदारता और अनुदारता, नि:स्वार्थ और स्वार्थ, न्याय और अन्याय, सत्य और असत्य, परिश्रम और आलस्य में अन्तर सीखता है। यहाँ उसमें इनमें से कुछ की आदत सबसे पहले पड़ती है।"
2. **कमेनियस के विचार**—बालक की शिक्षा में कमेनियस ने भी परिवार को बहुत अधिक महत्त्व दिया है। उन्होंने परिवार को 'माँ के घुटनों का विद्यालय' के नाम से सम्बोधित किया है।
3. **हैण्डरसन के विचार**—हैण्डरसन के शब्दों में—"बालक की शिक्षा उसके घर से प्रारम्भ होती है जब वह अन्य व्यक्तियों के कार्यों को देखता है, उनका अनुसरण करता है, तब वह अनौपचारिक रूप से शिक्षित किया जाता है।"
4. **मॉण्टेसरी के विचार**—मॉण्टेसरी ने छोटे बालकों की शिक्षा के लिए घर को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है इसलिए उन्होंने अपने विद्यालय को 'बचपन का घर' (House of Childhood) के नाम से सम्बोधित किया।
5. **फ्रोबेल के विचार**—'किण्डरगार्टन पद्धति' के जन्मदाता फ्रोबेल ने बालक की शिक्षा में परिवार या घर को अत्यधिक महत्त्व दिया है। उनके शब्दों में—"माताओं में आदर्श अध्यापिकाएँ हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली और स्वाभाविक है।"
6. **पेस्तालॉजी के विचार**—शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान को महत्त्वपूर्ण स्थान देने वाले शिक्षाशास्त्री पेस्तालॉजी ने बालक की शिक्षा के लिए घर को अनिवार्य साधन माना है। उन्होंने माता को शिक्षा का वास्तविक स्रोत बताया है। **पेस्तालॉजी** का कथन है—"घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है।"
7. **रूसो के विचार**—प्रकृतिवादी शिक्षा-दार्शनिक होने के कारण रूसो ने बालक की शिक्षा में परिवार को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। उनके अनुसार—"आधुनिक सभ्यता में परिवार ही एक ऐसी संस्था है, जो मूल रूप में प्राकृतिक है अत: परिवार

ही बालकों को सर्वोत्तम शिक्षा दे सकता है।'' उन्होंने स्वयं पिता के रूप में **इमाइल** को आधुनिक कृत्रिम समाज से दूर प्रकृति की गोद में शिक्षा दी थी।

प्र.4 अनौपचारिक शिक्षा का विस्तृत वर्णन कीजिए।
Give a detailed description of informal education.

***अथवा* अनौपचारिक शिक्षा के महत्त्व तथा अनौपचारिक शिक्षा का शिक्षा में योगदान का वर्णन कीजिए।**

***Or* Describe the importance of informal education and its contribution to education.**

उत्तर

अनौपचारिक शिक्षा का अर्थ
(Meaning of Informal Education)

अनौपचारिक शिक्षा में अनौपचारिक शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है जो 'शिक्षा की विशेषता बतलाता है।' अनौपचारिक शब्द दो शब्दों की सन्धि से बना है— **अन्** + **उपचारिक**। **अन्** का अर्थ **'नहीं'** तथा उपचारिक शब्द **'उपचार'** से बना है। उपचार का अर्थ है इलाज, चिकित्सा या व्यवस्था। इस प्रकार अनौपचार का अर्थ है 'व्यवस्थाहीन' अर्थात् जिसके लिए कोई चिकित्सा या प्रयत्न या चेष्टा न की जाए। इस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा वह है जिसे व्यक्ति बिना किन्हीं व्यवस्थित साधनों अथवा प्रयासों के स्वत: ही प्राप्त कर लेता है।

कूम्बस एवं अहमद के अनुसार, ''जनसंख्या में विशेष उपसमूहों व्यस्क व बालकों का चुना हुआ इस प्रकार का अधिगम प्रदान करने के लिए औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के बाहर कोई भी संगठित कार्यक्रम हैं।''

इलिच एवं फ्रेयर के अनुसार, ''अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक विरोधी शिक्षा है।''

ला बैला के अनुसार, ''विशिष्ट लक्षित जनसंख्या के लिए स्कूल से बाहर संगठित कार्यक्रम है।''

जीवन में मनुष्य अनेक साधनों तथा माध्यमों से अनुभव प्राप्त करता है। इन साधनों तथा माध्यमों को दो भागों मे विभक्त कर सकते हैं—

1. वे साधन या माध्यम जिनका जानबूझकर आयोजन नहीं किया है किन्तु अपने मूलरूप में ही रहकर अनुभव प्राप्त करते हैं। **उदाहरण के लिए**—जंगल में खड़े नीम के पेड़ को देखकर हम अनुभव प्राप्त करते हैं कि नीम के पेड़ का आकार, पत्तियों, फूल व फलों का आकार व रंग-रूप कैसा होता है। इसी प्रकार हम अपने भौतिक तथा सामाजिक वातावरण में करोड़ों ऐसे साधन व माध्यम पाते हैं जो हमें प्रतिदिन अनेक अनुभव प्रदान करते हैं। ये साधन शिक्षा के अनौपचारिक साधन हैं जो हमें अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। परिवार, समुदाय, धर्म, राज्य, रेडियो, टेलीविजन तथा समाचार-पत्र आदि अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन हैं।
2. वे साधन व माध्यम जिनकी जानबूझकर इसलिए व्यवस्था की जाती है कि हम उनसे अनुभव या शिक्षा प्राप्त करें। **उदाहरण के लिए**—विद्यालय की व्यवस्था जानबूझ कर केवल इसलिए की जाती है कि हम उनसे अनुभव या **शिक्षा** प्राप्त कर सकें।

   प्रो० जे०एस० रॉस के अनुसार, ''अनौपचारिक शिक्षा बालक के द्वारा सभी प्रभाव ग्रहण करना और उसे अपनी प्रकृति से उत्तेजित कर पूर्णतया विकास करना सिखाती है।'' सरल शब्दों में ''अनौपचारिक शिक्षा जीवन से सम्बन्धित वे अनुभव हैं, जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था तथा साधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से सम्बन्धित होती है तथा जीवन-पर्यन्त चलती है।''

अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएँ (Characteristics of Informal Education)

अनौपचारिक शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

1. अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने चारों ओर के वातावरण, परिवार, पड़ोस एवं समाज आदि पर मूल रूप से निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि ये ही अनौपचारिक शिक्षा के मुख्य स्रोत हैं।
2. अनौपचारिक शिक्षा मनुष्य की अपने अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता पर निर्भर करती है तथा यह कष्टसाध्य तथा श्रमसाध्य नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा सुखद तथा मनोरंजनकारी होती है।

3. अनौपचारिक शिक्षा के लिए किन्हीं विशेष प्रयासों तथा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस शिक्षा को हम जीवन के लिए किए गए संघर्षों से स्वत: ही प्राप्त कर लेते हैं। जीवन के लिए हम जितना विस्तृत सामाजिक तथा भौगोलिक वातावरण प्राप्त करेंगे हमारे अनुभव उतने ही अधिक विस्तृत होंगे और उतनी ही अच्छी शिक्षा होगी।
4. अनौपचारिक शिक्षा स्वाभाविक जीवन से सम्बन्धित, सरल तथा प्राकृतिक रूप में होती है।
5. अनौपचारिक शिक्षा जीवनपर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि व्यक्ति जीवन भर अनुभव प्राप्त करता रहता है।
6. अनौपचारिक शिक्षा अभौतिक, मानवीय, भावनात्मक तथा संस्कृति प्रधान होती है। इस कारण अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व तथा जीवन को कहीं अधिक प्रभावित करती है।
7. अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति की मूल-प्रवृत्तियों तथा उसकी रुचि पर निर्भर करती है।

अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Informal Education)

अनौपचारिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं—

1. समूह में कार्य करने की भावना का विकास करना।
2. व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में समन्वय स्थापित करना।
3. शैक्षिक स्तर के उन्नयन हेतु शिक्षा के सार्वजनीकरण का विस्तार करना।
4. व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी आयामों, पहलुओं तथा क्षेत्रों को प्रभावित कर उन्हें एक निश्चित दिशा प्रदान करना।
5. भावी जीवन की उन्नति तथा समृद्धि हेतु तैयार करना।
6. बालक को स्वतन्त्र रूप से सीखने का अवसर प्रदान करना।
7. जीवनोपयोगी ज्ञान तथा अनुभव प्रदान करना एवं सभी को साक्षर करना।
8. स्वावलम्बन की भावना विकसित करना।
9. सफल जीवन व्यतीत करने की योग्यता का विकास करना।

अनौपचारिक शिक्षा का महत्त्व (Importance of Informal Education)

जनसंख्या का विशाल रूप, बढ़ता हुआ शिक्षा व्यय तथा औपचारिक शिक्षा की असफलता ने विश्व के शिक्षाशास्त्रियों का यह सोचने पर विवश कर दिया है कि वर्तमान औपचारिक शिखा के स्थान पर शिक्षा की किसी अन्य अवस्था की खोज की जाए। इसी कारण से अनौपचारिक शिक्षा पर उनकी दृष्टि पड़ी।

1. औपचारिक शिक्षा केवल कुछ ज्ञान प्रदान करती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा हमें जीवन के हर क्षेत्र से सम्बन्धित हर प्रकार का ज्ञान प्रदान करती है।
2. औपचारिक शिक्षा से कहीं अधिक अनौपचारिक शिक्षा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वह हमें इतने अनुभव प्रदान करती है कि वह मनुष्य के जीवन को ही एक शैली तथा दर्शन प्रदान कर देती है।
3. अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस कारण इसमें शिक्षा-व्यय कम होता है।
4. अनौपचारिक शिक्षा हमें वह ज्ञान तथा अनुभव प्रदान करती है जो हमारे जीवन में वास्तविक रूप से काम आता है। इसके अतिरिक्त औपचारिक शिक्षा हम जीवन के कुछ वर्षों तक (सामान्यतया विद्यार्थी जीवन तक ही) प्राप्त करते हैं जबकि अनौपचारिक शिक्षा जीवनपर्यन्त चलती है।

अनौपचारिक शिक्षा का योगदान (Contribution of Informal Education)

अनौपचारिक शिक्षा का शिक्षा में योगदान निम्नलिखित बिन्दुओं से स्पष्ट है—

1. इसके द्वारा औपचारिक शिक्षा की कमियों को दूर करना सम्भव हुआ है।
2. जनतांत्रिक व्यवस्था की व्यापक एवं अनिवार्य चुनौतियों का सामना करने में सहायक है।
3. भौगोलिक रूप से सुदूर क्षेत्रों के उन छात्रों को शिक्षा सुविधाएँ देने जिनके क्षेत्र में शैक्षिक सुविधाएँ सहजता से उपलब्ध नहीं है।
4. व्यक्तियों को उनके ज्ञान को नया करने एवं पूरा करने के लिए सुविधाएँ जुटाना।

TOUCH 'n' PASS

5. नगरों व ग्रामों में रहने वाले व्यक्तियों की शिक्षा के असन्तुलन को दूर किया है।
6. समाज के सामाजिक व आर्थिक पिछड़े वर्गों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने में सहायक है।
7. उन छात्रों के लिए अध्ययन की सुविधाएँ जुटाना जिनको आर्थिक या अन्य कठिनाइयों के कारण अपनी औपचारिक शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ी।
8. छात्रों को शिक्षा के साथ-साथ जीवनकोपार्जन की भी सुविधाएँ उपलब्ध हुई हैं।
9. प्रौढ़ निरक्षरता का उन्मूलन हुआ है।
10. प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक विस्तार सम्भव हुआ है।

अनौपचारिक शिक्षा के गुण (Merits of Informal Education)

1. अनौपचारिक शिक्षा बालक को सभ्यता, संस्कृति, नैतिकता, आचरण आदि का ज्ञान कराती है।
2. अनौपचारिक शिक्षा जीवनपर्यन्त व जीवन की हर अवस्था (बाल, युवा, प्रौढ़) में चलती रहती है।
3. यह शिक्षा वंचित, सुविधाहीन एवं अभावग्रस्त छात्रों के लिए अत्यन्त महत्तवपूर्ण एवं उपयोगी है।
4. अनौपचारिक शिक्षा, विद्यालय के बन्धन से स्वतन्त्र होती है।
5. स्वत: सीखना इस शिक्षा का आधार है।
6. यह शिक्षा 'स्वयं' करके सीखने पर बल देती है। इसलिए इसका ज्ञान स्थायी होता है।
7. यह शिक्षा धन, समय व श्रम की बचत करती है।
8. यह शिक्षा लक्ष्य प्रधान है, इसका सम्बन्ध वास्तविक जीवन से होता है।
9. अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा की कमी को पूरा करने में सहायक है।
10. इस शिक्षा का सम्बन्ध वास्तविक जीवन से होता है। यह छात्र को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करती है। अत: यह जीवनोपयोगी है।

अनौपचारिक शिक्षा के दोष (Demerits of Informal Education)

अनौपचारिक शिक्षा के दोष निम्नलिखित हैं—

1. अनौपचारिक शिक्षा में छात्र-शिक्षक का प्रत्यक्ष सम्बन्ध न हो पाने के कारण बालक पर स्व-अधिगम का उत्तरदायित्व अधिक हो जाता है, जिसके कारण उसकी असफलता की सम्भावना बढ़ जाती है।
2. इन साधनों के द्वारा शिक्षा प्रदान करने में प्राय: समय भी अधिक लगता है एवं शक्ति भी व्यर्थ नष्ट होती है। इससे शिक्षा की प्रक्रिया सुव्यवस्थित नहीं हो पाती है।
3. कभी-कभी इन साधनों के द्वारा बालक में ऐसे अवगुण भी विकसित हो जाते हैं जो स्वयं उसके एवं समाज दोनों के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
4. इन साधनों के द्वारा बालक को कला एवं कौशल की शिक्षा भी नहीं दी जा सकती है।
5. अनौपचारिक साधनों की कोई निश्चित योजना नहीं होती है। अत: केवल इन साधनों के द्वारा ही बालक को सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का ज्ञान नहीं दिया जा सकता है।
6. जैसा कि पहले ही बताया गया है कि बिना किसी शिक्षक के बालक स्वयं सब कुछ नहीं सीख सकता है।
7. यह शिक्षा कभी-भी औपचारिक शिक्षा का स्थान नहीं ले सकती है।
8. इस शिक्षा में नियम, व्यवस्था, योजना का अभाव रहता है।

प्र.5. अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरणों का विस्तृत वर्णन कीजिए।
Give a detailed description of agancies of informal education.

उत्तर

अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण
(Agencies of Informal Education)

अनौपचारिक अभिकरण वे संस्थाएँ हैं जो अपने पूरे जीवन में अप्रत्यक्ष एवं निरन्तर रूप से व्यक्तियों पर एक शिक्षाप्रद प्रभाव डालती हैं। उन्हें व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने वाली अप्रत्यक्ष अभिकरण कहा जाता है। यहाँ पर व्यक्तियों को

अनौपचारिक एवं अनजाने में शिक्षा प्रदान की जाती है। इन अभिकरणों में सभी औपचारिकताओं, नियमों, प्रणालीकरण, पूर्व-नियोजन, पूर्व-निर्धारण या प्रशिक्षण का अभाव होता है। यहाँ शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई विशेष स्थान नहीं होता है। व्यक्ति अपनी पहल एवं प्रयासों से संयोगवश एवं स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा की अभिकरणों में परिवार, समुदाय, राज्य, सामाजिक, सभा, खेल-मैदान, संघ, धार्मिक समारोह, भीड़, बाजार स्थान, सिनेमा घर, समाचार-पत्र, मेलों, प्रदर्शनियों, रेडियों, टेलीविजन, सार्वजनिक बैठक, क्षेत्र यात्रा शामिल हैं।

1. **परिवार**—परिवार मानव समाज की सबसे पुरानी एवं बुनियादी इकाई है। परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला या प्रथम विद्यालय भी कहा जाता है। इसीलिए इसे शिक्षा का प्राथमिक एजेंट माना जाता है। परिवार में प्राप्त शिक्षा बालक को उसके सम्पूर्ण शिक्षा का आधार प्रदान करती है।

   परिवार के उद्देश्य कार्य एवं भूमिका—

   (i) परिवार का मूल उद्देश्य बच्चों के लिए एक प्यार भरा सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है एवं बालक को प्रारंभिक शारीरिक प्रशिक्षण प्रदान करता है।

   (ii) यह मानसिक विकास का समर्थन करता है एवं आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करता है एवं विद्यालय के साथ सहयोग कर सकता है।

   (iii) यह बालक का समाजीकरण करता है एवं बालक को प्रेरित करता है साथ ही चरित्र निर्माण में सहायता करता है।

   (iv) यह भविष्य में अधिगम के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है।

2. **समुदाय**—परिवार के बाद बालक की शिक्षा की द्वितीय सीढ़ी समुदाय होता है। समुदाय से तात्पर्य एक ऐसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समूह से है जो काम करने के सामान्य तरीके और सामान्य आदर्शों को प्राप्त करते हैं। समुदाय शिक्षा का एक अनौपचारिक और सक्रिय अभिकरण है जो व्यक्ति के शैक्षिक विकास पर स्थायी प्रभाव डालती है। बालक समुदाय के सम्पर्क में आकर अनेक बातों को सीखता है। शिक्षा के साधन के रूप में समुदाय विद्यालयों की स्थापना करता है व शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण भी करता है।

   समुदाय के उद्देश्य, कार्य एवं भूमिका—

   (i) समुदाय, संस्थानों के माध्यम से बच्चों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करता है एवं शिक्षा के उद्देश्य तैयार करता है।

   (ii) वे विभिन्न समानांतर अभिकरणों के शैक्षिक प्रयासों को प्रोत्साहित करते हैं एवं उनमें समन्वय स्थापित करते हैं।

   (iii) बच्चे का समाजीकरण करता है एवं सांस्कृतिक विकास हेतु सहायता करता है। यह सीखने वाले के व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करता है।

3. **मास मीडिया**—किसी भी वस्तु को संप्रेषित करने के लिए जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले साधनों का मास मीडिया कहा जाता है। जैसे समाचार, पत्रिकाएँ, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एवं इंटरनेट आदि ऐसे स्रोत हैं जो बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचते हैं और प्रभावित करते हैं। दूरदर्शन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ शिक्षा का भी महत्त्वपूर्ण साधन है।

   मास मीडिया के उद्देश्य, कार्य एवं भूमिका—टेलीविजन शैक्षिक प्रसारण के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम की सेवा कर सकता है—

   (i) विश्वव्यापी वेब, शिक्षक एवं सुदूर स्थानों में बैठे सिखाए गए लोगों के मध्य पारस्परिक क्रिया करते हैं। सांस्कृतिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाने में सहायता करता है। बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं सौंदर्य विकास में सहायता करता है।

   (ii) बच्चों को अपनी कल्पना को समृद्ध करने में सहायता करता है, उनकी रचनात्मकता को प्रज्जवलित करता है साथ ही उन्हें उत्साहपूर्वक चिन्तन के लिए प्रोत्साहित करता है। भाईचारे की भावना, एकता, सहयोग एवं लोकतांत्रिक मूल्यों आदि एवं सामाजिक व राजीनतिक मूल्यों को विकसित करने में सहायता करता है।

   (iii) समाचार पत्र कई क्षेत्रों के बारे में अद्यतन (अप-टू-डेट) जानकारी प्रदान करके एवं शिक्षा के अवसरों के विषय में जानकारी प्राप्त करके अपने शैक्षिक कार्य का निवर्हन करता है।

TOUCH 'n' PASS

4. **साथी समूह**—एक सहकर्मी समूह ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिनकी आयु कम या अधिक होती है। यह मित्रों का एक समूह है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति अपने बंधन, सामाजिक स्थिति एवं रुचि को प्राप्त करने के लिए या तो प्रभावित होगा या प्रभावित करने का प्रयास करेगा।

साथी समूह के उद्देश्य, कार्य एवं भूमिका—

(i) साथी समूह के द्वारा व्यक्ति का समाजीकरण होता है एवं संतुलित व्यक्तित्व विकास में सहायता करता है। यह मानसिक विकास को सुविधाजनक बनाता है। यह सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है।

(ii) यह नेतृत्व के गुणों को विकसित करता है। प्रतिभा और रचनात्मक क्षमता का विकास करता है। यह शारीरिक विकास का पक्षधर है। साथी समूह संस्कृति के हस्तान्तरण में सहायक होते हैं।

5. **पुस्तकालय एवं वाचनालय**—पुस्तकालय एवं वाचनालय अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन हैं। ये संचित ज्ञान के भण्डार के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इनमें उपलब्ध पुस्तकों के माध्यमों से मनुष्य अथाह ज्ञान को ग्रहण कर सकता है और अपने ज्ञानकोष में वृद्धि कर सकता है। इनमें उपलब्ध विभिन्न, पुस्तकों, पत्रिकाओं, उपन्यासों आदि का अध्ययन करके व्यक्ति अपना शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास हेतु ज्ञान प्राप्त कर सकता है।

6. **स्काउटिंग और गर्ल-गाइडिंग**—शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्र एवं छात्राओं को सामाजिक एवं नैतिक विकास करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्काउटिंग और गर्ल-गाइडिंग उपयुक्त अभिकरण हैं। बालकों को प्रकृति के सम्पर्क में लाकर उनका शारीरिक एवं सामाजिक विकास किया जाता है। प्रकृति के सम्पर्क में आने से बालकों में शारीरिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास स्वत: ही होता रहता है।

स्काउटिंग और गर्ल-गाइडिंग के उद्देश्य, कार्य एवं भूमिका—

(i) स्काउटिंग और गर्ल-गाइडिंग के उद्देश्य, समाज हित में कार्य करना है।

(ii) आपस में बन्धुत्त्व की भावना रखते हुए परावलम्बन एवं सहयोग से कार्य करने की शिक्षा देना।

(iii) सर्वसाधारण के हित ध्यान में रखते हुए अपने कर्त्तव्य का पूर्णतया पालन करना। सत्यवादिता, सहानुभूतिपूर्ण, संवेदनशील, देशभक्त, कर्त्तव्य-परायण, आज्ञा-पालक, दयालु एवं सहनशीलता जैसे गुणों को विकास करना।

7. **राज्य**—राज्य शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करना राज्य का प्रमुख कर्त्तव्य है क्योंकि अच्छी शिक्षा द्वारा ही एक अच्छे राज्य का निर्माण किया जा सकता है।

8. **संग्रहालय**—संग्रहालय में बालक विभिन्न विषयों से सम्बन्धित वस्तुओं का अवलोकन करके ज्ञान प्राप्त करता है। इन विषयों (इतिहास, जीव शास्त्र, भूगर्भशास्त्र कला इत्यादि) के साथ-साथ बालक अपनी संस्कृति और सभ्यता से सम्बन्धित वस्तुओं का अवलोकन संग्रहालय में कर सकता है। संग्रहालय में इन सब विषयों से सम्बन्धित वस्तुओं को सहेज (सम्भाल) कर रखा जाता है जिसे बालक देखकर एवं छूकर उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं।

प्र.6. निरौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौपचारिक तथा निरौपचारिक शिक्षा में अन्तर लिखिए।
What is non-formal education? Write the differences between informal and non-formal education.

***अथवा* औपचारिकेत्तर शिक्षा से क्या अभिप्राय है?** **[2021]**

***Or* What is meant by non-formal education?**

उत्तर

निरौपचारिक शिक्षा
(Non-formal Education)

शिक्षा स्वरूप के दो विषम रूप — औपचारिक तथा अनौपचारिक हैं। इनमें औपचारिक स्वरूप पूर्ण नियन्त्रणवादी है जिसमें शिक्षा के हर पहलू पर नियन्त्रण होता है। इसमें कक्षा-कक्ष, प्रवेश, पाठ्यचर्या, शिक्षण-विधि, अनुशासन, परीक्षा, स्थान, आयु एवं योग्यता आदि सभी नियन्त्रित होते हैं। शिक्षा का दूसरा रूप अनौपचारिक शिक्षा है जिसमें सभी कुछ पूर्ण रूप से अनियन्त्रित है। इसमें न कक्षा-कक्ष, न पाठ्यचर्या, न परीक्षा और न ही अनुशासन आदि हैं। वर्तमान में इन पूर्ण नियन्त्रित तथा अनियन्त्रित स्वरूपों के बीच एक नया रूप शिक्षाविदों ने विकसित किया है। शिक्षा के इस नये स्वरूप को निरौपचारिक शिक्षा (Non-Formal

Education) के नाम से जाना जाता है। निरौपचारिक शिक्षा न तो पूर्णरूपेण अनियन्त्रित है जैसा कि अनौपचारिक शिक्षा होती है और न ही पूर्णरूपेण नियन्त्रित है जैसा कि औपचारिक शिक्षा होती है। निरौपचारिक शिक्षा में नियन्त्रण के साथ अनियन्त्रण भी होता है अर्थात् शिक्षार्थी जहाँ कई क्षेत्रों में पूर्ण नियन्त्रित रहता है, वही साथ ही साथ कई अन्य क्षेत्रों में अनियन्त्रित भी रहता है।

उदाहरण के लिए—

(i) निरौपचारिक शिक्षा में आयु, स्थान, शिक्षण-विधि आदि के क्षेत्र में विद्यार्थी पर कोई बन्धन नहीं होता है किन्तु पाठ्यचर्या, परीक्षा जैसे क्षेत्र में नियन्त्रण होता है।

(ii) खुले विश्वविद्यालय, पत्राचार, पाठ्यचर्या द्वारा दी जाने वाली शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा है क्योंकि इसमें शिक्षा का एक निश्चित पाठ्यचर्या तथा परीक्षा की भी व्यवस्था है। यह शिक्षा का नियन्त्रित पक्ष है किन्तु छात्र की पूर्व योग्यता, स्थान, आयु आदि के सम्बन्ध में इसका कोई नियन्त्रण नहीं है। यह शिक्षा का अनौपचारिक पक्ष है। संक्षेप में निरौपचारिक शिक्षा एक प्रकार से औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के कुछ पक्षों को मिलकर बनाई गई है। इसे इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं—

निरौपचारिक शिक्षा (N.E.) = औपचारिक शिक्षा (F.E.) + अनौपचारिक शिक्षा (I.E.)

निरौपचारिक शिक्षा के लाभ (Advantages of Non-formal Education)

निरौपचारिक शिक्षा के पक्षधर निरौपचारिक शिक्षा के लाभों का उल्लेख इस प्रकार करते हैं—

1. निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा पर बढ़ते हुए राजकीय व्यय तथा प्रतिछात्र व्यय को कम करने में सहायक है।
2. निरौपचारिक शिक्षा बढ़ती हुई जनसंख्या की शिक्षा सम्बन्धी बढ़ती हुई माँग को सरलता के साथ पूरा कर सकती है।
3. निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा के घुटनपूर्ण तथा बन्धनयुक्त वातावरण से विद्यार्थी को मुक्ति दिलाती है।
4. निरौपचारिक शिक्षा में भी एक निश्चित पाठ्यचर्या होती है। इस कारण छात्र व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाने में समर्थ रहता है।
5. निरौपचारिक शिक्षा में परीक्षा की व्यवस्था के कारण शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करते रहते हैं।
6. निरौपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के समान मापन के अयोग्य नहीं है। इसका मापन किया जा सकता है।
7. निरौपचारिक शिक्षा का एक निश्चित उद्देश्य होता है।
8. इससे उन दुरूह, निर्गम तथा जटिल स्थानों में रहने वाले भी सरलता से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं जहाँ अनेक कारणों से औपचारिक शिक्षा ग्रहण करना सम्भव नहीं होता है।
9. निरौपचारिक शिक्षा का स्वरूप अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित होता है।
10. इस शिक्षा में आयु, स्थान, जाति, लिंग, धर्म, योग्यताएँ आदि का बन्धन न होने से शिक्षा ग्रहण करने में सुविधा रहती है।

अनौपचारिक तथा निरौपचारिक शिक्षा में अन्तर
(Differences between Informal and Non-formal Education)

क्र०सं०	अन्तर के आधार	अनौपचारिक शिक्षा	निरौपचारिक शिक्षा
1.	पाठ्यचर्या	इस शिक्षा में किसी भी प्रकार का पाठ्यचर्या नहीं होती है।	इस शिक्षा में निश्चित पाठ्यचर्या होती है।
2.	क्षेत्र	अनौपचारिक शिक्षा में छात्रों पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं होता है।	निरौपचारिक शिक्षा में छात्रों पर कुछ क्षेत्रों में नियन्त्रण होता है।
3.	मापन	अनौपचारिक शिक्षा में न तो मापन सम्भव है और न मापन की व्यवस्था है।	निरौपचारिक शिक्षा में मापन संभव है तथा इसमें मापन की व्यवस्था भी होती है।
4.	संस्था	अनौपचारिक शिक्षा न तो व्यवस्थित होती है और न इसकी व्यवस्था करने वाली कोई विधिवत् संस्था है।	यह शिक्षा व्यवस्थित तथा सचेष्ट होती है। इसकी व्यवस्था करने वाली कोई एक संस्था होती है।
5.	साधन	अनौपचारिक शिक्षा के साधन सीमित नहीं है।	निरौपचारिक शिक्षा के साधन सीमित हैं।

❑

UNIT-IV

भारतीय संविधान एवं शिक्षा
Indian Constitution and Education

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. लोकतन्त्र से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by democracy?

उत्तर लोकतन्त्र से आशय है—लोगों की शक्ति अर्थात् जनता का शासन। लोकतन्त्र एक सामाजिक संगठन है। यह सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक समानता पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

प्र.2. शिक्षा के त्रिविध कार्य लिखिए।
Write the triple works of education.

उत्तर शिक्षा के त्रिविध कार्य निम्नलिखित हैं—

1. संरक्षण 2. संचरण 3. प्रगति

प्र.3. भारत में पाए जाने वाले संवैधानिक मूल्य लिखिए।
Write the constitutional values found in India.

उत्तर भारत में पाए जाने वाले संवैधानिक मूल्य—सम्प्रभुता, पंथनिरपेक्षता, लोकतन्त्र, समाजवाद, भारत राज्य की गणतान्त्रिक प्रकृति, न्याय, समानता, बन्धुता, स्वतन्त्रता, मानवीय गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखण्डता है।

प्र.4. किसी देश या राष्ट्र में संविधान की क्या उपयोगिता है?
What is the utility of constitution in a country or a nation?

उत्तर किसी भी देश या राष्ट्र का संविधान विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह कुछ ऐसे आदर्शों को निर्धारित करता है, जो ऐसे देश का आधार बनते हैं जिसमें हम नागरिकों की तरह बने रहने की आकांक्षा रखते हैं।

प्र.6. संविधान के अनुच्छेद 30 को समझाइए।
Explain Article 30 of the constitution.

उत्तर संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसन्द की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देता है।

प्र.7. संविधान के अनुच्छेद 21ए के बारे में आप क्या जानते हैं? **[2021]**
What do you know about Article 21A?

उत्तर संविधान के अनुच्छेद 21ए अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है।

प्र.8. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से आपका क्या तात्पर्य है?
What do you understand by District Primary Education Program?

उत्तर केन्द्रीकृत रूप से प्रवर्तित विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त यह अधिनियम सन् 1993 में प्रारम्भ किया गया। जिला स्तर के हस्तक्षेप के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राप्त करने के लिए यह एक राष्ट्रीय पहल थी।

TOUCH 'n' PASS

प्र.9. ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड से आपका क्या अभिप्राय है?
What do you mean by Operation Blackboard?

उत्तर ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड एक केन्द्रीकृत प्रवर्तित योजना है। यह योजना प्रारम्भिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए पहले से ही स्थापित विद्यालयों में अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सन् 1987 में शुरू की गई।

प्र.10. 'सर्वशिक्षा अभियान' से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by '*Sarv Shiksha Abhiyan*'?

उत्तर सर्वशिक्षा अभियान सन् 2002 में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों के साथ सहभागिता में समयबद्ध समेकित उपागम के माध्यम से शुरू की गई।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संक्षेप में समझाइए।
Explain the preamble of the Indian Constitution in brief.

उत्तर प्रस्तावना किसी भी संविधान से जुड़ा हुआ एक सर्वोत्तम आभूषण होता है। यह संविधान की आत्मा, कुंजी तथा मानदण्ड होती है। इसके आधार पर सम्पूर्ण संविधान का मूल्यांकन किया जाता है। यह भारत के सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य का संक्षिप्त रूप, किन्तु, सारपूर्ण घोषणा पत्र है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न प्रकार है—"हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार-अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर, 1949 (नीति मार्गशीर्ष शुक्ल नवमी संवत् 2006 विक्रमी) को एतद् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं।"

इस प्रकार, संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट होता है कि वह भारतीय नागरिकों में प्रेम, विश्वास, भाईचारा, और समानता आदि की भावना विकसित करना चाहता है जो व्यक्ति के सम्मान तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता की रक्षा के प्रति आश्वस्त करे। संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। 42वें संविधान के संशोधन के अन्तर्गत इसमें समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया है। 'पंथनिरपेक्ष' से तात्पर्य यह है कि कोई राज्य किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं प्रदान करेगा। समाजवादी से आशय है कि शासन सभी भारतीय नागरिकों के उत्तम जीवन के लिए समाजवादी नीति को आत्मसात् करे। संविधान ने भारत को प्रभुसत्ता सम्पन्न, समाजवादी व पंथनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया है।

प्रजातांत्रिक का अर्थ है, जनता द्वारा शासन अर्थात् शासन व्यवस्था जनता द्वारा चुने गए प्रनिधियों द्वारा चलाया जाएगा। गणराज्य से तात्पर्य है, सर्वोच्च सत्ता उस व्यक्ति में सन्निहित होगी जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया हो।

प्र.2. बालकों के लिए नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा को स्पष्ट कीजिए।
Make clear free and compulsory education for children.

उत्तर संविधान के अनुच्छेद 45 में पहले यह निर्देशित था कि राज्य संविधान का प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की अवस्था तक नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा लेकिन 86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद रखा गया। यह अनुच्छेद यह उपबन्धित करता है कि, "राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के पूर्व बाल्यकाल की देखरेख व शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए उपबन्ध करेगा।"

अनुच्छेद 45 में संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि नए अनुच्छेद 21(क) द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को एक मूल अधिकार बना दिया गया क्योंकि 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा

देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है लेकिन उच्च शिक्षा के मामले में यह अधिकार राज्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करेगा।

प्र.3. शिक्षा का राष्ट्रीय वृद्धि और विकास को पोषित करने में क्या योगदान है?
What is role of education in national growth and education?

उत्तर शिक्षा के त्रिविध कार्य; जैसे—संरक्षण, संचरण और प्रगति—लोगों को इस योग्य बनाते हैं कि वे विकास की प्रक्रिया में बहुमूल्य योगदान कर सकें और भावी पीढ़ी के लिए वांछित सामाजिक ढाँचे को सुरक्षित रखने में हमारी सहायता कर पाएँ। इसके अलावा गतिशील और दूरदर्शी बनने तथा नये ढाँचे को अपनाने के लिए हमें प्रेरित करती है। इस सन्दर्भ में **स्टोर्ड** के अनुसार, "शिक्षा है, अथवा हो सकते हैं, समाजों के अनुरक्षण की यान्त्रिकी (क्रियाविधि) से अधिक; यह उनकी वृद्धि (विकास) का एक साधन है।" **चार्ल्स जॉनसन** के अनुसार "संचरण की प्रक्रिया से अधिक" के रूप में माना और वे अनुभव करते हैं कि "यह लोगों की कायापलट (परिवर्तन) करने में सहायता करती है।" शिक्षा समाजों को अवसर और अनुभव प्रदान कर उनमें परिवर्तन ला सकती है जिसके द्वारा लोगों के साथ समायोजन करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। वे एक बेहतर भविष्य के लिए सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के निर्धारण और दिशा-निर्देश के योग्य भी हो सकते हैं।

राष्ट्र को चहुँमुखी विकास करने और इसकी पहचान बनाने में शिक्षा के व्यापक कार्यक्षेत्र और प्रकार्यों को समझने में, शिक्षा पद्धति को एक उत्प्रेरक अभिकर्त्ता की तरह अग्रलिखित के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देख सकते हैं—

1. मानव संसाधन विकास,
2. सामाजिक नियन्त्रण को प्रयोग (उपभोग) करने और बरकरार रखने
3. ऊर्ध्व सामाजिक गतिशीलता को प्रेरित करने और
4. सामाजिक प्रगति को सहज बनाने।

समाज और शिक्षा के मध्य सही सम्बन्ध स्थापित करना गतिशील सामाजिक परिदृश्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महत्त्वपूर्ण माना जाता है। भारत का संविधान देश में शैक्षिक प्रचालन को बढ़ावा देने, कार्यान्वित करने और नियन्त्रित करने के लिए शिक्षा और समाज के बीच आवश्यक रूपरेखा और दिशा-निर्देश प्रदान कर अन्त: सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रयत्न करता है।

प्र.4. शिक्षा से सम्बन्धित राज्य के दो नीति-निदेशक तत्त्व लिखिए।
Write the two directive principles of state policy related to education.

उत्तर शिक्षा से सम्बन्धित राज्य के दो नीति निदेशक तत्त्व निम्न प्रकार हैं—

(i) संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार, यह प्रबन्ध किया गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता की सीमा के अन्दर ऐसी व्यवस्था करे, जिससे सब व्यक्तियों को योग्यतानुसार काम मिल सके, शिक्षा मिल सके और वृद्धावस्था में तथा बीमारी के समय में राज्य उनकी सहायता कर सके। इन अनुच्छेद के अनुसार राज्य का यह कर्त्तव्य होती है कि वह समस्त लोगों को काम दें, शिक्षा दे तथा आवश्यकतानुसार जनता की सहायता करे। प्रत्येक नवीन संविधान को प्रजातन्त्रात्मक स्वरूप देने के लिए ये आवश्यकताएँ महत्त्वपूर्ण हैं इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना आज के प्रगतिशील युग में राज्य का पवित्र कर्त्तव्य होना चाहिए।

(ii) संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य संविधान लागू होने से दस वर्ष की अवधि के अन्दर 14 वर्ष क आयु तक के सभी शिशुओं के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। इस व्यवस्था से गरीब लोगों के बच्चे भी आठवीं श्रेणी तक की शिक्षा नि:शुल्क प्राप्त कर सकेंगे, जिससे कुछ समय के बाद भारत में निरक्षरता या अशिक्षा का अन्त हो जाएगा।

प्र.5. शिक्षा का संवैधानिक स्वरूप संक्षेप में समझाइए।
Describe the constitutional form of education in brief.

उत्तर भारत के प्रसिद्ध शिक्षा-कानूनविद **डॉ० सिंघवी** ने शिक्षा को समवर्ती सूची में सन्निहित करने का प्रस्ताव रखा थ। **श्री एम०सी० छागला** के शब्दों में, "शिक्षा को राज्य का विषय बनाकर संविधान निर्माताओं ने भूल की है।"

डॉ० पी०वी० लुल्ला के अनुसार—"सबसे महत्त्वपूर्ण संकेत संविधान की प्रस्तावना से मिलता है, जिससे नागरिकों को हर प्रकार का न्याय, विचार, कार्य, स्वातन्त्र्य, समानता और भ्रातृत्व प्राप्त होगा। प्रश्न यह है कि पाठशालाओं एवं उच्च-शिक्षा संस्थाओं ने इस सम्बन्ध में क्या किया है? कौन-से परिवर्तन किए हैं, जिनसे उपर्युक्त सूत्रों का प्रचार हो अथवा उनके आधार पर विद्यार्थियों का गठन हो।"

शिक्षा के संवैधानिक स्वरूप की विवेचना करते हुए **कोठारी कमीशन** ने कहा था—"हमने समस्या का गहन अध्ययन किया है। हम समस्या को विभाजित करके एक भाग समवर्ती तथा दूसरा राज्य सूची में नहीं रखना चाहते हैं। शिक्षा को सदैव एक रूप में ही समझना चाहिए।"

शिक्षा को केन्द्रीय एवं समवर्ती सूची में रखकर संविधान निर्माताओं ने एक सन्तुलित एवं तार्किक व्यवस्था प्रदान करने का प्रयास किया था, जिससे संघ एवं राज्य के अतिक्रमण से बच सकें तथा संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास किए जा सकें लेकिन बीते पाँच दशकों में व्यावहारिक राजनीति से ये संवैधानिक महत्त्वाकांक्षाएँ पूर्णत: फलीभूत नहीं हो पायी हैं। प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता से लेकर हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में ढालने तक कोई काम नहीं हुआ। अनुसूचित वर्गों की शिक्षा, राष्ट्रीय नीतियों के क्रियान्वयन आदि असफल रहे हैं।

प्र.6. शिक्षा को भारतीय संविधान में प्राथमिकता क्यों दी गई है?
Why has education been given priority in Indian Constitution?

उत्तर स्वतन्त्रता प्राप्त होने के समय हमारे देश में निरक्षरता पर्याप्त मात्रा में की थी। उस समय स्वतन्त्रता के नये युग की चुनौतियों एवं माँगों की पूर्ति के लिए कुशल मानवशक्ति की भी बहुत कमी थी। सन् 1947 में, सम्पूर्ण जनसंख्या का केवल 14 प्रतिशत ही साक्षर था और तीन में से केवल एक बच्चा ही प्राथमिक विद्यालय में नामांकित था। देश के प्रशिक्षित तकनीकी और वैज्ञानिक कार्मिकों की अत्यधिक कमी थी जो देश के पुनर्निर्माण के अतिविशाल कार्य में लग सकें। भारत में असमानता, निरक्षरता और अनभिज्ञता की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए नवोत्पादक क्षमताओं का विकास करके मानव संसाधन के निकाय को बड़ा करने की शीघ्र आवश्यकता हुई थी। अपने सभी नागरिकों को स्वतन्त्रता और सामाजिक न्याय का लाभ सुनिश्चित किया जाना भी अनिवार्य था। यह सब केवल तभी सम्भव था जब एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया जाए और इसे मजबूत किया जाए इसलिए शिक्षा को भारतीय संविधान में प्राथमिक महत्त्व दिया गया।

प्र.7. पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों की शिक्षा हेतु क्या संवैधानिक प्रावधान हैं? **[2021]**
Which constitutional provisions are there for the education backward classes and minorities?

उत्तर 1. **पिछड़े वर्ग की शिक्षा**—पिछड़े वर्ग की शिक्षा से सम्बन्धित संवैधानिक अनुच्छेद व उनमें कही गयी बातें निम्न प्रकार हैं—

(i) **अनुच्छेद 17**—अस्पृश्यता निवारण व किसी भी रूप में अस्पृश्यता का प्रयोग वर्जित है।

(ii) **अनुच्छेद 24**—14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को किसी फैक्ट्री, खान या अन्य खतरनाक रोजगार में कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

(iii) **अनुच्छेद 23**—मनुष्यों के क्रय-विक्रय व बेगार पर रोक लगी रहेगी।

(iv) **अनुच्छेद 15**—हिन्दुओं के सभी सार्वजनिक धार्मिक संस्थानों के द्वार पिछड़े वर्गों के लिए खुले रहेंगे।

(v) **अनुच्छेद 16 व 335**—राज्यों को सार्वजनिक सेवाओं में स्थान आरक्षित करने की छूट रहेगी।

(vi) **अनुच्छेद 46**—पिछड़े वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों के उन्नयन तथा उन्हें समाजिक अन्याय व सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा मिलेगी।

2. **अल्पसंख्यकों की शिक्षा**—संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार, अल्पसंख्यक समुदाय को मनपसन्द शैक्षिक संस्थाएँ स्थापित करने व उनका प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है तथा अनुदान देते समय इन विद्यालयों के साथ इस कारण भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि वे धार्मिक समुदाय द्वारा संचालित हैं।

प्र.8. भारतीय संविधान में कृषि एवं धार्मिक शिक्षा हेतु क्या प्रावधान किया गया है?
What provisions have been made in the Indian Constitution for agricultural and religious education?

उत्तर 1. **कृषि शिक्षा**—संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुसार, यदि राज्य चाहे तथा यदि यह उत्तरदायित्व को स्वीकार करने में सक्षम हो तो वह आधुनिक व वैज्ञानिक दृष्टि से कृषि व पशुपालन का संगठन करने, नस्लों का संरक्षण व सुधार करने हेतु कदम उठा सकता है।

2. **धार्मिक शिक्षा**—संविधान की इक्कीसवें अनुच्छेद के अनुसार किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए कर या दान देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 28(1) के अन्तर्गत पूरी तरह राज्य के धन से चलने वाली किसी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 22(2) के अन्तर्गत सहायता प्राप्त या राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के किसी सदस्य को उस संस्था द्वारा चलाए जा रहे किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 28 के अनुसार, अन्य धर्मों के अनुयायियों को उनकी सहमति के बिना धार्मिक अनुदेशन नहीं देना चाहिए।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. भारतीय संविधान की प्रकृति एवं मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
Mention the nature and main characteristics of the Indian Constitution.

उत्तर

भारतीय संविधान की प्रकृति एवं मुख्य विशेषताएँ
(Nature and Main Characteristics of Indian Constitution)

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. **लोकतन्त्रात्मक गणराज्य**—संविधान द्वारा भारत में एक लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की स्थापना की गई है। लोकतन्त्रात्मक शब्द का अभिप्राय यह है कि सरकार की शक्ति का स्रोत जनता में निहित है, क्योंकि लोकतन्त्रात्मक सरकार जनता की जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित होती है। सरकार की स्थापना जनता के द्वारा प्रदत्त व्यस्क मताधिकार द्वारा की जाती है। गणराज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है, जहाँ शासनाध्यक्ष वंशानुगत न होकर जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। ब्रिटेन जैसे विश्व के कुछ ऐसे लोकतन्त्रात्मक राज्य हैं, जहाँ राज्य का प्रधानवंशानुगत होता है, लेकिन भारत एक लोकतन्त्रतात्मक राज्य होने के साथ-साथ एक गणराज्य भी है। भारत को राष्ट्रमण्डल की सदस्यता भी प्रदान की गई है। राष्ट्रमण्डल की सदस्यता के कारण अनेक व्यक्तियों का मत है कि राष्ट्रमण्डल के सदस्य राज्यों द्वारा ब्रिटिश सम्राट को अपने प्रधान के रूप में स्वीकार करने का प्रावधान है। अत: भारत के गणतन्त्र होने पर सन्देह किया जाता है। वास्तव में भारत राज्य की प्रभुत्व-सम्पन्नता या उसका गणतन्त्रात्मक स्वरूप राष्ट्रमण्डल की सदस्यता से अप्रभावित है। **श्री एम० रामास्वामी के अनुसार,** सम्राट राष्ट्रमण्डल का प्रधान अवश्य है, किन्तु यह प्रधान पद केवल औपचारिक है और इसका संवैधानिक महत्त्व बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार राष्ट्रमण्डल का सदस्य होते हुए भी भारत सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य है।
2. **सम्प्रभुता**—भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित संविधान है अर्थात यह शक्ति भारतीय जनता को ही प्रदान की गई है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि, हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर, 1949 ई० एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम के द्वारा यह घोषित किया गया कि 15 अगस्त, 1947 से भारत ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं रहा। ब्रिटिश सरकार और संसद का भारत के प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व समाप्त कर दिया गया और भारत एक प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र बन गया।

   इस प्रकार भारत का संविधान ब्रिटिश संसद की देन नहीं है वरन् भारत के लोगों ने एक प्रभुता सम्पन्न संविधान सभा में समवेत अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसे स्वीकार किया है। भारतीय संविधान में अंतिम शक्ति जनता को प्रदान की गई

है अर्थात् प्रभुसत्ता जनता में निहित है किसी व्यक्ति विशेष में नहीं। प्रभुता सम्पन्न का तात्पर्य यह है कि राष्ट्र/देश अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि या समझौते को स्वीकार करने या न करने के लिए बाध्य नहीं होता।

3. **धर्मनिरपेक्षता**—संविधान में धर्मनिरपेक्षकता की अवधारणा यह है कि पंथ, जाति या सम्प्रदाय के आधार पर किसी भी पंथानुयायी से कोई भेद-भाव नहीं किया जाएगा। किसी भी धर्म को राजधर्म नहीं माना जाएगा, न ही उसे कोई संरक्षण अथवा प्राथमिकता दी जाएगी। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़कर इस परिप्रेक्ष्य में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य यह है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे तथा राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलम्बियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म का विरोधी नहीं होता और न ही धर्म के प्रति उदासीन ही रहता है, बल्कि उसके द्वारा धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति को अपनाया जाता है।
4. **लिखित एवं कौशल संविधान**—भारतीय संविधान का निर्माण एक विशेष संविधान द्वारा किया गया और इस संविधान की अधिकांश बातें लिखित रूप में हैं। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान, अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। जबकि ब्रिटेन और इजरायल का संविधान अलिखित है।

   भारतीय संविधान केवल एक संविधान नहीं है वरन् देश की संवैधानिक और प्रशासनिक पद्धति के महत्त्वपूर्ण पहलुओं से सम्बन्धित एक विस्तृत संहिता भी है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे और इसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। (इसमें पश्चात्वर्ती संशोधनों द्वारा वृद्धि की गई) बहुत-से उपबन्धों का निरसन करने के पश्चात् भी इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। 1950-1993 के बीच की अवधि में बहुत से अनुच्छेदों का लोप कर दिया गया है।
5. **संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय**—ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में सांसद को सर्वोच्च तथा प्रभुतासम्पन्न माना गया है। इसकी शक्तियों पर सिद्धान्त के रूप में कोई अवरोध नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है। किन्तु अमेरिका प्रणाली में, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है क्योंकि उसे न्यायिक पुनरीक्षण तथा संविधान के निर्वचन की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि संविधान में ब्रिटेन की संसदीय प्रभुसत्ता तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य का मार्ग अपनाया गया है। ब्रिटेन में व्यवस्थापिका सर्वोच्च है और ब्रिटिश पार्लियामेन्ट द्वारा निर्मित कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके विपरीत अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धान्त को अपनाया गया है, जिसका तात्पर्य है कि न्यायालय संविधान का रक्षक और अभिभावक है। किन्तु भारतीय संसद तथा उच्चतम न्यायालय, दोनों अपने-अपने क्षेत्र में सर्वोच्च हैं। जहाँ उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा पारित किसी कानून को संविधान का उल्लंघन करने वाला बताकर संसद के अधिकार क्षेत्र से बाहर, अवैध और अमान्य घोषित कर सकता है, वहीं संसद कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन कर सकती है।
6. **संसदीय शासन प्रणाली**—भारत का संविधान भारत के लिए संसदीय प्रणाली की शासन व्यवस्था का प्रावधान करता है। हालांकि भारत एक गणराज्य है और उसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है किन्तु यह मान्यता है कि अमरीकी राष्ट्रपति के विपरीत भारतीय राष्ट्रपति कार्यपालिका का केवल नाममात्र का या संवैधानिक अध्यक्ष होता है। यह यथार्थ राजनीतिक कार्यपालिका यानि मन्त्रिपरिषद की सहायता तथा उसके परामर्श से ही कार्य करता है। भारत के लोगों को 1919 और 1935 के भारतीय शासन अधिनियमों के अन्तर्गत संसदीय शासन का अनुभव था और फिर अध्यक्षीय शासन प्रणाली में इस बात का भी डर था कि कहीं कार्यपालिका अपनी निश्चित पदावधि के कारण निरंकुश न हो जाए। अत: संविधान सभा ने विचार-विमर्श करके यह निर्णय लिया कि भारत के लिए अमेरिका के समान अध्यक्षीय शासन प्रणाली के स्थान पर ब्रिटिश मॉडल की संसदीय शासन प्रणाली अपनाना उपयुक्त रहेगा।

   संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है तथा उसका विश्वास खो देने पर कायम नहीं रह सकती। यह कहना समीचीन नहीं होगा कि यद्यपि भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को पूर्णरूपेण अपना लिया गया है तथापि दोनों में अनेक मूलभूत भिन्नताएँ हैं।

7. **नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय**—संशोधन की कठिन या सरल प्रक्रिया के आधार पर संविधानों को नम्य अथवा अनम्य कहा जाता है। संघीय संविधानों प्रक्रिया कठिन होती है, इसलिए उन्हें सामान्यतया अनम्य श्रेणी में रखा जाता है। अनुच्छेद 368 के अनुसार कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों को दो-तिहाई बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमण्डलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है, जैसे—राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, संघ और इकाइयों के बीच शक्ति विभाजन, राज्यों के संसद में प्रतिनिधि, आदि। संशोधन की उपर्युक्त प्रणाली निश्चित रूप से कठोर हे, लेकिन कुछ विषयों में संसद के साधारण बहुमत से ही संशोधन हो जाता है।
8. **ऐकिकता की ओर उन्मुख परिसंघ प्रणाली**—भारत के संविधान की सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि उसने परिसंघ प्रणाली को ऐकिक सरकार का बल प्रदान किया। सामान्यत: सरकार परिसंघ प्रणाली की है किन्तु संविधान परिसंघ को ऐकिक राज्य में परिवर्तित होने के लिए समर्थ बनता है। एक ही संविधान में परिसंघ और ऐकिक प्रणालियों का यह संयोजन विश्व में अनूठा है।
9. **समाजवादी समाज**—भारतीय संविधान में प्रशासन के सामाजिक सिद्धान्त को अप्रत्यक्ष रूप से महत्त्व दिया गया है। राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त पूर्ण रूप से प्रमाणित समाजवादी व्यवस्था का संस्थापन तो नहीं करते मगर संविधान में समाजवादी उद्देश्य निश्चित रूप से अंकित है। हालांकि 1976 में पारित 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया है, जो संविधान के मूल स्वरूप में नहीं था। जिस राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति की अपेक्षा सम्पूर्ण समाज को विकास का समान अवसर प्रदान किया जाता है, उसे समाजवाद कहा जाता है इसका उद्देश्य सम्पूर्ण समाज में आर्थिक, राजनीतिक और आधिकारिक दृष्टि से समानता स्थापित करना होता है। हालाँकि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से न तो समाजवादी व्यवस्था पर जोर देता है और न ही पूँजीवादी प्रवृतियों को प्रश्रय देता है। यह दोनों के स्वरूपों के मध्य का मार्ग अपनाता है।
10. **स्वतन्त्र न्यायपालिका**—भारत के संविधान में एक स्वतन्त्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। उसे न्यायिक पुनरीक्षण की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायलय एक ही एकीकृत न्यायिक संरचना के अंग हैं और उनका अधिकार क्षेत्र सभी विधियों अर्थात् संघ, राज्य सिविल, दाण्डिक या संवैधानिक विधियों पर होता है। अमेरिका की तरह हमारे देश में पृथक संघीय तथा राज्य न्याय प्रणालियाँ नहीं हैं। सम्पूर्ण न्यायपालिका न्यायालयों का श्रेणीबद्ध संगठन है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय देश की सर्वोपरि विधि होती है। इसके अतिरिक्त संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता नितान्त आवश्यक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु संविधान में अनेक विशेष व्यवस्थाएँ की गई हैं यथा—सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होना, न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त होना, न्यायाधीशों के कार्यकाल में उनके वेतन में कमी न हो और न्यायाधीशों के आचरण पर व्यवस्थापिका द्वारा विचार न करना आदि। इस प्रकार न्यायपालिका स्वतन्त्र है और स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् से वर्तमान समय तक भारतीय न्यायपालिका अपनी स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षता का अनेक बार परिचय दे चुकी है।
11. **नागरिकता**—भारतीय संविधान संघात्मक शासन प्रणाली को स्वीकार करता है पर वह द्वैध नागरिकता प्रदान नहीं करता। संविधान में समस्त देश के लिए समान रूप से एक ही नागरिकता की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य संघ राज्यों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, लेकिन भारतीय संविधान के निर्माताओं का विचार था कि दोहरी नागरिकता भारत की एकता का बनाए रखने में बाधक सिद्ध हो सकती है। अत: संविधान-निर्माताओं द्वारा संघ-राज्य की स्थापना करते हुए भी दोहरी नागरिकता को नहीं वरन् एकल नागरिकता के आदर्श को ही अपनाया गया। इस व्यवस्था से स्वतन्त्र संचरण ही नहीं, बल्कि समस्त क्षेत्र में सम्पत्ति अर्जित करने तथा इच्छानुसार किसी भी स्थान पर निवास करने का अधिकार भी भारत के प्रत्येक नागरिक की मिल गया है। इस एकल नागरिकता का यह भी तात्पर्य है कि कोई भी भारतवासी किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से संसद के लिए चुनाव लड़ सकता है।

12. **राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व**—आयरलैण्ड के संविधान से प्रेरित होकर तैयार किए गए राज्य के नीति निदेशक तत्त्व हमारे संविधान की एक अनोखी विशेषता हैं। भारतीय संविधान के चौथे अध्याय में शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है। नीति-निदेशक तत्वों की प्रकृति के सम्बन्ध में संविधान के 37वें अनुच्छेद में कहा गया है कि नीति-निदेशक तत्त्वों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी किन्तु फिर भी ये तत्त्व देश के शासन में मूलभूत हैं। इस प्रकार निदेशक तत्त्वों को वैधानिक शक्ति तो प्राप्त नहीं है, लेकिन इन्हें राजनीतिक शक्ति अवश्य प्राप्त है।
13. **विश्व के प्रमुख संविधानों का प्रभाव**—संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण से पूर्व विश्व के प्रमुख संविधानों का विश्लेषण किया और उनकी अच्छाइयों को भारतीय संविधान में समाविष्ट किया। भारतीय संविधान अधिकांशत: ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है। प्रभावित होना स्वाभाविक भी है क्योंकि भारतीय जनता को लगभग दो सौ वर्षों तक ब्रिटिश प्रणाली के अनुभवों से गुजरना पड़ा था। ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, विधि निर्माण प्रणाली और एकल नागरिकता को संविधान में समाविष्ट किया गया है। भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान से भी कम प्रभावित नहीं है क्योंकि अमेरिकी संविधान के कई मुख्य तत्त्वों को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है, जैसे—न्यायिक पुनर्विलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन, संघात्मक शासन-व्यवस्था, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। संविधान में नीति-निदेशक तत्त्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली भी आयरलैण्ड के संविधान से प्रेरित है।

प्र.2. शिक्षा के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों की सीख किस प्रकार दी जाती है?
How are constitutional values taught through the medium of education?

उत्तर

संवैधानिक मूल्यों की सीख
(Inculcation of Constitutional Values)

शिक्षा के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों की सीख निम्नलिखित प्रकार से दी जाती है—

1. **राष्ट्रीय एकता**—स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस जैसे दिनों के उत्सव पर, स्कूल, के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य द्वारा एकता के महत्त्व को बताते हुए एक भाषण दिया जाना चाहिए। ऐसे भाषणों में, छात्रों को प्रेरित करने वाली कुछ उद्धरण कहे जा सकते हैं या कोई छोटी कहानी भी सुनाई जा सकती है जो छात्रों को प्रेरित करेगी। कभी-कभी, छात्रों को कक्षावार तरीके से 'मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा' जैसे गीत गाने के लिए कहा जा सकता है, ऐसी चीजें न केवल रोमांचकारी हैं बल्कि उनके लिए प्रेरणादायक भी होती हैं। इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से, छात्रों को एक-दूसरे के सुख, दुख मुस्कान एवं आंसुओं को साझा करना सीखना चाहिए एवं समान राष्ट्रीय आदर्श रखना चाहिए। उन्हें स्कूल द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। राष्ट्रीय एकता के मूल्य को विकसित करने के लिए प्रदर्शनियों या शैक्षिक यात्राओं के आयोजन को एक अतिरिक्त गतिविधि के रूप में भी लिया जा सकता है।
2. **स्वच्छता और व्यवस्था**—स्वच्छता एवं व्यवस्था सम्बन्धी मूल्य व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। विद्यालय की सभाओं के दौरान सप्ताह में एक बार स्वच्छता के मूल्य पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए क्योंकि सप्ताह के बाकी दिनों को अन्य मूल्यों के विकास के लिए रखना पड़ता है। यहाँ शिक्षक विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे—चित्र, पोस्टर, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप्स का उपयोग कर सकते हैं। यदि यह प्रात:कालीन सभा के दौरान किया जाना है, तो शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जगह पर्याप्त है या नहीं। इसके अलावा, यदि स्कूल की सभाओं के दौरान, स्वच्छता और व्यवस्था के मूल्य को विकसित करना संभव नहीं है, तो शिक्षक स्वच्छता के विषय में कुछ महत्त्वपूर्ण उद्धरण एवं बातों को पोस्टर में लिखना चाहिए एवं इसे बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करना चाहिए। कभी-कभी, वास्तविक अवधियों में, शिक्षक कक्षा में स्वच्छता पर आधारित कविताओं को पढ़ सकता है या शिक्षक ऐसी कई स्थितियों का वर्णन भी कर सकता है जहाँ स्वच्छता के महत्त्व का अभ्यास किया जाता है एवं जहाँ इसका अभ्यास नहीं किया जाता है।

3. **शिष्टाचार**—शिष्टाचार जैसे मूल्य को कक्षा में लगभग किसी भी कालांश, जैसे भाषा, इतिहास, भूगोल, विज्ञान में प्रत्येक छात्र का एक अभिन्न अंग बनाकर विकसित किया जा सकता है। **उदाहरण के लिए**—छात्रों को मित्र, माता-पिता, शिक्षक, पड़ोसी आदि से बात करते समय अच्छे शिष्टाचार के विषय में बताया जा सकता है। छात्रों को बताएं कि उनकी आवाज कभी कठोर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, किसी विशेष समय पर, विशेष संदर्भ के दौरान विशेष शब्दों का उपयोग करना होता है। जैसे—"क्षमा करें", "धन्यवाद", "कृप्या", "मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ", आदि। छात्र की ओर से अनादर का कोई कार्य नहीं होना चाहिए। भाषा अवधि के दौरान या यहाँ तक कि इतिहास की अवधि के दौरान पाठ्य पुस्तकों में कहानियों के कई उदाहरणों को 'छात्रों के लिए उदाहरण' के रूप में दिखाया जा सकता है। उन्हें कठोर बात करने या झगड़ने से बचने, या जोर से हंसने या टीवी को पूरी मात्रा में चालू करने के बारे में भी बताया जाना चाहिए।
4. **श्रम की गरिमा**—श्रम से हमारा अभिप्राय शारीरिक श्रम से है। आमतौर पर भारत में शारीरिक श्रम को निम्न दृष्टि से देखा जाता है, और हाथ से काम करने वाले को निम्न श्रेणी का माना जाता है। अधिकांश प्राचीन राज्य दास-श्रम पर आधारित थे। आज की पीढ़ी नौकरों के बिना नहीं रह सकती। मूल्य शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों को बता सकते हैं कि काम करने के लिए किसी और की कमी के कारण फंसे होने के बजाय, उस काम को स्वयं करना बेहतर होता है। क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा, सम्मानजनक या असम्मानजनक नहीं होता है। आलस्य में लिप्त होकर कभी भी समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। बल्कि हम उस समय का सदुपयोग अपने घर की सफाई, अपने कपड़े आदि सुखाने में कर कसते हैं ..... जिन्हें नौकरों का काम समझा जाता हैं!! इस प्रकार यह बच्चों के लिए आत्मनिर्भर होने एवं श्रमिकों और मजदूरों का सम्मान करने के लिए एक उदाहरण स्थापित करता है। जीवन में ऊपर उठने एवं दुनिया में समृद्ध होने का यही एकमात्र तरीका है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए "श्रम की गरिमा" को पहचानना और उसका सम्मान करना आवश्यक है। इस मूल्य को आसानी से कहानियाँ सुनाकर या महात्मा गांधी जैसे महान हस्तियों के उदाहरणों को उद्धृत करके भी विकसित किया जा सकता है या छात्रों को एक निबंध लिखने या श्रम की गरिमा के मूल्य से संबंधित कहानी लिखने के लिए कहा जा सकता है।
5. **लिंगों की समानता**—भारत में पुरुषों एवं महिलाओं के समान अधिकारों की आज भी उपेक्षा की जाती है। कहा जाता है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता भी वास करते हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति में एवं वैदिक काल में, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को समाज में अधिक सम्मान और दर्जा प्राप्त था। कोई भी धार्मिक समारोह अकेले पुरुष द्वारा अपनी पत्नी की उपस्थिति के बिना नहीं किया जा सकता था। इसलिए, हिंदू पुरुष देवताओं के अपने नामों से पहले उनकी पत्नी के नाम जोड़े गए हैं। जैसे— सीता राम, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण आदि। यद्यपि भारतीय संविधान में महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अंधविश्वास, अज्ञानता एवं गलतफहमी के कारण महिलाएँ अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रही हैं। आज महिलाएँ शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और परिवार, समाज और यहाँ तक कि राष्ट्र की जिम्मेदारियों को निभा रहीं हैं लेकिन प्रतिशत बहुत कम है। अधिकांश महिलाएँ, विशेषकर गांवों में अशिक्षित और दबी हुई हैं। आज की युवा पीढ़ी को मूल्य शिक्षा के माध्यम से यह बताना होगा कि महिलाएँ हमारे देश के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन को नया रूप देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। नेपोलियन ने एक बार कहा था, "मुझे अच्छी माताएँ दो और मैं तुम्हें एक अच्छा राष्ट्र दूंगा। मूल्य शिक्षा के माध्यम से, "कभी देर नहीं होती" की भावना को खिलती कलियों में विकसित किया जाना चाहिए। विशेष रूप से उच्च स्तर (कक्षा आठवीं, नौवीं, दसवीं) के छात्रों के लिए शिक्षक उनसे प्रात:कालीन सभा के दौरान 'भारत में महिलाएँ', 'महिलाओं की स्थिति – कल और आज' जैसे विषयों पर बात करनी चाहिए। उन्हें महात्मा फुले, महर्षि, कर्वे, राजा राम मोहन राय जैसे महान लोगों द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए संघर्षों के विषय में भी बताया जाना चाहिए।
6. **देश प्रेम**—देश प्रेम अर्थात् अपनी मातृभूमि के लिए प्यार। देशभक्ति एक प्राकृतिक बंधन है जो एक नागरिक को देश से जोड़ता है। प्रत्येक नागरिक अपनी मातृभूमि में पैदा होता है एवं उसी में पतला-बढ़ता एवं उन्हीं के द्वारा पोषित होता है। व्यक्ति का कर्तव्य भारत एवं उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना है। भारत एक पिघलने वाला बिंदु है क्योंकि दुनिया में कहीं भी आपको इतने सारे क्षेत्रों, धर्मों और भाषाओं का ऐसा मिश्रण नहीं मिलेगा। शांति, प्रेम और

उपरोक्त विशेषताओं को बनाए रखने के लिए हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज को प्यार और संरक्षित करना होगा। भारत की अखंडता की रक्षा के लिए हमारे देश के युवाओं को बल देना चाहिए। उचित मूल्य शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। छात्रों को 'ऐ मेरे वतन के लोगो', 'चलो सिपाही चले', 'मेरे देश की धरती', 'हम हिंदुस्तानी', 'सारे जहाँ से अच्छा' आदि गीत गाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। देशभक्ति के लेखों को इकट्ठा करके और देशभक्ति के गीत गाकर देशभक्ति की भावना को पोषित किया जा सकता है। यह छात्रों के ध्यान में लाया जाना चाहिए कि देशभक्ति का मतलब मात्र राष्ट्रगान का जप करना या राष्ट्रीय त्योहारों को मनाते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराना नहीं है। लेकिन इसका अर्थ है अपने देश के प्रति गहरा लगाव एवं सच्चा गर्व। इसलिए, इन मूल्यों को बहुत प्रारंभिक वर्षों से ही विकसित करने की आवश्यकता है। महान राष्ट्रीय नेताओं के उपाख्यानों, पोस्टरों, चित्रों को राष्ट्रीय उत्सव दिवसों के उत्सवों पर बड़े करीने से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

7. **समय की पाबंदी**—व्यक्ति का चरित्र उसके आचरण का परिणाम है इसलिए समय की पाबंदी एवं अनुशासन एक अच्छे चरित्र के आवश्यक गुण हैं। "समय की पाबंदी सफलता की कुंजी है"। इस सम्बन्ध में हम कह सकते हैं "जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है!" मूल्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों को समय की पाबंदी का महत्व बताया जाना चाहिए। नियमित रूप से किया गया कोई भी कार्य सदैव अपना फल प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए, जब छात्र परीक्षा हॉल में अपना प्रश्न पत्र लिख रहे होते हैं, यदि वे आवंटित समय में लिखना समाप्त नहीं करते हैं, तो उन्होंने जो कुछ भी सीखा है वह बेकार हो जाता है। समय रहते किया गया छोटा से छोटा कार्य जीवन में उपलब्धि देने में सहायक सिद्ध होता है।
8. **धार्मिक सहिष्णुता**—यह मूल्य हमारे छात्रों में उनकी निविदा आयु से ही पैदा किया जाना है, एवं उक्त मूल्य को विभिन्न माध्यमों से विकसित किया जा सकता है; जैसे—छात्रों को धार्मिक नेताओं की जीवनी पढ़ने के लिए कहना, शिक्षक धार्मिक नेताओं के बारे में वास्तविक जीवन की कहानियाँ सुनाएँ, पाठ के आधार पर (भाषा पाठ से कुछ पाठ: किताबें या इतिहास से विषय), शिक्षक द्वारा भूमिका-खेल या नाटक की गतिविधि की व्यवस्था की जा सकती है।
9. **वैज्ञानिक मनोवृत्ति**—विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति के मूल्य के बारे में एक उचित दिशा-निर्देश निश्चित रूप से उनमें अच्छी आदतें विकसित करेगा जैसे भोजन से पहले हाथ धोना, उचित दूरी से टीवी देखना, व्यवस्थित तरीके से प्रयोग करना आदि। छात्रों को इस तथ्य से अवगत कराना अत्यन्त आवश्यक है कि किसी भी तथ्य को आँख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से विज्ञान काल (विषय से संबंधित) में, शिक्षक बार-बार इसे अपरिपक्व मस्तिष्क में डालने का प्रयास कर सकता है। इससे छात्रों को तथ्यों को बहुत सूक्ष्मता से देखने में सहायता मिलती है। बच्चे स्वच्छता के महत्त्व को भी जानेंगे। स्कूलों के लिए विज्ञान प्रदर्शनियों की व्यवस्था करना आवश्यक है जहाँ छात्र को मॉडल, चार्ट, उपकरण आदि तैयार करने के लिए कहा जाना चाहिए। इसके अलावा, विज्ञान के विषय पर बहस जैसे विषयों के साथ—"विज्ञान एक वरदान न कि अभिशाप" की व्यवस्था की जा सकती है। जीवित विशेषज्ञों द्वारा एक निष्पक्ष और स्वच्छ भाषण की व्यवस्था की जा सकती है जो न केवल गलत धारणाओं को दूर करेगा बल्कि एड्स जैसी बीमारियों के हानिकारक परिणामों या परिणामों के बारे में सही जानकारी भी देगा।
10. **संवेदनशीलता का विकास**—संवेदनशीलता दूसरों की भावनाओं को समझने से सम्बन्धित है। इसका विकास निम्नलिखित माध्यम से किया जाता है; जैसे—कहानियाँ सुनाकर, चित्रों, पोस्टरों और कार्टूनों का प्रदर्शन करके, छात्रों को हमारी अच्छी कविताएँ पढ़कर, बच्चों को रिकॉर्ड किए गए गाने सुनाकर आदि।

प्र.3. भारतीय संविधान में शिक्षा के लिए विधायी शक्तियों का बँटवारा किस प्रकार किया गया है?
How are legislative powers for education divided in the Indian Constitution?

उत्तर

शिक्षा और विधायी शक्तियों का बँटवारा
(Education and Distribution of Legislative Powers)

भारत में विधायी शक्तियाँ तीनों शाखाओं में विभक्त हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ हैं—1. संघसूची, 2. राज्यसूची तथा 3. समवर्ती सूची। इनमें से संघ सूची में 99 विषय हैं, जिन पर 99 प्रविष्टियों केवल संसद को कानून बनाने की

शक्ति प्राप्त है, राज्य सूची में 61 विषय हैं, इन पर केवल राज्य विधायिका को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इसके विषयों के बारे में केन्द्र और राज्य विधायिका दोनों को कानून बनाने का अधिकार है (केन्द्र और राज्य सरकार की विधायिका के मध्य विवाद की स्थिति में केन्द्र सरकार की सर्वोच्चता मानी जाती है।) शिक्षा सभी तीनों सूचियों में शामिल है।

संघ सूची (Union List)

संघ सूची में 99 प्रविष्टियाँ (विषय) हैं। इनमें से 6 प्रविष्टियाँ शिक्षा से सम्बन्धित हैं। ये निम्न प्रकार हैं—

प्रविष्टि 13—बाहरी देशों के साथ शैक्षिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध।

प्रविष्टि 62—राष्ट्रीय महत्त्व की संस्थाएँ; जैसे—राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, इम्पीरियल वार, मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल और इण्डियन वार मेमोरियल आदि इस तरह की कोई अन्य संस्था पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित और वैधानिक रूप से एक राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था घोषित की गई हो।

प्रविष्टि 63—संविधान के प्रारम्भ होने के समय जानी वाली संस्थाएँ जैसे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय और कोई अन्य संस्था जो वैधानिक रूप से राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था घोषित की गई है।

प्रविष्टि 64—वैज्ञानिक अथवा तकनीकी शिक्षा की संस्था जो पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित हो और वैधानिक रूप से राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था घोषित की गई हो।

प्रविष्टि 65—संघीय अभिकरण और संस्थाएँ—(क) पेशेवर (वृत्तिपरक), व्यावसायिक अथवा तकनीकी प्रशिक्षण के लिए, पुलिस अधिकारियों के पशिक्षण सहित, (ख) विशेष अध्ययन अथवा अनुसन्धान को बढ़ावा देने के लिए और (ग) अपराध की जाँच अथवा अभिज्ञान में वैज्ञानिक अथवा तकनीकी सहायता के लिए।।

प्रविष्टि 66—उच्च शिक्षा और अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थाओं के मानकों का संयोजन एवं निर्धारण'

राज्य सूची (State List)

राज्य सूची में 61 प्रविष्टियाँ (विषय) हैं। इनमें से 2 प्रविष्टियाँ शिक्षा से सम्बन्धित हैं। ये निम्न प्रकार हैं—

प्रविष्टि 11—यह निर्धारित करती है कि "संघ सूची की प्रविष्टियाँ 63, 64, 65 और 66 और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के अधीन विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा राज्य की विषयवस्तु होनी चाहिए।"

प्रविष्टि 12—पुस्तकालयों, संग्रहालयों और अन्य सभी प्रकार की संस्थाओं को राज्य के क्षेत्राधिकार में रखती है, जो राज्य द्वारा नियिन्त्रत और वित्त पोषित होती हैं, साथ-ही-साथ, प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और अभिलेखों को भी (उनके अलावा व जो राष्ट्रीय महत्त्व को घोषित किए गए हैं)।

समवर्ती सूची (Concurrent List)

समवर्ती सूची में 52 प्रविष्टियाँ (विषय) हैं। इनमें से 5 प्रविष्टियाँ शिक्षा से सम्बन्धित हैं। ये निम्न प्रकार हैं—

प्रविष्टि 20—आर्थिक और सामाजिक नियोजन।

प्रविष्टि 25—शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, प्राथमिक और विश्वविद्यालयी शिक्षा, श्रमिकों के व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण सहित।

प्रविष्टि 26—वैधानिक (कानूनी) चिकित्सीय और अन्य व्यवसाय।

प्रविष्टि 28—दानशील और धर्मार्थ संस्थाएँ।

प्रविष्टि 39—समाचार, पत्र, पुस्तकें और प्रिन्टिग प्रेस।

सन् 1976 तक शिक्षा राज्य का विषय थी, हालाँकि 1976 में 42वें संविधान संशोधन ने सख्त परिवर्तन किया और भारतीय संसद को इस प्राधिकार के साथ सशक्त किया गया कि वह राज्य के साथ-साथ शिक्षा पर कानून बनाए। इस संशोधन ने केन्द्र और राज्य सरकारों को, केन्द्र के साथ शैक्षिक नीतियों के निर्माण में कार्यकारी शक्तियाँ रखते हुए राज्य को दिशा-निर्देश देने के लिए बराबर का सहभागी बना दिया। केन्द्र किसी भी राज्य में किसी भी नीतिगत निर्माण को सीधे लागू कर सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति

1986 (National Education Policy, NEP-1986) तक केन्द्र शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सहमतिजन्य उपागम पर विश्वास (भरोसा) रख रहा था। हालाँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सहमति (सहयोग) की व्याख्या केन्द्र और राज्य के बीच अर्थपूर्ण सहभागिता के रूप में की और शिक्षा के राष्ट्रीय और समेकित चरित्र, शिक्षा की गुणवत्ता और संघीय सरकार पर जनशक्ति नियोजन को बढ़ाने के सम्बन्ध में स्पष्ट जिम्मेदारी रखी।

इस प्रकार देश के सभी बच्चों को सार्वजनिक शैक्षिक अवसर प्रदान करने का कार्य केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों की संयुक्त जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार को प्रारम्भिक शिक्षा; जैसे—अनुसन्धानों की पहल करना, राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, विभिन्न राज्यों और अन्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के मध्य सामान्य समझ के लिए कार्य करना आदि के सन्दर्भ में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। दूसरी ओर राज्य सरकार को बच्चों को शिक्षा के स्थान तक लाने के प्रयास की जिम्मेदारी उठानी है। सम्पूर्ण नीतिगत ढाँचे के अन्तर्गत शिक्षा के संगठन और ढाँचे, क्षेत्रीय सांस्कृतिक और सामाजिक विभन्नता से उठ रही आवश्यकताओं की पर्याप्त रूप से पूर्ति के लिए निर्णय लेना राज्य के मामले हैं।

शिक्षा राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति करने में और फलत: देश की सन्तुलित वृद्धि और विकास के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपकरण मानी जाती रही है। अत: संविधान ऐसे वर्गों के हितों की सुरक्षा करने के लिए विशेष ध्यान रखता है जो शैक्षिक हस्तान्तरण (अपवर्तन) के लिए अति प्रवृत्त हैं और परिणामस्वरूप उन्हें निम्न स्तरीय जीवन जीना होता है; जैसे—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाएँ।

प्र.4. शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र एवं राज्यों के दायित्वों का विस्तृत वर्णन कीजिए।
Give a detailed description of the responsibilities of the states and the centre in the field of education.

उत्तर

शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र एवं राज्यों के दायित्व
(Responsibilities of Centre and State in the field of Education)

सन् 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था। 1976 में समवर्ती सूची में शिक्षा के आने से केन्द्र सरकार ने अपनी अगुवाई में शैक्षिक नीतियों एवं कार्यक्रमों को बनाने एवं उनके क्रियान्वयन पर नजर रखने के कार्य शामिल हैं। इन नीतियों में सन् 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यवाही कार्यक्रम शामिल हैं, जिसे सन् 1992 में अद्यतन किया गया।

संशोधित नीति में ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार करने का प्रावधान किया जिसके अन्तर्गत शिक्षा में एकरूपता लाने, प्रौढ़, शिक्षा कार्यक्रम को जनान्दोलन बनाने, सभी को शिक्षा सुलभ कराने, बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने, बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान देने, देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे आधुनिक विद्यालयों की स्थापना करने माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायपरक बनाने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विविध प्रकार की जानकारी देने और अन्तर अनुशासनिक अनुसन्धान करने, राज्यों में नए मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का सुझाव दिया गया।

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं के विषय में भी स्पष्ट उल्लेख किया गया—

1. **समानता के लिए शिक्षा**—नई शिक्षा नीति विषमताओं को दूर करने के लिए तथा शिक्षा से वंचित लोगों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा का विशेष प्रावधान किया गया। शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया गया। प्राचीन काल से चली आ रही विकृतियों एवं विषमताओं को समाप्त करने के लिए शिक्षा व्यवस्था का स्पष्ट सुझाव महिलाओं के पक्ष में होगा। महिलाओं में साक्षरता प्रसार तथा उन बाधाओं को दूर करने से बालिकाओं में प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी।
2. **अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा**—इस नीति में अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर बल दिया गया जिससे वे गैर अनुसूचित जाति के लोगों के बराबर आ सकें। यह बराबरी सभी स्तरों पर इन चार आयामों में होनी आवश्यक थी ग्रामीण पुरुषों में, ग्रामीण स्त्रियों में, शहरी पुरुषों एवं शहरी स्त्रियों में। इसके अन्तर्गत निर्धन परिवारों को इस प्रकार प्रोत्साहन देने की बात कही गई जिससे वे अपने बच्चों को 14 वर्ष की उम्र तक नियमित स्कूल भेज सकें। परिवार के

बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना पहली कक्षा से प्रारम्भ की गई। कुछ अन्य सुविधाओं, जैसे शिक्षकों की नियुक्ति, छात्रावास की व्यवस्था तथा विभिन्न कार्यक्रमों को शुरू किया गया।

3. **अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा**—सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों को समानता दिलाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं—
   (i) आदिवासी इलाकों में प्राथमिक पाठशालाएँ खोलने के काम को प्राथमिकता दी गई। इन क्षेत्रों में स्कूल भवनों के निर्माण का कार्य शिक्षा बजट राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, जनजातीय कल्याण योजनाओं आदि के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।
   (ii) आदिवासियों की अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक विशिष्टता होती है तथा बहुधा उनकी बोलचाल की भाषाएँ भी अलग-अलग होती हैं। पाठ्यचर्या निर्माण में शिक्षण सामग्री तैयार करने में यह जरूरी है कि शुरुआत की अवस्था में आदिवासी भाषाओं का उपयोग किया जाए तथा ऐसी व्यवस्था की जाए कि आदिवासी बच्चे शुरू के कुछ वर्षों बाद क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकें।
   (iii) पढ़े लिखे प्रतिभाशाली आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण देकर अपने क्षेत्र में ही शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
   (iv) इनकी शिक्षा के लिए अत्यधिक संख्या में आश्रमशालाएँ और आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे।
   (v) आँगनवाड़ियों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर खोले जाएंगे।
4. **अल्पसंख्यक**—अल्पसंख्यकों के कुछ वर्ग शिक्षा की दौड़ में अत्यधिक पिछड़े एवं वंचित हैं। सामाजिक एवं समानता के दृष्टिकोण से सरकार का यह कर्तव्य है कि इनकी शिक्षा पर पूर्ण ध्यान दिया जाए। संविधान में उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति की सुरक्षा करने तथा अपनी शैक्षिक संस्थाएँ बनाए रखने और उन्हें चलाने के जो अधिकार दिए गए हैं, वे इसमें शामिल हैं। इनके लिए पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने में ओर सभी स्कूलों के क्रियाकलापों में वस्तुनिष्ठता रखी जाएगी तथा सामान्य केन्द्रिक शिक्षाक्रम के अनुरूप राष्ट्रीय लक्ष्यों और आदेशों के आधार पर एकता को बढ़ावा देने के लिए सभी सम्भव किए जाएंगे।
5. **विकलांग**—शारीरिक तथा मानसिक दृष्टिकोण से विकलांगों को शिक्षा देने अति आवश्यक है। इसके द्वारा वे समाज के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चल सके। शिक्षा के द्वारा ही उनकी सामान्य तीरके से प्रगति की जा सकती है जिससे वे पूरे विश्वास तथा साहस के साथ जिन्दगी व्यतीत कर सके। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं—
   (i) यदि हाथ-पैरों में मामूली विकलांगता है तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई सामान्य बच्चों के साथ होगी।
   (ii) गम्भीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए छात्रावास वाले विशेष स्कूल की आवश्यकता होगी। इस प्रकार के स्कूल जिला मुख्यालय पर बनाए जाएँगे।
   (iii) विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की गई।
   (iv) शिक्षक विशेषकर प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षक कार्यक्रमों को भी नया रूप दिया जाएगा जिससे वे विकलांग बच्चों की कठिनाइयों को ठीक से समझ कर उनकी सहायता कर सकें।
   (iv) विकलांगों की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को हर संभव तरीके से प्रोत्साहित किया गया।
6. **प्रौढ़ शिक्षा**—विकास कार्यक्रमों में उन लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है जिनको उनका लाभ मिलना है। प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़े जाने की बात कही गई। इन राष्ट्रीय लक्ष्यों में निर्धनता को दूर करना, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण सांस्कृतिक सृजनशीलता का संवर्धन छोटे परिवार के आदर्श का पालन, महिलाओं की समानता इत्यादि को सम्मिलित किया गया। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से सम्पूर्ण देश को निरक्षरता उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध हुआ। विशेषकर 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को शिक्षा के लिए।

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, राजनैतिक दल तथा उनके जनसंगठन, जनसंचार के माध्यम और शिक्षा संस्थाएँ विविध प्रकार के जन साक्षरता कार्यक्रमों, को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हुए। केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्रीय और

राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए गठित सर्वोच्च संस्था है। सरकार ने 2004 में केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। 10 एवं 11 अगस्त 2004 को इसकी बैठक में कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई।
इसके अनुसार निम्नलिखित विषयों के लिए इसकी सात समितियाँ बनाई गईं—

(i) नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक तथा प्राथमिक शिक्षा से जुड़े अन्य मामले।
(ii) बालिका शिक्षा तथा समान स्कूल प्रणाली।
(iii) एक समान माध्यमिक शिक्षा।
(iv) उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता।
(v) स्कूल पाठ्यचर्या में सांस्कृतिक शिक्षा का एकीकरण।
(vi) सरकार द्वारा संचालित प्रणाली के बाहर चल रहे स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकों एवं समानान्तर पाठ्य पुस्तकों के लिए नियामक व्यवस्था।
(vii) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को वित्तीय सहायता देना।

प्र.5. शैक्षिक मूल्यों से सम्बन्धित संवैधानिक मूल्यों का वर्णन कीजिए।
Mention the constitutional values related to educational values.

उत्तर शैक्षिक मूल्यों से सम्बन्धित संवैधानिक मूल्य निम्नलिखित हैं—

1. **सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना—कोठारी शिक्षा आयोग** का विचार था कि आधुनिकीकरण जीवन-शक्ति है। चूँकि आत्मा की शक्ति से ही जीवन-शक्ति को ऊर्जा एवं शक्ति प्राप्त होती है इसलिए नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। इन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करने के लिए हमें विद्यालय की समय-सारणी में कुछ अतिरिक्त घण्टे प्रदान किए जाने चाहिए।
2. **कुशलता की प्राप्ति—इलियट** ने कुशलता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि "कुशलता से मेरा अभिप्राय स्वस्थ तथा सक्रिय जीवन कार्य तथा सेवा की सार्थक शक्ति से है।" इस शक्ति के प्रशिक्षण तथा विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित किया जाना चाहिए। अत: लोकतन्त्र की सफलता एवं सुरक्षा के लिए नागरिकों में कुशलता का विकास किया जाना परमावश्यक है।
3. **लोकतान्त्रिक नागरिकता का विकास**—माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार, "लोकतन्त्र में नागरिकता एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है जिसके लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें बहुत से बौद्धिक, सामाजिक तथा नैतिक गुण निहित हैं जिनके अपने आप विकसित होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।" उपर्युक्त सभी गुणों को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके लिए उसमें लोकतान्त्रिक नागरिकता के गुणों का विकास शिक्षा के माध्यम से किया जाए। इसके अन्तर्गत व्यक्तियों में बौद्धिक सत्यनिष्ठता, सामाजिक एवं नैतिक गुणों का होना भी आवश्यक है। बालक में अनुशासन, सामाजिक संवेदना, सहयोग तथा सहिष्णुता का विकास जैसे गुण शिक्षा के माध्यम से ही लाए जा सकते हैं।
4. **सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति**—शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति करना है। अत: इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोठारी आयोग ने बताया कि सभी छात्रों के लिए किसी न किसी प्रकार की सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा को शिक्षा में अनिवार्य किया जाना चाहिए।
5. **सामाजिक दृष्टिकोण का विकास**—सामाजिक, दृष्टिकोण का विकास करने के लिए बालकों में सामाजिक सम्वेदनशीलता, समझदारी, रुचियाँ, सहयोग तथा अनुशासन आदि गुणों का विकास करना परमावश्यक हैं एवं इन सभी गुणों का उचित विकास शिक्षा के माध्यम से उचित प्रकार से किया जाता है।

TOUCH 'n' PASS

6. **अन्तर्राष्ट्रीयता का विकास**—सभी परिवर्तित परिस्थितियों में मानव जाति की रक्षा और कल्याण तभी सम्भव हैं जबकि उसमें अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए। शिक्षा ही इसके लिए अच्छा एवं सर्वश्रेष्ठ माध्यम हो सकती है। भारतीय परिस्थितियों में भी अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास को शिक्षा का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित करना अत्यावश्यक है।
7. **आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की गति को तीव्र करना**—हमारा आधुनिक समाज विज्ञान की तकनीकी पर आधारित है जिससे मात्र उत्पादन ही नहीं बढ़ा है बल्कि इसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों की इस प्रक्रिया को अति तीव्र बनाने के लिए इसका शिक्षा के साथ सम्बन्ध स्थापित करना अति आवश्यक माना गया है। अब इसे शिक्षा के द्वारा तीव्र किया जाए, शिक्षित एवं कुशल नागरिक तैयार किए जाए साथ ही साथ सक्षम बुद्धिजीवी वर्ग को प्रशिक्षित भी किया जाए।
8. **उत्पादकता में वृद्धि करना**—चूँकि भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में पूर्णतया आत्मनिर्भर नहीं है। इसके अलावा बेरोजगारी निर्धनता जैसी समस्याएँ भी भारत के समक्ष खड़ी है। अत: शिक्षा को उत्पादकता से सम्बन्धित करना अति आवश्यक है। इसलिए छात्रों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए।

प्र.6. भारतीय संविधान द्वारा विशिष्ट वर्गों की शिक्षा हेतु कौन-से प्रावधान हैं? इनकी विस्तृत व्याख्या कीजिए।
Which are provisions related to education of special groups in the Indian Constitution? Describe them in detailed.

उत्तर समाज के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक हित अनुच्छेद 15 एवं अनुच्छेद 46 के द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। संविधान में अनुच्छेद 46, दावा करता है कि राज्य विशेष सावधानी के साथ कमजोर वर्गों के लोगों को शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को और उनकी सामाजिक अन्याय और सभी तरह के शोषणों से रक्षा करेगा। शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए सीटों के आरक्षण देने, नि:शुल्क गणवेश, किताबों के प्रावधान के रूप में विशेष उपाय और छात्रवृत्ति देकर आर्थिक सहायता देने जैसे कुछ उपाय हैं जिन्हें सरकार ने समाज के इन वर्गों के लिए शिक्षा की बाधारहित पहुँच को बढ़ावा देने के लिए अपनाए हैं।

अल्पसंख्यक समूह के हितों की सुरक्षा (Protection of Interests of Minority Groups)

भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर विशाल मात्रा में भाषायी, सांस्कृतिक जातिगत और धार्मिक अल्पसंख्यक समूह मौजूद हैं। इनकी अनोखी सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषायी पहचान को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए संविधान के विभिन्न अनुच्छेद, इन वर्गों को स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं। इस विषय में अनुच्छेद 29, 30 और अनुच्छेद 350 में किए गए प्रावधानों के उल्लेख विशेष महत्त्व के हैं।

अनुच्छेद 28(1) राज्य द्वारा संचालित संस्थाओं को इनमें धार्मिक शिक्षा देने से रोकता है। यद्यपि किसी भी सम्प्रदाय या ट्रस्ट के अधीन संस्थापित किसी भी शैक्षिक संस्था में धार्मिक शिक्षा देने पर इस प्रकार की कोई रोक नहीं है जिसके लिए **अनुच्छेद 28(3)** के अधीन इस प्रकार की शिक्षा देने की जरूरत है। यह अनुच्छेद, बच्चे को यह भी स्वतन्त्रता देता है कि वह स्वयं यह निश्चित करे कि वह धार्मिक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है या नहीं।

अनुच्छेद 29(1) अनुबन्ध करता है कि भारत के क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों का कोई वर्ग, जिसकी भिन्न भाषा, लिपि अथवा अपनी स्वयं की संस्कृति को, उसे सुरक्षित रखने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 29(3) यह निर्धारित करता है कि कोई भी नागरिक राज्य द्वारा सम्पोषित अथवा सहायता/फण्ड प्राप्त संस्था में केवल वंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश के लिए वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 30(1) आदेश देता है कि सभी अल्पसंख्यक, चाहे वे किसी धर्म अथवा भाषा पर आधारित क्यों न हों, को अपनी पसन्द की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने का अधिकार होगा जबकि **अनुच्छेद 30(2)** कहता है कि राज्य किसी भी शैक्षिक संस्था के विरुद्ध इस पर आधार पर कि यह अल्पसंख्यक प्रबन्धन के अधीन है, चाहे धर्म या भाषा पर आधारित क्यों न हो, भेदभाव नहीं करेगा।

अनुच्छेद 305ए अल्पसंख्यक समूहों से सम्बन्धित बच्चों को शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने हेतु पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रयास करने का राज्य को निर्देश देता है।

अनुच्छेद 305बी भाषायी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से सम्बन्धित सभी मामलों की जाँच के लिए विशेष अधिकारों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है।

बालिकाओं की शिक्षा (Girls' Education)

हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं और बालकों की सहभागिता के बीच विषमता है। राष्ट्रीय वृद्धि और विकास के लिए इस अन्तराल की जाँच करने की शीघ्र आवश्यकता है। राष्ट्र की वृद्धि और समृद्धि के लिए पूर्वापेक्षा के रूप में संविधान ने सभी के लिए समान अवसरों की आवश्यकता को भी मान्यता दी है; परिणामस्वरूप **अनुच्छेद 15(1)** और **अनुच्छेद 16(1)** महिलाओं सहित सभी के हितों की सुरक्षा के लिए प्रावधान करता है। यद्यपि **अनुच्छेद 15(1)** संस्तुति देता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। **अनुच्छेद 15(3)** राज्यों को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की स्वतन्त्रता देता है; फलस्वरूप बहुत-से राज्यों की विधायिका में, सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार आदि में राज्य द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण किया है। इसके अलावा वे महिलाएँ, जो कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यक समूहों के अन्तर्गत आती हैं, वे भी इन समूहों के हितों की सुरक्षा के लिए किए गए विशेष प्रावधानों का लाभ प्राप्त करती हैं। **अनुच्छेद 16(1)** राज्य के अन्तर्गत रोजगार और किसी भी कार्यालय में नियुक्ति हेतु सभी नागरिकों के लिए अवसर की गुणवत्ता की वकालत (समर्थन) करता है। सन् 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन में देश के नागरिकों के लिए मौलिक कर्त्तव्यों को समाविष्ट किया जो कि **अनुच्छेद 51(ए)** में सूचीबद्ध किए गए हैं। अनुच्छेद 51(ई) के अनुसार, भारत के नागरिकों का एक कर्त्तव्य भारत में महिलाओं की मान-मर्यादा (गरिमा/प्रतिष्ठा) के लिए अपमानजनक व्यवहारों का परित्याग करना है।

संविधान में इन निर्देशों का प्रावधान ऐतिहासिक घटना नैतिक उपक्रमण—राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में देखा जा सकता है जो अनुबन्ध करती है कि "शिक्षा महिलाओं की स्थिति में एक आधारभूत परिवर्तन के अभिकरण के रूप में प्रयोग की जाएगी। अतीत की संचित विकृति को निष्प्रभावी करने के लिए महिलाओं के पक्ष में एक सुविचारित नहीं होगी। इसे प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय व्यवस्था (पद्धति) महिलाओं के सशक्तीकरण में एक सकारात्मक मध्यस्थ की भूमिका अदा करेगी।" राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कार्य योजना (Programme of Action) 1992 ने पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना करने, नये मूल्यों को विकसत करने, जेंडर (लिंग) पूर्वाग्रहों को दूर करने, शिक्षकों और नीति-निर्धारकों के प्रशिक्षण और अभिविन्यास, महिलाओं की समस्याओं और उनके सशक्तीकरण पर संवेदनशीलता का विकास करने, विशेष समर्थन के द्वारा महिलाओं के बीच निरक्षता को दूर करने की वरीयता देने आदि का प्रावधान किया। इन नीति-निदेशकों के साथ भारतीय शिक्षा का सम्पूर्ण चेहरा बदलने लगा।

❑

UNIT-V

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा
Pre-Primary Education

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के दो प्रमुख लक्ष्य लिखिए।
Write two main aims of pre-primary education.

उत्तर पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के दो प्रमुख लक्ष्य हैं—

1. बहुमुखी विकास और जीवनपर्यन्त सीखने के लिए सुदृढ़ आधार उपलब्ध कराना।
2. बालक को विद्यालय के लिए तैयार करना।

प्र.2. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा क्या हैं? संक्षेप में लिखिए।
What is the concept of pre-primary education? Write in brief.

उत्तर पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत 3 से 6 वर्ष के आयुवर्ग के सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए सर्वव्यापक, न्यायसंगत, आनन्ददायक, समावेशी और सन्दर्भित सीखने के अवसरों की उपलब्धता को बढ़ावा देने पर विचार किया जाता है।

प्र.3. बालक के जीवन के प्रारम्भिक आठ वर्ष क्यों महत्त्वपूर्ण होते हैं?
Why are a child's first eight years important?

उत्तर बालक के जीवन के प्रारम्भिक आठ वर्ष निर्माणात्मक वर्ष होते हैं। ये वर्ष बालक के मस्तिष्क की वृद्धि और विकास के लिए महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं।

प्र.4. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by pre-primary education?

उत्तर वह शिक्षा जो 3-6 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों को दी जाती है, उसे पूर्व-प्राथमिक शिक्षा कहते हैं।

प्र.5. प्रारम्भिक आठ वर्षों के दौरान बालक किन-किन बातों पर ध्यान देने लगते हैं?
In the initial eight year, what tasks to the children begin to focus on?

उत्तर प्रारम्भिक आठ वर्षों के दौरान बालक अपने परिवेश की खोजबीन करने हेतु प्रेक्षण, प्रश्न पूछने, चर्चा करने, अनुमान लगाने, विश्लेषण करने, खोज करने, जाँच-पड़ताल करने और प्रयोग करने में व्यस्त हो जाते हैं।

प्र.6. शिक्षा की डाल्टन प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षक की भूमिका बताइए।
Mention the role of a teacher under Dalton Education Plan.

उत्तर शिक्षा की डाल्टन प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षक बालकों के मित्र, सहायक एवं पथ-प्रदर्शक की भूमिका निभाता है।

प्र.7. मिस हेलेन पार्कहर्स्ट द्वारा प्रतिपादित शिक्षा-प्रणाली को 'डाल्टन शिक्षा-प्रणाली' क्यों माना जाता है?
Why is the education plan propounded by Miss Helan Parkhurst called the 'Dalton Education System'?

उत्तर मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने अपनी शैक्षिक विचारधारा के आधार पर प्रथम विद्यालय अमेरिका के डाल्टन नगर में स्थापित किया था, इसी कारण इस शिक्षा प्रणाली को 'डाल्टन शिक्षा प्रणाली' माना जाता है।

TOUCH 'n' PASS

प्र.8. 'डाल्टन प्रणाली में धन का अपव्यय होता है।' कैसे? **[2021]**
'Money is wasted in Dalton System'. How?

उत्तर डाल्टन प्रणाली में धन की अपव्यय होता है; क्योंकि कक्षाओं के स्थान पर प्रयोगशालाओं की स्थापना एक बहुमूल्य सुझाव तो हो सकता है किन्तु व्यवहार में इसके लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। इस प्रणाली में कार्य करने के लिए अच्छे विद्यालय भवन, प्रयोगशालाएँ, सहायक सामग्री, सभी स्तरों के लिए उत्तम पुस्तकालय, शिक्षण यन्त्रों की व्यवस्था करना आवश्यक है।

प्र.9. डाल्टन प्रणाली में किसकी स्वतन्त्रता का हनन होता है?
Whose freedom is violated in the Dalton System?

उत्तर डाल्टन प्रणाली बालकों की स्वतन्त्रता पर तो अधिक बल देती है लेकिन शिक्षक को अधिकाधिक उत्तरदायी स्थिति में स्थापित करके उसकी स्वतन्त्रता का हनन करती है।

प्र.10. डाल्टन प्रणाली का कोई एक प्रमुख गुण बताइए।
Mention any one main merit of Dalton System.

उत्तर डाल्टन प्रणाली का प्रमुख गुण है कि यह प्रणाली वैयक्तिक विभिन्नताओं का विकास करने के उद्देश्य से बालक को योग्यतानुसार उन्नति करने का अवसर प्रदान करती है।

प्र.11. मॉण्टेसरी शिक्षा प्रणाली के कोई चार प्रमुख सिद्धान्त लिखिए।
Write any four main theories of Montessori Education System.

उत्तर मॉण्टेसरी प्रणाली के चार प्रमुख सिद्धान्त हैं— 1. ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा का सिद्धान्त, 2. वैयक्तिकता का सिद्धान्त, 3. विकास के लिए शिक्षा का सिद्धान्त तथा 4. स्वयं द्वारा शिक्षा का सिद्धान्त।

प्र.12. मॉण्टेसरी शिक्षा-प्रणाली की कोई एक विशेषता लिखिए।
Write any one characteristic of Montessori Education System.

उत्तर मॉण्टेसरी शिक्षा-प्रणाली को शिक्षा-जगत् की एक महत्त्वपूर्ण शिक्षा प्रणाली माना जाता है; क्योंकि अन्य विभिन्न शिक्षा प्रणालियों के ही समान मॉण्टेसरी शिक्षा प्रणाली के भी अपने गुण-दोष हैं लेकिन इस शिक्षा-प्रणाली की अपनी कुछ मौलिक विशेषताएँ भी हैं जिनके कारण इस शिक्षा-प्रणाली को सम्पूर्ण विश्व में पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त हुई है।

प्र.13. मॉण्टेसरी शिक्षा-प्रणाली में शिक्षक की क्या भूमिका होती है?
What is the role of the teacher in Montessori Education System?

उत्तर मॉण्टेसरी स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षक का होना आवश्यक है; क्योंकि मॉण्टेसरी शिक्षा प्रणाली की सफलता शिक्षक की योग्यता पर ही निर्भर करती है।

प्र.14. मॉण्टेसरी शिक्षा-प्रणाली की शिक्षण विधि बताइए।
Write the education method of Montessori System.

उत्तर मॉण्टेसरी शिक्षा-प्रणाली को तीन भागों में विभक्त किया गया है—1. ज्ञानेन्द्रियाँ शिक्षा, 2. कर्मेन्द्रियों की शिक्षा तथा 3. भाषा एवं गणित की शिक्षा।

प्र.15. मॉण्टेसरी शिक्षा-प्रणाली में शिक्षक का क्या स्थान होता है?
What is the teacher's place in Montessori System?

उत्तर मॉण्टेसरी शिक्षा-प्रणाली में शिक्षक की स्थिति द्वितीय स्थान पर होती है, जहाँ से वह अप्रत्यक्ष रूप से बालकों का निर्देशन करता है।

प्र.16. भारत में मॉण्टेसरी शिक्षा-प्रणाली कब आरम्भ हुई?
When did Montessori Education System begin in India?

उत्तर भारत में मॉण्टेसरी शिक्षा-प्रणाली का शुभारम्भ स्वयं मारिया मॉण्टेसरी द्वारा अपने भारत भ्रमण क्रमशः सन् 1939 तथा सन् 1948 में किया गया। मारिया मॉण्टेसरी ने चेन्नई (मद्रास) से अपना कार्य प्रारम्भ किया था।

प्र.17. डाल्टन शिक्षा-प्रणाली के अन्तर्गत 'कार्य इकाई' से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by 'work unit' under Dalton Education System?

उत्तर डाल्टन शिक्षा प्रणाली के अनुसार बालक द्वारा एक दिन में पूर्ण किए जाने वाले कार्य को 'कार्य इकाई' कहते हैं।

प्र.18. डाल्टन शिक्षा-प्रणाली के अन्तर्गत 'निर्दिष्ट पाठ' से क्या अभिप्राय है?
What do you understand by 'lesson plan' under Dalton Education System?

उत्तर डाल्टन शिक्षा-प्रणाली के अन्तर्गत बालक द्वारा एक सप्ताह में किए जाने वाले कार्य को 'निर्दिष्ट पाठ' कहते हैं।

प्र.19. फ्रोबेल कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए।
Who was Froebel? Give a brief introduction.

उत्तर फ्रोबेल का जन्म 1782 ई० में जर्मनी में हुआ था। उनके बाल्यकाल में ही उनकी माता की मृत्यु हो गयी थी। पिता ने उनकी सदैव उपेक्षा की तथा साथ ही सौतेली माँ का व्यवहार भी अच्छा नहीं था। सन् 1836 में उन्होंने ब्लैकनबर्ग (जर्मनी) में एक पहाड़ी के ऊपर प्रथम किण्डरगार्टन नामक विद्यालय की स्थापना की थी।

प्र.20. किण्डरगार्टन शिक्षा-प्रणाली में शिक्षक का क्या स्थान होता है?
What is the teacher's place in Kindergarten Education System?

उत्तर किण्डरगार्टन शिक्षा-प्रणाली में शिक्षक को एक माली की भूमिका प्रदान की गई है जो पौधों की भाँति बालकों की देखभाल करता है; अत: शिक्षक बालकों के मित्र, सहयोगी एवं पथ-प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है।

प्र.21. 'किण्डरगार्टन' से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by Kindergarten?
अथवा **किण्डरगार्टन पद्धति को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।**
Or **Explain Kindergarten Method in short.**

उत्तर किण्डरगार्टन छोटे बच्चों के लिए एक विद्यालय होता है। इसमें बच्चों के कपड़ों को उचित प्रकार से तह करने, चटाई बनाने, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने, सांकेतिक खेल एवं प्रयोगात्मक गाने उचित ढंग से सिखाए जाते हैं।

प्र.22. किण्डरगार्टन शिक्षा-प्रणाली के चार प्रमुख आधारभूत सिद्धान्त लिखिए।
Write the four main fundamental concepts of Kindergarten Education System.

उत्तर किण्डरगार्टन शिक्षा-प्रणाली के प्रमुख आधारभूत सिद्धान्त हैं—1. एकता का सिद्धान्त, 2. विकास का सिद्धान्त, 3. स्वक्रिया का सिद्धान्त तथा 4. स्वतन्त्रता का सिद्धान्त।

प्र.23. किण्डरगार्टन शिक्षा-प्रणाली का प्रमुख गुण क्या है?
What is the main merit of Kindergarten Education System?

उत्तर किण्डरगार्टन शिक्षा-प्रणाली का प्रमुख गुण इसका बालकेन्द्रित होना है।

प्र.24. किण्डरगार्टन शिक्षा-प्रणाली की प्रमुख शिक्षण युक्तियाँ बताइए।
Write four main educational methods of Kindergarten Education System.

उत्तर किण्डरगार्टन शिक्षा-प्रणाली की प्रमुख शिक्षण युक्तियाँ—1. स्वयं करके सीखना, 2. खेल द्वारा शिक्षा, 3. सामूहिक क्रिया-विधि आदि हैं।

प्र.25. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा हेतु बच्चों की आयु कितनी होनी चाहिए?
What should be the age of children for pre-primary education?

उत्तर पूर्व-प्राथमिक शिक्षा हेतु बच्चों की आयु 3 से 6 वर्ष होनी चाहिए।

प्र.26. भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा कौन प्रदान करता है?
Who provide pre-primary education in India?

उत्तर भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा सरकारी, निजी व गैर-सरकारी संगठन शिक्षा प्रदान करते हैं।

TOUCH 'n' PASS

प्र.27. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में कौन-कौन सहायक होता है?
Who all help in pre-primary education?

उत्तर एक प्रभावशील पूर्व-प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम बनाने हेतु, बच्चों के सीखने और एक समग्र एवं सहज दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए बच्चे, परिवार और शिक्षकों के बीच साझेदारी होना महत्त्वपूर्ण है। यही पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में भी सहायक है।

प्र.28. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से क्या लाभ है?
What are the benefits of pre-primary education?

उत्तर पूर्व-प्राथमिक शिक्षा बच्चों को बेहतर प्रदर्शन और बेहतर धारणा शक्ति प्रदान करती है एवं अग्रणी प्रारम्भिक कक्षाओं हेतु पूर्व-प्राथमिक से एक सुगम परिवर्तन सुनिश्चित करती है।

प्र.29. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by pre-primary education?

उत्तर पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में 3-6 वर्ष के बीच के बच्चों को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें ऑगनवाड़ी, बालवाड़ी, नर्सरी, प्री-स्कूल, प्रीपेरेट्री, प्री-प्राइमरी, एल०के०जी०, यू०के०जी० आदि संस्थान आते हैं।

प्र.30. 2020 से पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनाई गई थी?
When was National Education Policy framed before 1990?

उत्तर 2020 से पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था।

प्र.31. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का लक्ष्य बताइए।
Write the aim of National Education Policy-2020.

उत्तर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है।

प्र.32. सरकार द्वारा 10 + 2 ढाँचे में किए गए परिवर्तन को बताइए।
Mention the change mode by the government in 10 + 2 structure.

उत्तर सरकार द्वारा 10 + 2 के स्थान पर अब 5 + 3 + 3 + 4 ढाँचा लागू कर दिया गया है।

प्र.33. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में किस संस्था को प्राथमिकता दी गई है?
Which institution has been given priority in pre-primary education?

उत्तर पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में आँगनवाड़ी को ही प्राथमिकता दी गई है।

प्र.34. ईसीसीई क्या है?
What is ECCE?

उत्तर प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को ईसीसीई (ECCE) कहा जाता है।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के लागू होने से क्या लाभ हुआ?
What has been the benefit after the implementation of Right to Education Act, 2009?

उत्तर शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार, विद्यालय आने वाले बच्चे की आयु कम-से-कम 6 वर्ष होनी चाहिए। शोध द्वारा पता चलता है कि बच्चों की एक बड़ी संख्या अपर्याप्त विद्यालयी तैयारी के साथ प्रारम्भिक कक्षाओं में प्रवेश लेती है जिसके कारण उनके सीखने का स्तर कम रह जाता है एवं विद्यालय से बाहर होने की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं। साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के लिए मानक प्रतिमान की आवश्यकता है जो लचीला हो और प्रासंगिकता के अनुसार कार्यान्वयनकत्ताओं द्वारा अनुकूल बनाया जा सके।

प्रारम्भिक वर्षों में बच्चों को विकास एवं आय अनुरूप उपयुक्त सीखने के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है जो उन्हें औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करते हैं और विद्यालय शिक्षा में प्रवेश को सहज और बाधारहित बनाते हैं।

TOUCH 'n' PASS

प्र.2. भारत सरकार द्वारा पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?
What efforts have been made by the Indian government to improve the quality of pre-primary education?

उत्तर भारत सरकार द्वारा पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं; जैसे—स्वास्थ्य और देखभाल की सुविधाओं की उपलब्धि, पाठ्यचर्या, शिक्षक-प्रशिक्षण, आधारिक संरचना और शिक्षण-अधिगम को बढ़ावा देने के प्रयास। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986; राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005; राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षानीति-2013; राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2013 और प्रारम्भिक देखभाल और शिक्षा के लिए गुणवत्ता मानक-2013)। अभी हाल में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में 3 से 8 वर्ष के बच्चों अर्थात् विद्यालय-पूर्व और प्रारम्भिक विद्यालय शिक्षा (कक्षा 1 और 2) के लिए प्रावधानों तक पहुँच में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

प्र.3. डाल्टन शिक्षा-प्रणाली शिक्षा की अन्य प्रणालियों से भिन्न क्यों मानी जाती है?
Why is Dalton Education System believed to be different from other systems?

उत्तर डाल्टन शिक्षा-प्रणाली वास्तव में शिक्षण की एक प्रयोगात्मक प्रणाली है। इस प्रणाली में बच्चे स्वयं कार्यों को करके विषय का ज्ञान अर्जित करते हैं। शिक्षक द्वारा कोई प्रत्यक्ष शिक्षण का कार्य नहीं किया जाता, शिक्षक तो केवल पथ-प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। इस प्रणाली में समय का सदुपयोग होता है। बच्चा चाहे जितने समय तक किसी कार्य को कर सकता है। इस प्रणाली में किसी प्रकार की व्यवस्थित परीक्षा का प्रावधान नहीं होता, बच्चे द्वारा कार्य को करने की योग्यता प्राप्त कर लेने पर उसे स्वत: ही अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाता है। इस प्रणाली में बच्चों को विशेष उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। उन्हें सौंपा गया कार्य निर्धारित समय में अवश्य पूरा करना होता है। बच्चों को उनकी योग्यतानुसार आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस प्रणाली में बच्चों तथा शिक्षक के सम्बन्ध मधुर होते हैं और सामान्य रूप से अनुशासन सम्बन्धी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। इन सभी कारणों से डाल्टन शिक्षा प्रणाली को शिक्षा की अन्य प्रणालियों से भिन्न माना जाता है।

प्र.4. डाल्टन शिक्षा-प्रणाली एक बाल-केन्द्रित शिक्षा-प्रणाली है। कैसे? समझाइए। [2021]
Explain how Dalton Education System is a child-centric education system.

उत्तर इस प्रणाली के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान गौण है तथा बालक का स्थान मुख्य है। यह शिक्षा-प्रणाली बाल मनोविज्ञान के सिद्धान्तों को मानती है तथा शिक्षण में बालक के विकास को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान करती है। शिक्षण की प्रक्रिया में बालक की रुचि, योग्यता, आवश्यकता तथा स्वभाव आदि विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है। बालक को अधिक-से-अधिक स्वतन्त्रता प्रदान की जाती है। उसे अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करने की पूरी-पूरी छूट दी जाती है। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए हम कह सकते हैं कि डाल्टन शिक्षा-प्रणाली एक बाल-केन्द्रित शिक्षा प्रणाली है।

प्र.5. डाल्टन शिक्षा प्रणाली के प्रमुख उद्देश्य को बताइए।
Mention the main aim of Dalton Education System.

उत्तर डाल्टन शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य एक नवीन प्रकार के शैक्षिक समाज का निर्माण करना है, जिसमें लड़के तथा लड़कियाँ साधारण कक्षा से एकदम भिन्न वातावरण में रहते हैं तथा स्कूल के सामुदायिक जीवन का पुनर्संगठन किया जाता है। डाल्टन शिक्षा-प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य तत्कालीन प्रचलित शिक्षा के दोषों को दूर करना और शिक्षा को मनोरंजक तथा सरस बनाना था। इस प्रणाली की जन्मदात्री हेलेन पार्कहर्ट ने इसका उद्देश्य नवीन वातावरण का सृजन तथा जीवन का पुनर्संगठन करना माना है।

प्र.6. डाल्टन शिक्षा-प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।
Write the main characteristics of Dalton Education System.

उत्तर डाल्टन शिक्षा-प्रणाली में सभी विषयों का अध्ययन प्रयोगात्मक ढंग से किया जाता है अत: दिन का अधिकांश समय बच्चों को किसी न-किसी प्रयोगशाला में ही व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए डाल्टन शिक्षा-प्रणाली को 'प्रयोगात्मक प्रणाली' के रूप में भी जाना जाता है। शिक्षण के उद्देश्य से बच्चों को वर्ष-भर का कार्य एक साथ सौंप दिया जाता है, जिसका विभाजन मासिक, साप्ताहिक तथा दैनिक आधार पर कर लिया जाता है। बच्चे अपनी रुचि एवं सुविधा के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतन्त्र होते हैं। बच्चे द्वारा कार्य पूरा कर लेना ही उसकी योग्यता का प्रमाण होता है। यह शिक्षा-प्रणाली के व्यक्तित्व के विकास पर विशेष बल देती है।

प्र.7. सैद्धान्तिक रूप से एक उत्तम प्रणाली होते हुए भी व्यवहार में डाल्टन शिक्षा प्रणाली को न अपनाने के कारण लिखिए।
Despite being a conceptually better system, write the reasons for not adopting it.

उत्तर सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से डाल्टन शिक्षा-प्रणाली एक उत्तम एवं विशिष्ट शिक्षा प्रणाली प्रतीत होती है, परन्तु व्यवहार में इस शिक्षा प्रणाली को न अपनाने के विभिन्न कारण हैं। इस प्रणाली में सामूहिक शिक्षा का भी प्राय: अभाव ही होता है अत: बालक में सामाजिक भावनाओं का समुचित विकास नहीं हो पाता। इस प्रणाली में वैयक्तिक शिक्षण पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है। इसमें सभी कार्य प्रयोगात्मक ढंग से किए जाने का प्रावधान है, परन्तु प्रत्येक विषय से सम्बद्ध सुसज्जित प्रयोगशाला उपलब्ध होना प्राय: कठिन ही है। इस प्रणाली में शिक्षक की कोई सक्रिय भूमिका नहीं होती तथा शिक्षक के व्यक्तित्व का बच्चों पर सामान्य रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त यह एक महँगी शिक्षा प्रणाली भी है। इस प्रणाली में विभिन्न विषयों को परस्पर सम्बद्ध करके नहीं पढ़ाया जा सकता। इस प्रणाली में व्यवस्थित परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं होता है अत: बच्चे की योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता तथा प्राय: बच्चे अनुचित ढंग से अपने कार्य को पूरा कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चे अन्य किसी बच्चे के कार्य की नकल कर लेते हैं या किसी अन्य बच्चे से अपना कार्य करा लेते हैं। इन सब कारणों के अतिरिक्त इस शिक्षा प्रणाली में छोटे बच्चों की शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। इन समस्त कारणों से ही डाल्टन प्रणाली को लोकप्रियता प्राप्त नहीं हुई है।

प्र.8. मॉण्टेसरी विद्यालयों में शिक्षिका के क्या कार्य एवं स्थान हैं? संक्षेप में बताइए।
What are the work and place of a teacher in Montessori schools? Write in brief.

उत्तर प्राचीनकाल से चले आ रहे शिशु-विद्यालयों में शिक्षक के प्रभुत्व का अन्त अभी कुछ वर्षों पूर्व ही हुआ है। वर्तमान काल में शिशु-विद्यालयों में शिक्षा बाल-केन्द्रित होती है अर्थात् अब शिक्षा में बालक की रुचि, भावना एवं व्यक्तिगत भिन्नता को बहुत महत्त्व दिया जाने लगा है। अब शिक्षिका (मॉण्टेसरी विद्यालयों में) का काम कुछ विषयों को नन्हे-मुन्नों को रटा देना ही नहीं रह गया है। आज शिक्षक के लिए यह आवश्यक समझा जाता है कि उसे बाल मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान हो क्योंकि तब ही वह बालक की प्रकृति अथवा स्वभाव को भली-भाँति समझ सकता है और उसे उसके विकास में सहयोग दे सकता है इसलिए शिक्षण-प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में शिक्षा मनोविज्ञान तथा बाल मनोविज्ञान को सम्मिलित किया गया है। वास्तव में आज शिशु-विद्यालयों में शिक्षिका एक निरीक्षक के रूप में ही कार्य करती है। उसे बालकों की इच्छाओं, बातों आदि को समझना चाहिए और उनको बालकों के अनुरूप कार्य करने देना चाहिए। उसे बालकों के कार्यों का निरीक्षण-मात्र करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर पथ-प्रदर्शक के रूप में ही कार्य करना चाहिए।

मारिया मॉण्टेसरी ने शिक्षिका के कार्यों के विषय में स्वयं लिखा है—"बोलने के स्थान पर उसे शान्त रहने की शक्ति प्रदान करनी चाहिए, शिक्षण के स्थान पर उसे देखते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षिका को अपने कार्य में दृढ़ और सिद्धान्तवादी नहीं होना चाहिए। शिक्षिका को बालकों में आन्तरिक अनुशासन की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। उनके ऊपर बाह्य अनुशासन लादना नहीं चाहिए। बालक एक सामाजिक प्राणी है अत: उसकी आन्तरिक आवश्यकताओं के आधार पर प्रेमपूर्वक उसका विकास करना चाहिए।" वास्तव में आज शिशु-विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का कार्य पूर्ण क्रियाशील होकर बालक के विभिन्न क्रियाकलापों का निरीक्षण करना, उसका पथ-प्रदर्शन करना और उसके कार्यों में सहयोग देना होता है, इसलिए अब शिक्षक-शिक्षिकाओं का प्रशिक्षित होना अनिवार्य कर दिया गया है।

प्र.9. मॉण्टेसरी शिक्षा-प्रणाली के शिक्षण-उपकरणों के बारे में आप क्या जानते हैं? उनका सामान्य परिचय दीजिए।
What do you know about teaching aids in Montessori Education System? Give a brief education.

उत्तर मॉण्टेसरी शिक्षा-प्रणाली के अन्तर्गत बच्चों के शिक्षण के लिए कुछ उपकरणों को साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ये उपकरण निम्नलिखित हैं—

1. **ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा के उपकरण**—(i) ठोस वस्तुओं के तीन छोटे-बड़े सैट—(क) छिद्रित घन, (ख) गुलाबी घन तथा (ग) हरे, नीले, लाल डण्डे। (ii) चिकनी तथा खुरदरी सतह वाली विभिन्न आयताकार मेजें। (iii) विभिन्न आकार की ठोस वस्तुएँ; जैसे—चक्र, बेलन, आयत, स्तम्भ आदि। (iv) विभिन्न वजनों के टुकड़े। (v) विभिन्न रंगों के 100 टुकड़े। (vi) दो छोटे सन्दूक जिनमें 64 रंगीन टुकड़े होते हैं। (vii) कार्डों की तीन मालाएँ। (viii) षट्कोणीय बन्द डिब्बे।

(ix) संगीत की मालाएँ, घण्टियाँ, लकड़ी के तख्ते जिनमें संगीत में काम आने वाली लाइनें बनी हों तथा सुरों के लिए छोटे-छोटे लकड़ी के टुकड़े।

2. **कर्मेन्द्रियों की शिक्षा के उपकरण**—घर में पाई जाने वाली सभी वस्तुएँ; जैसे—मेज, कुर्सी, अलमारी, बर्तन, तौलिया आदि। स्नान गृह तथा व्यायाम गृह भी होते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ होती हैं। दैनिक जीवन से सम्बन्धित इन उपकरणों एवं वस्तुओं को मॉण्टेसरी शिक्षा-प्रणाली में बालक की कर्मेन्द्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए अपनाया जाता है।
3. **भाषा तथा गणित की शिक्षा के उपकरण**—इस विधि में उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं—(i) दो ढलवाँ मेज और लकड़ी के इनसेट, (ii) अक्षरों के कार्ड, (iii) लकड़ी के अंक, (iv) विभिन्न परिमाण व रंगयुक्त वर्णमालाएँ, (v) छोटे-छोटे दो सन्दूक, (vi) कापी तथा रंगीन पेन्सिलें तथा (vii) बटन तथा फीते आदि।

इस प्रकार शिक्षण-उपकरणों का रूप, संख्या तथा प्रयोग; बच्चों की आयु, आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार बदला जा सकता है। विशेषत: ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जहाँ तक सम्भव हो एक समय में एक इन्द्रिय का ही प्रयोग कराया जाए।

प्र.10. किण्डरगार्टन तथा मॉण्टेसरी शिक्षा प्रणालियों में अन्तर बताइए।

Write the differences between Kindergarten and Montessori Education System.

उत्तर किण्डरगार्टन तथा मॉण्टेसरी शिक्षा-प्रणालियों में समानताओं एवं असमानताओं का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित तालिका के अन्तर्गत प्रस्तुत है—

क्र०सं०	किण्डरगार्टन शिक्षा-प्रणाली	मॉण्टेसरी शिक्षा-प्रणाली
समानताएँ		
1.	यह 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है।	यह 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है।
2.	आन्तरिक विकास के लिए उपहारों का प्रयोग किया जाता है।	आन्तरिक विकास के लिए शिक्षण-उपकरणों का प्रयोग किया जाता है।
3.	इन्द्रियों को प्रशिक्षित किया जाता है।	इन्द्रियों का प्रशिक्षण प्रमुख उद्देश्य है।
असमानताएँ		
1.	इस प्रणाली में शारीरिक क्रियाओं पर बल दिया जाता है।	इस प्रणाली में व्यावहारिक क्रियाओं पर बल दिया जाता है।
2.	इस प्रणाली में खेल द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है।	इस प्रणाली में शिक्षण-उपकरणों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है।
3.	इस प्रणाली में प्राकृतिक शिक्षा, संगीत, गति व भाव पर बल दिया जाता है।	इस प्रणाली में कृत्रिम साधनों तथा शिक्षण उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया जाता है।
4.	यह प्रणाली मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधार पर संचालित होती है।	यह प्रणाली वैज्ञानिक आधार पर संचालित होती है।
5.	इस प्रणाली में सामाजिक शिक्षा पर बल दिया जाता है।	इस प्रणाली में व्यक्तिगत शिक्षा पर बल दिया जाता है।
6.	इस प्रणाली में कक्षा-अध्यापन होता है।	इस प्रणाली में कक्षा-अध्यापन नहीं होता है।
7.	यह प्रणाली कार्यक्रमानुसार संचालित होती है।	यह प्रणाली बालक की इच्छानुसार संचालित होती है।
8.	इस प्रणाली में नेतृत्व एवं सामाजिक गुणों का विकास होता है।	इस प्रणाली में स्वत: अनुशासन एवं आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास होता है।

प्र.11. भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को समझाइए।

Explain the condition of pre-primary education in India.

उत्तर भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा सरकारी, निजी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाती है। सरकार में इसे प्रमुख रूप से समेकित बाल विकास सेवा (आई०सी०डी०एस०) के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इन्हें सामान्यत: आँगनवाड़ी के रूप में जाना जाता है, लेकिन 40 प्रतिशत आँगनवाड़ियों को प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही स्थापित किया गया है। आँगनवाड़ियों के साथ जुड़ने और उन्हें शामिल करने के लिए प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को आँगनवाड़ी में पूर्व-प्राथमिक घटक की

समग्र जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारे यहाँ बड़ी संख्या में निजी पूर्व-प्राथमिक विद्यालय हैं जो सामान्यत: कुछ गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं और वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रदान करते हैं।

प्र.12. पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों की क्या उपयोगिता है?
What is the utility of pre-primary schools?

उत्तर किसी भी बालक के पिछले छह वर्ष बहुत 'महत्त्वपूर्ण' होते हैं, क्योंकि इन वर्षों में विकास किसी भी अन्य अवस्था की तुलना में अधिक तेजी से होता है। इन प्रारम्भिक वर्षों में सीखने के लिए बालक का मस्तिष्क सबसे अधिक लचीला और अनुकूल होता है। तन्त्रिका विज्ञान के क्षेत्र में हाल में हुए शोधों के अनुसार, जब बालक 5 वर्ष का होता है, तब तक उसके मस्तिष्क का विकास 90 प्रतिशत हो चुका होता है। यह वृद्धि न केवल बच्चे के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति से प्रभावित होती है, बल्कि मनोवैज्ञानिक अनुभवों और वातावरण से भी प्रभावित होती है, जिनसे इन प्रारम्भिक वर्षों के दौरान बच्चा सम्पर्क में आता है, इसलिए प्रारम्भिक वर्षों में पूर्व-प्राथमिक विद्यालय का स्थान, प्रावधान और कार्यक्रमों के रूप में प्रयास व मेहनत करना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

प्र.13. संख्या-ज्ञान और मूलभूत साक्षरता के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
Give a brief description of National Education Policy-2020 regarding member knowledge and basic literacy.

उत्तर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्काल रूप से एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा। इसे कई मोर्चों पर किए जाने वाले तात्कालिक उपायों और स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अल्पावधि में प्राप्त किया जाएगा। इसमें प्रत्येक छात्र को कक्षा-3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान को आवश्यक रूप से प्राप्त करना शामिल किया गया है। 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा-प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीखने की मूलभूत आवश्यकताओं (अर्थात्, मूलभूत स्तर पर पढ़ना, लिखना और अंकगणित) को प्राप्त करने पर ही हमारे विद्यार्थियों के लिए शेष नीति प्रासंगिक होगी। इसके लिए, शिक्षा मन्त्रालय द्वारा प्राथमिक आधार पर आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक आधार पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। उसके अनुसार सभी प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान के लिए राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश की सरकारें, 2025 तक प्राप्त किए जा सकने वाले चरण-वार चिह्नित कार्यों और लक्ष्यों की पहचान करते हुए और उसकी प्रगति को बारीकी से जाँच और निगरानी करते हुए अविलम्ब एक क्रियान्वयन योजना तैयार करेंगी।

प्र.14. भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा एक कार्यक्रम है। कैसे?
Pre-primary education is a program in India. How?

उत्तर तीन से छह वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा एक कार्यक्रम है। यह बच्चे की सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक आवश्यकताओं के विषय में ध्यान देते हुए उसके समग्र विकास पर जोर देता है, जो आगे चलकर आजीवन सीखने और सबका ध्यान रखने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है। यह अधिकतम विकास और सीखने के लिए आवश्यक आयामों पर जोर देने के साथ एक प्राकृतिक, आनन्दमय और प्रेरक वातावरण प्रदान करता है जो कि गैर-औपचारिक, प्ले-वे और गतिविधि आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का निम्न स्तर पर विस्तार नहीं है।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा, लक्ष्य एवं उद्देश्य स्पष्ट कीजिए।
Make clear the concept, aims and objectives of pre-primary education.

उत्तर बच्चे के जीवन के पहले आठ वर्ष निर्माणात्मक वर्ष माने जाते हैं एवं यह मस्तिष्क की वद्धि एवं विकास के लिए भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय माना जाता है। हाल ही में हुए शोधों में भी बच्चे के जीवन के इन प्रारम्भिक वर्षों के महत्त्व की पुष्टि की गई है। शोधों से पता चला है कि प्रारम्भिक बाल्यावस्था के वर्षों में सार्थक संज्ञानात्मक, भाषायी, सामाजिक एवं गत्यात्मक क्षमताओं के विकास के लिए कुछ 'विशिष्ट अवधियाँ' महत्त्वपूर्ण होती हैं, यही विशिष्ट अवधियाँ, बाद के जीवन की सफलता में

योगदान देती हैं। यह अवस्था सामाजिक मूल्यों एवं व्यक्तिगत आदतों के निर्माण की नींव में भी महत्त्व रखती है। इस अवस्था में बच्चे अपने आस-पास के लोगों के निर्माण की नींव में भी महत्त्व रखती है। इस अवस्था में बच्चे अपने आस-पास के लोगों एवं संसार के प्रति (जैसे—उसके रंगों, आकृतियों, ध्वनियों, आकारों एवं रूपों के प्रति) मुग्ध एवं जिज्ञासु होते हैं। दूसरे लोगों के साथ जुड़ने एवं उनके साथ अपनी भावनाओं को साझा करने की उनकी यह योग्यता अधिगम का विशेष आधार बनती है। अपने परिवेश की खोजबीन करने के लिए बच्चे प्रेक्षण, प्रश्न पूछने, चर्चा करने, अनुमान लगाने, विश्लेषण करने, खोज करने, जाँच पड़ताल करने एवं प्रयोग करने में व्यस्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में वे विस्तृत एवं व्यापक संकल्पनाओं एवं विचारों की रचना करते हैं, उनमें सुधार करते हैं एवं उन्हें विकसित करते हैं। बच्चों को प्रेक्षण, खोजबीन एंव जाँच पड़ताल के पर्याप्त अवसर देने की आवश्यकता होती है, ताकि वे अपने आस-पास के एवं व्यापक परिवेश की समझ विकसित कर सकें।

अत: प्रत्येक बच्चे को समर्थ बनाने वाला वातावरण सुनिश्चित करने के लिए इन प्रारंभिक वर्षों में निवेश करना महत्त्वपूर्ण होता है, जो कि न केवल उनका अधिकार है, बल्कि जीवनपर्यंत सीखने की नींव डालने का एक तरीका भी है। ऐसा बेहतर प्रावधान सुनिश्चित करके छोटे ब्च्चों को गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा दी जा सकती है। अभी हाल में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में 3 से 8 वर्ष के बच्चों, अर्थात् विद्यालय-पूर्व एवं प्रारम्भिक विद्यालय शिक्षा (कक्षा 1 एवं 2) के लिए प्रावधानों तक पहुँच में वृद्धि हुई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के लागू होने के साथ, अब सभी बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे 6 वर्ष के होने पर विद्यालय आए। शोधों से पता चलता है कि अपर्याप्त विद्यालयी तैयारी के साथ बच्चों की एक बड़ी संख्या का प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन होता है जिसके कारण उनके अधिगम का स्तर कम रह जाता है एवं विद्यालय से बाहर होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इस सन्दर्भ में, गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक विद्यालय शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की गई।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा (Concept of Pre Primary Education)

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा दो शब्दों पूर्व एवं प्राथमिक शब्दों से मिलकर बना है जिसमें पूर्व का अर्थ है पहले प्राथमिक का अर्थ है आरम्भिक। अत: प्राथमिक शिक्षा से पहले दी जाने वाली शिक्षा को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। अन्य शब्दों में प्राथमिक विद्यालय में औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने से पहले बच्चा जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा या नर्सरी शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा इस बात का महत्त्व देती है कि बच्चों का सकारात्मक दृष्टिकोण, अच्छे मूल्य, समीक्षात्मक चिंतन के कौशलों, सहयोग, रचनात्मकता, तकनीक, साक्षरता एवं सामाजिक-भावात्मक विकास हो। बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं आजीवन सीखने के लिए मजबूत नींव डालना, बच्चों को विद्यालय में किसी भी एक व्यवस्था; जैसे—आँगनवाड़ी, नर्सरी स्कूल, प्री-स्कूल, प्री-पेटरी स्कूल, किंडरगार्डन, मॉन्टेसरी, स्कूल, एवं पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के नाम से दी जाती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चे की सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, शारीरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समग्र विकास पर जोर देती है जो आगे चलकर आजीवन सीखने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य (Aims of Pre Primary Education)

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित हैं—

1. सभी बच्चों के सर्वांगीण एवं जीवनपर्यन्त अधिगम के लिए सुदृढ़ आधार उपलब्ध कराना। इसके लिए अधीगम के छह क्षेत्रों के भीतर एक सुरक्षित एवं सुदृढ़ वातावरण प्रदान करना जो बच्चे के विकास के सभी क्षेत्रों का विस्तार एवं विकास करता है।
2. बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार करना तथा निर्धारित मानकों एवं मार्गदर्शन को बनाए रखना एवं नियमित रूप से अीयास को प्रतिबिंबित एवं विकसित करना।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Pre Primary Education)

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित है—

1. **पढ़ने, लिखने की पूर्व तैयारी कराना**—बच्चों को प्रभावी संप्रेषक बनाने एवं ग्रहणशील एवं भावबोधक दोनों भाषाओं को विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए संचार कौशल का अभ्यास काना। उन कौशलों को विकास करना जिससे शारीरिक एवं गत्यात्मक क्रियाएँ विकसित हो सकें। बालकों में बोलने, सुनने के कौशलों को विकसित करना तथा पढ़ने, लिखने की पूर्व तैयारी करना।

2. **सुरक्षित एवं सुदृढ़ वातावरण सुनिश्चित करना**—बाल-हितैषी वातावरण सुनिश्चित करना जहाँ प्रत्येक बच्चे को महत्तव दिया जाए, उसे आदर मिले, वह सुरक्षा एवं सुदृढ़ता का अनुभव करे एवं एक सकारात्मक आत्मधारणा विकसित करे। बालकों में उचित एवं स्पष्ट भाषा के माध्यम से विचार तथा भावों के प्रदर्शन की योग्यता का विकास करना।
3. **दैनिक जीवन कौशलों का विकास करना**—सभी बच्चों को अपनी क्षमता के अनुसार अपने कौशल को सीखने एवं विकसित करने में सक्षम बनाना। साथ ही अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली, पोषण, स्वस्थ आदतें एवं स्वच्छता सम्बन्धी स्वस्थ आदतों का विकास करना एवं दैनिक जीवन कौशलों का विकास करना।
4. **पूर्व-प्राथमिक से प्राथमिक विद्यालय में समायोजित करना**—बच्चों को पूर्व-प्राथमिक से प्राथमिक विद्यालय में होने वाले बदलाव को सहज रूप से स्वीकार करने के लिए समायोजित करना। इसके लिए बच्चों को कर्मचारियों व सेटिंग के साथ माता-पिता/देखभालकर्ताओं एवं बच्चों के साथ एक अच्छा कामकाजी सम्बन्ध प्रदान करना।
5. **परिवेश से जुड़ने में सहायता करना**—बच्चों में अधिगम के प्रति आत्म-खोजन, अन्वेषण एवं जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए सहज अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करना साथ ही बच्चों को भागीदार छात्र बनने, विवेचनात्मक रूप से सोचने, रचनात्मक रूप से कार्य करने एंव सम्प्रेषक बनने एवं अपने आस-पास के परिवेश से जुड़ने में सहायता करना। बालकों को नई रुचियों के विकास हेतु प्रयोग, खोज आदि के अवसर प्रदान करना तथा उन्हें आस-पास के वातावरण को समझने में सहयोग प्रदान करना।
6. **बालकों के सामाजिक एवं भावनात्मक विकास को सुदृढ़ करना**—बालकों में वांछित सामाजिक अभिवृत्तियों तथा शिष्टाचार एवं मानवीय मूल्यों को विकसित कर उनका सामाजिक एवं भावनात्मक विकास को सुदृढ़ करना। बालकों को वह अवसर प्रदान करना जिससे उसमें रचनात्मक एवं सौंदर्यबोध का विकास हो सके।
7. **प्रत्येक बच्चे को विकास के अवसर प्रदान करना**—सभी बच्चों को विकास के अवसर प्रदान करने के लिए अभिभावकों एवं समुदायों को साथ-साथ एक जोड़ीदार के रूप में कार्य करना।

प्र.2. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के महत्त्व का विस्तृत वर्णन कीजिए।
Give a detailed description of the importance of pre-primary education.

उत्तर

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का महत्त्व
(Importance of Pre Primary Education)

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का महत्त्व निम्नलिखित बिन्दुओं से स्पष्ट है—

1. **संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ावा देना है**—पूर्व प्राथमिक शिक्षा युवा मस्तिष्क के संज्ञानात्मक कौशल को सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूंकि इस शिक्षा में बच्चों को विभिन्न प्रकार की व्यावहारिक गतिविधियों में संलग्न होने का अवसर मिलता है, इसलिए अधिगम का आनन्ददायक वातावरण उन्हें समस्याओं को हल करने, वस्तुओं या तथ्यों को बारीकी से देखने एवं उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है।
2. **विविधता सिखाना**—पूर्व प्राथमिक स्कूलों में बहुसांस्कृतिक कक्षा का वातावरण बच्चों को संस्कृतियों एवं विचारों में विविधता को गले लगाना एवं सम्मान करना सिखाता हे ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें। यह उन्हें इस तथ्य को समझने में सहायता करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने तरीके से अद्वितीय है।
3. **विभिन्न कौशलों का विकास**—पूर्व-प्राथमिक शिक्षा बच्चों को भावनात्मक, मानसिक, सामाजिक एवं शारीरिक रूप से उच्च शिक्षा एवं विभिन्न विषयों की उचित समझ के लिए तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस शिक्षा के द्वारा बच्चे पर्यवेक्षित वातावरण में अपनी आयु के बच्चों के साथ बातचीत करना सीखते हैं। जिससे बच्चों में सामाजिक कौशल विकसित होते हैं एवं उनमें सामाजिक अत: क्रिया का विकास होता है। वे समूहों में बोलना सीखते हैं। मंच पर कविताओं एवं कहानी का बार-बार पाठ करने से बच्चों में झिझक दूर होती है एवं उनमें छोटे समूहों के सामने बोलने का आत्मविश्वास भी विकसित होता है। प्रशिक्षित शिक्षकों को देखरेख में कक्षा में की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों से बच्चों में सामान्य एवं विशिष्ट दोनों कौशलों का विकास होता है। सुखद बचपन की गतिविधियों एवं खेलों के माध्यम से नर्सरी स्कूल बच्चों को पढ़ने, लिखने और संख्याओं के सरल कौशल सीखने के लिए मार्गदर्शन करते हैं।

4. **अधिगम के प्रति रुचि का विकास**—पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा बच्चों के लिए एक ठोस नींव रखते हैं और उन्हें स्कूल व कॉलेज जीवन के बाद के चरणों में ज्ञान को आसानी से समझने में सहायता करते हैं। प्री स्कूलिंग युवा मस्तिष्क को तैयार करने में सहायता करती है एवं बच्चों का गतिशील व पूर्ण विकास करती है। भारत में प्री स्कूल युवा मस्तिष्क को विकसित करने के लिए उपयुक्त वातावरण एवं अवसर प्रदान करते हैं तथा उन्हें उनकी वास्तविक क्षमता का एहसास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये सभी स्कूल थीम-आधारित कक्षाओं एवं विभिन्न गतिविधि क्षेत्रों के साथ बच्चों के लिए एक बहुत ही रंगीन एवं आकर्षक सीखने का वातावरण बनाते हैं। स्कूलों में बच्चे नई दुनिया की खोज करते हैं जो उन्हें चौकन्ना करती है, जिससे उनकी स्कूली शिक्षा में तेजी आती है।
5. **अधिगम के लिए एक अच्छी शुरुआत**—पूर्व-प्राथमिक शिक्षा एक बच्चे के जीवन में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है पूर्व-स्कूली शिक्षा एक समृद्ध वातावरण, शैक्षणिक अनुकरण एवं समान आयु वर्ग के बच्चों के लिए समाजीकरण के कई अवसर प्रदान करती है। पूर्व-स्कूली शिक्षा में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। उदाहरणार्थ—वे अपनी वस्तुओं जैसे अपने बैग, टिफिन, नैपकिन एवं पानी की बोतल की पहचान करना सीखते हैं। बच्चे मौखिक गतिविधियों; जैसे—कविता पाठ, कहानी सुनाना, भूमिका निभाना, गीत गाना, भजन एवं प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं। ये सभी गतिविधियाँ उनके व्यक्तित्व कौशल को बेहतर बनाने में सहायता करती हैं। मिट्टी से खेलने, क्रेयॉन को पकड़ने, मुक्त रंग भरने का अभ्यास करने एवं बोर्ड पर लिखने से बच्चों का गत्यात्मक विकास होता है।
6. **जिज्ञासा का पोषण**—बच्चे अपने आस-पास की दुनिया को समझने के लिए एक अंतर्निहित इच्छा के साथ जन्म लेते हैं। उनके पास अपनी एक सक्रिय कल्पना होती है एवं वे सदैव नवीन वस्तुओं की खोज करने, नए मित्र बनाने एवं नए वातावरण का पता लगाने के लिए उत्सुक रहते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चे की इस जिज्ञासा एवं कल्पना को पोषित करती है ताकि वे प्रभावी छात्र बन सकें।
7. **बच्चे की एकाग्रता में सुधार करना है**—बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु एवं चंचल होते हैं। इसलिए, उनका ध्यान वयस्कों की तुलना में कम होता है। पूर्व प्राथमिक विद्यालयों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा बच्चों में एकाग्रता बढ़ाने में सहायता करती है। यह उन्हें अच्छे श्रोता बनने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, ताकि वे निर्देशों का पालन कर सकें या स्वयं कार्य कर सकें या समूह गतिविधयों में सक्रिया रूप से भाग ले सकें।
8. **आजीवन सीखने वाला बनाना**—पूर्व-प्राथमिक शिक्षा बच्चों को एक आनन्ददायक वातावरण प्रदान करती है जो उनमें सीखने की उत्सुकता उत्पन्न करती है। यह बच्चे को आजीवन सीखने वाला बनने के लिए प्रेरित करती है।
9. **आत्मविश्वास बढ़ाना**—बचपन की शिक्षा बच्चे को सामाजिक व्यवस्था में आत्मविश्वासी होने के लिए प्रोत्साहित करती है। पूर्व प्राथमिक स्कूल उसकी हर बड़ी व छोटी उपलब्धि की सराहना करते हैं एवं उसे अपनी प्रतिभा व क्षमताओं को सकारात्मक और यथार्थवादी तरीके से समझने में सक्षम बनाती हैं।
   इससे उनके आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान को बढ़ावा मिलता है।
10. **लचीलापन विकसित करना**—पूर्व-प्राथमिक शिक्षा बच्चे को जीवन में स्वतंत्र एवं कठिन बनने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि वह अधिक चुनौतियों से लचीले तरीक से निपट सके। शिक्षक उसे एक चुनौतीपूर्ण वातावरण प्रदान करते हैं ताकि वह समस्याओं का उपयुक्त समाधान ढूंढ सके और बिना हिम्मत हारे कठिनाइयों का सामना कर सके।
11. **टीम भावना का निर्माण करना**—बच्चे की सामाजिक क्षमता को विकसित करने के लिए पूर्व-प्राथमिक कक्षा बच्चों को एक समूह (Team) में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मजेदार तरीकों का उपयोग करती हैं। युवा मन में समूह भावना विकसित करके, पूर्व-प्राथमिक शिक्षक छात्रों को एक साझा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समूह वातावरण में सहयोगात्मक रूप से काम करना सिखाते हैं। नतीजन, बच्चा एक अच्छा श्रोता बन जाता है और अपने समूह के सदस्यों की राय का सम्मान करना सीखता है ताकि समूह बिना किसी व्यवधान के कार्य कर सकें।
12. **स्कूल की तैयारी**—पूर्व-प्राथमिक शिक्षा बच्चे को किंडरगार्टन एवं उससे आगे के लिए तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक तैयारी एवं भावनात्मक तैयारी के साथ-साथ पूर्व-पठन, लेखन कौशल एवं गणितीय अवधारणाओं की एक बुनियादी समझ उसे किंडरगार्टन और उससे आगे में सफल होने में सहायता करती है।

13. **धैर्य को प्रोत्साहित करना**—पूर्व-प्राथमिक स्कूल बच्चे को धैर्य की कला सीखने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं ताकि वह धैय व दृढ़ता के साथ जीवन में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर सके।
14. **अनुशासन के महत्त्व को समझने में सहायक**—पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा बच्चों के लिए औपचारिक सीखने का माहौल बनाकर, उन्हें सीखने एवं अनुशासन के महत्व को समझने में सहायता करती है। इससे बच्चे अनुशासन में रहना सीखते हैं।
15. **ध्वन्यात्मक जागरूकता का विकास**—पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा में बच्चे वर्णमाला की ध्वनियों को पहचानना सीखते हैं। वे ध्वनि सुनकर वर्णमाला को पहचानना सीखते हैं। क्रेयॉन के साथ रंग भरने एवं ब्लैकबोर्ड पर चॉक से मुक्त शैली में लिखने से पूर्व लेखन कौशल विकसित होता है।
16. **प्रारंभिक गणित कौशल का विकास**—पूर्व-प्राथमिक शिक्षा बच्चों की संख्यात्मकता एवं प्रारंभिक गणित कौशल को बढ़ावा देती है जो बाद में उन्हें हाई स्कूल में अधिक जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने में सहायता करती है।
17. **सहयोग करना सिखाना**—पूर्व-प्राथमिक शिक्षा बच्चे को कक्षा के खेल के माध्यम से सहयोग के मूल्यवान कौशल सिखाते हैं, जिसमें साझा करना, निर्देशों का पालन करना एवं मोड़ लेना शामिल है। सहयोग एक महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल है जो उसे किसी भी स्थिति में सम्बन्ध बनाने और दूसरों के साथ जुड़ने में सहायता करता है।
18. **सामाजिक एवं भावनात्मक कौशल में वृद्धि**—पूर्व-प्राथमिक शिक्षा बच्चों को उनके व्यवहार को विनियमित करके एवं उन्हें व्यक्तिगत पहचान बनाने में सहायता करके सामाजिक व भावनात्मक रूप से जागरूक बनने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। पूर्व-प्राथमिक स्कूल सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देते हैं क्योंकि बच्चे को अपने साथी सहपाठियों के साथ मित्रता विकसित करने का अवसर मिलता है।
19. **समय प्रबंधन का ज्ञान**—समय प्रबंधन पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। इसमें बच्चे असेंबली टाइम, सर्कल टाइम, प्ले टाइम, टिफिन टाइम, स्टोर टाइम और फन टाइम सीखते हैं। इससे बच्चों में समय प्रबन्धन करने का गुण विकसित होता है।

अत: भविष्य की पीढ़ियों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, माता-पिता का यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने बच्चों की शिक्षा के शुरुआती वर्षों का अनुकूलन करें। यह उनके लिए उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सबसे शक्तिशाली निवेश है।

प्र.3. शिक्षा की डाल्टन प्रणाली क्या है? इसके प्रमुख सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिए।
What is Dalton System of Education? Also mention its main principles.

उत्तर

डाल्टन प्रणाली
(Dalton System)

आधुनिक शिक्षण प्रणालियों में डाल्टन प्रणाली एक प्रगतिशील एवं नयी दृष्टिकोण प्रणाली है। अमेरिका की मिस हैलन पार्कहर्स्ट द्वारा डाल्टन प्रणाली को विकसित किया गया है उन्होंने इस प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के डाल्टन नगर में किया, इसलिए इस प्रणाली को डाल्टन प्रणाली के नाम से जाता है। इसका विद्यालय सन् 1920 में स्थापित हुआ। मिस पार्कहर्स्ट ने कुछ समय तक डॉ० मॉण्टेसरी के साथ कार्य किया था, जिसके कारण मॉण्टेसरी और डाल्टन प्रणाली में कुछ समानताएँ पाई जाती हैं। डाल्टन प्रणाली भी मॉण्टेसरी प्रणाली के समान ही बच्चों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर विशेष बल देती है। डाल्टन प्रणाली मुख्यत: 11-12 वर्ष की आयु के बालकों के लिए सफल और उपयोगी मानी जाती है।

डाल्टन प्रणाली पर आधारित विद्यालयों में प्रत्येक विषय की प्रयोगशालाएँ होती हैं। जहाँ अनेक विषयों के अध्यापकों की निगरानी में बालकों की इच्छाओं और रुचियों को ध्यान में रखकर स्वतन्त्र रूप में बालकों का एक सप्ताह या एक महीने का कार्य करने को दिया जाता है। बालक जब वह काम पूर्ण कर लेता है तो उसे अन्य काम मिल जाता है। इस प्रकार प्रणाली में व्यक्तिगत शिक्षण और कला-शिक्षण का प्रबन्ध होता है और इसलिए इस प्रणाली को 'प्रयोगशाला प्रणाली' भी कहा जाता है।

"डाल्टन वह प्रणाली है, जिसमें बालकों को उनकी रुचियों और इच्छाओं के अनुरूप कार्यों को, सुविधायुक्त प्रयोगशालाओं में दिए गए समय में पूरा करते हुए, अपने व्यक्तित्व का उत्तरदायित्वपूर्ण समुचित विकास करने का अवसर प्राप्त होता है"

ग्रेव्ज के अनुसार, "डाल्टन प्रणाली में एक ऐसी 'निर्दिष्ट कार्य व्यवस्था निहित है जिसमें कि बालक एक दिए गए समय में कार्य को पूरा करने को स्वीकार करता है और जिसमें उस कार्य को पूरा करने के साधन एवं भागों के चयन करने का कार्य उसी पर छोड़ दिया जाता है।"

मिस हैलन पार्कहर्ट के अनुसार, "डाल्टन प्रणाली एक यान्त्रिक व्यवस्था है जिसमें कि वैयक्तिक कार्य के सिद्धान्त को व्यवहार में लाया जाता है। यह शिक्षालयों का सरल एवं आर्थिक पुनर्संगठन है, जहाँ शिक्षक एवं शिक्षार्थी को अधिक उपयोगी एवं समय से कार्य करने के लिए अवसर प्राप्त होते हैं।"

डाल्टन प्रणाली के उद्देश्य को मिस हैलन पार्कहर्ट ने स्पष्ट करते हुए लिखा है, "इस योजना का उद्देश्य बालकों को साधारण कक्षा में मिलने वाली जीवन की परिस्थितियों से बिल्कुल भिन्न परिस्थितियों में रखकर एक नए प्रकार के शैक्षिक समाज को जन्म देना तथा विद्यालय के सामाजिक जीवन का पुनर्संगठन करना है।

डाल्टन प्रणाली के सिद्धान्त (Principles of Dalton System)

1. **स्वशिक्षा का सिद्धान्त**—डाल्टन प्रणाली की स्वशिक्षा का सिद्धान्त में बालकों को स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है। अमूमन कक्षा शिक्षण में बालक को यह स्वतन्त्रता नहीं होती कि वह जितनी देर चाहे एक विषय के अध्ययन में समय व्यतीत करे, लेकिन डाल्टन प्रणाली की विशेष परीक्षा की व्यवस्था के अनुसार बालक जितनी देर तक चाहे एक विषय का अध्ययन कर सकता है। प्रयोगशालाओं में स्वाध्याय के लिए बालक को सभी प्रकार की पुस्तकें तथा सुविधा सामग्री प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार का ज्ञान स्थायी होता है तथा इससे बालक में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास होता है।
2. **स्वतन्त्रता का सिद्धान्त**—इस प्रणाली के अन्तर्गत बालकों को उनकी रुचि, गति तथा योग्यता के अनुरूप कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है तथा बालक समय के बन्धन से भी मुक्त रहता है। इस प्रणाली में यदि कोई तीव्र बुद्धि वाला बालक अपना कार्य शीघ्र ही समाप्त कर लिया है तो उसे दूसरा कार्य प्रदान किया जाता है। वही इसके विपरीत मन्दबुद्धि के बालकों को अधिक समय प्रदान किया जाता है, और इस प्रकार कक्षा में अनुशासन भी बना रहता है।
3. **व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धान्त**—इस प्रणाली में बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए उनकी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। बालक स्व-योग्यता के अनुसार अपने कार्य को चुनता है और अपनी गति से कार्य को करता है। इस प्रकार मन्दबुद्धि और कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों को विकास उनकी क्षमता के अनुसार, बिना एक-दूसरे को प्रभावित किये निरन्तर चलता रहता है।
4. **बाल-केन्द्रित शिक्षा**—मनोवैज्ञानिक विचारधारा के प्रवेश से पूर्व शिक्षा में ना तो बालक का कोई स्थान होता था और न ही शिक्षा के दौरान बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता पर कोई ध्यान दिया जाता था। इस व्यवस्था को मिस हैलेन ने बदल दिया और उन्होंने बालक को शिक्षा प्रणाली में प्रमुख स्थान दिया। डाल्टन प्रणाली शिक्षक को उसकी शिक्षा में सहायता देने वाले एक ऐसे सहायक के रूप में समझा गया जो बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर बालक को उसकी योग्यता अनुसार सीखने के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करता है। इस प्रकार बाल-केन्द्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका गौण होती है किन्तु बालक की क्रियाओं को प्रधानता दी जाती है।
5. **रुचि का सिद्धान्त**—मिस हेलेन का रुचि के सिद्धान्त तात्पर्य है कि, "जब बालक में रुचि होती है, तभी वह मानसिक रूप से अधिक सावधान और अध्ययन में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त करने में अधिक सक्षम होता है।"
6. **सामूहिक शिक्षा का सिद्धान्त**—यद्यपि इस शिक्षा प्रणाली में व्यक्तिगत शिक्षा पर बल दिया गया है, लेकिन इसके साथ-साथ इसमें बालकों के सामाजिक पक्ष को भी महत्त्व दिया जाता है। दिन में कम-से-कम दो बार सभी बालक एक जगह एकत्र होकर पारस्परिक वार्ता, वाद-विवाद, परामर्श आदि के द्वारा अनुभवों और विचारों का आदान-प्रदान करता है। इसके अलावा स्वतन्त्र रूप से कार्य करते समय भी आवश्यकता पड़ने पर वे दूसरों की सहायता ले सकते हैं। इस प्रकार बालकों में सामाजिकता तथा सहकारिता की भावना का विकास होता है।
7. **सामाजिक सम्बन्धों का सिद्धान्त**—डाल्टन योजना सामाजिक सम्बन्धों के सिद्धान्त को भी मान्यता प्रदान करती है। बालक अन्य, बालकों के साथ अन्त: क्रियायें करने के साथ विभिन्न प्रकार के अनुभवों को अर्जित करता है और विद्यालय

में उसी प्रकार के अन्त: सम्बन्धों का निर्माण एवं विकास करता है जो उसे अपने अग्रिम जीवन में स्थापित करने में सहायता करता है।

प्र.4. डाल्टन शिक्षा-प्रणाली के गुण तथा दोषों का वर्णन कीजिए।
Describe the merits and demerits of Dalton System.

उत्तर

डाल्टन प्रणाली के गुण/विशेषताएँ
(Merits/Advantages of Dalton System)

डाल्टन प्रणाली में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं—

1. **सभी विषयों का याथोचित अध्ययन**—इस प्रणाली में विद्यार्थियों को अपनी इच्छा से विषयों के चयन की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। वह किसी भी विषय को जितना मर्जी पढ़ सकता है और इस प्रकार बालक किसी भी विषय का गहनता के साथ अध्ययन कर सकता है।
2. **कार्य की निरन्तरता**—इस प्रणाली में ज्ञानार्जन का कार्य क्रमानुसार निरन्तर चलता रहता है। यदि विद्यार्थी किसी कारण वश विद्यालय में अनुपस्थित रह जाता है।, तो वह अपनी कमी को व अपने पिछड़े कार्य को स्वयं प्रयत्न करके पूरा करता है। इसमें किसी विद्यार्थी का कार्य अन्य विद्यार्थियों पर निर्भर नहीं होता है।
3. **उत्तरदायित्व की शिक्षा**—इस प्रणाली में अपने पाठ को पूरा करने का उत्तरदायित्व बालक पर ही रहता है। वे अपने पाठ को पूरा करने के लिए विभिन्न उपभागों एवं विषयों को पढ़ते हैं और अपनी योग्यतानुसार प्रगति करते हैं। इसमें बालक को यह पता रहता है कि, उसे क्या करना है एवं उसे अपने उत्तरदायित्व को निभाने की चिन्ता और उत्तरदायित्व के मूल्य का ज्ञान रहता है।
4. **योग्यतानुसार प्रगति का अवसर**—इस प्रणाली का मुख्य गुण यह है कि इसमें प्रत्येक बालक को अपनी योग्यता, रुचिशक्ति तथा गति के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। किसी भी विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थियों की तीव्र या मंद गति होने के कारण न तो शीघ्रता से आगे बढ़ना पड़ता है और न ही ठहरना पड़ता है।
5. **समय का सदुपयोग**—चूंकि प्रत्येक बालक अपने कार्य समय से करता है, इसलिए इस प्रणाली में समय का सदुपयोग होता है। इस प्रणाली में विद्यार्थियों के अनुत्तीर्ण होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।
6. **अन्वेषण की प्रेरणा**—इस प्रणाली में बालक स्वयं अध्ययन करते हैं और स्वयं ही अपनी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। इससे बालकों की अन्वेषण शक्ति का विकास होता है। वे शिक्षण में समन्वय अध्ययन के दौरान नई-नई बातों की खोज करने में सक्षम होने लगते हैं।
7. **अपने स्त्रोतों से ज्ञान संचय करने का अवसर**—इस प्रणाली में बालकों को स्वयं शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। विद्यार्थी अपने पाठ स्वयं तैयार करने के साथ ही अन्य कार्य भी स्वतन्त्रतापूर्वक करते हैं। इसके लिए वे प्रयोगशालाओं में विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन करते हैं जिससे उनमें आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, स्वावलम्बन आदि गुणों का विकास होता है और वे श्रम के महत्त्व को समझने लगते हैं।
8. **गृह-कार्य का अनिवार्य न होना**—इस प्रणाली में बालकों को गृह कार्य अनिवार्य नहीं बताया गया है। विद्यार्थी के सभी कार्य विद्यालय अध्ययन की प्रयागशालाओं में ही पूरा करने का प्रयास किया जाता है। घर पर अपने स्त्रोतों से ज्ञान संचय के लिए अध्ययन करना उसकी इच्छा पर निर्भर करता है।
9. **स्वतन्त्र वातावरण**—इस प्रणाली में बालकों को पूर्णरूप से स्वतन्त्र वातावरण में पढ़ने का अवसर प्राप्त होता हैं। उन पर शिक्षक एवं विद्यार्थी का परस्पर समय सारणी, कक्षा व गृह-कार्य का कोई बन्धन नहीं होता। शिक्षक विद्यार्थियों को बिना किसी दबाव के पढ़ने का प्रयास करते हैं।
10. **कक्षा शिक्षण और परीक्षा प्रणाली के दोषों से मुक्त**—यह प्रणाली कक्षा शिक्षण के दोषों से मुक्त हैं, क्योंकि इसमें बालक की वैयक्तिक भिन्नता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस प्रणाली में बालक के सिर पर परीक्षा का डर नहीं होता है क्योंकि इसमें परीक्षा को महत्त्व नहीं दिया जाता। इसमें वर्षभर का कार्य पूरा के बाद बालक को नई कक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है।

11. **शिक्षक एवं विद्यार्थी का परस्पर सम्बन्ध**—इस प्रणाली में शिक्षक और विद्यार्थियों का पारस्परिक सम्बन्ध अच्छा रहता है। कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों के मित्र एवं पथ-प्रदर्शक के रूप में योग्यतानुसार प्रगति का अवसर उपलब्ध कराने में आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं।
12. **अनुशासन की समस्या का समाधान**—इस प्रणाली में स्वतन्त्रतापूर्वक रुचिपूर्ण कार्य करने के कारण बालकों के मन की भावनाओं का दमन नहीं होता और वे अनुशासनहीन नहीं होते हैं। यह विश्वसनीय प्रणाली है और अनुशासन स्थापित करने में सहायक है।
13. **ग्राफ रिकॉर्डों का महत्त्व**—इस प्रणाली में विद्यार्थी की प्रगति को ग्राफ रिकॉर्ड में रखने की व्यवस्था है जिसमें बालकों के कार्य एवं समय के सदुपयोग आदि का लेखा-जोखा रहता है। इनके द्वारा विद्यार्थियों की प्रगति को समझने की प्रेरणा भी मिलती है।
14. **पारस्परिक सहायता देने का अवसर**—इस प्रणाली में सम्मेलनों तथा विचार-विमर्श सभाओं को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है। इससे बालक एक-साथ बैठकर एक-दूसरे की समस्याओं का समाधान करते हैं एवं उचित सुझाव देते हैं। इस प्रकार इस प्रणाली के द्वारा बालकों में परस्पर सहभागिता का गुण विकसित होता है।

डाल्टन प्रणाली के दोष
(Demerits of Dalton System)

डाल्टन प्रणाली में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं—

1. **पाठान्तर क्रियाओं का अभाव**—इस प्रणाली में भ्रमण, पिकनिक, निरीक्षण आदि को महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है, जो की बालकों के सर्वतोन्मुखी विकास के लिए आवश्यक है। इस तरह यह प्रणाली पाठान्तर क्रियाओं की दृष्टि से कम उपयोगी है।
2. **पुस्तकीय निर्भरता का भय**—इस प्रणाली में व्यावहारिक शिक्षा का अभाव रहता और पुस्तकीय शिक्षा की प्रधानता रहती है। इसी कारण डाल्टन प्रणाली में शिक्षा देने से बालक किताबी कीड़ा बन कर रह जाता है।
3. **मौखिक कार्य का अभाव**—इस प्रणाली में बालकों को लिखने का काम अधिक करना पड़ता है, इसलिए उन्हें मौखिक कार्य के अभ्यास के लिए अवसर नहीं मिल पाता। इसके परिणामस्वरूप बालक की भाषा का विकास सन्तुलित रूप में नहीं हो पाता है।
4. **सामूहिक शिक्षा का अभाव**—इस प्रणाली में वैयक्तिक शिक्षा पर इतना अधिक बल दिया जाता है कि सामूहिक शिक्षा का सर्वथा अभाव हो जाता है। इस प्रणाली में अभिनय, संगीत, खेल आदि की शिक्षा कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जा सकती क्योंकि ये सभी सामूहिक शिक्षा के स्वरूप हैं। अत: इस प्रणाली में सामूहिकता का अभाव पाया जाता है।
5. **शिक्षकों के प्रभाव में कमी**—इसी प्रणाली में बालक वैयक्तिक रूप से अध्यन करते हैं, जिससे शिक्षकों को कम काम करना पड़ता है और उनका प्रभाव घट जाता है। इसके अतिरिक्त बालकों पर शिक्षकों के व्यक्तित्व तथा चरित्र की छाप नहीं पड़ती, फलस्वरूप उनके व्यक्तित्व तथा चरित्र का कोई मूल्य नहीं रह जाता है।
6. **योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव**—इस प्रणाली के अनुकूल शिक्षा प्रदान करने के लिए योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। इसी कमी के कारण बालकों के शिक्षण का कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न नहीं हो पाता है।
7. **वैयक्तिक शिक्षण पर विशेष बल**—इस प्रणाली में वैयक्तिक शिक्षण पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है, जिसके कारण बालकों में सामूहिक भावना का विकास नहीं हो पाता है।
8. **उत्तम पुस्तकों का अभाव**—डाल्टन प्रणाली को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त पुस्तकों का होना अति आवश्यक है, परन्तु अभी हमारे देश में भी विभिन्न विषयों पर इस प्रणाली के अनुरूप की पुस्तकों का अभाव है। इसी कारण यह प्रणाली भारत में कार्यान्वित नहीं की जा सकी है।
9. **अनैतिक कार्य होने की आशंका**—इस प्रणाली में शिक्षा सम्बन्धी कुछ अनैतिक कार्य होने की सम्भावना भी रहती है। इस प्रणाली में यह भी आशंका रहती है कि बालक अपना कार्य किसी दूसरे विद्यार्थी की सहायता से या किसी अन्य के कार्य की नकल करके पूरा करे। अत: यह कार्य चारित्रिक तथा मानसिक विकास की दृष्टि से अनुचित है।

TOUCH 'n' PASS

10. **दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली**—इस प्रणाली में वार्षिक कार्य के आधार पर बालक को अगली कक्षा में पदोन्नत किया जाता है, इससे बालक की योग्यता का सटीक मापन नहीं होता है। क्योंकि बालक अपना कार्य किसी के द्वारा या अन्य की मदद से भी पूरा कर सकता है, ऐसे में कार्य पूर्ण कर लेने से यह नहीं समझा जा सकता है कि बालक ने उसे सीख लिया है और उसे धारण कर लिया है।
11. **व्ययशील प्रणाली**—इस प्रणाली के अनुसार शिक्षा देने में प्रत्येक विषय के लिए विषय-विशेषज्ञ, उपयुक्त पुस्तक, एक प्रयोगशाला तथा शिक्षण यन्त्रों की आवश्यकता होती है। जिसकी व्यवस्था के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है, परन्तु भारत देश में वर्तमान स्थितियों को देखते हुए इतनी व्ययशील प्रणाली कार्यान्वित नहीं की जा सकती है।
12. **विषयों में सानुबन्ध का अभाव**—इस प्रणाली में जो शिक्षक कार्य करते हैं, वे अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। उनके द्वारा जो विषय पढ़ाए जाते हैं उनमें सानुबन्ध नहीं हो पाता है। चूंकि प्रत्येक विषय का अध्ययन अलग-अलग होता है, इस कारण विभिन्न विषयों का समन्वय करना आसान नहीं है। कुछ विषयों (जैसे-विज्ञान तथा संगीत) की शिक्षा देने में विद्यार्थियों को शिक्षक के अधिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसी कारण इस प्रणाली से सभी विषयों की शिक्षा नहीं दी जा सकती है विशेष रूप से संगीत और विज्ञान की शिक्षा देना असम्भव ही है।

प्र.5. मॉण्टेसरी प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसके गुण एवं दोषों की चर्चा कीजिए।
What do you understand by Montessori System? Discuss its merits and demerits.

उत्तर

मॉण्टेसरी प्रणाली
(Montessori System)

डॉ० मॉण्टेसरी की गिनती दुनिया के महान शिक्षाशास्त्रियों में की जाती है। उन्होंने अपना जीवन एक डॉक्टर के रूप में आरम्भ किया एवं बाल शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मौलिक देन देकर अपना नाम अमर कर लिया। डॉ० मॉण्टेसरी इटली की मूल निवासी थीं। मॉण्टेसरी ने सन् 1898 ई० में चिकित्सा-विभाग में मानसिक दोष पूर्ण (Mentally defective) बालकों की देखभाल शुरू की। इन बालकों की दयनीय दशा देखकर इन्होंने निर्णय किया कि ऐसे बालकों की शिक्षा की कोई नई व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने अपने अनुभवों से यह निष्कर्ष निकाला कि मन्दबुद्धि वाला बालक भी बुद्धिमान बन सकता है, यदि उसकी शिक्षा-पद्धति पूर्ण मनोवैज्ञानिक हो। इसलिए उन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान तथा सामाजिक मानवशास्त्र का गहन अध्ययन करके बालकों के लिए एक नवीन शिक्षा-पद्धति का प्रतिपादन किया जो **मॉण्टेसरी-पद्धति** (Montessori Method) के नाम से प्रसिद्ध है। चूंकि मॉण्टेसरी मन्दबुद्धि एवं दिव्यांग बालकों की चिकित्सक थी। अत: उन्होंने मुख्यत: उन्हीं की समस्याओं को ध्यान में रखकर शिक्षण विधियों का निर्धारण किया। मांटेसरी शिक्षा पद्धति एक ऐसा विधि है, जो बच्चे को स्वतंत्र रूप में देखती है। अत: इस शिक्षा पद्धति में बालक पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है उसे खेलने कूदने की स्वतंत्रता होती है, तो वहीं सभी प्रकार के विचार, ज्ञान गोष्ठियों तथा विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों में भाग लेने की स्वतंत्रता उसे होती है। दिव्यांग एवं मन्दबुद्धि बालकों की शिक्षा हेतु **'मॉण्टेसरी प्रणाली'** का विकास किया गया तथा इसी प्रणाली के अनुसार शिक्षा सिद्धान्तों एवं कार्यविधियों का प्रतिपादन किया गया। मॉण्टेसरी शिक्षण पद्धति को तीन भागों में विभाजित किया गया है—

1. **ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा—मॉण्टेसरी के मतानुसार**, "ज्ञानेन्द्रियों का प्रशिक्षण ही बाल-शिक्षा का प्रमुख आधार है।" अत: ज्ञानेन्द्रियों के प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए जिसके लिए इस प्रणाली में विभिन्न प्रकार के शिक्षण उपकरणों का प्रयोग; जैसे—रंग-बिरंगी टिकिया, ध्वनिपूर्वक घण्टियाँ, सुगन्धित पदार्थ, नमक, मिर्च, खटाई, मिठाई तथा विभिन्न आकार के चिकने एवं खुरदरे पदार्थों का प्रयोग विभिन्न ज्ञानेन्द्रियों (आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा) को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया।
2. **कर्मेन्द्रियों की शिक्षा**—मॉण्टेसरी में पढ़ने वाले बालकों की आयु 3 से 7 वर्ष के बीच होती है। अत: सर्वप्रथम बालकों की मांसपेशियों एवं कर्मेन्द्रियों को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता है। जिसके लिए बालकों को विभिन्न कार्यों, जैसे—बाल गृह की सफाई, हाथ-मुँह धोना, स्नान करना, कपड़े पहनना, फर्नीचर सजाना, जूते पॉलिश करने, बाल बनाने, खाना परोसने, खाने एवं बर्तन साफ करने आदि का अवसर प्रदान किया जाता है। इन कार्यों द्वारा वह कर्मेन्द्रियों के

प्रशिक्षण के साथ-साथ शारीरिक सन्तुलन एवं व्यावहारिक कुशलता प्राप्त करता है। इसके साथ ही खेल-कूद, कृषि एवं बागवानी तथा व्यायाम द्वारा कर्मेन्द्रियों को सुदृढ़ता प्राप्त होती है।

मॉण्टेसरी के अनुसार, "शिक्षण विधि में इन्द्रियों की शिक्षा का निश्चित रूप से अधिकतम महत्त्व होना चाहिए। मॉण्टेसरी ने इन ज्ञानेन्द्रियों को क्रमशः इस प्रकार विभाजित किया है—

(i) घ्राणेन्द्रिय (Smell Sense) (ii) स्पर्शेन्द्रिय (Touch Sense) तथा
(iii) चक्षु इन्द्रिय (Sight Sense) (iv) स्वादेन्द्रिय (Sense of Taste)
(v) श्रवणेन्द्रिय (Hearing Sense)

मॉण्टेसरी प्रणाली के गुण (Merits of Montessori System)

मॉण्टेसरी प्रणाली के प्रमुख गुण इस प्रकार हैं—

1. **वास्तविक जीवन की क्रियाएँ**—मॉण्टेसरी प्रणाली में घर एवं विद्यालय के भेद को समाप्त करके बालकों को वास्तविक जीवन की क्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। बालक स्कूल में विभिन्न कार्यों में हाथ-मुँह धोना, कपड़े पहनना, कंघी करना और नाश्ते के बर्तन धोने एवं सजावट करना इत्यादि कार्यों को करते हैं जो उनमें विद्यालय तथा घर के भेद को समाप्त कर देता है।
2. **आत्म-निर्भरता**—इस प्रणाली में बालकों को स्वयं अपने सारे कार्य करने होते हैं जिससे वे विभिन्न कार्यों; जैसे—फर्नीचर ठीक करना, हाथ-मुँह धोना, बाल काढ़ना, साफ-सफाई को स्वयं करना, सीख जाते हैं तथा उनमें आत्मनिर्भरता का विकास होता है।
3. **स्कूल आकर्षण का केन्द्र**—डॉ० मॉण्टेसरी ने अपने जीवन का अधिकतम समय दिव्यांग एवं मन्दबुद्धि बालकों की शिक्षा व चिकित्सा में लगा दिया। तत्पश्चात् उन्होंने शिशुओं के स्वाभाविक विकास के लिए विद्यालय में घर जैसा स्नेह एवं पर्यावरण देने के लिए स्वतन्त्रता विभिन्न खेलों को विशेष महत्त्व दिया जिससे मॉण्टेसरी विद्यालय आकर्षण के प्रमुख केन्द्र बन गए। इस तरह के विद्यालय में खेल द्वारा बालक अधिक रुचिपूर्वक सीखते हैं।
4. **मनोवैज्ञानिक आधार**—मॉण्टेसरी पद्धति बालकों के मनोविज्ञान पर आधारित है। सबसे पहले कर्मेन्द्रियों को सुदृढ़ तथा ज्ञानेन्द्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता है जो उसके मस्तिष्क से सम्बन्धित है। द्वितीय तथ्य है कि बालक की जन्मजात एवं खेल प्रवृत्ति को पहचानकर उसके अनुसार उसे सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। खेल की विशेषता (रुचि, क्रिया, स्वतन्त्रता एवं आनन्द) द्वारा बालक अधिक क्रियाशील रहता है। इसके अतिरिक्त बालक के स्वयं के अनुभवों द्वारा तथ्यों की पहचान क्रियाशील रहता है। इसके अतिरिक्त बालक के स्वयं के अनुभवों द्वारा तथ्यों की पहचान एवं क्रिया द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक वास्तविक एवं स्थायी होता है। इस प्रणाली में वैयक्तिक भिन्नता के अनुरूप सीखने पर अवसर प्राप्त होते हैं। जो पूर्णतया मनोवैज्ञानिक हैं।
5. **घर जैसा वातावरण**—मॉण्टेसरी स्कूलों में शिशुओं को घर जैसा वातावरण दने के लिए उसको पूर्ण-स्वतन्त्रता एवं खेल द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। उस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होता है। सिर्फ शिक्षिका उसे ऐसी परिस्थितियाँ प्रदान करती है जिससे वे स्वयं क्रियाशील होकर कार्य करें।

मॉण्टेसरी प्रणाली के दोष (Demerits of Montessori System)

1. **अनुपयोगी पाठ्यक्रम**—मॉण्टेसरी प्रणाली के पाठ्यक्रम में मुख्यतः 3 से 7 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा पर बल दिया गया है जिसमें बालक से खाना खाने, कपड़े धोने, साफ-सफाई, स्वयं खाना परोसना, ये सभी कार्य करवाने की बात वर्णित की गई है जो कि पूर्णतया निराधार है क्योंकि तीन वर्ष के बालक के लिए सभी कार्य करना सम्भव नहीं है।
2. **पूर्ण स्वतन्त्रता का अभाव**—वैसे तो मॉण्टेसरी पद्धति में बालक की स्वतन्त्रता पर विशेष बल दिया गया है परन्तु कुछ विशेष कार्यों को सम्पन्न करने या शिक्षण उपकरणों के प्रयोग करने से उनकी पूर्ण स्वतन्त्रता का ह्रास होता है। विशेष प्रकार की परिस्थितियाँ भी उनके कार्यों को निश्चित कर देती हैं जिससे बाहर जाकर बालक कार्य नहीं कर पाता है व पूर्ण स्वतन्त्रता का अभाव होता है।
3. **शैक्षिक उपकरणों की अधिकता**—मॉण्टेसरी पद्धति में बालक के सभी कार्यों को करने में प्रायः विभिन्न शैक्षिक उपकरणों के प्रयोग को महत्ता दी गई है। बालकों की कर्मेन्द्रियों के प्रशिक्षण, ज्ञानेन्द्रिय प्रशिक्षण तथा भाषा एवं गणित

शिक्षण के लिए विभिन्न उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया गया। ये शैक्षिक उपकरण आवश्यकता से अधिक होने के साथ ही प्रत्येक कार्य से सम्बंधित होते हैं। अत: कुछ समय उपरान्त बालक इन उपकरणों के प्रयोग करने में अधिक रुचि नहीं लेते हैं।

4. **भाषा एवं गणित की शिक्षा**—भाषा एवं गणित की शिक्षा के प्रति मॉण्टेसरी ने नवीन विचारों का प्रतिपादन किया। इन्होंने पढ़ने की अपेक्षा लिखने के कार्य को सरल माना है क्योंकि लिखने की क्रिया में केवल अक्षरों की आकृतियों का अनुकरण करना होता है जिससे केवल मांसपेशियों का प्रयोग होता है जबकि पढ़ने में वाक्य उच्चारण के साथ-साथ उसका अर्थ भी समझना होता है। सबसे पहले बालक को लकड़ी पर बने अक्षरों को स्पर्श द्वारा समझना होता है। सबसे पहले बालक को लकड़ी पर बने अक्षरों को स्पर्श द्वारा समझना सिखाया जाता है। जिससे उसकी मांसपेशियाँ सधने लगती हैं। इसके पश्चात् कटी हुई आकृतियों में रंग भरने का निर्देश दिया जाता है। वे शिक्षिकाओं के स्वर में स्वर मिलाकर उच्चारण करते हैं पढ़ने की शिक्षा के लिए फ्लैश कार्ड एवं अन्य विभिन्न सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। मॉण्टेसरी पद्धति में गणित शिक्षण हेतु विभिन्न शिक्षण यन्त्रों का प्रयोग करते हुए जोड़ना, घटाना और गिनती सिखाने के लिए रंग-बिरंगी गोलियों, गेंदों एवं अन्य वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है जिससे बालक रुचिपूर्वक भाषा एवं गणित का ज्ञानार्जन कर लेता है।
5. **भाषा शिक्षण की दोषपूर्ण विधि**—भाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी विचाराभिव्यक्ति करता है। मॉण्टेसरी का मत है कि किसी तथ्य को यदि पढ़ा जाए तो लिखने की क्रिया सरल हो जाती है। बालक प्राय: भाषा ज्ञान सुनकर, बोलकर, पढ़कर और अन्त में लिखकर अर्जित करता है। मॉण्टेसरी का मानना है कि पहले बालक को लिखना सिखाया जाना चाहिए जो कि तर्कसंगत तथ्य नहीं है। अत: यह विधि दोषपूर्ण है।
6. **ज्ञानेन्द्रिय प्रशिक्षण की दोषपूर्ण विधि**—मॉण्टेसरी पद्धति में ज्ञानेन्द्रिय प्रशिक्षण के लिए एक समय में एक ही ज्ञानेन्द्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया गया है। इसके साथ ही विभिन्न ज्ञानेन्द्रिय प्रशिक्षण के लिए अलग-अलग उपकरणों का प्रयोग निश्चित किया गया है जबकि बालक की एक से अधिक ज्ञानेन्द्रियाँ एक साथ कार्य करती हैं। इस अवस्था में एक समय में एक ज्ञानेन्द्रिय प्रशिक्षण की बात असम्भव प्रतीत होती है।

प्र.6. किण्डरगार्टन प्रणाली को समझाइए तथा इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। [2021]
Explain Kindergarten System and mention its main characteristics.

उत्तर

किण्डरगार्टन प्रणाली
(Kindergarten System)

फ्रोबेल का बचपन उपेक्षित था। इसलिए वह चाहते थे कि जो दु:ख उन्होंने अनुभव किया वह किसी अन्य बालक को न करना पड़े। इसलिए उन्होंने सन् 1839 में **'ब्लैकबर्न'** नामक स्थान पर 4 से 6 वर्ष के बालकों के लिए **प्रथम किण्डरगार्टन** अर्थात् **शिशु विहार** की स्थापना की। किण्डरगार्टन शब्द जर्मन भाषा से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है **''शिशुओं का बाग'', बच्चों का बगीचा'' या ''बच्चों का उद्यान''**। फ्रोबेल ने अपने किण्डरगार्टन को बाग, शिक्षक को माली एवं बालकों को पौधों की संज्ञा दी है। फ्रोबेल का यह मानना था कि विकास क्रम में बालक तथा पौधे एक समान होते हैं। अत: शिक्षक को माली बनकर प्रेम एवं स्नेह के जल से उन्हें सींचना चाहिए जिससे बालकों का सम्पूर्ण विकास हो सके। फ्रोबेल का यह विश्वास था कि जिस प्रकार एक पौधे का प्रस्फुटन बीज के अन्दर होता है ठीक उसी प्रकार बालक का विकास उसके भीतर से होता है।
किण्डरगार्टन प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. **मातृ खेल एवं शिशु गीत**—मातृ खेल एवं शिशु गीत एक लघु पुस्तिका है, इस पुस्तिका में पचास गीतों का संकलन है। इसमें संग्रहित प्रत्येक गीत की अलग-अलग टिप्पणी होती है। ये गीत बालकों के खेलों, रचनात्मक कार्यों एवं व्यवसाय से सम्बन्धित होते थे। इन खेलों एवं गीतों का क्रम बच्चों की आयु एवं योग्यता के अनुसार रखा गया है। फ्रोबेल का मानना था कि बालक जो कुछ भी सीखता है पहले गीत द्वारा अभिव्यक्त करता है। इसके पश्चात् उसमें अपने सीखे हुए ज्ञान को हाव-भाव व्यक्त करने की समझ विकसित होती है। पहले इन गीतों को शिक्षक स्वयं गाकर एवं अभिनय करके बताता है तत्पश्चात् बालकों को गीत गाने तथा अभिनय करने के लिए कहता है। इन गीतों के द्वारा बालक की विभिन्न ज्ञानेन्द्रियों व विभिन्न अंगों का विकास होता है एवं बालक तथा उसकी माता में सम्बनध स्थापित होती है। इन गीतों के माध्यम से बालकों का शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक या यू कहें कि सर्वांगीण विकास किया जाता है।

2. **आत्म क्रिया**—फ्रोबेल को यह विश्वास था कि बालक का विकास उसके भीतर से होता है। उनका मानना था कि आत्मक्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से बालक अपने स्वभाव की जानकारी कर सकता है। बालक अपने स्वभाव को जानने के बाद इस सृष्टि से तालमेल स्थापित करने में सक्षम होता है। बालकों को आत्म क्रिया के अवसर प्रदान करने तथा उन्हें खेल द्वारा शिक्षा देने के लिए फ्रोबेल ने विविध प्रकार की सामग्री तथा साधनों का निर्माण किया, जिनको निम्नलिखित रूप से वर्णित किया जा सकता है—
   (i) **खेल**—फ्रोबेल ने अपनी किण्डरगार्टन प्रणाली में खेलों को विशेष स्थान दिया है एवं खेलों को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया है। इस प्रणाली में चार प्रकार के खेल (मनोरंजनपूर्ण एवं रचनात्मक खेल, सामूहिक भावना की वृद्धि करने वाले खेल कल्पना शक्ति का विकास करने वाले खेल एवं चरित्र का विकास करने वाले खेल) अपनाए जाते हैं। **फ्रोबेल** के अनुसार, "इस अवस्था में खेल पवित्रतम तथा पूर्ण आध्यात्मिक क्रिया है। अत: यह आनन्द, स्वतंत्रता, सन्तुष्टि, शारीरिक एवं हार्दिक विश्राम प्रदान करती है और संसार के साथ शान्ति स्थापित करती हैं। संसार में जो कुछ भी अच्छा है, यह खेल उसी का उद्‌गम स्रोत हैं।"
   (ii) **कहानियाँ**—फ्रोबेल ने बालको की शिक्षा के माध्यमों में सबसे महत्त्वपूर्ण साधन कहानियों को माना है उसका मानना था, कहानियों के माध्यम से बालकों को अधिक सरल एवं सरस ढंग से पढ़ाया जा सकता है। उनकी भाषा को अधिक अच्छा बनाया जा सकता है। कहानियों द्वारा भाषा एवं शब्द भण्डार के ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। कहानी विधि के माध्यम से बालकों में इतिहास एवं भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है तथा उनके इन विषयों से सम्बन्धी ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है।
3. **उपहार**—फ्रोबेल ने इन्द्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया है। उन्होंने इसके लिए विविध उपहारों का निर्माण भी किया हैं, जो निम्न प्रकार हैं—
   (i) **प्रथम उपहार**—प्रथम उपहार, गेंदों का उपहार था। बालक को खेलने के लिए 6 रंग-बिरंगी गेंदें डाल दी जाती हैं। बालक उन्हें उछाल-उछाल कर खेलता है। उन रंग बिरंगी गेंदों के माध्यम से बालकों को रंगरूप, स्पर्श, गति, कठोरता, कोमलता एवं दिशा तथा पदार्थों की पहचान आदि सिखाया जाता था।
   (ii) **दूसरा उपहार**—दूसरे उपहार में गोले, बेलन तथा लकड़ी का बना घन होता है। इस उपहार के माध्यम से बालकों को विभिन्न आकार की वस्तुओं का ज्ञान कराया जाता है। इसके माध्यम से बालकों को स्पर्श शक्ति का आभास कराया जाता है साथ ही वह किसी वस्तु की स्थिरता, गतिशीलता, समानता व भिन्नता का ज्ञान प्राप्त करते हैं।
   (iii) **तीसरा उपहार**—इस उपहार में आठ बराबर छोटे-छोटे घनों का एक बड़ा घन होता है। इन घनों को एक लकड़ी के बॉक्स में रखा जाता है। इन आठों घनों को व्यवस्थित करने के माध्यम से बालकों की रचनात्मक प्रवृत्ति को सन्तुष्टि मिलती है, उन्हें इन्द्रियों का प्रशिक्षण मिलता है और वे अधिक क्रियाशील होते हैं।
   (iv) **चौथा उपहार**—इस उपहार में आठ आयताकार घनों का एक बड़ा घन होता है। इन आयताकार ठोसों को एक बॉक्स में रख दिया जाता है। यह उपहार तीसरे उपहार की अपेक्षा जटिल होता है। इन उपहारों के माध्यम से बालकों को मेज, कुर्सी आदि के डिजाइन बनाना बताया जा सकता है।
   (v) **पाँचवा उपहार**—इस उपहार में सत्ताईस बराबर घनों का एक बड़ा घन होता है। यह उपहार उपर्युक्त सभी उपहारों की अपेक्षा अधिक जटिल होता है। इस उपहार में मात्र समकोण वाले ठोस न होकर न्यूनकोण वाले ठोस भी शामिल होते हैं। इससे बालकों को सीधी रेखाओं के साथ-साथ आड़ी-तिरछी रेखाओं का भी ज्ञान हो जाता है।
   (vi) **छठा उपहार**—इस उपहार में उठारह बड़े एवं नौ छोटे विषम चतुर्भुजों का एक बड़ा घन होता है। यह उपहार अन्य सभी उपहारों की भांति उपयोगी सिद्ध होता है लेकिन यह उपहार मुख्यत: बड़े बालकों के लिए उपयोगी होता है। इनकी सहायता से बालक ज्यामिती की भिन्न-भिन्न आकृतियाँ बनाकर ज्यामिती का ज्ञान प्राप्त करते हैं।
   (vii) **सातवाँ उपहार**—इस उपहार में लकड़ी के बने अन्य विभिन्न आकार (वर्ग एवं त्रिभुज) के टुकड़े सम्मिलित होते हैं। इस उपहार में विभिन्न रंगों से रंगीन टुकड़े एक बॉक्स में रखे जाते हैं। प्रत्येक बॉक्स में अलग-अलग प्रकार की आकृतियों वाले टुकड़े रखे जाते हैं। इन गुटकों के माध्यम से बालकों में किश्ती, कबूतर, पहाड़ आदि के विविध डिजाइन बनाने की क्षमता का विकास हो जाता है। इनका प्रयोग भी रेखागणित के विभिन्न चित्रों को बनाने में किया जाता है।

प्र.7. किण्डरगार्टन प्रणाली के सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।
Explain the principles of Kindergarten System.

उत्तर

किण्डरगार्टन प्रणाली के सिद्धान्त
(Principles of Kindergarten System)

किण्डरगार्टन प्रणाली का क्रियात्मक रूप प्रमुख रूप से फ्रॉबेल की दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है। उसकी शिक्षा-पद्धति के आधारभूत सिद्धान्त निम्नलिखित हैं—

1. **स्वतः विकास का सिद्धान्त**—फ्रॉबेल के अनुसार इस संसार का प्रत्येक प्राणी विकास की ओर उन्मुख होता है। प्रत्येक वस्तु का विकास उसके आन्तरिक नियमों के अनुसार स्वत: ही होता है, उसे बाहर से थोपा नहीं जाता है। किसी भी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप से बालक का विकास कुण्ठित हो जाता है। उसका विश्वास था कि जिस प्रकार बीज के अन्दर विकास शक्ति निहित होती है एवं उसे प्रयोग में लाने पर वह अन्दर से बाहर की ओर विकसित होती है, उसी प्रकार से बालक का भी विकास अन्दर से बाहर की ओर होता है। उनके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना उनकी स्वाभाविक विशेषता है, केवल उन्हें ऐसा बाहरी वातावरण दिया जाना चाहिए कि उनका ज्ञान सही दिशा में विकसित हो।
2. **एकता का सिद्धान्त**—फ्रोबेल आदर्शवादी दार्शनिक एवं ईश्वरवादी थे। इन्होंने दुनिया की विविधता में एकता देखी। फ्रोबेल चाहता था कि उसके शिष्य इस एकता को अनुभव करें इसके लिए उसने कई तकनीकों का निर्माण किया। वह दैवीय एकता के सिद्धान्त में विश्वास रखता था। फ्रॉबेल का विश्वास था कि सभी वस्तुएँ ईश्वर द्वारा निर्मित हैं एवं सभी में ईश्वर व्याप्त है। वह बालक को शिक्षा के माध्यम से ईश्वरीय एकता का अनुभव कराना चाहता था। उसका विचार था कि ईश्वर बीज है एवं सम्पूर्ण सृष्टि उस बीज के बढ़े हुए वृक्ष है। ऊपर से देखने में संसार में विभिन्नताएँ हैं, किन्तु प्रत्येक जीव में एक आत्मा है एवं यह आत्मा ईश्वर का ही अंश है। इस प्रकार संसार की सभी वस्तुओं में एकता है।
3. **खेल का सिद्धान्त**—फ्रोबेल ने बच्चों की प्रकृति का अध्ययन किया एवं इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उनकी खेलों में स्वाभाविक रुचि है, इसलिए उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए प्ले-वे पद्धति के महत्त्व को स्वीकार किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों को प्ले-वे पद्धति में स्वयं को अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, इसलिए वे इसमें रुचि लेते हैं और सक्रिय हो जाते हैं।
4. **स्वतन्त्रता का सिद्धान्त**—फ्रॉबेल ने अपनी शिक्षा-पद्धति में स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को महत्त्व देते हुए बच्चों के प्राकृतिक विकास के लिए स्वतंत्रता को आवश्यक माना है। जब बालक को पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाएगी तभी बालक स्वक्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके प्राकृतिक विकास में किसी भी तरह का हस्तक्षेप उनके विकास में बाधक है। लेकिन उन्होंने रूसो द्वारा वकालत की गई स्वतंत्रता का विरोध किया। उनके विचार में स्वतंत्रता की एक सीमा होनी चाहिए एवं यह सीमा इस सीमा तक होनी चाहिए कि उनके विचारों एवं गतिविधियों से दूसरों को कोई हानि न हो। इसीलिए फ्रॉबेल का कहना है कि शिक्षक को बालकों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका निरीक्षण करना चाहिए।
5. **स्वक्रिया का सिद्धान्त**—फ्रोबेल विकास को एक आंतरिक गतिविधि मानते थे, इसलिए उन्होंने बच्चों को आत्म-गतिविधि के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करने पर जोर दिया। फ्रोबेल के अनुसार, बच्चों की मुख्य विशेषता आत्म-गतिविधि है। स्व-गतिविधि से, फ्रोबेल का अर्थ उस गतिविधि से था जिसे बच्चा स्वयं करना चाहता है और रुचि के साथ करता है। फ्रॉबेल ने अपनी शिक्षा-पद्धति में इस सिद्धान्त को अत्यधिक महत्त्व दिया है और कहा है कि वास्तविक विकास स्व-क्रिया द्वारा ही सम्भव है। क्रियाशील रहने से बालक की मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही शक्तियाँ विकसित रहती हैं साथ ही इससे बच्चे का आध्यात्मिक विकास भी होता है।
6. **सामाजिकता एवं सामूहिकता का सिद्धान्त**—फ्रोबेल इस तथ्य को जानता था कि मनुष्य की प्रवृत्ति मिलनसार होती है जो उसे एक सामाजिक प्राणी बनाती है। उन्होंने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि मनुष्य का किसी भी प्रकार का विकास सामाजिक वातावरण में ही संभव है, घर, विद्यालय एवं समाज उसे आत्म-क्रिया करने के अवसर प्रदान करते हैं, इसलिए बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में अवश्य भाग लेना चाहिए। इसके लिए फ्रॉबेल ने अपनी शिक्षा-पद्धति में सामूहिक खेल, सामूहिक गान एवं अन्य सामूहिक कार्यों पर बल दिया है। इन सभी कार्यों द्वारा बालकों में सहयोग, सहानुभूति व एकता की भावना का विकास होता है।

प्र.8. किण्डरगार्टन प्रणाली के गुण तथा दोषों को स्पष्ट कीजिए।
Make clear the merits and demerits of Kindergarten System.

उत्तर

किण्डरगार्टन प्रणाली के गुण
(Merits of the Kindergarten System)

किण्डरगार्टन प्रणाली के गुण निम्नलिखित हैं—

1. **आत्मक्रिया पर बल**—इस प्रणाली में बालकों में आत्मक्रिया को महत्त्व दिया जाता है एवं आत्मक्रिया का विकास करने के लिए सजीव एवं स्वाभाविक माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इस प्रणाली में बच्चे खेल और उपहार के माध्यम से स्वयं को सिखाते हैं। क्रियाशील शिक्षक मित्र व पथप्रदर्शक की प्रधानता के कारण बालक स्वयं कार्य करके सीखते हैं। विभिन्न व्यावसायिक क्रिया को महत्त्व वस्तुओं एवं उपकरणों द्वारा खेलने से बालकों की स्वक्रिया को शारीरिक श्रम पर बल उत्तेजना मिलती है, जिससे उनमें आत्मशक्ति, क्रियाशीलता एवं नैतिक व सामाजिक आदि गुणों का विकास होता है।
2. **मनोवैज्ञानिक पद्धति**—किण्डरगार्टन प्रणाली स्वतन्त्रता, स्व-क्रियाओं एवं खेल विधि द्वारा शिक्षा पर आधारित है। यह विधियाँ मनोवैज्ञानिक एवं प्रभावी शिक्षण की विधियाँ है। इस प्रकार यह बाल मनोविज्ञान के दो सिद्धान्तों रुचि का सिद्धान्त एवं क्रियाविधि का सिद्धान्त का अनुसरण करती है। यह बाल-केन्द्रित है। यह प्रणाली बालकों के व्यक्तित्व के विकास पर पूरा ध्यान देती है।
3. **आध्यात्मिकता का विकास**—फ्रोबेल आदर्शवादी थे। वह बच्चों को दुनिया की विविधता में एकता का अनुभव कराना चाहते थे। इसकी अनुभूति कराने के लिए गीत, खेल व उपहारों का प्रयोग विशिष्ट प्रकार से किया जाता है। किण्डरगार्टन में प्रार्थना एवं नैतिक कहानियों के साथ दिन की शुरूआत, इसी के उद्देश्य से होती है। इस प्रणाली के द्वारा बालकों को विश्व की अनेकता में एकता का अनुभव होता है। विश्व की एकता का ज्ञान होने से बालकों को ईश्वर के अस्तित्व के बारे पता चलता है और उनका आध्यात्मिक विकास भी होता है।
4. **सौन्दर्यात्मक अनुभूति का विकास**—इस प्रणाली द्वारा संचालित विद्यालयों में बालकों को प्राकृतिक अवलोकन का अवसर प्रदान किया जाता है। इसमें बच्चे सुन्दर-सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों का निरीक्षण करते हैं, बागबानी करते हैं एवं गीतों को हावभाव के साथ गाते हैं। इस प्रकार बालकों के अन्दर सौन्दर्यात्मक अनुभूति का विकास होता है।
5. **शिशु शिक्षा हेतु उपयोगी विधि**—यह प्रणाली छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए अत्यन्त उपयोगी एवं उपयुक्त है। फ्रॉबेल के अनुसार, "स्कूल की शिक्षा में तभी सफलता प्राप्त हो सकती है, जब शिक्षा में सुधार कर उसकी नींव मजबूत कर दी जाए।"
6. **शिक्षक मित्र व पथ प्रदर्शक के रूप में**—इस प्रणाली के आधुनिक शिक्षा का आधार बालक है एवं इसमें शिक्षक का स्थान गौण होता है। इस प्रणाली के सौन्दर्यात्मक विकास में शिक्षक का स्थान गौण होता है। इस प्रणाली के सौन्दर्यात्मक विकास में शिक्षक का स्थान केवल मित्र, सहायक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में होता है। शिक्षक केवल बालकों के कार्य-कलापों का निरीक्षण हैं एवं उन पर दबाव नहीं डालते हैं। इन विद्यालयों में केवल महिलाओं को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, एवं उनसे बच्चों के साथ माँ जैसे व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। इन स्कूलों में बच्चों को कोई दण्ड नहीं दिया जाता है, उनके साथ प्यार एवं सहानुभूति से व्यवहार किया जाता है।
7. **अंतर्निहित गतिविधि पर जोर**—फ्रोबेल का मानना था कि संपूर्ण ज्ञान मनुष्य में निहित है, इसे बाहर लाना शिक्षक का कार्य है। किण्डरगार्टन स्कूल में बच्चों को ऐसा वातावरण दिया जाता है कि उन्हें जागरूक किया जा सके कि वे वहाँ करके सीखते हैं। यह प्रणाली खेल द्वारा शिक्षा पर विशेष बल देती है। बालक खेल-खेल में लिखना, पढ़ना, गणित आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है।
8. **इन्द्रियों का प्रशिक्षण**—इस प्रणाली में बालकों की ज्ञानेन्द्रियों को प्रशिक्षित होने का अवसर मिलता है, क्योंकि इस प्रणाली में बच्चों को पहले उनकी इंद्रियों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है, और उनके माध्यम से सभी प्रकार के ज्ञान और गतिविधियों का विकास किया जाता है। साथ ही इसके खेल एवं शिशु की शिक्षा के लिए उपयोगी उपहार इस प्रकार के बने हैं कि बालक की इन्द्रियाँ स्वत: प्रशिक्षित हो जाती है, इसके साथ-ही-साथ उनकी मानसिक क्रियाओं में तत्परता एवं स्पष्टता आ जाती है। इंद्रियों के माध्यम से सीखा गया ज्ञान व गतिविधियाँ स्पष्ट तथा स्थायी होती हैं।

9. **विद्यालय का आकर्षक वातावरण**—किण्डरगार्टन प्रणाली ने विद्यालय के नीरस वातावरण का अन्त करके वहाँ पर सरसता एवं उल्लास का वातावरण उत्पन्न कर दिया है। किण्डरगार्टन स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए उचित भवन एवं फर्नीचर, उचित खेल सामग्री व जगह और बच्चों की गतिविधि के विस्तार के लिए विभिन्न प्रकार के उपहार एवं उपकरण हैं। साथ ही इन विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रशिक्षित मातृ शिक्षकों द्वारा किया जाता है। वे अपने मृदु व्यवहार और कुशल कार्यों से विद्यालय में भी घर के समान वातावरण उत्पन्न कर देती हैं, जिससे छोटे-छोटे बच्चों को घर जैसा वातावरण मिलने से किसी प्रकार का भय नहीं होता है। परिणामस्वरूप, वे बच्चों के आकर्षण के केंद्र हैं।
10. **सृजनात्मक शक्ति का विकास**—फ्रॉबेल ने अपनी मनोवैज्ञानिक प्रणाली शिक्षा प्रणाली में कार्य और व्यापारों को अत्यधिक महत्त्व दिया है। ये कार्य बालकों को भावी जीवन के लिए तैयार करते हैं। इस प्रणाली में बच्चे विभिन्न उपहारों की सहायता से विभिन्न आकार बनाते हैं और कई रचनात्मक कार्य (व्यवसाय) करते हैं। इससे उनमें कल्पना तथा रचनात्मक शक्ति का विकास होना स्वाभाविक है।
11. **प्राकृतिक विकास के अवसर**—इस प्रणाली में बच्चे को एक बच्चे के रूप में लिया जाता है, न कि एक छोटे वयस्क के रूप में। उसे उसके प्राकृतिक विकास के लिए मुक्त अवसर प्रदान किए जाते हैं।
12. **नैतिक एवं सामाजिक गुणों का विकास**—यह प्रणाली बालकों के वैयक्तिक विकास के साथ-साथ उनके नैतिक एवं सामाजिक विकास पर भी बल देती है। फ्रॉबेल ने अपनी प्रणाली में सामूहिक क्रियाओं तथा सामूहिक खेलों पर बल दिया है, जिससे बच्चे सामूहिक खेल खेलते हैं, इससे उनमें सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास होता है।
13. **सरल, रुचिपूर्ण एवं आकर्षक पद्धति**—शिक्षा देते समय बालक की आय रुचियों, क्षमताओं एवं योग्यताओं का ध्यान रखा जाता है। वह खेल, गीत, अभिनय, रचना आदि के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करता है। इस प्रकार यह प्रणाली सरल है। इसके अन्तर्गत बालक रुचिपूर्ण ढंग से शिक्षा प्राप्त करता है, इस कारण यह प्रणाली आकर्षक कही जाती है।
14. **आधुनिक शिक्षा का आधार**—इस प्रणाली ने आधुनिक शिक्षा को कुछ महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्धान्त प्रदान किए हैं, जिन पर आधुनिक शिक्षा आधारित है, जैसे-स्वतन्त्र अनुशासन का महत्त्व, क्रिया द्वारा शिक्षा आदि। आधुनिक शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार भी इस प्रणाली की ही देन है।
15. **शारीरिक श्रम पर बल**—इस प्रणाली में शारीरिक श्रम पर विशेष बल दिया गया है। बालक अनेक शारीरिक कार्यों, जैसे—चटाई बुनना, बागवानी, लकड़ी का काम, सीना-पिरोना आदि को सीखता है। ऐसे कार्य करने से बालकों के मन में शारीरिक श्रम करने का इच्छा जन्म लेती है तथा वे किसी कार्य को निम्न स्तर का नहीं समझते हैं।

किण्डरगार्टन प्रणाली के दोष
(Demerits of Kindergarten System)

यह प्रणाली निश्चित रूप से एक अच्छी प्रणाली है, लेकिन यह भी अवगुणों से मुक्त नहीं है। इसके निम्नलिखित दोष हैं—

1. **व्यक्तिगत विकास पर कम ध्यान**—इस प्रणाली में सामूहिक एकता एवं सामूहिक जीवन पर इतना अधिक बल दिया गया है कि वैयक्तिकता का विलय हो गया है। इस प्रणाली में बच्चों के व्यक्तिगत मतभेदों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। सभी बच्चों को समान कार्य करने होते हैं। फलस्वरूप बच्चों का व्यक्तिगत विकास नहीं हो पाता है।
2. **कुछ गीत, खेल एवं चित्र पुराने**—इस प्रणाली में जिन गीतों एवं चित्रों का समावेश किया गया है, वे बहुत पुराने हैं साथ ही फ्रोबेल द्वारा निर्मित तुकबंदी के रूप में चरणों एवं माधुर्य की कमी के कारण बच्चे न तो उन्हें सीख पा रहे हैं और न ही उन्हें गाने में सक्षम हैं। तुकबंदी से जुड़ी तस्वीरें भी अच्छी नहीं हैं। ये सब आज की शैक्षिक परिस्थितियों के अनुकूल भी नहीं हैं और इनका प्रयोग प्रत्येक देश के प्रत्येक विद्यालय में नहीं किया जा सकता है।
3. **कुछ उपहार अनुपयुक्त हैं**—फ्रोबेल ने अपनी शिक्षण प्रणाली के लिए जो उपहार बनाए, उनमें से कुछ बहुत ही असामान्य हैं। अधिकांश शिक्षाशास्त्रियों का मत है कि फ्रॉबेल के उपहार स्वरूप में बनावटी एवं प्रस्तुत करने के क्रम में मनमाने हैं। इनका प्रयोग स्वेच्छापूर्वक किया गया है।
   फ्रॉबेल ने इस तथ्य की उपेक्षा की है कि बालक विद्यालय में जाने से पहले ही भिन्न-भिन्न आकृतियों, रूपों और रंगों से परिचित हो जाता है एवं उसे उपहारों की कोई आवश्यकता नहीं रहती साथ ही आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युग में बच्चों की उनमें कोई रुचि नहीं है। इसीलिए आजकल बहुत-से विद्यालयों ने इन उपहारों को अनावश्यक समझकर पाठ्यक्रम से निकाल दिया है।

4. **सीमित स्वतन्त्रता**—यद्यपि यह व्यवस्था स्वतन्त्रता के सिद्धांत पर बनी थी, परन्तु बच्चों को व्यवहार में विद्यालय के समय-सारणी का पालन करना पड़ता है। इस प्रणाली के द्वारा बालक को निश्चित उपहारों, अभाव कार्यों, गीतों तथा खेलों में बँधना पड़ता है, जिस कारण बालक अपने को पूर्ण स्वतन्त्र अनुभव नहीं कर पाते हैं। वे उस वातावरण में बन्धनों का अनुभव करते हैं।.
5. **ज्ञान की प्रक्रिया का गलत अर्थ**—फ्रॉबेल ने ज्ञान की प्रक्रिया का गलत अर्थ लगाया गया है। फ्रॉबेल ने माना था कि विकास एक आन्तरिक क्रिया है। शिक्षा द्वारा जो कुछ बालक के भीतर होता है, वही बाहर निकालता है। परन्तु यह विचार पूर्णतया सत्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि विकास तभी होता है, जब बालक वातावरण को समझ लेता है एवं उसे अपने अनुकूल बनाता है। बहुत-सा ज्ञान व अनुभव बालक में बाहर से अन्दर प्रवेश करता है।
6. **अस्पष्ट रहस्यवादी सिद्धान्त**—फ्रॉबेल ने अपनी शिक्षा प्रणाली में जिन रहस्यवादी सिद्धान्तों को आधार बनाया है, वे अमनोवैज्ञानिक, भ्रामक एवं अस्पष्ट हैं। फ्रॉबेल के रहस्यवाद में कल्पना का बाहुल्य है एवं उसके बालक वास्तविक जीवन से बहुत दूर पहुँच जाते हैं।
7. **प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव**—इस प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले खेलों, उपहारों एवं व्यवसायों के लिए बड़ी मात्रा में धन एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के कारण प्रयुक्त उपहार एवं व्यवसाय आदि समस्या उत्पन्न करते हैं और धन की कमी के कारण प्रत्येक विद्यालय में इनकी व्यवस्था नहीं की जा सकती।
8. **विषयों की अन्योन्याश्रितता का अभाव**—इस प्रणाली में ज्ञान एवं गतिविधियों को एक इकाई के रूप में एकजुट करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। क्योंकि इसमें विषय अलग-अलग करके पढ़ाए जाते हैं, इसलिए विभिन्न विषयों में समन्वय एवं सहसंबद्ध स्थापित नहीं हो पाता है। उत्तम शिक्षण-प्रणाली वही हो सकती है, जिसमें सभी विषय परस्पर अन्योन्याश्रित हों।
9. **अमनोवैज्ञानिक पद्धति**—कुछ आलोचकों का मत है कि किण्डरगार्टन प्रणाली बाल मनोविज्ञान के विपरीत हैं। इनका मत है कि फ्रॉबेल ने अपनी शिक्षा प्रणाली में जिन गोल, बेलन एवं घन आदि आकारों की वस्तुओं का प्रयोग करके अपने दार्शनिक विचारों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है, उनको समझना एवं प्रयोग करना बालक के लिए असम्भव है। बालकों में उन वस्तुओं का प्रयोग करते समय प्रतीकवाद से सम्बन्धित उन सूक्ष्म भावों का विकास नहीं हो सकता, जिनकी फ्रॉबेल ने कल्पना की है। इसलिए फ्रॉबेल का प्रतीकवाद अमनोवैज्ञानिक है।
10. **आध्यात्मिक विकास पर अत्यधिक बल**—इस प्रणाली में आध्यात्मिक विकास पर तुलनात्मक रूप से अधिक बल दिया जाता है। प्रार्थना के बाद धर्म व नैतिकता पर कितनी चर्चा इस आयु के बच्चे समझ सकते हैं। 27 छोटे घनों या आयताकार टुकड़ों से घन बनाकर अनेकता में एकता की अवधारणा को स्पष्ट करना ही हास्यास्पद है।
11. खेल, उपहार और व्यवसाय की अधिकता-खेल की भावना के साथ स्कूल की गतिविधियों को करना एक बात है एवं यह सीखना कि खेल क्या सिखा सकता है, यह पूरी तरह से दूसरी बात है। फ्रोबेल ने अपनी प्रणाली के लिए आवश्यकता से ज्यादा कई उपहार और चुने हुए पेशों का निर्माण किया है। किसी भी चीज की अधिकता रुचि को कम कर देती है।
12. **उत्तरदायित्व की शिक्षा का अभाव**—इस प्रणाली में पूर्व निश्चित योजना के अनुसार कार्य करना पड़ता है एवं बालकों को ऐसे अवसर नहीं दिए जाते हैं कि वह स्वयं विचार कर उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से कार्य कर सकें। इस कारण बालकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास नहीं हो पाता है।

प्र.9. भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिए। [2021]
Discuss the present status of pre-primary education in India.

उत्तर वर्तमान समय में भारत वर्ष में लगभग सभी गाँवों में कम-से-कम एक सरकारी पूर्व-प्राथमिक शिक्षा केन्द्र की सुविधा, सामान्यत: आँगनवाड़ी के रूप में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अधिकांश गाँवों में एक या एक से अधिक निजी पूर्व-प्राथमिक शिक्षा केन्द्र भी संचालित किए जा रहे हैं। अधिकांश परिवार चार साल की उम्र से ही अपने बच्चों को आँगनवाड़ी या निजी पूर्व-प्राथमिक केन्द्रों में भेज देते हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में यह एक बड़ी उपलब्धि है। जब पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की माँग और आपूर्ति दोनों ठीक-ठाक हैं तो अब यह उचित अवसर है कि पूर्व-प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाए। साथ ही, इससे वंचित बच्चों के लिए भी इसकी उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा और आरंभिक प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की भागीदारी अस्थिर और परिवर्तनशील है। यह आवश्यक नहीं है कि यह भागीदारी नीतिगत दस्तावेजों (बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था की देख-रेख एवं शिक्षा नीति 2013) द्वारा निर्धारित आयु आधारित दिशा का पालन करती हो। कुछ राज्यों में चार साल के बालक पहले से ही स्कूलों में हैं (हालाँकि जरूरी नहीं कि वे नामांकित हों)। वहीं, कुछ अन्य राज्यों में छह से सात साल के बालकों की एक बड़ी संख्या अब भी पूर्व-प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों में जा रही है। सभी राज्यों में बच्चों की भागीदारी अनियमित है। यह पाया गया है कि प्राय: बच्चे पूर्व-प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों और प्राथमिक विद्यालयों के बीच अदला-बदली कर रहे होते हैं और आठ वर्ष की आयु तक आते-आते ही नामांकन स्थिर हो पाता है।

भारत वर्ष में स्कूलों की संरचना, पाठ्यक्रम और प्रक्रियाएँ इस अवधारणा के साथ बनाई जाती हैं कि बच्चे अपनी आयु के अनुसार और एक समान गति से सीख रहे होंगे। यद्यपि उपर्युक्त भागीदारी के विभिन्न तरीके यह प्रदर्शित करते हैं कि ये मान्यताएँ शुरुआती कक्षाओं की वास्तविक आयु संरचनाओं से शायद ही कभी मेल खाती हैं। फलस्वरूप, बच्चों के एक बड़े हिस्से से विकासात्मक तौर पर अनुपयुक्त पाठ्यक्रम में दक्षता प्राप्त करने की उम्मीद की जाती है।

चार से पाँच साल की उम्र में नियमित पाठशाला-पूर्व शिक्षा में भागीदारी और पाँच साल की आयु में बालक की स्कूल की तैयारी पर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालती है अर्थात् पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता स्कूल की तैयारी को बेहतर बनाने वाले प्रमुख कारकों के तौर पर उभरती है। स्कूल की तैयारी का प्राथमिक शिक्षा के दौरान, विशेषकर गणित और भाषा सीखने की उपलब्धियों से महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध है।

हमारे देश में औसतन, 5 वर्ष की उम्र में बच्चों की स्कूल की तैयारी का स्तर अपेक्षित स्तर से बहुत कम है। अधिकांश बच्चे कम गुणवत्ता वाले ऐसे संस्थानों में जा रहे हैं, जो आयु के अनुसार उपयुक्त तरीकों, सामग्री और गतिविधियों का उपयोग करने में असफल होते हैं। इसलिए, बच्चे प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम को सीखने के लिए आवश्यक संज्ञानात्मक, पूर्व-साक्षरता, पूर्व-संख्यात्मक कौशलों और अवधारणाओं में दक्षता प्राप्त किए बिना ही स्कूल में आ जाते हैं। बच्चे क्या कर सकते हैं और उनसे क्या करने की उम्मीद की जाती है, इनके बीच का अन्तर काफी जल्दी सामने आ जाता है और बच्चों के एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के साथ यह अन्तर तेजी से बढ़ता जाता है। सरकार द्वारा संचालित आँगनवाड़ी केन्द्र और निजीशाला- पूर्व केन्द्र वर्तमान में भारत में उपलब्ध पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के दो प्रमुख मॉडल हैं। बच्चों का केवल एक छोटा-सा हिस्सा ही अन्य विकल्पों, जैसे कि गैर-सरकारी संगठनों या धार्मिक या अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित पूर्व-प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों में जाता है। आँगनवाड़ी केन्द्र और निजी शाला-पूर्व केन्द्र कई मापदण्डों पर बहुत अलग हैं। जहाँ आँगनवाड़ी केन्द्र मुख्यत: पोषण या बच्चों की देखभाल करने वाले केन्द्रों की तरह कार्य कर रहे हैं, वहीं निजी शाला-पूर्व केन्द्र प्राथमिक स्कूलों का ही निचला विस्तार होते हैं। दोनों में से कोई भी मॉडल बच्चों को इस आयु में उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक वातावरण और सहयोग प्रदान नहीं करता है। विशेषकर, नियोजित खेल के अवसर, जो पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का बेहद महत्त्वपूर्ण घटक हैं, इन दोनों ही मॉडल्स में पूर्णत: अनुपस्थित हैं। दोनों प्रकार के पूर्व-प्राथमिक केन्द्रों में पूरा ध्यान पढ़ने-लिखने और गणित (3R's) के औपचारिक शिक्षण पर केन्द्रित होता है।

भारत वर्ष में पूर्व-प्राथमिक सेवाओं की एक विस्तृत विविधता विद्यमान है, जैसे कि आँगनवाड़ी, बालवाड़ी, प्राथमिक विद्यालय के साथ स्थित आँगनवाड़ियाँ, निजी पूर्व-प्राथमिक विद्यालय इत्यादि। यदि स्थान, समय, सामग्री, शिक्षणशास्त्र, संसाधन साझाकरण आदि के सन्दर्भ में प्रभावी सम्बन्ध स्थापित किए जाते हैं तो कोई कठिनाई नहीं आएगी और पूर्व-प्राथमिक एक अच्छा निवेश बन सकता है और प्राथमिक शिक्षा के लिए फीडर/इनपुट के रूप में कार्य कर सकता है, साथ ही सीखने और विकास को प्रगतिशील बना सकता है।

प्र.10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को समझाते हुए इसके आधारभूत सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए।
By describing National Education Policy (NEP) 2020, make clear its fundamental principles.

उत्तर शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत एवं न्यायपूर्ण समाज के विकास एवं राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति- 2020 (NEP-2020) को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है जिससे स्कूली एवं उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते खुल गए हैं। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जो 34 वर्ष (राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 के बाद) के बाद आई है। नई शिक्षा नीति-2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया है।

इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत GER के साथ पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना है। इस नई शिक्षा नीति-2020 में स्कूली बच्चों में से 2 करोड़ को मुख्य धारा में वापस लाने का लक्ष्य है। सबके लिए आसान पहुँच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता एवं जवाबदेही के आधारभूत स्तम्भों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है एवं इसका उद्देश्य 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज एवं ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना व प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। इसके अन्तर्गत 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा एवं 3 वर्ष की आंगनवाडी/प्री-स्कूलिंग के साथ एक नया 5+3+3+4 स्कूली पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।

एन०ई०पी० 2020 के आधारभूत सिद्धान्त (Fundamental Principles of NEP 2020)

शिक्षा प्रणाली का उददेश्य ऐसे उत्तम व्यक्तियों का विकास करना है, जो तर्कसंगत विचार करने वाले एवं कार्य करने में निपुण हो, उनका करुणा, सहानुभूति, साहस, लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन एवं रचनात्मक कल्पनाशक्ति, नैतिक मूल्य जैसे गुणों का समावेश हो। इसका उददेश्य ऐसे उत्पादक व्यक्तियों को तैयार करना है जोकि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित-समावेशी एवं बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान कर सके। एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह होती है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है साथ ही उसकी देखभाल की जाती है। वहाँ एक ऐसा सुरक्षित एवं प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण होता है, जहाँ सभी छात्रों को अधिगम के लिए विविध प्रकार के पर्याप्त अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं साथ ही जहाँ अधिगम हेतु अच्छे बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध होते हैं। ये सब हासिल करना प्रत्येक शिक्षा संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए। तथापि साथ ही विभिन्न संस्थानों के मध्य एवं शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव व समन्वय आवश्यक है।

मूलभूत सिद्धान्त जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली को और साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों दोनों का मार्गदर्शन करने में सफल होंगे, वे निम्नलिखित हैं—

1. प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान एवं उनके विकास के लिए सभी (शिक्षकों एवं अभिभावकों) को प्रयास करना चाहिए। इसके लिए शिक्षकों एवं अभिभावकों को छात्रों की विशिष्ट क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे बच्चे की अकादमिक एवं अन्य क्षमताओं के साथ-साथ उसके सर्वांगीण विकास पर भी पूरा ध्यान दें।
2. विभिन्न विषयों के विभाजन को एक समन्वित नजरिये से देखना यानि कला एवं विज्ञान के मध्य पाठ्यक्रम एवं पाठ्येत्तर गतिविधियों के मध्य, व्यावसायिक एवं शैक्षणिक धाराओं, आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव न हों, जिससे ज्ञान क्षेत्रों के बीच हानिकारक ऊँच-नीच एवं परस्पर दूरी एवं असम्बद्धता को दूर किया जा सकेगा। इससे छात्रों को मनपसंद विषयों के चुनाव व अध्ययन की स्वतंत्रता को स्वाभाविक रूप से शिक्षा व्यवस्था में स्थान मिलेगा।
3. सभी ज्ञान की एकता एवं अखण्डता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-विषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी एवं खेल के बीच एक बहु-विषयक (multi-disciplinary) एवं समग्र शिक्षा का विकास करना।
4. जीवन कौशल; जैसे—आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन, के विकास को भी स्थान दिया गया है।
5. बहु-भाषिकता एवं अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन देना। अर्थात् रचनात्मक सोच, तार्किक चिन्तन एवं तार्किक निर्णय लेने एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने व अध्ययन अध्यापन में मातृभाषा को प्रमुखता देने के साथ-साथ बहुभाषिकता के महत्त्व को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज में रेखांकित किया गया है।
6. बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को सर्वोच्च प्राथमिकता देना ताकि सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को प्राप्त कर सकें।
7. अधिगम के तौर तरीकों एवं कार्यक्रमों के चयन में लचीलापन वाला नजरिया अपनाने की बात कही गई है ताकि छात्रों में उनके सीखने के तौर-तरीके एवं कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता का विकास हो। इस तरह वे अपनी प्रतिभा व रुचियों के अनुसार जीवन में अपने मार्ग का चयन कर सकेंगे।
8. नैतिकता, मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों पर बल जैसे, सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतान्त्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक सम्पत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व, बहुलतावाद, समानता और न्याय को आगे ले जाना।

9. अवधारणात्मक समझ पर बल दिया गया है। अर्थात रंटत पद्धति के आधार पर एवं केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई न कराई जाए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध को प्रोत्साहित करना। शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान एवं नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत् समीक्षा करना।
10. शिक्षकों एवं संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केन्द्र मानना। इसके लिए शिक्षकों के पेशेवर विकास (प्रोफेशनल डेवेलपमेंट) की निरंतरता, कार्य के लिए सकारात्मक वातावरण, उनकी भर्ती एवं तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था, निरंतर व्यावसायिक विकास की उपलब्धता एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शोध की उत्कृष्ठता पर बल दिया गया है।
11. इस बात को सदैव ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है। सभी पाठ्यक्रम, शिक्षण-शास्त्र एवं नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता व स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान का भाव हो।
12. सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन, साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुँच और सामर्थ्य के दायरे में रखना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता प्राप्त कर सकें।
13. प्रारम्भिक बाल्यवस्था देखभाल तथा शिक्षा, स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी 12 स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तारतम्यता बनाये रखना।
14. सीखने के लिए सतत् मूल्यांकन पर जोर देना। पूर्व में इसकी जगह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का इस्तेमाल किया जा रहा था।
15. तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर देना। अध्ययन-अध्यापन कार्य में, भाषा सम्बन्धी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में और शैक्षणिक नियोजन और प्रबन्धन में, नवीन तकनीकी का सहयोग लिया जाए।
16. शैक्षिक प्रणाली की अखण्डता, पारदर्शिता एवं संसाधन कुशलता ऑडिट एवं सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए एक 'हल्का, लेकिन प्रभावी' नियामक ढाँचा विकसित करना साथ ही साथ स्वायत्तता, सुशासन एवं सशक्तीकरण के माध्यम से नवाचार व आउट-ऑफ-द-बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना।
17. शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए।
18. भारतीय जड़ों एवं गौरव से बंधे रहना एवं जहाँ प्रासंगिक लगे वहाँ भारत की समृद्ध एवं विविध प्राचीन व आधुनिक संस्कृति व ज्ञान प्रणालियों एवं परम्पराओं को शामिल करना एवं उससे प्रेरणा लेना।

प्र.11. नई शिक्षा नीति (NEP)-2020 का दृष्टिकोण तथा इसके द्वारा तैयार स्कूल शिक्षा के ढाँचे को समझाइए। Explain the perspectives of NEP-2020 and structure of school education prepared by it.

उत्तर

नई शिक्षा नीति-2020 का दृष्टिकोण (Perspectives of NEP-2020)

नई शिक्षा नीति, 2020 का दृष्टिकोण भारतीय मूल्यों से परिपूर्ण शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराकर एवं भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर एक जीवंत एवं न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या एवं शिक्षाविधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों एवं संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव एवं बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे। नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि एवं कार्यों में भी एवं साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों एवं सोच में भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास व जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही अर्थों में वैश्विक नागरिक बन सकें।

स्कूल शिक्षा का ढाँचा (Structure of School Education)

नई शिक्षा नीति, 2020 में 10 + 2 (1986 की शिक्षा नीति में दिया गया) के फार्मूले को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है एवं इसे 5+3+3+4 के फार्मूले में ढाला गया है। इसका अर्थ यह है कि अब स्कूल के पहले पाँच वर्ष में प्री-प्राइमरी स्कल के तीन वर्ष एवं कक्षा 1 व कक्षा 2 सहित मूलभूत स्तर (फाउंडेशन स्टेज, पहला भाग) शामिल होगें। फिर अगले तीन वर्ष (+3) को कक्षा 3 से 5 की (प्रारम्भिक तैयारी के चरण, दूसरा भाग) शिक्षा में विभाजित किया गया है।

इसके बाद में तीन वर्ष (+3) को कक्षा 6 से 8 की (मध्य चरण, तीसरा भाग) शिक्षा में विभाजित किया गया है। इसके बाद 4 वर्ष (+4) में कक्षा 9 से 12 तक की (माध्यमिक चरण, अन्तिम भाग) शिक्षा शामिल है। इस प्रकार स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या एवं शिक्षण-शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नयी व्यवस्था में पुनर्गठित किया गया है। जैसा कि यहाँ दी गयी आकृति में दिया गया है—

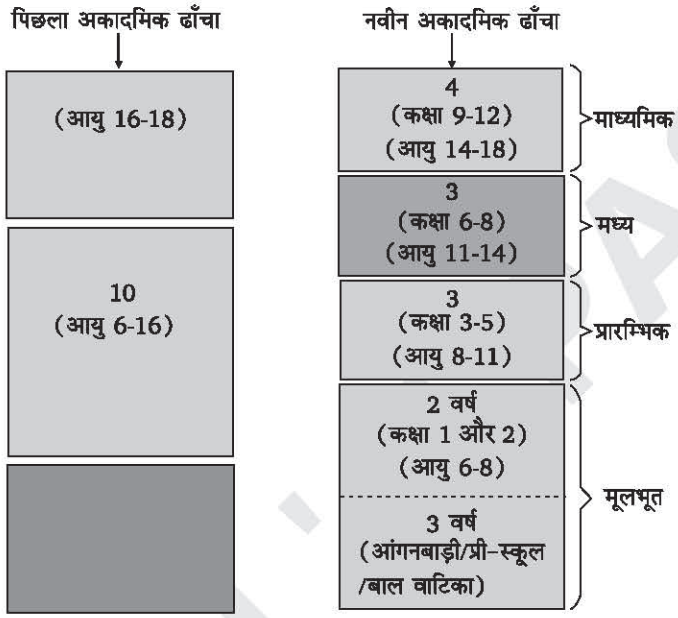

1. **मूलभूत स्तर**—पहले तीन साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री-स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। फिर अगले दो साल कक्षा एक एवं दो में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन पाँच वर्षों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। सामान्य तौर पर गतिविधि आधारित शिक्षण पर ध्यान रहेगा। इसमें तीन से आठ वर्ष तक की आयु के बच्चे कवर होंगे। इस प्रकार पढ़ाई से पहले पाँच साल का चरण पूरा होगा।
2. **प्रारम्भिक स्तर**—इस चरण में कक्षा तीन से पाँच तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा।
3. **मध्य स्तर**—इसमें कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी एवं 11-14 वर्ष की आयु के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा छह से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएंगे।
4. **माध्यमिक स्तर**—कक्षा 9 से 12 की पढाई दो चरणों में होगी जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की स्वतन्त्रता भी होगी।

इस प्रकार पूर्व शिक्षा नीति में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे 10+2 वाले ढाँचे में शामिल नहीं थे क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। नए 5+3+3+4 ढाँचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) की एक सुदृढ़ बुनियाद को शामिल किया गया है जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो, वे बेहतर उपलब्धियाँ हासिल कर सकें एवं खुशहाल हो सकें।

❑

UNIT-VI

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
Primary and Secondary Education

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. शिक्षा में अवरोधन की समस्या के चार मुख्य कारण लिखिए।
Write four main causes for stagnation in education.

उत्तर शिक्षा में अवरोधन की समस्या के मुख्य कारण हैं—1. अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, 2. दोषपूर्ण शिक्षा विधि तथा परीक्षा प्रणाली, 3. विद्यालयों की दोषपूर्ण व्यवस्था तथा 4. रुचि के अनुसार विषयों का अभाव।

प्र.2. शिक्षा में अवरोधन की समस्या से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by the problem of stagnation in education?

उत्तर किसी बच्चे का एक कक्षा में एक वर्ष से अधिक समय तक रुकना अर्थात् कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाना शिक्षा में अवरोधन की समस्या कहलाता है।

प्र.3. शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास कब तेज किए गए?
When were the efforts intensified for the spread of education?

उत्तर स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास तेज किए गए।

प्र.4. भारत वर्ष में अनिवार्य शिक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा लागू की गई?
Who first implemented the concept of compulsory education in India?

उत्तर भारत वर्ष में अनिवार्य शिक्षा अवधारणा सर्वप्रथम बड़ौदा नरेश महाराजा सायाजीराव गायकवाड़ द्वारा लागू की गई। बड़ौदा नरेश ने प्राथमिक शिक्षा सम्पूर्ण बड़ौदा क्षेत्र में अनिवार्य घोषित कर दी थी।

प्र.5. शिक्षा में अपव्यय से क्या तात्पर्य है?
What is the meaning by wastage in education?

उत्तर शिक्षा में अपव्यय से तात्पर्य उन छात्रों पर व्यय किए गए समय, धन एवं शक्ति से है, जो किसी स्तर की शिक्षा पूर्ण किए बिना अपना अध्ययन बन्द कर देते हैं।

प्र.6. 'शिक्षा का सार्वभौमीकरण' से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by 'Universalisation of Education'?

उत्तर शिक्षा के सार्वभौमीकरण से तात्पर्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद-45 के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अवसर सुलभ कराना है। विशेष रूप से बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना इसका प्रमुख लक्ष्य है।

प्र.7. प्राथमिक शिक्षा के प्रति 'एकीकृत दृष्टिकोण' से क्या आशय है?
What do you mean by 'Integrated Outlook' towards primary education?

उत्तर प्राथमिक शिक्षा के प्रति 'एकीकृत दृष्टिकोण' से आशय उस पद्धति से है, जिसके माध्यम से बालक विषयों की सीमा से पृथक् कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में स्वतन्त्रतापूर्वक अनुभवों के माध्यम से सीखता है।

TOUCH 'n' PASS

प्र.8. भारत में माध्यमिक शिक्षा हेतु कौन-सा आयोग नियुक्त किया गया था?
Which commission was appointed for secondary education in India?

उत्तर भारत में माध्यमिक शिक्षा हेतु मुदालियर आयोग नियुक्त किया गया था।

प्र.9. माध्यमिक शिक्षा क्या है?
What is secondary education?

उत्तर हमारे देश में कक्षा 9 एवं 10 के वर्ग की शिक्षा को निम्न माध्यमिक शिक्षा तथा कक्षा 11 एवं 12 के वर्ग की शिक्षा को उच्च माध्यमिक शिक्षा कहा जाता है।

प्र.10. माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम सम्बन्धी समस्या के समाधान के लिए आपके क्या उपयोगी सुझाव हैं?
What are useful suggestions for solving the problems related to syllabi of secondary education?

उत्तर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम सम्बन्धी समस्या के समाधान के लिए प्रमुख सुझाव हैं—1. रुचिकर पाठ्यक्रम, 2. पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों, व्यवसायों तथा उद्योगों का समावेश तथा 3. छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार विषयों के चयन का अवसर प्रदान किया जाए।

प्र.11. माध्यमिक स्तर की शिक्षा की चार प्रमुख समस्याएँ कौन-सी हैं?
Which are the four main problems of secondary education?

उत्तर माध्यमिक स्तर की शिक्षा की चार प्रमुख समस्याएँ हैं—1. प्रबन्ध सम्बन्धी समस्या, 2. छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनता, 3. पाठ्यक्रम की अनुपयुक्तता तथा 4. अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या।

प्र.12. प्राथमिक शिक्षा एवं उच्चशिक्षा के मध्य की कड़ी क्या है?
What is the linkage between primary and secondary education?

उत्तर प्राथमिक शिक्षा एवं उच्चशिक्षा के मध्य की कड़ी माध्यमिक शिक्षा कहलाती है।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by free and compulsory education?

उत्तर 'अनिवार्य शिक्षा' शिक्षा की वह व्यवस्था होती है जिसके अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के योग्य देश के समस्त बच्चों के लिए शिक्षा-सुविधा उपलब्ध हो तथा बच्चों के लिए शिक्षा ग्रहण करना भी अनिवार्य हो। इस प्रकार अनिवार्य शिक्षा की अवधारणा के दो पक्ष हैं—प्रथम, देश के उन समस्त बालक-बालिकाओं के लिए शिक्षा ग्रहण करने की समुचित व्यवस्था करना, जो प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित आयु-समूह के हों, तथा द्वितीय, इस आयु-समूह के समस्त बालक-बालिकाओं के लिए शिक्षा ग्रहण करने की अनिवार्यता या बाध्यता। अनिवार्य शिक्षा के इन दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए ही 'नि:शुल्क शिक्षा' का विचार प्रस्तुत किया गया। नि:शुल्क शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर की अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों को किसी प्रकार का शुल्क देने की बाध्यता न हो अर्थात् प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक बालक-बालिका। शिक्षा-शुल्क देने के अभाव में शिक्षा से वंचित न रह जाएँ। स्वतन्त्र भारत के संविधान में 'अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा' के प्रति वचनबद्धता को उसके अनुच्छेद 45 में इन शब्दों में स्पष्ट किया गया है—"राज्य इस संविधान के कार्यान्वित किए जाने के समय से दस वर्ष के भीतर सभी बच्चों के लिए चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।" स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में देश के 14 वर्ष तक की आयु वाले बालक-बालिकाओं के लिए अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है।

प्र.2. प्राथमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by primary education?

उत्तर प्राथमिक शिक्षा से आशय—प्रारम्भिक अथवा मुख्य है। अत: प्राथमिक शिक्षा का अर्थ हुआ—प्रारम्भिक शिक्षा या मुख्य शिक्षा। इसे प्रारम्भिक शिक्षा इस कारण कहते हैं कि यह बच्चों को प्रारम्भ में दी जाती है और मुख्य शिक्षा इसलिए कहते हैं कि यह

आगामी शिक्षा की नींव होती है। इस प्राथमिक शब्द के पीछे एक भाव यह भी निहित है कि इसके द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया की प्रथम आवश्यकता सम्प्रेषण के माध्यम-भाषा की शिक्षा दी जाती है और उन्हें सामाजिक जीवन व्यतीत करने की प्राथमिक क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाता है।

प्र.3. शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन की समस्या के समाधान के प्रमुख उपाय लिखिए।
Write the main method to solve the problem of stagnation in education.

उत्तर शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन की समस्या दूर करने हेतु इसके लिए उत्तरदायी कारकों को समाप्त करना होगा। इसको दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाने चाहिए—

1. विद्यालयों में शैक्षिक निर्देशन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बालक शैक्षिक निर्देशन की सहायता से अपनी रुचि के अनुकूल पाठ्य-विषय चुन सकें और सफलतापूर्वक पढ़ सकें।
2. पाठ्यक्रम बालकों की रुचि के अनुकूल होना चाहिए।
3. पाठ्यक्रम को व्यावहारिक जीवन से सम्बन्धित करके निर्धारित किया जाना चाहिए।
4. साथ ही अध्यापकों को ऐसी शिक्षण-विधि अपनानी चाहिए जिससे छात्रों को पढ़ाई गई बातें पूर्ण रूप से समझ में आ सकें।
5. कक्षा में छात्रों की संख्या कम होनी चाहिए ताकि शिक्षक प्रत्येक छात्र की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे सके।
6. परीक्षा-प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि छात्रों को पूरे वर्ष सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण परिश्रम के साथ पढ़ने की प्रेरणा मिले और उनके ज्ञान का सही मूल्यांकन भी हो सके। वार्षिक परीक्षा प्रणाली इस दृष्टि से अधिक उपयोगी नहीं है।

प्र.4. शिक्षा में अपव्यय की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है?
How can the problem of wastage in education be done away with?

उत्तर शिक्षा में अपव्यय की समस्या दूर करने या निवारण के लिए प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए—

1. प्राथमिक स्तर पर नि:शुल्क शिक्षा के साथ-साथ निर्धन तथा मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए पर्याप्त छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
2. प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करना सबसे अच्छा उपाय है। जब माता-पिता शिक्षित होंगे और शिक्षा की उपयोगिता समझने लगेंगे तो वे स्वयं ही अपने बच्चों की शिक्षा की ओर अधिक-से-अधिक ध्यान देंगे।
3. विद्यालयों में खेल-कूद की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे बच्चों का विद्यालय में मन लग सके।
4. विद्यालय-भवनों और विद्यालयों की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए।
5. रोचक एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुकूल पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए।
6. शिक्षा प्रणाली मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिए।
7. उपर्युक्त अतिरिक्त स्कूल में ऐसे छात्रों को पुन: प्रवेश देने की व्यवस्था होनी चाहिए, जो किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ चुके हों। अधिक आयु के हो जाने के कारण उन्हें पत्राचार पाठ्यक्रम, प्राइवेट कोचिंग, लघु पाठ्यक्रम आदि के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कराकर पुन: अपनी आयु के समकक्ष छात्रों के साथ कक्षा में एक साथ पढ़ाया जा सकता है। पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों तथा आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों की और भी अधिक आवश्यकता है।

प्र.5. माध्यमिक स्तर पर निर्देशन के अभाव को दूर करने हेतु शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तुत सुझावों को संक्षेप में बताइए।
Explain in brief the recommendations of Education Commission to do away with lack of direction at secondary level.

उत्तर माध्यमिक स्तर पर निर्देशन के अभाव को दूर करने हेतु शिक्षा आयोग द्वारा दिए गए सुझाव निम्नलिखित हैं—

1. समस्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए न्यूनतम निर्देशन कार्यक्रम तैयार किया जाए।
2. माध्यमिक स्तर पर दिया जाने वाला निर्देशन छात्रों की रुचियों एवं योग्यताओं के विकास में सहायक होना चाहिए।
3. सभी जिलों में कम-से-कम एक विद्यालय में निर्देशन सम्बन्धी विस्तृत कार्यक्रम संचालित किया जाए, जो उस जिले के सभी विद्यालयों के लिए एक आदर्श कार्यक्रम के रूप में सिद्ध हो सके।

TOUCH 'n' PASS

4. भारतीय परिस्थितियों में निर्देशन सम्बन्धी समस्याओं पर अनुसन्धान-कार्य और इससे सम्बन्धित साहित्य तैयार कराया जाए।
5. माध्यमिक विद्यालयों के समस्त शिक्षकों को प्रशिक्षण-अवधि अथवा सेवाकाल में निर्देशन सम्बन्धी तथ्यों से अवगत कराया जाए।
6. माध्यमिक विद्यालयों के लिए एक परामर्शदाता नियुक्त किया जाए, साथ ही विद्यालय के अन्य शिक्षक परामर्शदाता को निर्देशन के कार्यों में अपना आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

शिक्षा-आयोग द्वारा दिए गए उपर्युक्त सुझाव कई दृष्टियों से उपयोगी हैं। आयोग ने निर्देशन की विशेष आवश्यकता का अनुभव किया। इसी कारण उसने प्राथमिक स्तर से ही इसकी व्यवस्था करने पर बल दिया।

प्र.6. विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास माध्यमिक शिक्षा के लिए किस प्रकार का उद्देश्य है?
What kind of an objective for secondary education is the development of students personality?

उत्तर माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत, विद्यार्थियों की रचनात्मक शक्तियों का विकास किया जाना बहुत आवश्यक है। उनको अपनी संस्कृति से भी परिचित कराया जाना आवश्यक है जिससे कि वे अपनी संस्कृति के प्रतिष्ठित अंशों को आत्मसात् कर सकें तथा उनके अविरल विकास में अपना सम्पूर्ण योगदान दे सकें। इन सबके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि विद्यार्थियों को अपनी रुचियों का विकास करने तथा मनोरंजन का अवसर प्राप्त करने की परिस्थितियों का भी सृजन किया जाए। अवकाश के समय के सदुपयोग करने की वांछित योग्यता की प्रगति तथा संवेगात्मक सन्तुलन को बनाए रखने की योग्यता का विकास भी छात्रों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक सिद्ध होगा। इसलिए माध्यमिक शिक्षा का संगठन इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक, मानसिक, साहित्यिक, कलात्मक तथा भावात्मक योग्यताओं का उचित विकास हो सके।

प्र.7. माध्यमिक स्तर पर दोषपूर्ण परीक्षा-प्रणाली में सुधार हेतु मुदालियर आयोग के सुझाव लिखिए।
Write the recommendations of Mudaliar Commission for reforming faulty examination system at secondary level.

उत्तर माध्यमिक स्तर पर दोषपूर्ण परीक्षा-प्रणाली में सुधार हेतु मुदालियर आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं—

1. परीक्षा में केवल निबन्धात्मक प्रश्न ही नहीं पूछे जाने चाहिए।
2. बाह्य-परीक्षाएँ कम होनी चाहिए।
3. विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी का एक विद्यालय अभिलेख होना चाहिए, जिसमें विद्यार्थी द्वारा अनेक क्षेत्रों में प्राप्त की गई सफलताओं का उल्लेख किया जाना चाहिए।
4. बाह्य एवं आन्तरिक परीक्षाओं के कार्यों का मूल्यांकन अंकों के स्थान पर ग्रेडों में किया जाना चाहिए।
5. विद्यार्थियों के कार्यों का मूल्यांकन करते समय, आन्तरिक परीक्षाओं के साथ ही विद्यालयी अभिलेखों तथा नियतकालीन परीक्षाओं को भी महत्त्व दिया जाना चाहिए।

प्र.8. माध्यमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में लिखिए।
What do you understand by secondary education? Write in brief.

उत्तर औपचारिक विद्यालयी शिक्षा को दो भागों में बाँटा जाता है—प्राथमिक शिक्षा तथा निम्न माध्यमिक शिक्षा—

1. कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा कहलाती है।
2. इसी प्रकार कक्षा 9 तथा कक्षा 10 की शिक्षा निम्न माध्यमिक शिक्षा कहलाती है।
3. कक्षा 11 तथा कक्षा 12 की शिक्षा उच्च माध्यमिक शिक्षा (Higher Secondary Education) कहलाती है।

सन् 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सन् 1986 में कक्षा 11 व 12 की शिक्षा को स्कूल शिक्षा क्रम में समाहित करने का प्रयास करने का संकल्प लिया गया। इससे यह स्पष्ट है कि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक चलने वाली माध्यमिक शिक्षा का प्रारम्भ प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति पर होता है तथा उच्च शिक्षा से पूर्व यह समाप्त हो जाती है। शिक्षा आयोग (1964-66) में भी माध्यमिक शिक्षा को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया गया था—

1. निम्न माध्यमिक शिक्षा (Lower Secondary Education),
2. उच्च माध्यमिक शिक्षा (Higher Secondary Education)।

माध्यमिक शिक्षा के पश्चात् ही बालक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करता है।

प्र.9. प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं को लिखिए। [2021]
Write the main problems of Primary Education.

उत्तर

प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ
(Main Problems of Primary Education)

जनसाधारण तथा सरकार के उपेक्षीय व्यवहार के कारण प्राथमिक शिक्षा की प्रगति न हो सकी, जिसका कारण निम्नलिखित मुख्य समस्याएँ हैं—

1. **आर्थिक कठिनाइयाँ**—देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। अधिकतर लोग गरीब हैं, उन्हें भरपेट भोजन भी कठिनाई से प्राप्त हो पाता है। गाँवों की दशा और भी शोचनीय है। ऐसे व्यक्ति काफी संख्या में हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने हेतु मामूली शुल्क, किताब, कॉपी, कपड़े आदि के खर्चे के भार को भी वहन नहीं कर सकते और अपने जीविकोपार्जन के लिए छोटे बच्चों से भी कुछ-न-कुछ काम कराने लगते हैं। यदि हम ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति का ब्यौरा देखें, तो पता लगेगा कि फसल बोने तथा काटने के समय काफी बच्चे लगातार कितने ही दिनों तक स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं। अभिभावक का अनपढ़ होना तथा शिक्षा के प्रति उनका उदासीन दृष्टिकोण भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। अत: आर्थिक कठिनाइयाँ शिक्षा प्रसार में बाधा डालती हैं।
2. **राजनीतिक कठिनाइयाँ**—अंग्रेजी शासन में यद्यपि शिक्षा-व्यवस्था का कार्य भारतीयों के हाथ में 1936 ई० से ही आ गया था, किन्तु फिर भी हमारे नेता प्राथमिक शिक्षा की उन्नति तथा विकास की ओर अधिक ध्यान नहीं दे सके। उनके सम्मुख युद्ध, देश का विभाजन, शरणार्थी समस्या, महँगाई, बेरोजगारी, अनाज की कमी तथा विषम अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ आदि ऐसी अनेक समस्याएँ रहीं, जो इसकी उन्नति में बाधक बनीं। संविधान में उल्लिखित निश्चित अवधि में वे राजनीतिक परिस्थितियों के कारण अनिवार्य नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा के स्वप्न को साकार नहीं कर सके। यह सत्य है कि जब तक देश में राजनीतिक कठिनाइयाँ रहती हैं, तब तक शिक्षा सम्बन्धी अन्य बातों की ओर ठीक प्रकार से सोच-विचार का कार्य करना सम्भव नहीं हो पाता है।
3. **सामाजिक व धार्मिक कठिनाइयाँ**—भारत की अधिकांश जनता अनपढ़ होने के कारण कुछ कुरीतियों अन्धविश्वास, रूढ़िवादिता, छुआछूत, विधवापन, सती प्रथा, परदा प्रथा, बाल-विवाह व जादू-टोना आदि के चंगुल में फँसी है। इनका प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ता है। इन कुरीतियों के अनुयायी शिक्षा के बड़े बाधक रहे हैं। इस कारण अनेक बालक-बालिकाएँ शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यद्यपि इन सामाजिक कुरीतियों का सुधार करने के लिए कुछ सामाजिक संस्थाओं व कार्यकर्ताओं ने उल्लेखनीय कार्य किया है, किन्तु परिस्थिति में विशेष सुधार सम्भव नहीं हो सका है।
4. **भाषागत कठिनाइयाँ**—भारत में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। प्राय: प्रत्येक जिले के बाद भाषा में अन्तर आ जाता है। अध्यापक प्रत्येक भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। देश में ऐसे अनेक भाग हैं, जहाँ की भाषा समझना एक कठिन कार्य है। ऐसे स्थानों पर शिक्षा प्रसार किस प्रकार किया जाए, यह एक कठिन समस्या है। पहाड़ी प्रदेशों, आदिवासियों, नागालैण्ड तथा अण्डमान प्रायद्वीप आदि में किस भाषा द्वारा शिक्षा दी जाए? इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्कूलों में भाषा की शिक्षा देने वाले अच्छे अध्यापकों का सर्वथा अभाव है। जो कुछ भी लोग इस कार्य को सम्पन्न कर रहे हैं, उनकी शिक्षण विधियाँ बड़े प्राचीन ढंग की हैं। उन्हें विषय का बहुत मामूली ज्ञान प्राप्त है। अत: शिक्षा के मार्ग में भाषा की समस्या भी एक बड़ी कठिनाई है।
5. **भौगोलिक कठिनाइयाँ**—भारत एक विशाल देश है। यहाँ पहाड़, नदियाँ, मैदान तथा पठारी क्षेत्र हैं। कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ सभी प्रकार की व्यवस्था करना कठिन कार्य है। आबादी बहुत बिखरी हुई है। छोटे-छोटे गाँवों की संख्या अधिक है। भारत में लगभग 8 लाख गाँव हैं। कुछ गाँवों की जनसंख्या बहुत कम है। अत: प्रत्येक गाँव में प्राथमिक स्कूल खोलना सम्भव नहीं है और वहाँ आने-जाने के साधन भी उपलब्ध नहीं हैं। जलवायु में भी बड़ा अन्तर पाया जाता है। अत: भौगोलिक परिस्थितियाँ भी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा-व्यवस्था में बड़ी बाधक हैं।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. भारत में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य तथा आवश्यकता एवं महत्त्व का उल्लेख कीजिए।
Mention the objectives, need and importance of primary education in India.

उत्तर

प्राथमिक शिक्षा का अर्थ
(Meaning of Primary Education)

प्राथमिक शब्द का सामान्य अर्थ है—प्रारम्भिक या मुख्य। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा का अर्थ हुआ—प्रारम्भिक या मुख्य शिक्षा। प्रारम्भिक शिक्षा इसलिए क्योंकि यह बच्चों को प्रारम्भ में दी जाती है तथा मुख्य शिक्षा इसलिए क्योंकि यह भविष्य की शिक्षा की नींव होती है। भिन्न-भिन्न देशों में इसकी आयु भिन्न-भिन्न रखी गई है।

प्राथमिक शिक्षा को अन्य कई नामों से जाना जाता है; जैसे—बनियादी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, मुख्य शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा आदि। प्राथमिक शिक्षा, बालकों को अपने वातावरण से अनुकूलन करने के योग्य बनाती है, उसमें सद्भावना व सहयोग की भावना का विकास करती है और बालकों का शारीरिक व मानसिक विकास करती है।

भारतीय संविधान के अनुसार-प्राथमिक शिक्षा, "राज्य संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समय अवधि में सभी बालकों को 14 वर्ष की अवस्था की समाप्ति तक नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान करने का प्रयास करेगा।"

कोठारी आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा
(Primary Education According Kothari Commission)

कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को दो भागों में बाँटा है—

1. **निम्न प्राथमिक**—कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का कुल समय चार वर्ष बताया जिसमें 6 से 10 वर्ष तक की आयु से बालक आते हैं।
2. **उच्च प्राथमिक**—कोठारी आयोग ने उच्च प्राथमिक का कुल समय तीन वर्ष बताया जिसमें 11 से 14 वर्ष तक की आयु के बालक आते हैं।

पंचवर्षीय योजना के अनुसार प्राथमिक शिक्षा
(Primary Education According to Five Year Plan)

पंचवर्षीय योजना के अनुसार प्राथमिक शिक्षा को दो भागों में विभाजित किया गया है—

1. **पाँच वर्ष की शिक्षा**—6-11 वर्ष तक की आयु के बालकों हेतु पाँच वर्ष तक शिक्षा की व्यवस्था है।
2. **तीन वर्ष की शिक्षा**—पाँच वर्ष की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् अग्रिम तीन वर्ष तक शिक्षा (कक्षा छह, सात एवं आठ) की व्यवस्था है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि—
   (i) पहली से आठवीं कक्षा तक के समस्त बालकों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाए।
   (ii) प्राथमिक शिक्षा की समयावधि आठ वर्ष होगी।
   (iii) संविधान में राज्यों को इससे सम्बन्धित निर्देश दिए गए हैं।
   (iv) संविधान लाग होने के 10 वर्ष के अन्दर ही 6-14 वर्ष तक के समस्त बालकों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा बालक के स्कूल की प्रारम्भिक अवस्था है जिसमें वह आठ वर्ष की नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करता है।

प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य
(Objectives of Primary Education)

भारत में प्राथमिक शिक्षा के उददेश्य निश्चित करने के सम्बन्ध में सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा आयोग (हण्टर कमीशन, 1882) ने विचार व्यक्त किए। इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के मात्र दो उददेश्य निश्चित किए-एक जन शिक्षा का प्रसार एवं दूसरा

TOUCH 'n' PASS

व्यावहारिक जीवन की शिक्षा। कोठारी आयोग (1964-66) ने अपने प्रतिवेदन में प्राथमिक शिक्षा के उददेश्यों के सम्बन्ध में कहा है कि "आधुनिक प्राथमिक शिक्षा का उददेश्य बालक को भावी जीवन की परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ बनाने के लिए शारीरिक एवं मानसिक प्रशिक्षण देकर उसका इस प्रकार से विकास करना है कि वह वास्तव में एक उपयोगी नागरिक बन सके।" तब से अब तक इन्हीं उद्देश्यों को मात्र भाषायी अन्तर से अभिव्यक्त करते रहे हैं। नवम्बर, 2000 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने प्राथमिक शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत की उसके अनुसार प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. वर्ग-भेद से ऊपर उठकर परस्पर सहयोग की भावना विकसित करना।
2. विज्ञान की खोज विधि को सिखाना एवं विज्ञान तथा तकनीकी के महत्त्व को समझाना।
3. सृजनात्मक क्रियाओं के माध्यम से स्वतन्त्र अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित करना।
4. चरित्र एवं व्यक्तित्व के वांछनीय गुणों का विकास करना।
5. स्वाध्याय की आदत का विकास करना।
6. शारीरिक श्रम के प्रति जागरूक करना एवं मानव श्रम के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करना।
7. बालकों को विभिन्न धर्मों के पैगम्बरों, उनकी शिक्षाओं एवं उनके उपदेशों से परिचित कराना ताकि उनमें सर्वधर्म समभाव का दृष्टिकोण विकसित हो सके।
8. बालकों को पर्यावरण प्रदूषण के प्रति सचेत करके उनमें वैज्ञानिक दष्टिकोण या प्रवृत्ति विकसित करना।
9. बालकों में सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों का विकास करके उनका नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए तैयार करना।
10. बालकों को वर्गभेद से ऊपर उठाने एवं जीवन कला में प्रशिक्षित करने हेतु उनमें सामूहिकता की भावना विकसित करना।
11. बालकों को स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का ज्ञान कराना तथा स्वास्थ्यवर्द्धक क्रियाओं में प्रशिक्षित करना।
12. एक-दूसरे को सम्मान, प्रेम, सहानुभूति और सहयोग से कार्य करने के लिए तैयार करना।
13. राष्ट्रीय प्रतीकों; जैसे—राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदि एवं प्रजातान्त्रिक विधियों एवं संस्थाओं के प्रति आदर की भावना उत्पन्न करना।
14. भारत की मिश्रित संस्कृति से परिचय कराना एवं अस्पृश्यता, साम्प्रदायिकता और जातिवाद का विरोध करना सिखाना।
15. अपने भावों एवं विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए प्रथम भाषा (मातृभाषा) का ज्ञान कराना।
16. व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग करने की योग्यता प्रदान करना।
17. सफाई तथा स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना।

प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व
(Need and Importance of Primary Education)

प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व निम्नलिखित कारणों से है—

1. **व्यक्तित्व निर्माण का आधार प्राथमिक शिक्षा होती है**—मनोवैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यह बात सिद्ध हो चुकी है कि मानव व्यक्तित्व का निर्माण उसके शिशु काल में सर्वाधिक होता है। भविष्य में उसे जो कुछ भी बनना है उसका 3/4% वह शिशुकाल में ही बन जाता है। इस समय जैसी नींव रखी जाती है, बालक भविष्य में वैसे ही बनते हैं। बालक अपने परिवार से कुछ संस्कारों को लेकर प्राथमिक विद्यालयों में आते हैं, ये संस्कार इतने सुदृढ़ नहीं हो पाते है कि उन्हें सही मार्गदर्शन न दिया जा सके। बालकों का सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक विकास प्राथमिक स्कूल में ही किया जाता है। साथ ही उसे मानव व्यवहार में प्रशिक्षित भी किया जाता है जिससे उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अत: इस दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा का बहुत महत्त्व है।
2. **प्रारम्भिक शिक्षा, शिक्षा की बुनियाद है**—प्राथमिक शिक्षा, वह शिक्षा है जिसे बालक अपने शिक्षा जीवन में सबसे पहले ग्रहण करता है। इसमें छात्रों को सम्प्रेषण के माध्यम से भाषा का ज्ञान कराया जाता है। मानव व्यवहार करने हेतु

TOUCH 'n' PASS

प्रशिक्षित किया जाता है, सोचने-समझने की शक्ति का विकास किया जाता है तथा अध्ययन कौशल में प्रशिक्षित किया जाता है। ये सभी शिक्षा के साधन और माध्यम होते हैं जिन पर आगे की शिक्षा निर्भर करती है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा आगे प्राप्त की जाने वाली शिक्षा की बुनियाद होती है। यदि बुनियाद मजबूत होती है तो आगे की शिक्षा भी सुचारू रूप से चलती रहती है।

3. **प्राथमिक शिक्षा द्वारा जनशिक्षा का रूप सार्थक होता है**—प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य एवं निःशुल्क होती है। अनिवार्य का अर्थ है कि कम से कम इतनी शिक्षा तो सभी को मिलनी चाहिए जो सबके लिए अनिवार्य हो। इसे ही जन शिक्षा कहा जाता है अर्थात बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध होने आवश्यक हैं। इस नियम का कठोरता से पालन करने की आवश्यकता है, जिससे शिक्षा का रूप ही बदल जायेगा और यह सतत् शिक्षा का रूप ले लेगी। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा, सबकी शिक्षा है।
4. **बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास, मार्गान्तीकरण एवं शोधन**—बालक जन्म से ही कुछ मूल प्रवृत्तियाँ (जैसे—जिज्ञासा, प्रेम, कल्पना, तर्क, चिन्तन एवं निर्णय आदि) लेकर आता है। ये प्रवृत्तियाँ जन्मजात प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। शिक्षा इन सभी मूल प्रवृत्तियों का विकास करती हैं। जब यह विकास व्यक्ति एवं समाज दोनों के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है तो इसे मूल प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण अर्थात् शोधन कहते हैं। इस प्रकार बालक की जन्मजात मूल प्रवृत्तियों का विकास, मार्गान्तीकरण तथा शोधन करने हेतु न्यूनतम एक निश्चित आयु एवं अवधि तक शिक्षा प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा अनियन्त्रित स्वेच्छाकारी व्यवहार के द्वारा असामाजिक प्राणी बन जाता है।
5. **प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा की नींव का पत्थर है**—प्रत्येक देश में प्राथमिक शिक्षा में बालकों को सम्प्रेषण के माध्यम से भाषा ज्ञान कराकर उन्हें सामान्य व्यवहार में प्रशिक्षित किया जाता है तथा देखने-समझने की शक्ति विकसित कर उन्हें अध्ययन कौशल में प्रशिक्षित किया जाता है। ये सभी माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साधन एवं माध्यम होते हैं क्योंकि इन्हीं पर आगे की शिक्षा निर्भर करती है। इस प्रकार यदि यह नींव मजबूत होती है तो बालक की आगे की शिक्षा सुचारू रूप से चलती है। अतः प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक समाज के लिए आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण है।
6. **प्राथमिक शिक्षा द्वारा सामान्य जीवन का ज्ञान होता है**—यह कहा जाता है कि प्राथमिक शिक्षा जन शिक्षा है, सबके लिए शिक्षा है। इसके पीछे यह तर्क है कि इसके द्वारा सबको सामान्य जीवन जीने की शिक्षा दी जाती है जिसमें बालक को सामान्य जीवन जीने योग्य बनाया जाता है।
7. **प्राथमिक शिक्षा, अधिकतर बालकों की पूर्ण शिक्षा है**—हमारे देश में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से लागू करने के बाद भी यह अभी तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई है। सभी बालक शत-प्रतिशत रूप में इस शिक्षा को प्राप्त नहीं करते हैं और जो बालक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर भी रहे हैं, उनमें से भी अधिकतर बच्चे कक्षा 8 के बाद शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं। अतः अधिकतर छात्रों के लिए प्राथमिक शिक्षा ही पूर्ण शिक्षा है।
8. **निरक्षरों को साक्षर बनाने में सहायक**—प्राथमिक शिक्षा प्राप्त बालक स्वयं तो साक्षर होता ही है साथ ही साथ वह अपने परिवार के बालकों व स्थानीय समुदाय के निरक्षर प्रौढ़ों को साक्षर बनाने में भी सहायक होता है।
9. **समाज की प्रगति में योगदान**—समाज का उपयोगी सदस्य बनने के लिए बालक का शिक्षित होना अनिवार्य है तभी वह समाज की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। अतः समाज के विकास के लिए बालक को न्यूनतम प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करना वांछनीय है। जिससे वह अपने दायित्वों को समझकर समाज के एक प्रबुद्ध एवं जागरूक नागरिक बनकर समाज के विकास एवं प्रगति में पर्याप्त योगदान दे सकें।
10. **दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति**—प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करके बालक अपने दैनिक जीवन की पूर्ति हेतु आत्मनिर्भर बन जाता है। वह दैनिक हिसाब-किताब रखने, पत्र लिखने एवं पढ़ने, क्रय-विक्रय करने, समाचार पत्र पढ़कर देश-विदेश की घटनाओं से अवगत होने आदि में समर्थ हो जाता है। अतः प्राथमिक शिक्षा के द्वारा ही दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति सहज एवं सम्भव है।

प्र.2. भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। [2021]
Discuss the development of primary education in India.

उत्तर

भारत में प्राथमिक शिक्षा का विकास
(Development of Primary Education in India)

प्राथमिक स्तर से ही बालकों की शिक्षा प्रारम्भ होती है इसलिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों में प्राथमिक स्तर शिक्षा का महत्त्वपूर्ण स्तर है। प्राथमिक शिक्षा की गुणात्मकता का प्रभाव केवल बालकों के भविष्य पर ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश के भविष्य पर पड़ता है इसीलिए प्राथमिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए ब्रिटिश काल से ही समय-समय पर प्रयास किए गए हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय संविधान में प्राथमिक स्तर के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए इस शिक्षा को अनिवार्य तथा नि:शुल्क बनाने की घोषणा की गयी। प्राथमिक शिक्षा के विकास को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं—

I. ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा
(Primary Education in British Period)

सन् 1835 में लॉर्ड विलियम बैंटिंक द्वारा भारत में शिक्षा से सम्बन्धित अपनी नीतियों को निर्धारित किया गया। सन् 1854 में वुड के घोषणा-पत्र के आधार पर सभी राज्यों में शिक्षा विभाग स्थापित किए गए और इन्हीं विभागों को प्राथमिक शिक्षा के विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया, परन्तु व्यावहारिक रूप में कम्पनी के शासकों द्वारा प्राथमिक शिक्षा में अपेक्षित सुधार करने में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई गयी और न ही कोई कार्य ऐसा किया गया जो कि प्राथमिक शिक्षा के विकास में सहायक सिद्ध हो। सन् 1857 की क्रान्ति के पश्चात् ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन की समाप्ति हो गयी एवं भारतीय शासन की सम्पूर्ण सत्ता ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गयी।

सन् 1859 में स्टैनले ने ब्रिटिश सरकार का ध्यान प्राथमिक शिक्षा की ओर आकर्षित किया एवं इस विषय में कुछ सुझाव दिए। तदुपरान्त सन् 1882 में भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा की स्थिति के सम्बन्ध में अपने सुझाव देने के लिए हण्टर कमीशन की स्थापना की। हण्टर कमीशन के पश्चात् लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रशंसनीय कार्य किए तथा सरकार को प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि करने तथा प्राथमिक स्तर के शिक्षण में सुधार करने के लिए सुझाव दिए, लेकिन लॉर्ड कर्जन के सुझावों को कार्यान्वित न किया जा सका; क्योंकि लॉर्ड कर्जन अधिक समय तक भारत में न रह सके। इसके पश्चात् सन् 1904 में शिक्षा नीति के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा का विकास आरम्भ हुआ। सन् 1905 में अखिल भारतीय कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ एवं प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की माँग की गयी। हालाँकि अनिवार्य शिक्षा अधिनियम घोषित होने से पूर्व तक भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कोई विशेष विकास नहीं हो पाया, लेकिन समय-समय पर इस दिशा में विभिन्न भारतीय विद्वानों तथा ब्रिटिश व्यक्तियों, जन-आन्दोलनों तथा सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप समुचित सफलता अर्जित की। इस दिशा में शुरुआत से ही विभिन्न प्रयास किए जाते रहे हैं।

ब्रिटिश शासनकाल में प्राथमिक शिक्षा के विकास को अग्रलिखित सारणी में दिखाया गया है—

सारणी-ब्रिटिश शासनकाल में प्राथमिक शिक्षा का विकास

वर्ष	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
1881-82	82,916	20,61,541
1901-02	93,604	30,76,671
1921-22	1,05,017	61,09,752
1936-37	1,12,244	1,02,24,288
1946-47	1,34,866	1,05,25,943

II. स्वतन्त्र भारत में प्राथमिक शिक्षा (Primary Education in Independent India)

सन् 1947 ई० तक उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, भारत में बालकों के लिए 229 नगरों तथा 10017 गाँवों में एवं बालिकाओं के लिए 10 नगरों तथा 1404 गाँवों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जा चुकी थी।

लोकतान्त्रिक राष्ट्र में विकास तथा सफलता की अपेक्षा उसी स्थिति में की जा सकती है जबकि एक विशेष स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य करके सुयोग्य नागरिकों का निर्माण किया जाए। इसी उद्देश्य से 26 जनवरी, सन 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया तथा संविधान की 45वीं धारा में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने सम्बन्धी घोषणा की गयी कि—"राज्य इस संविधान को क्रियान्वित किए जाने के समय से 10 वर्षों के अन्दर भारत में समस्त बालकों के लिए जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते हैं नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।" संविधान में इस शिक्षा को अनिवार्य बनाने की घोषणा के उपरान्त पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में सुनियोजित प्रयास प्रारम्भ किए गए। इन प्रयासों के उपरान्त भी यद्यपि उस दिशा में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। हालाँकि इस दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है।

स्वतन्त्रता के उपरान्त भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास को निम्नलिखित सारणी में दिखाया गया है—

सारणी–स्वतन्त्रता के उपरान्त भारत में प्राथमिक शिक्षा
(कक्षा 1 से 5 तक) का अनुमानित संख्यात्मक विकास

शैक्षिक सत्र	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01
विद्यालयों की सं०	2 लाख	3 लाख	4 लाख	5 लाख	6 लाख	7 लाख
छात्र सं०						
लड़के	138 लाख	236 लाख	357 लाख	453 लाख	581 लाख	700 लाख
लड़कियाँ	54 लाख	114 लाख	213 लाख	285 लाख	410 लाख	540 लाख
कुल	192 लाख	350 लाख	571 लाख	738 लाख	991 लाख	1240 लाख
6-11 आयु वर्ग की जनसंख्या में						
लड़के	61%	83%	96%	97%	98%	98%
लड़कियाँ	25%	41%	60%	62%	65%	67%
नामांकन का प्रतिशत कुल	43%	62%	78%	80%	82%	83%

उपरोक्त सारणी में वर्ष 2000-2001 तक के संख्यात्मक विकास को प्रदर्शित किया गया है। वर्तमान में 2001 से 2021 तक प्राथमिक शिक्षा में प्रत्येक स्तर पर संख्यात्मक वृद्धि ही दर्ज की गई है। सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक सुविधाएँ उपलब्ध कराकर देश के शैक्षिक परिदृश्य को परिवर्तित कर दिया है।

वर्तमान परिदृश्य (Current Scenario)—वर्तमान में शैक्षिक सत्र 2019-2020 में विद्यालयों की संख्या लगभग 14 लाख, छात्रों की संख्या 15 करोड़ इनमें छात्राओं की संख्या 7 करोड़ है। 6-11 आयुवर्ग की जनसंख्या में 99.3% लड़के और 98.1% लड़कियाँ हैं। नामांकन का प्रतिशत कुल 95% है।

प्र.3. प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु प्रमुख योजनाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए।
Give a detailed description of main programs for reforms in primary education.

उत्तर

भारत में प्राथमिक शिक्षा में सुधार
(Reforms in Primary Education in India)

आज भारत में प्राथमिक शिक्षा के महत्त्व एवं स्थिति को समझते हुए, कई स्तर पर कई संगठन इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यूनेस्को एवं यूनिसेफ जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां इसमें गहराई से शामिल हैं। यूनेस्को ने 2015 तक सार्वभौमिक नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सरकारों एवं विकास भागीदारों के साथ काम करने का वादा किया है, जैसा कि डकार में विश्व शिक्षा मंच में सहमति हुई थी। यूनिसेफ के पास अपने मिशन के हिस्से के रूप में प्राथमिक शिक्षा भी है। दोनों फंड और विशेषज्ञता के साथ भारत सरकार को उसके काम में सहयोग दे रहे हैं। भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक कार्यक्रम शुरू किया—

1. शिक्षक नियुक्तियों एवं प्रशिक्षण में वृद्धि।

2. प्रारम्भिक शिक्षा सामग्री एवं तकनीकों में सुधार।
3. शिक्षण सामग्री का प्रावधान।
4. बुनियादी ढांचे में सुधार।
5. वंचित समूहों के लिए शिक्षा-लड़कियों, वंचित जातियों एवं विकलांग।

भारत सरकार सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की उम्मीद कर रही है। यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, और बहुत कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे पूरा करने की इच्छा एवं शिक्षा में शामिल हजारों गैर सरकारी संगठनों पर निर्भर करता है। भारत में कई गैर सरकारी संगठन गरीब बच्चों के लिए स्कूल चलाते हैं। कुछ संगठनों, जैसे कि कथा, प्रथम और प्रयास ने सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को अपना ध्यान केंद्रित किया है और स्लम क्षेत्रों में बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र संचालित करते हैं। अन्य एनजीओ आला खिलाड़ी हैं जो नवीन कार्यक्रमों के साथ बाल आबादी के विशेष क्षेत्रों को लक्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, रुचिका स्कूल सोशल सर्विस पूर्वी राज्य उड़ीसा में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर 20 स्कूल चलाती है ताकि कई बेघर बच्चे जो ट्रेन स्टेशनों में रहते हैं, भीख मांगते और काम करते हैं, वे भी कुछ सीख सकते हैं। होल-इन-द-वॉल एजुकेशन ने पूरे भारत में मलिन बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर स्थापित किए हैं। ये कंप्यूटर बच्चों के लिए आसानी से सुलभ हैं और साधारण बच्चों की शिक्षा सॉफ्टवेयर से भरे हुए हैं। बहुत कम पर्यवेक्षण या हस्तक्षेप होता है और बच्चे अपनी गति से और अपने तरीके से सीखते हैं। कार्यक्रम इतना सफल रहा है कि कंबोडिया और कुछ अफ्रीकी देशों में इसे आजमाने की योजना है।

केंद्र सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत कई परियोजनाएँ और कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनमें से अधिकांश को 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित होने और 1990 में जोमटियन में आयोजित सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन के बाद प्रारम्भ किया गया है। इनमें से कुछ परियोजनाएँ निम्न प्रकार हैं—

1. **ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की योजना**—ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड (ओबी) की योजना 1987 में स्कूलों में अधिक शिक्षकों, कमरों एवं शिक्षण उपकरणों की व्यवस्था करके सुविधाओं में सुधार के लिए आरम्भ की गई थी। ओबी योजना प्राथमिक शिक्षा में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों सुधार लाने का प्रयास करती है। इस योजना के तीन घटक थे, अर्थात्
   (a) एकल शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक अतिरिक्त शिक्षक,
   (b) प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो कक्षाएँ उपलब्ध कराना एवं
   (c) सभी प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षण-अधिगम उपकरण उपलब्ध कराना।
2. **जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान**—जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (DIET) जैसे गुणवत्ता प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करके शिक्षक शिक्षा को मजबूत करने की योजना 1987 में शुरू की गई थी। इस योजना में देश में स्कूली शिक्षकों के अभिविन्यास, प्रशिक्षण, ज्ञान, क्षमता एवं शैक्षणिक कौशल के निरंतर विकास के लिए व्यवहार्य संस्थागत, शैक्षणिक एवं तकनीकी संसाधन को आधार बनाने का प्रस्ताव है।
3. **पोषण सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन या मिड-डे-मील)**—प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम 15 अगस्त, 1995 में प्रारम्भ किया गया था। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराता है। यह कार्यक्रम एक माह में कुल स्कूल दिनों के कम से कम 80 प्रतिशत के लिए स्कूलों में उपस्थित होने के लिए प्रतिदिन 100 ग्राम अनाज का आश्वासन देता है। इस कार्यक्रम ने 0.69 मिलियन स्कूलों में फैले 98 मिलियन से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया है। कार्यक्रम के मूल्यांकन से पता चलता है कि एक तरफ इसने कुछ राज्यों में नामांकन को बढ़ावा दिया है वही दूसरी ओर अन्य राज्यों में उपस्थिति पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। **मिड-डे मील स्कीम** को ''पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम'' या 'पोषण सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' भी कहा जाता है।
4. **सर्व शिक्षा अभियान**—केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अलावा, राज्यों ने सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य की दिशा में अपने प्रयासों को गति देने के लिए योजनाएँ शुरू की हैं। भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) नामक एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भी शुरू किया है—यूईई के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक

पहल। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के विपरीत, सर्व शिक्षा अभियान में विकेन्द्रीकृत प्रबंधन के ढांचे के भीतर जिला-विशिष्ट प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं को विकसित करने की परिकल्पना की गई है।

प्र.4. भारत में प्राथमिक शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा कीजिए।
Discuss the present scenario of primary education in India.

उत्तर भारत में एक से चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना संवैधानिक प्रतिबद्धता है। 1950 में संविधान को अंगीकार करने के समय, इसका उद्देश्य आगे आने वाले दस वर्षों के भीतर अर्थात् 1960 तक प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (UEE) के लक्ष्य को प्राप्त करना था। उस समय देश में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, दस वर्ष की छोटी सी अवधि के भीतर इस लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत कठिन था। इसलिए, इस लक्ष्य को कई बार स्थानांतरित किया जाता रहा। 1960 तक, सभी प्रयास स्कूली शिक्षा सुविधाओं के प्रावधान पर केंद्रित थे। यह केवल यूईई के अन्य घटकों तक पहुँच के लक्ष्य की प्राप्ति के बाद ही था, जैसे कि सार्वभौमिक नामांकन एवं प्रतिधारण (Universal Enrolment and Retention), योजनाकारों एवं नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। यह शिक्षा की गुणवत्ता ही है, जो वर्तमान में सामान्य रूप से प्राथमिक शिक्षा एवं विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों में फोकस करती है। पिछले पचास वर्षों में प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। 1950 से प्रारम्भिक शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावशाली प्रगति हुई है।

स्कूल संरचना
(School Structure)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 में, चौदह वर्ष तक की आयु की शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित किया था। संपूर्ण स्कूली शिक्षा को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968 व 1986) एवं इसके संशोधित सूत्रीकरण (1992) में राज्यों में स्कूली शिक्षा (10+2 पैटर्न, 12 साल की स्कूली शिक्षा) के एक समान पैटर्न की परिकल्पना की गई थी जो कि नई शिक्षा नीति, 2020 में बदलकर 5+3+3+4 पैटर्न हो गया है। चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, अर्थात् राज्य विषय, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश स्कूली शिक्षा का अपना पैटर्न विकसित करने के लिए स्वतंत्र हैं। आठ साल की प्राथमिक शिक्षा दो चरणों में परिकल्पित है—एक जूनियर स्तर पाँच वर्ष की अवधि को कवर करता है एवं उच्च जूनियर स्तर 3 वर्ष की अवधि को कवर करता है। इस प्रकार 8 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा की परिकल्पना एक एकीकृत इकाई के रूप में की गई थी, हालांकि इसके दो स्तर थे। इसलिए भारत में प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा का अनिवार्य घटक बन गई। नई शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत कक्षा 1 व 2 को फाउण्डेशन स्तर एवं कक्षा 3, 4 व 5 को प्राथमिक स्तर के अन्तर्गत रखा है।

सार्वभौमिक पहुँच
(Universal Access)

शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच निम्नलिखित पर निर्भर करती है—

1. **विद्यालयों की संख्या**—भारत में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1950-51 में 210 हजार से बढ़कर 1998-99 में 627 हजार हो गई, इस प्रकार औसत वार्षिक वृद्धि 2.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। भारत ने विद्यालयों की संख्या में अत्यधिक एवं नियमित वृद्धि की है। सरकार की हालिया रिपोर्ट (भारत सरकार, 2011) के अनुसार, देश के कोने-कोने में फैले 823,000 प्रारम्भिक विद्यालयों सहित लगभग 1,200,000 प्राथमिक विद्यालय हैं।
2. **स्कूली शिक्षा सुविधाओं तक पहुँच वाले निवास**—स्कूली शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता को पहुँच से सम्बन्धित संकेतकों के एक सेट द्वारा मापा जाता है। मानदंडों के अनुसार, एक बस्ती प्राथमिक विद्यालय होने की अधिकारी है यदि इसकी कुल जनसंख्या 300 या उससे अधिक है और एक किलोमीटर की दूरी के भीतर कोई स्कूल नहीं है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए, संबंधित मानदंड 500 एवं उससे अधिक की कुल जनसंख्या एवं तीन किलोमीटर की दूरी है।
3. ग्रामीण आबादी की शैक्षिक सुविधाओं तक पहुँच है।
4. असेवित निवास एवं एनएफई केंद्र।

डीपीईपी एवं लोक जुम्बिश परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण अभ्यास के संचालन के लिए हाल के दिनों में प्रयास किए गए हैं।

स्कूलों में सुविधाएँ
(Facilities in Schools)

स्कूलों का प्रावधान स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता की गारंटी नहीं देता है। समय के साथ, स्कूलों में सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में प्राथमिक स्कूलों में पर्याप्त सुविधाएँ नहीं हैं जो कि एक स्कूल के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक हैं। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने सुविधाओं में सुधार के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए थे, ऐसा ही एक कार्यक्रम ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना है।

शिक्षकों की संख्या में वृद्धि (Growth in Number of Teachers)

1950-51 से 1998-99 की अवधि के दौरान प्राथमिक शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह संख्या 1950-51 में 538 हजार से बढ़कर 1998-99 में 1,904 हजार हो गया है, इस प्रकार इसमें लगभग 3.5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई। शैक्षणिक योग्यता को कम किए बिना, गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने पारा शिक्षकों की नियुक्ति की है। प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बनने के लिए योग्यता की आवश्यकता आमतौर पर 10 साल की सामान्य शिक्षा होती है और उसके बाद एक या दो साल का पूर्व-सेवा प्रशिक्षण होता है। हालांकि, हाल के दिनों में कई राज्यों ने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए योग्यता आवश्यकताओं में वृद्धि की है एवं पूर्व-सेवा प्रशिक्षण भी पूर्व शर्त नहीं है। एक बार शिक्षकों की नियुक्ति हो जाने के बाद, उन्हें सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसकी अवधि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। शिक्षकों को आमतौर पर प्राथमिक स्तर के लिए नियुक्त किया जाता है और फिर उन्हें प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में भेज दिया जाता है।

प्र.5. भारत में प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या एवं उनके समाधान का विस्तृत वर्णन कीजिए।
Give a detailed description of the problem of wastage and stagnation in primary education in India and their solution.

उत्तर

भारत की प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या
(The Problem of Wastage and Stagnation in Primary Education in India)

भारतवर्ष में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय एवं अवरोधन एक गम्भीर समस्या है। प्राथमिक स्तर के बच्चों की शिक्षा के लिए जब अभिभावकों, प्राथमिक शिक्षा को संचालित करने वाली सहायक संस्थाओं और राज्य के द्वारा व्यय किए गए धन का सदुपयोग नहीं हो पाता अर्थात् बालक किसी भी कारणवश प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले ही अपनी शिक्षा छोड़ देते हैं। इसे प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में 'अपव्यय की समस्या' कहा जाता है। यूनेस्को के सर्वेक्षण के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि प्रतिवर्ष भारत के लगभग 50% बालक प्राथमिक शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हर्टाग कमेटी ने भी अपव्यय का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है—"अपव्यय से हमारा अभिप्राय प्राथमिक शिक्षा की अवधि पूरी होने से पहले ही बालकों को विद्यालय की किसी कक्षा से हटा लेना है।" हर्टाग कमेटी के द्वारा ही सर्वप्रथम इस समस्या पर गम्भीरता से विचार किया गया तथा अपनी रिपोर्ट के आधार पर इस कमेटी ने यह स्पष्ट किया कि प्राथमिक स्तर के अधिकांश छात्र कक्षा एक से आगे अपना अध्ययन जारी नहीं रख पाते हैं।

अपव्यय के प्रमुख कारण तथा समाधान (Major Causes and Solutions of Wastage)

शैक्षिक गतिविधियों में अपव्यय को प्रदर्शित करने वाले प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं—

1. **शैक्षिक अव्यवस्था**—प्राय: यह देखने में आता है कि अनेक अभिभावक, शिक्षा के महत्त्व को समझ पाने के कारण, अपनी मूल आवश्यकताओं में कमी करके भी, शिक्षा-शुल्क जमा करके अपने अबोध बालकों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्राथमिक विद्यालयों में अत्यधिक उत्साह एवं आशा के साथ भेजते हैं, परन्तु विद्यालयों की प्रशासनिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था के दूषित होने के कारण शीघ्र ही वे बालक शिक्षा जगत से हमेशा के लिए अपना सम्बन्ध विच्छेद कर अपने घरों में आ बैठते हैं। इस प्रकार प्रतिवर्ष अनेक छोटे-छोटे बच्चों एवं बालकों के जीवन से खिलवाड़ करके, उनके भविष्य को अन्धकारमय बना दिया जाता है। वस्तुत: यदि प्राथमिक विद्यालयों का सर्वेक्षण किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इन विद्यालयों की स्थिति अत्यधिक दयनीय है। बैठने की समुचित व्यवस्था, क्रीड़ा-सामग्री का अभाव, बरसात में टपकते हुए

कक्षा-कक्ष आदि की दशा देखकर इन्हें किसी भी प्रकार की सन्तोषजनक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्वक बालकों को प्रेरित करने का विशेष महत्त्व होता है। परन्तु यह दुखद बात है कि उस स्तर पर, जहाँ शैक्षिक दृष्टि से बालकों के जीवन में अनेक आधारशिलाओं को रखा जाता है, वहाँ भी शिक्षा प्रशासकों एवं शिक्षकों के द्वारा बालकों का जीवन सँवारने में कोई रुचि एवं उत्साह प्रदर्शित नहीं किया जाता। इस प्रकार के अनेक घृणित एवं निन्दनीय उदाहरण भी इस स्तर पर यदाकदा देखने को मिलते हैं, जब कोई शिक्षक अपनी निराशा अथवा अपने तनाव के कारण बालकों से प्रतिशोध लेते हैं तथा अकारण ही अथवा किसी नगण्य कारण पर बालकों को इतना दण्डित कर देते हैं कि उनमें जीवन भर के लिए भय, कुण्ठा, हीनता आदि उत्पन्न हो जाते हैं।

समाधान—प्राय: ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा के स्तर में केवल तभी सुधार हो सकता है, जब शिक्षकों के वेतनमानों में आशातीत वृद्धि की जाए, लेकिन यदि निष्पक्षता से तथ्यों का संकलन किया जाए तो यह भी विदित होगा कि जिन अध्यापकों की इस व्यवस्था में निष्ठा नहीं है, उनके वेतनमानों में किसी भी स्तर तक वृद्धि किए जाने के उपरान्त भी उनसे कोई आशा नहीं की जा सकती है। अत: आवश्यक यह है कि विशेषकर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की वेतन वृद्धि की तरफ ध्यान तो दिया जाए, परन्तु साथ ही अध्यापकों के चयन से पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। इसके अतिरिक्त विद्यालय की भवन-व्यवस्था, क्रीड़ा-सामग्री की उपलब्धता, खेल के मैदान आदि पर भी यथावश्यक ध्यान दिया जाना चाहिए।

2. **प्रशासनिक**—विद्यालय प्रशासन के अधिकारियों का विद्यालयों की दशा सुधारने एवं विद्यार्थियों का भविष्य सुधारने में विशिष्ट योगदान रहता है। क्योंकि विद्यालय की सम्पूर्ण व्यवस्था तथा क्रिया-कलापों का नियन्त्रण विद्यालय प्रशासन पर ही निर्भर करता है। जो प्रशासक अयोग्य, दुश्चरित्र एवं बेईमान है, उनसे प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार की प्रगति की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

   समाधान—विद्यालयों में शिक्षण करने वाले शिक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वाह स्वेच्छा से करें अथवा करने के लिए विवश किए जाएँ, विद्यालयों को प्राप्त आर्थिक सहायता का सदुपयोग हो सके तथा विद्यार्थियों के साथ प्रशासनिक अथवा शैक्षिक दृष्टि से किसी भी प्रकार का अन्याय न हो सके, इसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि केवल विशेष ख्याति प्राप्त एवं कुशाग्रबुद्धि वाले योग्यतम प्रशासनिक अधिकारियों को ही प्राथमिक विद्यालयों के प्रशासन का उत्तरदायित्व सौंपा जाए।

3. **पर्याप्त सामाजिक चेतना का अभाव**—भारत में स्वतन्त्रता के अनेक वर्षों के उपरान्त भी शिक्षकों के अनुपात में सन्तोषजनक वृद्धि नहीं हो सकी है। दुर्भाग्यवश आज भी भारतीय जनसंख्या का अधिकांश प्रतिशत भाग पूर्णतया अशिक्षित है। राज्य स्तर पर अथवा विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा उनमें सामाजिक चेतना उत्पन्न करने हेतु किए गए प्रयास भी इसी कारण सफल नहीं हो पाते हैं। अभिभावकों की रूढ़िवादिता एवं संकीर्णता, अन्धविश्वास तथा स्वार्थवृत्ति बालकों के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध होती है। इसी कारण अनेक बालक प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। बालिकाओं के साथ इस दृष्टि से और भी अधिक अन्याय किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो यहाँ तक देखा जाता है कि अभिभावकगण अपने बालकों को शिक्षा प्राप्त कराने की अपेक्षा उन्हें कृषि-कार्यों अथवा लघु उद्योगों में लगाना अधिक उचित समझते हैं। इसलिए सामाजिक विचारधाराओं, मनोवृत्तियों अथवा भावनाओं का समाज की प्रगति से अटूट सम्बन्ध होता है। रूढ़िवादिता अथवा संकीर्णता में लिप्त समाज के व्यक्तियों से किसी भी प्रकार की प्रगति की आशा नहीं की जा सकती है।

   समाधान—इस प्रकार की समस्या से मुक्त होने के लिए सर्वाधिक आवश्यकता इस बात की है कि प्राथमिक शिक्षा को शीघ्रातिशीघ्र अनिवार्य एवं नि:शुल्क घोषित करके अधिकाधिक बालकों को शिक्षित बनाने का प्रयास किया जाए, जिससे वे अपने भावी जीवन में शिक्षा के महत्त्व को आत्मसात करके, अपने बालकों को भी शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रेरित कर सकें।

अवरोधन की समस्या के प्रमुख कारण एवं समाधान
(Major Causes and Solutions to the Problem of Stagnation)

अवरोधन की समस्या भी अपव्यय की समस्या के समान ही, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक गम्भीर समस्या है। जब कोई बालक एक ही कक्षा में निरन्तर अनुत्तीर्ण होता रहता है तो इस समस्या को अवरोधन की समस्या कहते हैं। **हर्टांग समिति** के अनुसार, "स्थिरता का अर्थ-बालक का एक कक्षा में, एक वर्ष से अधिक रुक जाना है।" विभिन्न सर्वेक्षण रिपोर्टों के आधार पर

यह भी स्पष्ट हो चुका है कि कक्षा 1 से कक्षा 4 तक के छात्रों की संख्या में निरन्तर कमी होती जा रही है। इस समस्या से सम्बन्धित प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

1. **दोषपूर्ण परीक्षा-प्रणाली**—आधुनिक परीक्षा-प्रणाली भी अत्यन्त दोषपूर्ण है। इस प्रणाली के आधार पर बालकों के केवल स्मृति पक्ष की ही जाँच सम्भव हो पाती है जबकि शिक्षा का उद्देश्य बालक के समग्र पक्षों का सन्तुलित विकास करना है। इस प्रणाली के अन्तर्गत वर्षपर्यन्त बालकों को सैद्धान्तिक रूप में कुछ तथ्य स्मृत करा दिए जाते हैं और वर्ष के अन्त में उनकी परीक्षाओं द्वारा जाँच की जाती है। स्मृति के आधार पर प्रस्तुत किए जाने वाले उत्तरों हेतु अत्यन्त एकाग्रता की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत बालकों का स्वभाव अत्यन्त चंचल होता है। प्राय: मन की एकाग्रता के अभाव में वे स्मृत किए गए अनेक उत्तर भी नहीं लिख पाते हैं और परिणामस्वरूप अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए जाते हैं।

   समाधान—वस्तुत: अनेक विषयों का ज्ञान, रटा देने मात्र से, छात्रों का समुचित विकास सम्भव नहीं है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि वर्षपर्यन्त छात्रों को जो भी ज्ञान प्राप्त कराया जाए, वह उनके जीवन का स्थायी अंग बन सके। अत: पाठ्यक्रम को यथासम्भव सीमित किया जाना चाहिए तथा मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा बालकों के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार मूल्यांकन प्रणाली का, शिक्षण प्रविधि से पर्याप्त घनिष्ठ सम्बन्ध होना अत्यन्त आवश्यक है।

2. **अनुपयुक्त विद्यालयी व्यवस्था**—यह आवश्यक है कि विद्यालय कोलाहलरहित वातावरण से सर्वथा दूर स्थित हों तथा उनमें बालकों के बैठने तथा खेलने की पर्याप्त व्यवस्था हो परन्तु दुर्भाग्यवश इस दृष्टि से प्राथमिक विद्यालयों की दशा अत्यन्त शोचनीय है। उपस्थिति के नियमों की अवहेलना तथा शिक्षकों का उपेक्षित व्यवहार भी, विद्यालयी व्यवस्था को दूषित करता है। इस प्रकार विद्यालय की व्यवस्था का बालकों के विकास अथवा उनकी शैक्षिक प्रगति से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है।

   समाधान—उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु शैक्षिक प्रशासकों का विशेष रूप से यह उत्तरदायित्व है कि वे उपलब्ध आर्थिक साधनों अथवा आर्थिक अनुदान का समुचित उपयोग करते हुए विद्यालय की व्यवस्था को अनुकूल बनाने का प्रयास करें।

3. **पाठ्यक्रम की दोषयुक्तता**—वस्तुत: प्राथमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम पूर्णत: अमनोवैज्ञानिक, अरुचिकर, अनुपयोगी एवं अव्यावहारिक है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम द्वारा बालकों का मानसिक अथवा भावात्मक विकास अत्यन्त दुष्कर है। दिन-प्रतिदिन बालकों के शैक्षिक विषयों की संख्या में वृद्धि केवल उसी दशा में उचित हो सकती है, जब उन विषयों का अध्यापन करने वाले शिक्षकों के शैक्षिक स्तर में भी अपेक्षित सुधार किए जाएँ। छोटे-छोटे बालकों को निरन्तर कई-कई घण्टों तक ज्ञान को रटा देने मात्र से उनका वांछित विकास नहीं किया जा सकता। इस प्रकार पाठ्यक्रम की दोषयुक्तता भी बालकों के भविष्य को अन्धकारमय बनाने हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी कारण है।

   समाधान—पाठ्यक्रम ही वह माध्यम होता है, जिसके आधार पर बालक की अन्तर्निहित शक्तियों को विकसित किया जा सकता है अत: यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम को पुनर्गठित किया जाए तथा उसे मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित किया जाए।

4. **दोषपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था**—वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों की शैक्षिक व्यवस्था विभिन्न दृष्टिकोणों से अत्यन्त दोषपूर्ण है। विशेषत: जिन अध्यापकों की नियुक्ति इस व्यवसाय में की जाती है, उनमें प्राय: न तो अपने व्यवसाय के प्रति पर्याप्त निष्ठा होती है और न ही प्रभावी शिक्षण की योग्यता, फलस्वरूप वे अपेक्षित अधिगम की दिशा में बालकों को प्रेरित करने में असफल रहते हैं। पर्याप्त रुचि, प्रेरणा व उत्साह के अभाव में, बालकों का विकास नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त यद्यपि बालकों के स्वाभाविक विकास हेतु अनेक मनोवैज्ञानिक विधियों की खोज की जा चुकी है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से इन विधियों का समुचित प्रयोग विद्यालयों में नहीं किया जाता है। परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष अनेक बालक निर्धारित उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने में भी सफल नहीं हो पाते हैं और वे अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए जाते हैं।

   समाधान—इस समस्या के समाधान के लिए यह अत्यावश्यक है कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उन्हीं अध्यापकों की नियुक्ति की जाए, जिनकी अपने व्यवसाय के प्रति पूर्ण निष्ठा हो तथा जिनमें शिक्षण की पर्याप्त योग्यता व कौशल विद्यमान हो। साथ ही सेवारत शिक्षकों को विभिन्न प्रशिक्षण-कार्यक्रमों के माध्यम से, शिक्षण प्रविधि के विभिन्न पक्षों के सम्बन्ध में समुचित जानकारी भी प्रदान की जानी चाहिए।

प्र.6. माध्यमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? इसके उद्देश्य एवं महत्त्व लिखिए।
What do you understand by secondary education? Write its objectives and importance.

उत्तर

माध्यमिक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा
(Meaning and Definition of Secondary Education)

प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् प्रदान की जाने वाली शिक्षा (कक्षा 9 से 12 तक) माध्यमिक शिक्षा कहलाती है। माध्यमिक शिक्षा का अर्थ है- मध्य की अर्थात् प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के मध्य की शिक्षा। उच्च शिक्षा से पूर्व होने के कारण माध्यमिक शिक्षा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। हमारे देश में प्राचीन काल, बौद्धकाल तथा मध्यकाल में शिक्षा दो स्तरों में विभक्त थी—प्राथमिक तथा उच्च। माध्यमिक शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार ब्रिटिश शासन काल में ईसाई मिशनरियों के द्वारा किया गया।

माध्यमिक शिक्षा एक ऐसा केन्द्रबिन्दु है, जो प्राथमिक शिक्षा एवं विश्वविद्यालयी शिक्षा के मध्य सम्बन्ध स्थापित करता है। यह शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के बीच कड़ी का काम करती है।

प्रो० हुमायूँ कबीर के शब्दों में,, "माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा की एक ऐसी कड़ी है जो प्राथमिक व उच्च शिक्षा को दृढ़ता के साथ बाँधती है।"

विद्यालयी या स्कूली शिक्षा को प्राय: तीन भागों में विभाजित किया जाता है—पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा। ये तीनों स्तर व्यक्ति की तीन अवस्थाओं से सम्बन्धित है। जैसे—पूर्व प्राथमिक शिक्षा शैशवकाल से, प्राथमिक शिक्षा बचपन या बाल्यावस्था से तथा माध्यमिक शिक्षा किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। अत: पूर्व प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा के बाद जो शिक्षा शुरू होती है, उसे माध्यमिक शिक्षा कहते है। माध्यमिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसे बौद्धिकता की कसौटी कह सकते हैं। क्योंकि इसी पर विश्वविद्यालयी शिक्षा आश्रित है। सामान्य रूप से माध्यमिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा की व्यवस्था होती है। कुछ राज्यों में कक्षा 11 व 12 को हायर सैकण्डरी भी कहा जाता है।

माध्यमिक शिक्षा की आधारशिला "वुड घोषणा पत्र 1854" में रखी गई थी। उन्होंने माध्यमिक स्तर पर दो प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिए कहा था—अ पाठ्यक्रम और ब पाठ्यक्रम। उसके बाद समय-समय पर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में पूरे देश में समान शिक्षा संरचना 10+2+3 को लागू करने की घोषणा की गई जिसमें कक्षा 1 से 8 तक प्राथमिक तथा कक्षा 9 से 12 तक माध्यमिक शिक्षा आती है। माध्यमिक विद्यालय राज्यों के शिक्षा विभागों तथा माध्यमिक शिक्षा परिषदों के द्वारा नियन्त्रित होते हैं।

वर्तमान में नई शिक्षा नीति, 2020 के आ जाने से नया शैक्षिक पैटर्न (5+3+3+4) लागू हुआ है जिसमें +4 के अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा आती है। यह अन्तिम चरण है।

माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Secondary Education)

अंग्रेजी शासन काल में माध्यमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी पढ़े-लिखे बाबू तैयार करना था। स्वतन्त्र होने के उपरान्त हमारी केन्द्रीय सरकार ने 1952 में डॉ. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में "माध्यमिक शिक्षा आयोग" का गठन किया गया। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के चार मुख्य उद्देश्य बताए हैं, जो निम्नलिखित हैं—

1. **व्यावसायिक दक्षता का विकास करना**—वर्तमान समय में हम देखते हैं कि विश्व के सभी देशों में औद्योगिक प्रगति की होड़ लगी है। अपनी औद्योगिक प्रगति में हम अन्य देशों के साथ उस समय तक नहीं चल सकते हैं जब तक कि हमारे देश के युवा इस प्रकार की प्रगति में सक्षम न हों। वर्तमान शिक्षा भी पूर्णतया सैद्धान्तिक है। वह बालकों को किसी प्रकार का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान नहीं करती है न ही शारीरिक श्रम के प्रति आस्था विकसित करती है। अत: आयोग ने सुझाव दिया कि शिक्षा का माध्यमिक स्तर ही एक ऐसा स्तर है जिस पर हम अपने भावी नागरिकों को व्यावसायिक दक्षता प्रदान कर सकते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोग ने पाठ्यचर्या को विविधतापूर्ण करने का सुझाव दिया।
2. **जनतन्त्रात्मक नागरिकता का विकास**—विश्व में सबसे बड़ा जनतन्त्रात्मक देश हमारा भारत वर्ष ही है। चूंकि इस प्रकार की शासन प्रणाली बहुत कोमल होती है। अत: इसके असफल होने की भी अनेक सम्भावनाएँ होती हैं।

जनतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था की सफलता सुनागरिकों पर निर्भर करती है। जनतन्त्रात्मक देश के लिए सत्यवादी स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष विचार वाले अनुशासित, सहयोगी एवं उदार राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत नागरिकों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार की समस्त बातों को दृष्टिगत करते हुए आयोग ने सिफारिश की कि माध्यमिक शिक्षा को छात्रों में इस प्रकार के गुणों का विकास करना चाहिए।

3. **नेतृत्व का विकास करना**—आयोग की दृष्टि में यह माध्यमिक शिक्षा का ही कार्य है कि बालकों में उचित एवं आदर्श नेतृत्व का विकास करे। माध्यमिक शिक्षा को ऐसे नागरिक उत्पन्न करना चाहिए जो जनसाधारण का नेतृत्व जनतान्त्रिक विधि से करके उन्हें उचित मार्ग प्रदर्शित कर सकें। जो प्रत्येक क्षेत्र में स्वयं बुद्धि एवं विवेक से कार्य करें एवं जनसाधारण के विकास के लिए आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में विविध प्रकार के क्रियात्मक विषयों एवं अन्य ऐसे विषयों के समावेशन का सुझाव दिया जो बालकों में उपर्युक्त समस्त गुणों का विकास कर सकें। तब से लेकर अब तक माध्यमिक शिक्षा के इन्हीं उददेश्यों को भाषायी अन्तर से स्पष्ट किया जाता रहा है।
4. **व्यक्तित्व का विकास करना**—आयोग का मानना था कि माध्यमिक शिक्षा को किशोर छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। आयोग का ये भी मानना था कि माध्यमिक शिक्षा को इस प्रकार से संगठित एवं व्यवस्थित करना चाहिए ताकि छात्रों के जन्मजात गुणों का वांछनीय विकास हो सके तथा वे अपने सांस्कृतिक वैभव को आगे बढ़ा सकें। आयोग के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा का यह कर्त्तव्य है कि वह बालकों के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करें।

माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व (Need and Importance of Secondary Education)

माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के बाद तथा उच्च शिक्षा से पहले दी जाती है इसलिए माध्यमिक शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व निम्न कारणों से है—

1. **माध्यमिक शिक्षा के द्वारा अच्छे नागरिक बनने का ज्ञान दिया जाता है**—माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले बच्चे किशोर होते हैं। यह ऐसी आयु होती है जिसमें बालकों को अगर सही शिक्षा न दी जाए तो उनका गलत रास्ते पर जाने का भय होता है। माध्यमिक शिक्षा बालकों में समाज का अच्छा सदस्य बनने, राष्ट्र का अच्छा नागरिक बनने तथा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को उचित प्रकार से करने का विकास करती है।
2. **माध्यमिक शिक्षा, राष्ट्र के विकास का आधार होती है**—प्राथमिक स्तर पर बालकों को सामान्य ज्ञान प्रदान कर, सामाजिक व्यवहार से परिचित कराया जाता है जबकि माध्यमिक स्तर पर बालकों को पूर्ण मनुष्य बनाया जाता है। उनमें सोचने-समझने की शक्ति और कार्य पूर्ण करने की क्षमता का विकास किया जाता है। जब तक किसी भी राष्ट्र के व्यक्तियों का मानसिक विकास परिपूर्ण नहीं होगा, तब तक उस राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है।
3. **माध्यमिक शिक्षा, पूर्ण इकाई है**—उच्च शिक्षा में सभी बच्चे प्रवेश नहीं लेते हैं। इसलिए माध्यमिक शिक्षा को पूर्ण इकाई के रूप में विकसित किया जाता है जिससे इसे प्राप्त करने के बाद बच्चे आर्थिक जीवन में प्रवेश करके अपनी जीविका का निर्वाह कर सकें। इसलिए माध्यमिक शिक्षा, सभी विकसित राष्ट्रों की शिक्षा का अनिवार्य अंग है।
4. **माध्यमिक शिक्षा, बालकों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करती है**—माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा से पहले दी जाने वाली शिक्षा है। इसको प्राप्त करने के बाद बच्चे उच्च शिक्षा में प्रवेश लेते हैं और भावी जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। माध्यमिक शिक्षा के द्वारा बालकों के बौद्धिक स्तर को ऊँचा उठाया जाता है। उनमें स्वध्ययन तथा परिश्रम करने की आदत का निर्माण किया जाता है क्योंकि इन गुणों के बिना वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते। इस दृष्टि से भी माध्यमिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है।
5. **माध्यमिक शिक्षा, बालकों हेतु पूर्ण शिक्षा है**—किसी भी राष्ट्र में माध्यमिक शिक्षा, जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग के लिए पूर्ण शिक्षा होती है क्योंकि उच्च शिक्षा में योग्य एवं मेधावी छात्र-छात्राएँ ही प्रवेश लेते हैं। इसलिए इस शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है जिसके द्वारा बालकों के व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सके, उन्हें व्यवसायों के लिए योग्य बनाया जा सके तथा सामान्य नागरिक के रूप में तैयार किया जा सके।

प्र.7. भारतवर्ष में माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का वर्णन करते हुए उनके समाधान भी बताइए।
Mention the problems of secondary education in India and also their solutions.

उत्तर

भारत में माध्यमिक शिक्षा की समस्याएँ एवं उनके समाधान
(Problems of Secondary Education in India and their Solutions)

स्वतन्त्रता-प्राप्ति (सन् 1947) के उपरान्त भारतवर्ष में माध्यमिक शिक्षा का विकास अत्यन्त तीव्र गति से हुआ। माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के मध्य कड़ी का कार्य करती है, लेकिन यह कड़ी आज तक निर्बल बनी हुई है। इसका मुख्य कारण माध्यमिक शिक्षा के विकास के मध्य अनेक समस्याएँ उत्पन्न होना है। माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का समाधान यदि उचित समय पर नहीं किया गया तो हमारी सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था दूषित एवं व्यर्थ हो जाएगी।

माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ व उनका समाधान निम्न प्रकार है—

1. **सामुदायिक जीवन का अभाव**—वर्तमान में विद्यालयों में सामाजिक कार्यों का आयोजन नहीं किया जाता। इसलिए देश के अनेक माध्यमिक विद्यालयों में सामुदायिक जीवन का अभाव पाया जाता है। परिणामस्वरूप छात्रों में परस्पर सम्पर्क स्थापित नहीं हो पाता तथा न ही उनमें सामुदायिक जीवन की भावना का विकास हो पाता है। आज हमारे देश में माध्यमिक विद्यालय केवल कारखाने मात्र बनकर रह गए हैं। माध्यमिक विद्यालय छात्रों को उत्तम नागरिक बनाने तथा उनमें सुसंगठित सामुदायिक जीवन व्यतीत करने की भावना का विकास करने में अक्षम हैं, परिणामस्वरूप ऐसे विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त विद्यार्थी देश के कर्त्तव्यनिष्ठ आदर्श नागरिक नहीं बन पाते।

   समाधान—इस समस्या के समाधान हेतु यह आवश्यक है कि विद्यालय को सामुदायिक जीवन का केन्द्र बनाया जाए।

2. **माध्यमिक विद्यालयों का प्रबन्ध**—भारतवर्ष में माध्यमिक विद्यालय कई प्रकार के हैं; जैसे—राजकीय माध्यमिक विद्यालय, निकाय माध्यमिक विद्यालय तथा स्व-संचालित माध्यमिक विद्यालय आदि। इन सभी प्रकार के विद्यालयों में स्व-संचालित अथवा निजी माध्यमिक विद्यालयों की संख्या सबसे ज्यादा है। सरकार माध्यमिक शिक्षा का भार अपने ऊपर नहीं लेती, बल्कि अनुदान देकर निजी संस्थाओं की आर्थिक सहायता करती है। इसके साथ ही इन विद्यालयों के प्रबन्ध का भार भी उनके प्रबन्धकों पर ही छोड़ देती है। इस सम्बन्ध में मुदालियर आयोग ने लिखा है—"दुर्भाग्यवश इस शिथिलता के कारण अनेक विद्यालय शिक्षा संस्थाओं के रूप में न चलाए जाकर व्यावसायिक उद्योग के रूप में चलाए जाते हैं। अनेक दशाओं में व्यक्ति अपनी निजी हैसियत में या व्यक्तियों के समूह बगैर उचित भवन या उपकरणों के छात्रों को दाखिल करके, विद्यालयों को चलाने लगते हैं, जिससे वे ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि शिक्षा विभागों के पास, विद्यालयों के लिए उनको मान्यता प्रदान करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह जाता है।"

   समाधान—इस समस्या के समाधान के लिए माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। सरकार समस्त निजी विद्यालयों का प्रबन्ध स्वयं करे तथा उन पर अपना नियन्त्रण रखे।

3. **छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनता**—छात्रों में निरन्तर बढ़ती हुई अनुशासनहीनता माध्यमिक विद्यालयों की एक अन्य समस्या है। विद्यालयों की अनियमितता, वर्षपर्यन्त प्रवेश की अनुमति, अध्यापकों की अयोग्यता, अभिभावकों द्वारा अपने बालकों पर ध्यान न दे पाना आदि अनेक कार्य, विद्यार्थियों में असन्तोष उत्पन्न करके, उन्हें अनुशासनहीनता प्रदर्शित करने वाले कार्यों की दिशा में प्रेरित करते हैं। आज माध्यमिक विद्यालयों में अनुशासनहीनता की समस्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है कि यदि इसका समय पर उपचार न किया गया तो यह समस्या हमारे देश के लिए घातक सिद्ध होगी।

   समाधान—उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु दिए गए सुझाव निम्नलिखित हैं—

   (i) विद्यालयों में ऐसे योग्य एवं आदर्श शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, जो छात्रों के समक्ष उत्तम आदर्श रखने में सफलता प्राप्त कर सकें।

   (ii) पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार होना चाहिए।

   (iii) विद्यार्थियों में विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास करने हेतु उत्तम वातावरण बनाए रखना चाहिए।

   (iv) उपर्युक्त समस्त कार्यों हेतु सरकार, अध्यापक एवं अभिभावकों को मिलकर कार्य करना चाहिए।

4. **अवांछनीय विद्यालयों में वृद्धि**—भारतवर्ष में स्वतन्त्रता-प्राप्ति (सन् 1947) के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा का विकास एवं विस्तार अत्यन्त तीव्र गति से हुआ। माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के साथ ही आज अवांछनीय निजी शिक्षालयों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। ये विद्यालय स्वार्थपूर्ति का साधन बने हुए हैं। इन विद्यालयों में शिक्षकों को बहुत कम वेतन दिया जाता है एवं विद्यार्थियों से अत्यधिक मासिक शुल्क लिया जाता है। ऐसे विद्यालय प्राय: किसी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल की निजी सम्पत्ति होते हैं।

   समाधान—इस समस्या के समाधान हेतु देश के समस्त अवांछनीय विद्यालयों को बन्द कर दिया जाए तथा सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, जिससे इन विद्यालयों के प्रबन्धक अनुचित लाभ न उठा सकें।

5. **अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या**—अपव्यय एवं अवरोधन, माध्यमिक शिक्षा के लिए एक अभिशाप है। प्राथमिक स्तर के अनुरूप माध्यमिक स्तर पर भी अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या दृष्टिगोचर होती है। विद्यालय की शोचनीय स्थिति, योग्य एवं पर्याप्त शिक्षकों का अभाव तथा अभिभावकों की आर्थिक स्थिति आदि अनेक कारणों से प्रतिवर्ष असंख्य छात्र एवं छात्राएँ माध्यमिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं अथवा एक ही कक्षा में कई वर्षों तक अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। अब से कुछ समय पूर्व तक हाईस्कूल तथा उसके समान स्तर की परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों में से 50% से कम विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हो पाते थे तथा आधे से अधिक विद्यार्थियों का समय एवं धन बेकार हो जाता है।

   समाधान—अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या के समाधान के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं—

   (i) योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।

   (ii) पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाए।

   (iii) विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए।

   (iv) परीक्षा-प्रणाली को उपयोगी बनाया जाए।

   (v) अध्यापन के समय शिक्षण के उचित साधनों का यथासमय प्रयोग किया जाए।

   (vi) विद्यालयी-वातावरण में समुचित परिवर्तन किया जाए।

6. **पाठ्यक्रम की अनुपयुक्तता**—मुदालियर आयोग ने पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में कहा है, "हमारे विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा जीवन से पूर्णतया पृथक् है। पाठ्यक्रम का निर्माण प्रारम्भिक विधियों से किया जाता है और छात्र का उस संसार से कोई भी सम्बन्ध नहीं रह जाता, जिसमें कि वह रह रहा है।" पाठ्यक्रम में निहित अनुभव ही बालक के विकास का प्रमुख आधार होते हैं। परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि छात्र को प्रदान किए जाने वाले अनुभवों का उसके जीवन से सम्बन्ध हो तथा ये अनुभव इस प्रकार प्रदान किए जाएँ, जिससे बालक उन्हें अपने जीवन का स्थायी अंग बना सकें किन्तु माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एकमार्गीय है। इसमें विद्यार्थी को अपने चहुँमुखी विकास का अवसर प्राप्त नहीं होता। यह पाठ्यक्रम अवास्तविक तथा अव्यावहारिक है, इसका जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

   समाधान—पाठ्यक्रम की समस्या के समाधान हेतु कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं—

   (i) पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाया जाए,

   (ii) पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों, व्यवसायों तथा उद्योगों को समाविष्ट किया जाए,

   (iii) विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार विषयों के चयन का अवसर प्रदान किया जाए।

7. **उद्देश्यहीनता**—शिक्षा का उद्देश्यहीन होना माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है। माध्यमिक शिक्षा की उद्देश्यहीनता के कारण अध्यापकों को शिक्षण के उद्देश्यों का स्पष्ट ज्ञान नहीं रहता तथा वे इसके लिए सुनियोजित प्रयास भी नहीं कर पाते हैं। इसी कारण छात्रों में वांछित परिवर्तन नहीं हो पाता है। उद्देश्यहीनता के वशीभूत होकर छात्र भी प्राय: अधर में रह जाते हैं तथा सार्थक अधिगम न हो पाने के कारण प्राय: अपने भविष्य को अन्धकारमय होता हुआ देखते रह जाते हैं।

   समाधान—इस समस्या के समाधान हेतु माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य सुनिश्चित किए जाएँ। इसके अतिरिक्त इस शिक्षा को एक स्वतन्त्र इकाई बनाया जाए।

8. **दोषयुक्त परीक्षा-प्रणाली**—माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा-प्रणाली भी अत्यन्त दोषपूर्ण है। सम्पूर्ण सत्र में विद्यार्थियों की परीक्षा प्राय: दो बार ली जाती है। मासिक परीक्षाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और न ही बालक के गृह-कार्य पर

अंक प्रदान किए जाते हैं। बालक का मूल्यांकन उसने परीक्षा में क्या व कितना लिखा है; इसी के आधार पर किया जाता है एवं उसे अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है। फलस्वरूप छात्र वर्ष-भर अध्ययन करने की अपेक्षा केवल परीक्षा के समय ही नोट्स व कुंजियों का आश्रय लेकर तथा कुछ चयनित प्रश्नों को रटकर परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर लिख आते हैं। विद्यार्थियों की निबन्धात्मक परीक्षा लेने से इस बात की पूर्णरूप से जानकारी नहीं मिल पाती है कि उनको विषय का उचित ज्ञान है भी या नहीं। इस प्रकार की परीक्षा-प्रणाली के द्वारा छात्रों के समुचित मानसिक पक्ष का मूल्यांकन सम्भव नहीं हो पाता।

समाधान—वर्तमान में प्रचलित परीक्षा-प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए।

9. **व्यवसायीकरण का अभाव**—आज हमारे देश की माध्यमिक शिक्षा एकमार्गीय है। उसके पाठ्यक्रम में विभिन्नता का अभाव है तथा उसमें सर्वत्र व्यवसायीकरण का अभाव भी दृष्टिगोचर होता है। मुदालियर आयोग ने पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में यह सुझाव दिया था कि पाठ्यक्रम का वैभिन्यीकरण कर दिया जाए तथा बहुउद्देश्यीय विद्यालयों का गठन किया जाए। सरकार द्वारा इस क्षेत्र में कदम उठाने के पश्चात् भी असफलता ही हाथ लगी है अत: आज आवश्यकता इस बात की है कि पाठ्यक्रम को व्यावसायिक रूप प्रदान किया जाए। औद्योगीकरण के कारण आज माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण करना अत्यधिक आवश्यक है।

समाधान—इस समस्या के निराकरण हेतु कोठारी आयोग ने यह सुझाव दिया कि छात्रों के लिए निम्न माध्यमिक स्तर पर दो प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जाए—(i) सामान्य शिक्षा तथा (ii) व्यावसायिक शिक्षा।

उपर्युक्त दोनों स्तरों पर एक से तीन वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

कोठारी आयोग ने प्रस्तुत सुझावों का स्वागत किया, परन्तु इस शिक्षा के लिए अधिक धन की व्यवस्था करना अत्यन्त कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी इस दिशा में कार्य किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण हेतु समस्त धनाढ्य व्यक्तियों से शिक्षा-कर लिया जाए, विद्यार्थियों को व्यावसायिक केन्द्रों में ले जाकर उन्हें व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया जाए तथा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्ति के पश्चात्, उन्हें रोजगार दिलाने का हर सम्भव प्रयत्न किया जाए। इससे विद्यार्थी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में रुचि लेंगे तथा उसकी ओर अधिकाधिक आकर्षित होंगे।

माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्रालय की पुस्तिका में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, "सारांश में, हमारी माध्यमिक शिक्षा, स्वतन्त्र भारत की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसे भारत के प्रत्येक नवयुवक को एक योग्य नागरिक बनाना चाहिए।"

प्र.8. भारत में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार में क्या बाधाएँ हैं? इसके समुचित प्रसार के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए?
What are the obstacles in the expansion of secondary education in India? What measures should be adopted for its proper expansion. **[2021]**

उत्तर

माध्यमिक स्तर की शिक्षा, प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करती है, अत: माध्यमिक शिक्षा का विकास एवं प्रसार करने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। लेकिन इसके विकास में आज अनेक समस्याएँ विद्यमान हैं। उनमें से सर्वप्रमुख समस्या है—प्रसार की।

हमारे यहाँ जनसंख्या में दिन-दूनी रात-चौगुनी प्रगति हो रही है, लेकिन इतनी तीव्र गति से शिक्षा का प्रसार नहीं हो पा रहा है। अत: जनसंख्या में बढ़ोतरी एवं शिक्षा के प्रसार के बीच सन्तुलन न होने के कारण, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के प्रसार की समस्या उत्पन्न हुई है। इस सम्बन्ध में पं० जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, "वर्तमान शिक्षा पद्धति पुरानी परिस्थितियों में उपयुक्त रही होगी, परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में जब स्तरीकरण हो रहा है, हानि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता। नवीन पीढ़ी हमारी भावी आशा है। जिस रूप में हम उनकी शक्तियों का विकास करेंगे तथा मस्तिष्क को झुकाएँगे, हम भारत के भाग्य को बनाएँगे। अत: उनकी शिक्षा को प्रमुखता प्रदान की जानी चाहिए।"

माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के प्रसार की समस्या का कोई एक मूल कारण नहीं वरन् अनेक कारण निहित हैं, जिनका उल्लेख अग्रलिखित पंक्तियों में किया गया है—

1. **अध्यापकों का असन्तुष्ट होना**—शिक्षा के प्रसार की समस्या का सर्वप्रमुख कारण है—अध्यापकों का अपने व्यवसाय से असन्तुष्ट होना, क्योंकि हमारी सरकार अध्यापकों को अन्य वर्गों के समान सुविधा तथा सम्मान देने की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अन्य वर्गों को मिलने वाली सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु आज अध्यापकों को आन्दोलनों का सहारा लेना पड़ता है। इन आन्दोलनों के फलस्वरूप अध्यापकों के असन्तोष में वृद्धि होती है।
2. **जनसंख्या के अनुपात में विद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी न होना**—आज हमारे देश में जिस गति के साथ जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसके अनुपात में विद्यालयों की संख्या अत्यन्त कम है। यद्यपि विद्यालयों की संख्या बढ़कर 5.72 लाख हो गयी है, लेकिन यह अत्यन्त कम है।
3. **नामांकन की संख्या में वृद्धि न होना**—बढ़ती हुई जनसंख्या की तुलना में आज नामांकन की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इससे भी प्रसार की समस्या में वृद्धि हो रही है।
4. **कार्य के प्रति निष्ठा का अभाव**—आज शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों में अपने कार्यों के प्रति निष्ठा की भावना नहीं रही है। सर्वत्र रिश्वतखोरी, बेईमानी एवं भ्रष्टाचार व्याप्त है। ऐसे वातावरण में शिक्षा का प्रसार कैसे किया जा सकता है?
5. **अनुचित शैक्षिक प्रबन्ध**—आज शिक्षा का प्रबन्ध भी भली-भाँति नहीं किया जा रहा है। हमारे देश में 80 प्रतिशत शिक्षा का संचालन निजी प्रबन्ध तन्त्र कर रहा है। पूर्ण ज्ञान व अनुभव के अभाव में विद्यालयों का समुचित प्रबन्ध इनके द्वारा न कर पाने के कारण आज विद्यालयों का स्तर दिन-प्रतिदिन पतन के गर्त में गिरता जा रहा है।

उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त प्रसार की समस्या के अन्य कारण भी हैं; जैसे—शैक्षिक अवसरों की असमानता, सार्वभौमिक शिक्षा का अभाव, पाठ्यक्रम का जीवन से असम्बद्ध होना।

माध्यमिक शिक्षा के प्रसार सम्बन्धी समस्या का समाधान निम्नलिखित उपायों द्वारा किया जा सकता है—

1. बालकों को शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान की जाए।
2. अध्यापकों के प्रशिक्षण का समुचित प्रबन्ध किया जाए।
3. पाठ्यक्रम को जीवन से सम्बद्ध किया जाए।
4. शिक्षालय प्रबन्ध में अध्यापकों को सम्मिलित किया जाए।
5. शिक्षा को सार्वभौम बनाया जाए।
6. शिक्षा प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए।
7. विद्यालयों का समय-समय पर पर्यवेक्षण किया जाए।
8. नवीन निजी विद्यालयों को खोलने पर प्रतिबन्ध लगाया जाए।

❑

TOUCH 'n' PASS

UNIT-VII

उच्च शिक्षा
Higher Education

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी?
Which commission recommended the setting up of University Grants Commission?

उत्तर राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' की स्थापना सन् 1956 में की गई थी।

प्र.2. उच्च शिक्षा कोई दो प्रमुख उद्देश्य लिखिए।
Write any two main objectives of higher education.

उत्तर उच्च शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं—

1. जीवन के उच्च मूल्यों पर ध्यान देना। 2. लोकतान्त्रिक आदर्शवाद को प्रस्तुत करना।

प्र.3. 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by University Grants Commission?

उत्तर 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' (University Grant Commission) एक ऐसी संस्था है जो उच्च शिक्षा अर्थात् विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के विकास एवं समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक सुझाव प्रदान करती है।

प्र.4. भारत में उच्च शिक्षा के निम्न स्तर के प्रमुख कारण बताइए।
Write the main cause of low level of higher education in India.

उत्तर भारत में उच्च शिक्षा के निम्न स्तर के प्रमुख कारण हैं—1. छात्रों की संख्या अत्यधिक होना, 2. शिक्षकों द्वारा छात्रों पर ध्यान न दिया जाना, 3. पुस्तकालयों में अध्ययन की उचित व्यवस्था का अभाव, 4. शिक्षा का व्यावहारिक जीवन से कोई सम्बन्ध न होना, 5. पाठ्यक्रम का रुचिकर न होना तथा 6. अध्यापकों की अध्यापन कार्य में रुचि का अभाव।

प्र.5. उच्च शिक्षा की चार प्रमुख समस्याएँ लिखिए।
Write four main problems of higher education.

उत्तर उच्च शिक्षा की चार मुख्य समस्याएँ हैं—1. शिक्षा के माध्यम की समस्या, 2. दोषयुक्त शिक्षा प्रणाली, 3. उद्देश्यहीनता की समस्या, 4. अनुशासनहीनता की समस्या।

प्र.6. शिक्षा के गिरते हुए स्तर की समस्या के निवारण हेतु कोई दो सुझाव दीजिए।
Give two suggestions to do away with the falling standards of education.

उत्तर शिक्षा के गिरते हुए स्तर की समस्या के निवारण हेतु सुझाव हैं—

1. पाठ्यक्रम को व्यावहारिक बनाया जाए।
2. अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था की जाए।

प्र.7. उच्च शिक्षा की सर्वाधिक गम्भीर समस्या बताइए।
Mention the most serious problem of education.

उत्तर उद्देश्यहीनता की समस्या उच्च शिक्षा की सबसे गम्भीर समस्या है।

TOUCH 'n' PASS

प्र.8. उच्च शिक्षा में माध्यम की समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है?
How can the problem of medium be solved in higher education?

उत्तर उच्च शिक्षा में माध्यम की समस्या के समाधान के लिए अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए।

प्र.9. डीम्ड या मानित विश्वविद्यालयों से क्या तात्पर्य है?
What do you understand by Deemed Universities?

उत्तर उन उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को डीम्ड या मानित विश्वविद्यालय कहा जाता है जिन्हें यूजीसी की सलाह पर भारत सरकार का उच्च शिक्षा विभाग मान्यता प्रदान करता है।

प्र.10. 'खुला विश्वविद्यालय' से क्या अभिप्राय है? **[2021]**
What do you mean by 'Open University'?

उत्तर खुला विश्वविद्यालय मौलिक रूप से दूरस्थ शिक्षा का ही एक स्वरूप है। दूरस्थ शिक्षा में जिन सिद्धान्तों का प्रयोग होता है लगभग उन सभी सिद्धान्तों का प्रयोग खुला विश्वविद्यालय के अन्तर्गत होता है। खुला विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्तियों हेतु जो किसी कारणवश विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके या जिसने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और अपने व्यवसाय/रोजगार से जुड़ गए, ऐसे लोगों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु स्थापित की गई।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. राधाकृष्णन आयोग ने उच्च शिक्षा के लिए कौन-से लक्ष्य निर्धारित किए हैं?
Which objectives for higher education have been determined by Radhakrishnan Commission?

उत्तर राधाकृष्णन आयोग द्वारा चरित्र-निर्माण तथा राष्ट्रीय अनुशासन की स्थापना पर अत्यधिक जोर दिया गया है। आयोग ने शिक्षा के लक्ष्य निम्न प्रकार निर्धारित किए हैं—

1. सफल प्रजातन्त्र के लिए प्रयत्न करना।
2. अन्तर्राष्ट्रीय अवबोध, राष्ट्रीय अनुशासन, आध्यात्मिक विकास, स्वतन्त्रता, समानता, न्याय तथा भाईचारे की भावना का विकास करना।
3. विश्वविद्यालयों को सभ्यता के अंग के रूप में सभ्यता तथा संस्कृति के बौद्धिक अग्रदूतों का निर्माण करना।
4. नवयुवकों में ज्ञान तथा वस्तुओं के बारे में बौद्धिक दृष्टिकोण का विकास करना।
5. व्यक्तियों के जन्मजात गुणों की खोज करना तथा प्रशिक्षण के माध्यम से उनका विकास करना।
6. साहसी, दूरदर्शी तथा बुद्धिमान नेतृत्व का निर्माण कर समाज सुधार पर जोर देना।
7. सामाजिक मुक्ति में सहायता प्रदान करना।
8. परिवर्तित होती राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों में राजनीति, व्यवसाय, प्रशासन, उद्योग तथा वाणिज्य में प्रतिनिधित्व प्रदान करना।

प्र.2. उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में कोठारी आयोग द्वारा निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्य संक्षेप में लिखिए।
Write in brief the educational goals determined by Kothari Commission for higher education.

उत्तर कोठारी आयोग ने उच्च शिक्षा के शैक्षिक लक्ष्यों को निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है—

1. सत्य के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान, प्रगति, पुराने ज्ञान का नई परिस्थिति में प्रयोग।
2. समाज को कृषि, चिकित्सा, कला, विज्ञान, उद्योग के क्षेत्रों में प्रशिक्षित व्यक्ति प्रदान करना।
3. राष्ट्र चेतना के विकास के लिए कार्य करना।
4. सामाजिक-सांस्कृतिक भिन्नताओं के अन्तर को कम करना।
5. सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देना।

6. प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों पर विचार करना।
7. शिक्षक तथा शिक्षार्थियों में मनोवृत्ति तथा मूल्यों का पोषण करना।
8. जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व का विकास।

कोठारी आयोग ने उपर्युक्त सार्वभौम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कतिपय कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनाई है। यह निम्न प्रकार है—

1. राष्ट्रीय विकास की जनशक्तिपरक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ हद तक जनता की बढ़ी हुई सामाजिक महत्त्वाकांक्षाओं तथा प्रत्याशाओं की पूर्ति के लिए उच्चतर शिक्षा का विकास।
2. विश्वविद्यालय के संगठन तथा प्रशासन में सुधार।
3. उच्चतर शिक्षा तथा अनुसन्धान में गुण तथा स्तर की दृष्टि से आमूल सुधार।

प्र.3. उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को संक्षेप में समझाइए।
Explain in brief the objectives of higher education.

उत्तर उच्च शिक्षा के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं—

1. नवीन ज्ञान की प्राप्ति तथा पोषण करना, पूरे उत्साह के साथ निर्भय होकर सत्य के अन्वेषण में जुट जाना तथा नई आवश्यकताओं एवं नई खोजों के सन्दर्भ में प्राचीन ज्ञान और विश्वासों की व्याख्या करना।
2. शिक्षा के प्रसार द्वारा समानता तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और सामाजिक तथा सांस्कृतिक भेदों को कम करने का प्रयास करना।
3. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सही प्रकार का नेतृत्व प्रदान करना, मेधावी युवक-युवतियों की पहचान करना तथा शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक शक्तियों के उन्नयन तथा स्वस्थ रुचियों, मनोवृत्तियों और नैतिक तथा बौद्धिक मूल्यों के पोषण द्वारा उनकी सम्भावनाओं के भरपूर विकास में सहायता करना।
4. व्यक्ति तथा समाज में 'सत् जीवन' के विकास के लिए जिन मनोवृत्तियों की जरूरत होती है, शिक्षकों तथा छात्रों में उनके माध्यम से सम्पूर्ण समाज में उन्हीं मनोवृत्तियों तथा मूल्यों का संवर्धन पोषण करना।
5. समाज को ऐसे सक्षम स्त्री-पुरुष देना जो कृषि, चिकित्सा, विज्ञान, कला तथा टेक्नोलॉजी में एवं अन्य विविध वृत्तियों में प्रशिक्षित हों तथा इसके साथ-साथ सामाजिक सोद्देश्यता की भावना से अनुप्राणित सुसंस्कृत व्यक्ति भी हों।

प्र.4. मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ अध्ययन से आप क्या समझते हैं? संक्षिप्त परिचय दीजिए। [2021]
What do you understand by open university and distance education? Give a brief introduction.

उत्तर उच्च शिक्षा को जनतान्त्रिक बनाने हेतु मुक्त विश्वविद्यालय की प्रणाली शुरू की गई है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सन् 1985 में स्थापित 'इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय' को सुदृढ़ किया गया है। इस प्रबल साधन का विकास एवं विस्तार सावधानीपूर्वक किया गया।

विशेषताएँ—मुक्त विश्वविद्यालय या सार्वजनीन विश्वविद्यालय की प्रमुख विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं—

1. प्रवेश लेने वाला किसी भी क्षेत्र का निवासी हो सकता है।
2. इसमें समय की बाध्यता भी नहीं है।
3. इसका कोई परिसर नहीं है।
4. इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए किसी डिग्री या डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है।
5. इसके लिए आयु की कोई सीमा नहीं है।
6. टी०वी० पाठों के प्रसारण के लिए सरकार इस प्रकार व्यवस्था करेगी जिससे सम्पूर्ण राष्ट्र में इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र लाभान्वित हो सकें।
7. खुले विश्वविद्यालय के विभिन्न केन्द्रों में अध्ययन का समय छात्रों की सुविधा को दृष्टिगत रखकर निर्धारित किया जाएगा।

TOUCH 'n' PASS

8. छात्रों के शिक्षण के लिए आधुनिक तकनीकों-टी०वी०, वीडियो, रेडियो आदि का प्रबन्ध तथा प्रयोग अध्ययन केन्द्रों पर ही किया जाएगा।
9. पाठ्यक्रम की अवधि पूरी होने पर उसके अध्ययन केन्द्रों पर ही परीक्षा ली जाएगी और सफल होने पर विश्वविद्यालय के द्वारा उपाधि या प्रमाण-पत्र दिए जाएँगे।
10. इस विश्वविद्यालय में छात्रों का मूल्यांकन, तीन रूपों में किया जाएगा—
    (i) छात्र द्वारा स्वमूल्यांकन,
    (ii) ट्यूटर द्वारा मूल्यांकन, तथा
    (iii) विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन।
11. उक्त विवरण का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि इस विश्वविद्यालय में परीक्षा नहीं होगी, उपाधि नहीं दी जाएगी या कोई पाठ्यक्रम नहीं होगा, परम्परागत विश्वविद्यालय के समान ही इसमें भी ये कार्य होंगे परन्तु इसकी कार्य-प्रणाली तथा स्वरूप में परम्परागत विश्वविद्यालय से अन्तर होगा।

प्र.5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by University Grants Commission?

उत्तर सन् 1945 में भारत सरकार द्वारा सार्जेन्ट रिपोर्ट के सुझावों के आधार पर एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया गया। सन् 1948 में राधाकृष्णन आयोग द्वारा सार्वजनिक धन विश्वविद्यालयों को अनुदान देने की सिफारिश की गई। इनके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना पर जोर दिया गया। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें विश्वविद्यालय के कुलपति, दो केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि तथा पाँच उच्चकोटि के शिक्षाशास्त्री होते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य
(Functions of University Grant Commission)

1. उच्च शिक्षा के उन्नति और विकास सम्बन्धी किसी भी विषय पर भारत सरकार को परामर्श देना।
2. विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बन्धित कॉलेजों को अनुदान प्रदान करना।
3. विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को परामर्श देना।

प्र.6. केन्द्रीय विश्वविद्यालय से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में लिखिए।
What do you understand by central university? Write in brief.

उत्तर भारतवर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। वर्तमान में देश में लगभग 20 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। भारत के राष्ट्रपति सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आगन्तुक हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) वह एजेंसी है जो इन विश्वविद्यालयों के रखरखाव और विकास के लिए धन प्रदान करती है।

इन 20 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय और केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय इंफाल को यूजीसी द्वारा वित्त पोषित नहीं किया जाता। इन्हें क्रमशः शिक्षा मन्त्रालय और कृषि मन्त्रालय द्वारा सहायता दी जाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) आदि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शामिल हैं।

प्र.7. केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मुख्य विशेषताएँ कौन-सी हैं?
What are the main characteristics of a central university?

उत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कुछ महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और नियंत्रित होता है।
2. भारत में भारत सरकार द्वारा संसद के एक अधिनियम द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाते हैं।
3. भारत के राष्ट्रपति भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए 'आगंतुक' (Visitor) के रूप में कार्य करते हैं।

4. राष्ट्रपति के पास विश्वविद्यालय अधिनियम में निर्धारित विभिन्न विधियों एवं प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्यकारी समिति/प्रबंधन बोर्ड/न्यायालय/चयन समितियों में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति (Power) होती है।
5. मानव संसाधन और विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) भारत के राष्ट्रपति को कुलपति (Vice Chancellors), न्यायालय के नामितों (Nominees) एवं चयन समिति के नामितों की नियुक्ति में सहायता करता है।
6. विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) मान्यता प्रदान करता है, इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 से अपनी शक्ति प्राप्त करता है।

प्र.8. राज्य विश्वविद्यालय से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by state university?

उत्तर राज्य विधानमण्डल के एक अधिनियम द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों को राज्य विश्वविद्यालयों के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में, हमारे देश में लगभग 215 राज्य विश्वविद्यालय हैं। राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी होती हैं और विकास और उनके रखरखाव के लिए अनुदान प्रदान करती हैं। यूजीसी लगभग 113 राज्य विश्वविद्यालयों के लिए बजटीय योजना आवंटित करता है। यूजीसी अधिनियम की धारा 12(बी) के अनुसार, 17 जून, 1972 के बाद स्थापित राज्य विश्वविद्यालय केन्द्र सरकार, यूजीसी या भारत सरकार से धन प्राप्त करने वाले किसी भी संगठन से कोई अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे, जब तक कि यूजीसी कोई अपवाद नहीं बनाता।

प्र.9. राज्य विश्वविद्यालय की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
Mention main characteristics of state university.

उत्तर राज्य विश्वविद्यालयों की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. भारतवर्ष में राज्य विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा स्थापित, संचालित और वित्त पोषित होते हैं। अर्थात् एक राज्य विश्वविद्यालय किसी विशेष राज्य की सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत कार्य करता है।
2. राज्य विश्वविद्यालय सामान्यत: स्थानीय विधान सभा अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं।
3. राज्य विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) भी समय-समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
4. राज्य विश्वविद्यालय छात्रों को अपनी डिग्री प्रदान/अनुदान दे सकते हैं।
5. राज्य विश्वविद्यालय की अपनी प्रवेश प्रक्रिया होती है।
6. राज्य विश्वविद्यालय अपनी परीक्षा स्वयं आयोजित करता है।
7. राज्य विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम स्वयं तय कर करता हैं।

प्र.10. निजी विश्वविद्यालय कौन-से होते हैं?
Which are private universities?

उत्तर किसी संस्थान को निजी विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के लिए राज्य विधानमण्डल को एक ऐसा अधिनियम पारित करना होता है जिसके द्वारा संस्था को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होगा। निजी विश्वविद्यालयों को यूजीसी से मान्यता लेनी होगी ताकि उनके द्वारा दी जाने वाली डिग्रियों का भी मूल्य हो।

एक निजी विश्वविद्यालय एक प्रायोजन निकाय द्वारा राज्य या केन्द्रीय अधिनियम के माध्यम से स्थापित उच्च शिक्षा का संस्थान है, जैसे कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम-1860 के अन्तर्गत पंजीकृत, किसी राज्य में लागू किसी अन्य कानून द्वारा या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत।

प्र.11. निजी विश्वविद्यालय की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।
Write main characteristics of private universities.

उत्तर निजी विश्वविद्यालयों की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. एक निजी विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का केंद्र होते है जिसे केंद्रीय या राज्य अधिनियम के माध्यम से उसी तरह स्थापित किया जाता है जैसे केंद्रीय या राज्य विश्वविद्यालय को।

2. ये निजी रूप से वित्त पोषित संस्थान हैं। अर्थात् इन्हें एक निजी प्रबंधन द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
3. निजी विश्वविद्यालय मानव संसाधन विभाग के मानदंडों के अन्तर्गत स्थापित किए गए हैं।
4. निजी विश्वविद्यालयों को यूजीसी से मान्यता प्राप्त होती है। अर्थात् निजी विश्वविद्यालयों को उनकी डिग्री को वैध मानने के लिए यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त करना होता है।

प्र.12. विश्वविद्यालय की स्वायत्ता से क्या तात्पर्य है? वर्णन कीजिए। [2021]
What is meant by Autonomy of University? Describe.

उत्तर

विश्वविद्यालय की स्वायत्तता
(Autonomy of University)

कोठारी आयोग ने विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण माना है। इस सम्बन्ध में आयोग ने लिखा है, "यह स्वीकार करना नितान्त आवश्यक है कि विश्वविद्यालय, स्वायत्तता के अभाव में अपने शिक्षण, अनुसन्धान, समाज-सेवा आदि के मुख्य कार्यों को प्रभावी ढंग से नहीं कर सकते।" शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये हैं—

1. विश्वविद्यालयों के प्रत्येक विभाग को कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करनी चाहिए।
2. कॉलेजों की स्वायत्तता की पूर्ण चिन्ता विश्वविद्यालय को करनी चाहिए।
3. साहित्यिक परिषदों में छात्रों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।
4. श्रेष्ठ विचारों का जन्म साधारणत: निम्न स्तरों पर होता है। विश्वविद्यालयी प्रशासन में इसके सिद्धान्त का पालन किया जाना चाहिए।
5. विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग में अध्यक्ष एवं अन्य अध्यापकों की समिति का गठन किया जाना चाहिए। इस समिति का मुख्य कार्य आर्थिक, शैक्षिक एवं प्रशासकीय सम्बन्ध पर विचार-विमर्श करना होगा।
6. प्रत्येक कॉलेज के प्रत्येक विभाग में अध्यापकों एवं विभागाध्यक्षों की संयुक्त समितियों का गठन किया जाना चाहिए।
7. विश्वविद्यालय की स्वतन्त्रता के पक्ष में यू०जी०सी०, आई०यू०बी० तथा शिक्षित व्यक्तियों को जनमत का निर्माण करना चाहिए।
8. विश्वविद्यालयों को अपनी स्वायत्तता बनाये रखने हेतु प्रयासरत रहना चाहिए।
9. प्रत्येक कॉलेज में एक केन्द्रीय समिति का निर्माण प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में किया जाना चाहिए। इस समिति का कार्य होगा—कॉलेज की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करना।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. भारत में उच्च शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्त्व को समझाइए।
State the meaning, objectives, need and importance of higher education in India.

उत्तर

उच्च शिक्षा
(Higher Education)

अर्थ—उच्च शिक्षा (Higher Education) का अर्थ सामान्य रूप से सबको दी जाने वाली शिक्षा से ऊपर किसी विशेष विषय या विषयों में विशेष, विशद तथा सूक्ष्म शिक्षा से होता है। यह शिक्षा के उस स्तर का नाम है जो विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक विश्वविद्यालयों, कम्युनिटी महाविद्यालयों, लिबरल आर्ट कालेजों एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि के द्वारा दी जाती है। प्राथमिक एवं माध्यमिक के बाद यह शिक्षा का तृतीय स्तर है जो प्राय: ऐच्छिक (Non-Compulsory) होता है। इसके अन्तर्गत स्नातक, परास्नातक (Postgraduate Education) एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि आते हैं। उच्च शिक्षा का उददेश्य छात्र के व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास सुनिश्चित करते हुए उसे लक्ष्य तक पहुँचने हेतु काबिल बनाना एवं उसके अन्तर्मन में मानवीय गुणों को विकसित करना है।

माध्यमिक शिक्षा के बाद अनुसंधान डिग्री स्तर के स्नातकोत्तर तक शिक्षा के चरणों को उच्च शिक्षा माना जाता है। सरल शब्दों में, उच्च शिक्षा माध्यमिक विद्यालय के निर्देश से ऊपर की शिक्षा है, जो आमतौर पर ग्रेड 13 से शुरू होती है, जो महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं स्नातक स्कूलों, जूनियर कॉलेजों द्वारा प्रदान की जाती है। उच्च शिक्षा एक अर्थ है, शिक्षा का तृतीयक स्तर कहा जा सकता है, जो शिक्षा पिरामिड का शीर्ष है। उच्च शिक्षा सामान्य शिक्षा या गैर-तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की हो सकती है। उच्च शिक्षा में डिग्री के तीन स्तर होते हैं जैसे भारतीय संदर्भ में स्नातक पाठयक्रम की आईजी डिग्री, मास्टर कोर्स की दूसरी डिग्री एवं दर्शनशास्त्र के मास्टर या डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की तीसरी डिग्री। उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त एवं योग्य मानव संसाधनों का उत्पादन करना है। पं० जवाहर लाल नेहरू के अनुसार, "विश्वविद्यालय शिक्षा का दायित्व मानवता, सहनशीलता, तर्क, विचारों के विकास एवं सत्य की खोज करना है।"

उच्च शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Higher Education)

राधाकृष्णन आयोग (1952-53) ने उच्च शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए—

1. छात्रों को दूरदर्शी, बुद्धिमान एवं साहसी नेतृत्व करने में सक्षम बनाकर के समाज सुधार पर बल देना।
2. छात्रों को सभ्यता व संस्कृति का प्रसार एवं संरक्षण करने के योग्य बनाना।
3. बदलती राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में, राजनीति, प्रशासन, पेशे, उद्योग व वाणिज्य में स्वस्थ प्रतिनिधित्व प्रदान करना।
4. विश्वविद्यालयों में, वस्तुओं के प्रति बौद्धिक दृष्टिकोण विकसित करना एवं युवाओं में ज्ञान के विकास को प्रोत्साहित करना।
5. छात्रों में राष्ट्रीय अनुशासन, अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता, बौद्धिक विकास, न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे की भावना विकसित करना।
6. छात्रों का आध्यात्मिक विकास एवं चारित्रिक निर्माण करना।
7. शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ एवं मानसिक दृष्टि से प्रबुद्ध व्यक्तियों का निर्माण करना।
8. छात्रों के जन्मजात या अनुवांशिक गुणों की खोज करना एवं उपयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से उनका विकास करना।
9. लोकतंत्र की सफलता के लिए कुशल नागरिक तैयार करने का प्रयास करना।
10. छात्रों में नैतिकता, सदाचार एवं आदर्श नागरिकता का विकास करना।

कोठारी आयोग (1964-66) ने निम्न शब्दों में उच्च शिक्षा के उद्देश्य या आदर्श के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं—

1. कला, विज्ञान, कृषि, औषधि एवं उद्योग के क्षेत्र में समाज को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना।
2. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व का विकास करना। प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान करना एवं उनमें शारीरिक फिटनेस, सही रुचियों, दृष्टिकोण एवं नैतिक व बौद्धिक मूल्यों का विकास करके उनकी क्षमता को पूर्ण रूप से विकसित करने में सहायता करना।
3. ज्ञान के प्रसार के माध्यम से समानता एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषमताओं को कम करने का प्रयास करना।
4. नई परिस्थितियों में परम्परा, ज्ञान का उपयोग करते हुए सत्य के ढांचे के भीतर ज्ञान की खोज करना। सत्य की भावना में दृढ़ता और निडरता से संलग्न होना और पुराने ज्ञान और विश्वासों को नई जरूरतों और खोजों के आलोक में व्याख्या करना।
5. प्रौढ़ शिक्षा के लिए कार्यक्रम तैयार करना।
6. राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए कार्य करना।
7. छात्रों एवं शिक्षकों के मध्य सही मूल्यों का पोषण करना। अर्थात् शिक्षकों व छात्रों में और उनके माध्यम से समाज में अच्छे जीवन के विकास के लिए आवश्यक दृष्टिकोण व मूल्यों को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 ने उच्च शिक्षा को इस प्रकार देखा—"उच्च शिक्षा लोगों को मानवता के सामने आने वाले महत्त्वपूर्ण, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मुद्दों पर चिंतन करने का अवसर प्रदान करती है। यह विशेष ज्ञान एवं कौशल के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय विकास में योगदान देता है। शैक्षिक पिरामिड के शीर्ष पर होने के कारण, शिक्षा प्रणाली के लिए शिक्षक तैयार करने में भी इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।"

उच्च शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व
(Need and Importance of Higher Education)

उच्च शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व इस प्रकार है—

1. **विशेषज्ञों का निर्माण**—उच्च शिक्षा के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों; जैसे—धर्म, दर्शन, अभियान्त्रिकी, अध्यापन, ज्ञान-विज्ञान, चिकित्सा, विधि, संगठन एवं प्रशासन आदि के लिए विशेषज्ञ (जैसे—पण्डित, दार्शनिक, इंजीनियर, अध्यापक, वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील, तकनीशियन, प्रशासक एवं संगठनकर्ता) तैयार किए जाते है। ये मानव संसाधन उच्चतम श्रेणी के होते हैं। उच्च शिक्षा के अभाव में यह सम्भव नहीं है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर व्यक्ति बुद्धिजीवी बन जाता है एवं समाज में योगदान दे पाता है।
2. **व्यक्तियों में व्यापक दृष्टिकोण का विकास**—सामान्य शिक्षा से जहाँ मानव केवल सामान्य शिक्षा ही प्राप्त करता है वहीं उच्च शिक्षा से व्यक्ति राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है और यह ज्ञान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का होता है। उच्च शिक्षा ग्रहण करके व्यक्ति संकुचित क्षेत्र से निकलकर विस्तृत एवं सहिष्णुता के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। उनमें सामाजिक समानता, सांस्कृतिक, धार्मिक सहिष्णुता एवं अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास होता है।
3. **राष्ट्र का बहुमुखी विकास**—प्रत्येक राष्ट्र के किसी भी क्षेत्र में उन्नति एवं विकास करने के लिए दो मूलभूत संसाधनों (प्राकृतिक एवं मानव संसाधन) की आवश्यकता होती है। उच्च स्तर के मानवीय साधनों का निर्माण उच्च शिक्षा करती है। वस्तुत: यह देखा जाता है कि जिस राष्ट्र में उच्च स्तर के मानव संसाधनों की जितनी अधिक उपलब्धता होती है, वह उतनी ही अधिक तीव्रता से विकास करता है। जहाँ राष्ट्र का आर्थिक विकास औद्योगीकरण पर निर्भर करता है वहीं औद्योगीकरण वैज्ञानिक, तकनीशियनों, अभियन्ताओं एवं प्रशासकों पर निर्भर करता है। इन सभी (वैज्ञानिक, अभियन्ता एवं प्रशासक आदि) का निर्माण उच्च शिक्षा द्वारा होता है। अत: उच्च शिक्षा प्रत्येक राष्ट्र के बहुमुखी विकास का साधन होती है।
4. **उच्च ज्ञान की प्राप्ति एवं नवीन ज्ञान की खोज**—उच्च शिक्षा के द्वारा छात्र को मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों का उच्च ज्ञान कराया जाता है। इसके अतिरिक्त छात्र को नए ज्ञान की खोज एवं वास्तविक तथ्यों का पता लगाने के अवसर प्रदान किए जाते हैं एवं ज्ञान-विज्ञान आदि के क्षेत्र में नए-नए आविष्कार करने के योग्य बनाया जाता है जितना विस्तृत उनका ज्ञान होता है उतना ही विस्तृत उनका दृष्टिकोण होता जाता है।
5. **कार्यकुशलता एवं नेतृत्व शक्ति का विकास**—उच्च शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को उसकी रुचि, योग्यता, रुझान एवं क्षमता के अनुसार किसी कार्य को करने के योग्य बनाया जाता है। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर सकता है। इस दृष्टि से भी उच्च शिक्षा का बहुत महत्त्व है।

प्र.2. नई शिक्षा नीति, 2020 में उच्च शिक्षा से सम्बन्धित प्रावधान, आयोग तथा प्रभावी निष्पादन निकायों का वर्णन कीजिए।
Mention the provisions related to higher education, commission and effective executing bodies in New Education Policy, 2020.

उत्तर प्रावधान—नई शिक्षा नीति, 2020 में उच्च शिक्षा से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रावधान किए—

1. नई शिक्षा नीति, 2020 के अन्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' (Gross Enrolment Ratio) को 26.3 प्रतिशत (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ने की बात कही गई है।

2. नेप, 2020 के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। इसका अर्थ यह है कि 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा अर्थात 1 वर्ष के बाद प्रमाण-पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक।
3. विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (Academic Bank of Credit) दिया जाएगा, ताकि अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।
4. नई शिक्षा नीति, 2020 के अन्तर्गत एम.फिल. कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा की गई है।

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India)

नई शिक्षा नीति, 2020 में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक की परिकल्पना की गई है। इस नियामक का नाम भारतीय उच्च शिक्षा परिषद (Higher Education Commission of India-HECI) होगा जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने के लिए कई कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोडकर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय (Single Umbrella Body) के रूप में कार्य करेगा।

भारतीय उच्च शिक्षा परिषद के कार्यों के प्रभावी निष्पादन निकाय (Effective Execution of the Functions of the Higher Education Council of India)

भारतीय उच्च शिक्षा परिषद के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु चार निकाय हैं—

1. **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद** (National Higher Education Regulatory Council-NHERC)—यह शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक नियामक का कार्य करेगा।
2. **सामान्य शिक्षा परिषद** (General Education Council-GEC)—यह उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढाँचा तैयार करेगा या यू कहें कि उनके लिए मानक निर्धारण का कार्य करेगा।
3. **राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद** (National Accreditation Council-NAC)—यह संस्थानों के प्रत्यायन का कार्य करेगा जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण, सुशासन एवं परिणामों पर आधारित होगा।
4. **उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद** (Higher Education Grants Council-HEGC)—यह निकाय कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिए वित्तपोषण का कार्य करेगा।

नोट—वर्तमान में उच्च शिक्षा निकायों का विनियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) जैसे निकायों के माध्यम से किया जाता है। देश में आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIM) के समकक्ष वैश्विक मानकों के 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय' (Multidisciplinary Education and Research Universities & MERU) की स्थापना की जाएगी।

प्र.3. भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति कैसी है? इस क्षेत्र में कौन-कौन-सी समस्याएँ आती हैं? इन समस्याओं के निराकरण के लिए उपयुक्त सुझाव भी दीजिए।
How is the condition of higher education in India? What are its problems? Also, provide suitable suggestions for their remedy.

उत्तर

भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति
(Condition of Higher Education in India)

देश के योग्य नागरिकों का निर्माण करने की दृष्टि से उच्च शिक्षा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस स्तर पर विविध अनिवार्य, ऐच्छिक अथवा विशिष्टीकरण पर आधारित पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के पश्चात् ही, अधिकतर छात्र, राष्ट्र के अनेक महत्त्वपूर्ण एवं उच्च पदों के योग्य बनते हैं। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् देश में अनेक विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना हो चुकी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार वर्तमान में लगभग 789 विश्वविद्यालय, 37000 महाविद्यालय हैं। इन सभी पर

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दृष्टि रखता है तथा प्रत्येक राज्य का उच्च शिक्षा विभाग भी हस्तक्षेप करता है। फिर भी उच्च शिक्षा में विकास की बहुत आवश्यकता है।

उच्च शिक्षा की समस्याएँ एवं उनका निराकरण (Problems of Higher Education and Their Solution)

कोठारी आयोग एवं उच्च शिक्षा आयोग के द्वारा भारत सरकार को उच्च शिक्षा में सुधार करने के लिए अनेक सुझाव दिए गए थे। इन सुझावों को स्वीकार करके यद्यपि सरकार ने समय-समय पर अनेक प्रयास भी किए हैं लेकिन इसके पश्चात् भी भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याएँ यथावत् दिखाई पड़ती हैं। ये समस्याएँ निम्नलिखित हैं—

1. **शिक्षा के माध्यम की समस्या**—अंग्रेजी भाषा के माध्यम के सम्बन्ध में **महात्मा गांधी** ने कहा था—"विदेशी माध्यम ने राष्ट्र की शक्ति को क्षीण कर दिया है। उसने व्यक्तियों की आय को कम कर दिया है। उसने उन्हें जनसाधारण से अलग कर दिया है तथा उसने शिक्षा को अनावश्यक रूप से महँगा बना दिया है।" स्वतन्त्र भारत में आज भी हमारे देश में अनेक विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही है। आज के नवयुवक अंग्रेजी को छोड़ना ही नहीं चाहते। वे अंग्रेजी भाषा से होने वाली हानि अथवा अहित को समझ नहीं पा रहे हैं।

   समाधान—इस समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है कि अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम न बनाने हेतु प्रयास किया जाए। विश्वविद्यालय आयोग ने प्रादेशिक अथवा संघीय भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव रखा तथा कोठारी आयोग ने भी क्षेत्रीय भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव प्रस्तुत किया। अनेक विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं को उच्च शिक्षा के रूप में मान्यता दे दी है लेकिन अनेक क्षेत्रीय भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने में अनेक कठिनाइयाँ हैं; अत: आज आवश्यकता इस बात की है कि अधिकाधिक व्यक्तियों को संघीय भाषा-हिन्दी का ज्ञान कराया जाए।

2. **दोषयुक्त परीक्षा-प्रणाली**—उच्च शिक्षा की समस्त समस्याओं में सबसे अधिक भीषण समस्या दोषयुक्त परीक्षा-प्रणाली की है। **राधाकृष्णन आयोग** के अनुसार—"यदि हम विश्वविद्यालय शिक्षा के केवल एक विषय में सुधार का सुझाव दें, तो वह परीक्षाओं के सम्बन्ध में होना चाहिए।"

   अधिकतर विश्वविद्यालयों में निबन्धात्मक परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं, इनके आधार पर छात्रों की योग्यता की पूर्ण जानकारी नहीं हो पाती क्योंकि इन परीक्षाओं में छात्र केवल रटकर प्रश्नों का उत्तर लिख देते हैं एवं परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, जिससे शिक्षित बेरोजगारी का जन्म होता है।

   समाधान—इस समस्या के समाधान के लिए निबन्धात्मक परीक्षाओं के स्थान पर वस्तुनिष्ठ परीक्षाएँ आयोजित की जानी चाहिए। इसके साथ में 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए।

3. **विस्तार की समस्या**—विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं तथा विकास-क्रम के कारण उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है परिणामस्वरूप दिन-प्रतिदिन उच्च शिक्षा के प्रसार की समस्या बढ़ती ही जा रही है। इस अनियन्त्रित शिक्षा के विस्तार से अनेक दुष्परिणाम सामने आए हैं; यथा—शिक्षित बेरोजगारी, उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट आना, उपयुक्त शैक्षणिक प्रशिक्षण का अभाव आदि।

4. **अनुशासनहीनता की समस्या**—वर्तमान में विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत अनुशासनहीनता प्रमुख समस्या बनी हुई है। इस अनुशासनहीनता के लिए विद्यार्थी एवं शिक्षक, दोनों ही समान रूप से उत्तरदायी हैं। प्रवेश को लेकर कुलपति का घेराव तथा विश्वविद्यालय में तोड़-फोड़ आदि की घटनाएँ प्राय: घटित होती रहती हैं, जिससे महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों को कभी-कभी अनिश्चित समय तक के लिए बन्द भी करना पड़ता है। अध्यापकों से दुर्व्यवहार तथा परीक्षा में नकल करना अब सामान्य बातें हो गई हैं। इस अनुशासनहीनता के लिए किसी एक कारण को मुख्य रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता अपितु इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं; जैसे—(i) दोषयुक्त शिक्षण विधियाँ, (ii) जटिल एवं अव्यावहारिक पाठ्यक्रम, (iii) सामूहिक जीवन पर आधारित कार्यों का अभाव, (iv) शिक्षित बेरोजगारी आदि।

समाधान—अनुशासनहीनता की समस्या के समाधान से सम्बन्धित कोठारी आयोग का मत है कि अनुशासनहीनता के समाधान के लिए केवल शिक्षकों को ही नहीं वरन् विद्यार्थियों, अभिभावकों, समाज, सरकार तथा राजनीतिक दलों को मिलकर कार्य करना चाहिए।

5. **शिक्षा में विशिष्टीकरण की समस्या**—उच्च शिक्षा के अन्तर्गत अनेक विषयों के विशिष्टीकरण पर बल दिया जाता है फलस्वरूप विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्ति के उपरान्त किसी विषय में दक्षता तो प्राप्त कर लेता है लेकिन उसका दृष्टिकोण अत्यन्त संकीर्ण हो जाता है।

   समाधान—इस समस्या का समाधान, ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में समन्वय स्थापित करके किया जा सकता है क्योंकि ज्ञान एक अखण्ड इकाई है, जिसे विभिन्न भागों में विभक्त करके नहीं पढ़ाया जा सकता है।

6. **छात्र-संघ अथवा छात्र-समितियों की समस्या**—उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्र-समितियाँ प्रधानाचार्यों तथा प्रबन्धकों के कार्यों में हस्तक्षेप करती हैं। वर्तमान युग में ये समितियाँ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभिशाप सिद्ध हुई हैं।

   समाधान—इस समस्या के समाधान हेतु छात्र-समितियों का इस प्रकार से गठन किया जाए कि वे छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास करें तथा छात्रों को राष्ट्रोपयोगी कार्यों को करने के लिए प्रेरित करें।

7. **उद्देश्यहीनता की समस्या**—उच्च शिक्षा की एक अन्य प्रमुख समस्या उद्देश्यहीनता है। उद्देश्यहीनता के कारण, आज छात्रों का भविष्य अन्धकारमय प्रतीत हो रहा है। आज का छात्र, समाज का केवल चेतनाविहीन सदस्य बनकर रह गया है। इसका सर्वप्रमुख कारण यह है कि छात्र किसी विशेष उद्देश्य को लेकर शिक्षा प्राप्त नहीं करते।

   समाधान—इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों के समक्ष एक निश्चित उद्देश्य रखा जाए। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था उद्देश्यहीन है।

   विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित उच्च शिक्षा के उद्देश्य आदर्शवादी अधिक थे तथा कोठारी आयोग द्वारा सुझाए गए उद्देश्य अधिक व्यावहारिक हैं। इस आयोग ने बताया कि छात्रों के समक्ष एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए और उसी के अनुसार छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

8. **अपव्यय की समस्या**—प्राथमिक शिक्षा के समान ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी अत्यधिक अपव्यय होता है क्योंकि उस स्तर की परीक्षाओं में प्रतिवर्ष कुछ विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हो पाते हैं। परिणामस्वरूप उनके अभिभावकों को आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है।

   समाधान—अपव्यय की समस्या का शीघ्रातिशीघ्र निराकरण किया जाना परम आवश्यक है।

   अपव्यय की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है कि विश्वविद्यालय में केवल योग्य विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाए तथा कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तावित प्रवेश-चयनात्मक प्रणाली को अपनाया जाए।

9. **दोषयुक्त पाठ्यक्रम**—उच्च शिक्षा से सम्बन्धित सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पाठ्यक्रम की समस्या है। उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की अभिरुचि एवं मनोवृत्ति के अनुरूप नहीं है। पर्याप्त तर्क-वितर्क एवं आलोचना के पश्चात् भी, भारतीय शिक्षाविद् एवं केन्द्र सरकार इस समस्या का व्यावहारिक समाधान खोजकर, उसे क्रियान्वित नहीं कर सके हैं। पाठ्यक्रम में निहित अनुभव ही वे माध्यम होते हैं, जिनके द्वारा छात्रों का बहुमुखी विकास सम्भव होता है तथा यह बहुमुखी विकास ही देश की प्रगति में सहायक होता है। इसलिए पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, जिससे छात्रों को व्यावहारिक जीवन के अनुभव भी प्राप्त हो सकें तथा उनका व्यावहारिक जीवन में महत्त्व हो।

   समाधान—इस समस्या के निराकरण हेतु पाठ्यक्रम का चयन विद्यार्थियों की अभिरुचि के अनुसार किया जाए। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में विभिन्नता होनी चाहिए तथा पाठ्यक्रम का निर्धारण व्यावहारिकता को दृष्टिगत रखते हुए ही किया जाना चाहिए।

10. **मार्ग-दर्शन एवं समुपदेशन की समस्या**—भारतवर्ष में उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए पथ-प्रदर्शन एवं परामर्श की कोई व्यवस्था नहीं है। मार्ग-दर्शन एवं परामर्श के अभाव में छात्र प्राय: ऐसे विषयों का चयन कर लेते हैं, जो उनकी प्रकृति के अनुकूल नहीं होते परिणामस्वरूप उनका अधिकांश समय व्यर्थ हो जाता है एवं वे उचित ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते।

समाधान—मार्ग-दर्शन एवं समुपदेशन की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है—

(i) विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अनुभवी व प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा छात्रों को परामर्श देकर उनका मार्ग-दर्शन किया जाए।

(ii) प्राध्यापकों के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है।

(iii) महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में ऐसे प्राध्यापकों का चयन किया जाना चाहिए, जो छात्रों की रुचि का पता लगाकर उन्हें समयानुसार उचित परामर्श दे सकें।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याएँ विद्यमान हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग तथा कोठारी आयोग ने उच्च शिक्षा की समस्याओं के समाधान हेतु अनेक सुझाव प्रस्तुत किए। यदि कोठारी कमीशन द्वारा प्रस्तुत सुझावों को शीघ्रता से लागू किया गया तो उच्च शिक्षा की अनेक समस्याओं का निराकरण शीघ्रमेव हो जाएगा तथा विद्यार्थी देश के सुयोग्य नागरिक बनकर, इसके विकास एवं नवनिर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर सकेंगे।

प्र.4. **भारत में उच्च शिक्षा-वर्तमान मुद्दे एवं चुनौतियों का वर्णन कीजिए।**
Describe the present issues and challenges confronting higher education in India.

उत्तर

भारत में उच्च शिक्षा-वर्तमान मुद्दे एवं चुनौतियाँ
(Higher Education in India—Present Issues and Challenges)

शिक्षा को हमेशा से ही मानव के विकास और स्वतन्त्रता (मुक्ति) का मुख्य ध्येय माना गया है। ये किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के साथ ही उसके भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास का आधार है जिससे उसका सर्वांगीण विकास होता है। स्थिरता के लिए शिक्षा एक प्रमुख साधन है। वर्तमान आर्थिक विकास, जिससे विश्व को एक अलग पहचान मिली है, स्थायी नहीं है। दूसरी ओर गतिशील समाज की स्थिरता के लिए लोगों में जागरूकता, शिक्षा एवं प्रशिक्षण मुख्य साधन है। शिक्षा के द्वारा ही मानव पूँजी का निर्माण होता है जो आर्थिक विकास का मूल है। हम ये भी कल्पना कर सकते हैं कि मानव पूँजी बाह्य आर्थिक प्रक्रिया को स्वयं गति प्रदान कर सकती है। यदि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक समृद्धि के समकक्ष तथा प्रथम पाँच अर्थव्यवस्थाओं के साथ चलना चाहता है तो उसे गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा को मजबूत करना होगा। आर्थिक विकास को प्रेरित करने वाली रणनीतियों में उच्च शिक्षा बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भारत में उच्च शिक्षा के प्रमुख मुद्दे
(Major Issues in Higher Education in India)

सामान्यत: ज्ञान अर्थव्यवस्था के उभरते बहुआयामी परिदृश्य किसी भी देश और विशेषकर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उच्च शिक्षा पद्धति के समक्ष विभिन्न प्रकार के मुद्दे चुनौती के रूप में हैं। जैसे—समता, अन्तर्वेशन, निजीकरण और वित्त पोषण या वित्त की अनुपलब्धता।

1. **गुणवत्ता**—उच्च शिक्षा में गुणवत्ता एक अन्य ज्वलंत मुददा है जो संस्थान के लगातार कार्य की समीक्षा या स्वामूल्यांकन या किसी बाह्य मान्यता प्राप्त अभिकरण के माध्यम से कराया जा सकता है। उच्च शिक्षा में विस्तार के साथ इधर कुछ वर्षों में निजी संस्थानों द्वारा छात्रों से प्रवेश के समय कैपिटेशन फीस तथा अन्य विभिन्न प्रकार के चार्ज लिए जा रहे हैं। इसे वह उपयुक्त आंकलन या मान्यता के लिए प्रभार कहते हैं।

   उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए विभिन्न प्रकार की स्वायत्तशासी संस्थाएँ उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन तथा नियमन करती हैं। इनमें प्रमुख संस्थाएँ हैं—नैक (NAAC), एन.बी.ए. (NBA), ए.बी. (AB), डेक (DEC) परन्तु इसके बावजूद भी गुणवत्ता मानक अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों से तुलनात्मक रूप से काफी कम (सीमित) है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इन मानकों को और अधिक कठोरता से तथा दृढ़तापूर्वक लागू करना होगा।

2. **पहुँच और समता**—वर्तमान समय में विश्व अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव हो रहे हैं तथा ये बदलाव उच्च शिक्षा में भी देखे जा सकते हैं। परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा कुछ सीमा तक लोगों की पहुँच में हो गयी है परन्तु ये पर्याप्त नहीं है।

केन्द्रीय उच्च संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के पश्चात अन्तर्वेशन के आगे बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है। उच्च शिक्षा की पहुँच सभी लोगों तक हो इसके लिए नीतियों को बनाते समय अन्तर्वेशन एवं समता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। भारत में उच्च शिक्षा में समता लाने में कुछ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण बाधा पहुँचा रहे हैं। उच्च शिक्षा में सुधार के साथ ही समता और गुणवत्ता देश के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है।

3. **निजीकरण**—पिछले दो दशकों से देखा जा रहा है कि भारत में उच्च शिक्षा की माँग निरन्तर बढ़ती जा रही है परन्तु सरकार की वित्त क्षमता इसे पूरा नहीं कर पा रही है परिणामस्वरूप निजी उच्च शिक्षण संस्थान बहुत तेजी से खुले हैं। अपने व्यावसायिक लाभ के लिए उन्मुख कॉलेजों के लिए ये एक सुअवसर है।
4. **उच्च शिक्षा के लिए वित्त पोषण**—सरकार के समक्ष उच्च शिक्षा के लिए वित्त प्रबन्धन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। सामान्य रूप से शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय तथा उच्च शिक्षा पर व्यय विशेषकर सरकार द्वारा किया गया व्यय किसी भी देश की शिक्षा की गुणवत्ता की जाँच का मानक माना जाता है। राज्य सरकारें लगभग 20-30% अपने राजस्व बजट का शिक्षा पर व्यय करती है। इससे अधिक व्यय उनके सामर्थ्य में नहीं है। भारत में उच्च शिक्षा पर व्यय अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों पर किए जाने वाले व्यय तुलनात्मक रूप से कम रहता है। भारत के लिए अनुसन्धान एवं विकास पर बड़े पैमाने पर निवेश सम्भव नहीं हैं जैसा कि उत्पादन, अनुसन्धान पर निवेश, पाश्चात्य देशों के विश्वविद्यालयों; जैसे—कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय, बारक्ले (U.S.), कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय (ब्रिटेन) द्वारा किया जाता है।

यद्यपि वर्तमान परिदृश्य में निजीकरण एक नई अवधारणा है परन्तु इसका स्वागत किया जाना चाहिए साथ ही यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि रचनात्मकता, अनुकूलनशीलता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए क्योंकि आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की यही माँग है। भारत में निजी एवं राजकीय (सार्वजनिक) संस्थान, दोनों ही एक साथ चल रहे हैं। भारत में लगभग 50% उच्च शिक्षा निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा दी जा रही है जिनमें से अधिकांश गैर अनुदानित हैं जिससे उच्च शिक्षा बहुत महँगी हो गई है। यद्यपि स्थितियाँ बहुत आसान नहीं हैं क्योंकि निजी शिक्षण संस्थानों का प्रमुख उद्देश्य कम लागत पर अधिक लाभ प्राप्त करना है और इसके लिए वे शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता करते हैं। शैक्षिक कर्मचारी वर्ग की गुणवत्ता भी उच्च शिक्षा के भविष्य को बनाए रखने के लिए एक प्रमुख चुनौती है। पूर्व की भाँति उन्हें अपने छात्रों, विषय तथा व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्ध होना होगा। आज शिक्षकों का वेतन तो अत्यधिक हो गया है परन्तु उनकी प्रतिबद्धता कम हो गई है।

इस प्रकार आज समय की मांग के अनुरूप उच्च शिक्षा पद्धति को अनावश्यक बाधाओं तथा राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए जिससे उच्च शिक्षा का समुचित विकास एवं उपयोग हो सके।

❑

TOUCH 'n' PASS

UNIT-VIII

भारत की शिक्षण व्यवस्था में विभिन्न निदेशक एवं नियामक संस्थाएँ

Various Directive and Regulatory Institutions in Education System of India

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by District Education and Training Institute?

उत्तर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एक नोडल एजेन्सी है जिसका उद्देश्य शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना है।

प्र.2. यूजीसी के कोई दो प्रमुख कार्य लिखिए।
Write any two main functions of University Grants Commission.

उत्तर यूजीसी के दो प्रमुख कार्य हैं—

1. विश्वविद्यालयी शिक्षा का संवर्द्धन और समन्वय।
2. शिक्षा के न्यूनतम मानकों के सम्बन्ध में विनिमयन।

प्र.3. राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्याययन परिषद् कोई एक कार्य लिखिए।
Write any one function of National Assessment and Accredition Council.

उत्तर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्याययन परिषद् एक संस्थान है जो भारत के उच्च शिक्षा एवं अन्य शिक्षण संस्थानों का आकलन तथा प्रत्याययन (मान्यता) का कार्य करती है।

प्र.4. आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल (IQAC) का कार्य लिखिए।
Write the function of Internal Quality Assurance Cell.

उत्तर संस्थानों के समग्र प्रदर्शन में सचेत, सुसंगत और उत्प्रेरक सुधार के लिए एक प्रणाली विकसित करना IQAC का प्रमुख कार्य है।

प्र.5. मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a brief note on Human Resource Development Ministry.

उत्तर शिक्षा मन्त्रालय, जिसे पहले मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के नाम से जाना जाता था (1985-2020), भारत सरकार का एक मन्त्रालय है। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, पूर्व में शिक्षा मन्त्रालय (25 सितम्बर, 1985 तक), भारत में मानव संसाधनों के विकास के लिए उत्तरदायी है। मन्त्रालय को दो विभागों में बाँटा गया है—स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा और साक्षरता और उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है। यह विश्वविद्यालयी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, छात्रवृत्ति आदि से भी सम्बन्धित है।

प्र.6. NCERT की स्थापना कब हुई? इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था?
When was NCERT established? What was its main objective?

उत्तर NCERT (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्) की स्थापना सन् 1961 में की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रयास करना है।

TOUCH 'n PASS

प्र.7. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एक्ट का गठन कब किया गया?
When was National Council for Teacher Education Act formulated?

उत्तर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एक्ट का गठन सन् 1993 में किया गया।

प्र.8. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के अधिकारी अपने पद पर कब तक आसीन रह सकते हैं?
Till when can the office bearers of NCTE remain at their post?

उत्तर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के अधिकारी चार वर्ष अथवा 60 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by All India Council for Technical Education?

उत्तर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (All India Council for Technical Education/AICTE) की स्थापना सन् 1945 में सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी और बाद में संसद के अधिनियम द्वारा सन् 1987 में इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। यह भारत में नई तकनीकी संस्थाएँ शुरू करने, नये पाठ्यक्रम शुरू करने और तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश-क्षमता में फेरबदल करने हेतु अनुमोदन देती है। यह ऐसी संस्थाओं के लिए मानदण्ड भी निर्धारित करती है।

इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है जहाँ इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव के कार्यालय हैं। इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुम्बई, चण्डीगढ़, भोपाल और बंगलुरु में स्थित हैं। हैदराबाद में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है। यह परिषद् 21 सदस्यों वाली कार्यकारी समिति के माध्यम से अपना कार्य करती है। यह तकनीकी संस्थाओं के प्रत्यायन या कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा के गुणवत्ता विकास को भी सुनिश्चित करती है। अपनी विनियामक भूमिका के अतिरिक्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की एक बढ़ावा देने की भी भूमिका है जिसे यह तकनीकी संस्थाओं को अनुदान देकर महिलाओं, विकलांगों और समाज के निर्बल वर्गों के लिए तकनीकी शिक्षा का विकास, नवाचारी, संकाय, अनुसन्धान और विकास को बढ़ावा देने सम्बन्धी योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित करती है।

कुछ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले अध्ययन बोर्ड सहायता प्राप्त हैं जो नामत: इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में अवर स्नातक अध्ययन, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर और अनुसन्धान, फार्मास्यूटिकल शिक्षा, वास्तुशास्त्र, होटल प्रबन्धन, प्रबन्ध अध्ययन, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कैटरिंग प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, टाउन एवं कंट्री प्लैनिंग परिषद् में शिक्षा प्रदान करते हैं।

प्र.2. माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र० पर टिप्पणी लिखिए।
Write a note on Board of High School and Intermediate Education.

उत्तर माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश (Board of High School & Intermediate Education) का मुख्यालय प्रयागराज में है। यह एक परीक्षा लेने वाली संस्था है। यह विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा संचालित करने वाली संस्था है। इसे संक्षिप्त रूप में 'यूपी बोर्ड' के नाम से भी जाना जाता है। बोर्ड ने 10 + 2 शिक्षा प्रणाली अपनायी हुई है। यह 10वीं एवं 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करता है। माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की स्थापना सन् 1921 में इलाहाबाद (प्रयागराज) में संयुक्त प्रान्त वैधानिक परिषद् (यूनाइटेड प्रोविन्स लेजिस्लेटिव काउन्सिल) के एक अधिनियम के तहत की गई थी। इसने सर्वप्रथम सन् 1923 में परीक्षा आयोजित की। यह भारत का प्रथम शिक्षा बोर्ड था जिसने सर्वप्रथम 10 + 2 परीक्षा पद्धति अपनायी थी। इस पद्धति के अन्तर्गत प्रथम सार्वजनिक (बोर्ड) परीक्षा का आयोजन 10 वर्षों की शिक्षा के पश्चात्, जिसे हाईस्कूल परीक्षा एवं द्वितीय सार्वजनिक परीक्षा 10 + 2 = 12 वर्ष की शिक्षा के पश्चात् किया जाता है। इसे इण्टरमीडिएट परीक्षा कहते हैं। इसके पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय 'हाईस्कूल' एवं 'इण्टरमीडिएट' की परीक्षाएँ आयोजित करता था।

उत्तर प्रदेश बोर्ड का प्रमुख कार्य राज्य में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाएँ आयोजित करना। इसके अतिरिक्त राज्य में स्थित विद्यालयों को मान्यता देना, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट स्तर के लिए पाठ्यक्रम एवं पुस्तकें निर्धारित करना भी प्रमुख कार्य है। साथ ही बोर्ड अन्य बोर्डों द्वारा ली गयी परीक्षाओं को तुल्यता प्रदान करता है। आने वाले समय में बढ़ते रहने वाले कार्यभार को

देखते हुए, बोर्ड को पूरे क्षेत्र में अपनी गतिविधियों के प्रयागराज स्थित केन्द्रीय कार्यालय से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अत: बोर्ड के पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना, मेरठ (1973), वाराणसी (1978), बरेली (1981), प्रयागराज (1987), गोरखपुर (2016) में की गई। इन कार्यालयों में क्षेत्रीय सचिवों की नियुक्ति की गई, जिनके ऊपर प्रयागराज स्थित मुख्यालय के सचिव प्रधान कार्यपालक के रूप में कार्यरत रहते हैं। वर्ष 2000 में उत्तराखण्ड राज्य के गठन के बाद रामनगर, नैनीताल स्थित कार्यालय को यू०पी० बोर्ड से अलग कर दिया गया।

प्र.3. इण्टरनेशनल बोर्ड (International Baccalaureate : इण्टरनेशनल बॅकलॉरिएट) से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by International Baccalaureate?

उत्तर इण्टरनेशनल बॅकलॉरिएट नामक संगठन की स्थापना जिनेवा, स्विट्जरलैण्ड में सन् 1968 में की गई थी। इसे इण्टरनेशनल बोर्ड के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह संगठन चार प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम चलाता है—

1. आई०बी० मिडिल ईयर कार्यक्रम
2. आई०बी० प्राइमरी ईयर कार्यक्रम
3. आई०बी० कैरियर रिलेटिड कार्यक्रम।
4. आई०बी० डिप्लोमा कार्यक्रम

ये सभी कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय बोर्ड के रूप में विश्व में मान्यता प्राप्त हैं।

प्र.4. राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं शिक्षण परिषद् (SCERT) से आप क्या समझते हैं? **[2021]**
What do you understand by State Council of Educational Research and Training?

उत्तर भारत में, सितम्बर 1961 ई० में राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली' (NCERT) की स्थापना की गई। यह संस्थान शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों एवं अन्य पठन साहित्य के विकास में मार्गदर्शन करता है, जिसका अनुसरण देश के समस्त राज्य अपनी आवश्यकतानुसार करते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यक्रमों में एकरूपता लाने के लक्ष्य से राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की स्थापना 1 फरवरी, 1964 को की गई। सन् 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् (State Council of Education Research and Training) उ०प्र०, लखनऊ की स्थापना के पश्चात् से राज्य शिक्षा संस्थान उ०प्र०, इलाहाबाद परिषद् के तत्त्वावधान में 'प्रारम्भिक शिक्षा विभाग' के रूप में कार्यरत है।

राज्य शिक्षा संस्थान का मुख्य कार्य प्रदेश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा तथा शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम निर्माण करना, पाठ्यपुस्तक लेखन व समीक्षा, कार्य पुस्तिकाओं का विकास, समस्त डायट को अकादमिक निर्देशन प्रदान करना, सेवा पूर्व शिक्षक-प्रशिक्षुओं हेतु पाठ्यसामग्री का विकास, सेवारत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण साहित्य तैयार कर मास्टर-ट्रेनर्स को प्रशिक्षित करना, समयानुकूल नीतियों को पाठ्यसामग्री में समाहित करना, क्रियात्मक शोध के माध्यम से शैक्षिक नीतियों/कार्यक्रमों तथा उपलब्धियों का अध्ययन व बच्चों को सीखने-सिखाने में आने वाले बाधक तत्त्वों की पहचान कर उनका निराकरण करना है। संस्थान के बहुउद्देशीय कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत शोध, प्रशिक्षण, प्रकाशन, नवाचार, पाठ्यक्रम नवीनीकरण तथा शिक्षणसामग्री विकास आदि कार्य समाहित हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा को उन्नत बनाने हेतु स्थापित इस संस्थान के बहुआयामी कार्यकलापों के प्रमुख उद्देश्य हैं—उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण शैक्षिक साहित्य का सृजन एवं प्रकाशन, शोध कार्यक्रमों द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता में उन्नयन, शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रमों के मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यक्रमों का संचालन करना आदि।

प्र.5. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a brief note on National Institute of Open Schooling.

उत्तर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अनुपालन करते हुए, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा नवम्बर 1989 में की गई थी। NIOS (National Institute of Open Schooling)

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सामान्य और शैक्षिक पाठ्यक्रमों के साथ-साथ बहुत-से व्यावसायिक, जीवन समृद्धि के पाठ्यक्रम प्रदान करता है। NIOS अपने मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा प्राथमिक स्तर तक के पाठ्यक्रम भी चलाता है।

प्र.6. राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् से आपका क्या आशय है?
What do you mean by National Assessment and Accreditation Cycle?

उत्तर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (National Assessment and Accreditation Council—NAAC, नैक) एक संस्थान है। इसकी स्थापना सन् 1994 में की गयी थी। यह भारत के उच्च शिक्षा, अन्य शिक्षा संस्थानों का आकलन तथा प्रत्यायन (मान्यता) का कार्य करती है।

मूल्यांकन एवं प्रत्यायन को मूलत: किसी भी शैक्षिक संस्था की 'गुणवत्ता की स्थिति' को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। वास्तव में यह मूल्यांकन यह निर्धारित करता है कि कोई भी शैक्षिक संस्था या विश्वविद्यालय प्रमाणन एजेंसी के द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के मानकों को किस स्तर तक पूरा कर रहा है।

प्र.7. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विषय में संक्षेप में समझाइए।
Explain briefly about Central Board of Secondary Education.

उत्तर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education या CBSE) भारत की स्कूली शिक्षा का एक प्रमुख बोर्ड है। इस बोर्ड के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यालय, 1761 सरकारी विद्यालय, 5827 स्वतन्त्र विद्यालय, 480 जवाहर नवोदय विद्यालय और 14 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय सम्मिलित हैं। भारत के अन्दर और विदेश के बहुत-से निजी विद्यालय इससे सम्बद्ध हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं—शिक्षा संस्थानों को अधिक प्रभावशाली ढंग से लाभ पहुँचाना, उन विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होना जिनके माता-पिता केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं और निरन्तर स्थानान्तरणीय पदों पर कार्यरत हों।

कार्य (Functions)

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी—

1. कक्षा 10वीं और 12वीं के अन्त में सार्वजनिक परीक्षाएँ आयोजित करने एवं परीक्षाओं से सम्बन्धित शर्तें निर्धारित करने हेतु।
2. सम्बद्ध विद्यालयों के सफल विद्यार्थियों को अर्हता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए।
3. उन विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिनके माता-पिता स्थानान्तरणीय पदों पर कार्यरत हों।
4. परीक्षाओं के लिए अनुदेश पाठ्यक्रमों का निर्धारण करने तथा इन पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाने के लिए।
5. परीक्षा प्रयोजन हेतु विद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने तथा देश के शैक्षिक प्रतिमानों को ऊँचा उठाने के लिए।

प्र.8. शिक्षा के क्षेत्र में 'यूनेस्को' का क्या योगदान है? संक्षेप में लिखिए।
What is the contribution of UNESCO in the field of education? Write in brief.

उत्तर यूनेस्को (UNESCO) का पूरा नाम 'संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)' है। इस विशेष संस्था का गठन 16 नवम्बर, 1945 को हुआ लेकिन यह 4 नवम्बर, 1946 को लागू हुआ। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शान्ति का निर्माण करना चाहता है। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है, इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को के 27 क्लस्टर कार्यालय और 21 राष्ट्रीय कार्यालय हैं। यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस के पहले सेशन का आयोजन पेरिस में 19 नवम्बर से 10 दिसम्बर, 1946 तक हुआ था। उसमें 30 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इन 30 देशों को यूनेस्को के मामलों पर वोट करने का अधिकार भी प्राप्त था। वर्तमान में यूनेस्को के 193 सदस्य और 11 सहयोगी सदस्य देश और दो पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं।

यूनेस्को आरम्भ से ही पुस्तकालय, संग्रहालय, प्रलेखन तथा सूचना सेवाओं की प्रगति में यथासम्भव योगदान देता रहा है। यह एक प्रोत्साहक, सलाहकार तथा उत्प्रेरक संस्था के रूप में कार्य करता है। यूनेस्को अपनी तकनीकी सहायता कार्यक्रम (Technical Assistance Programme) तथा UNDP (United Nations Development Programme) के अन्तर्गत सेमिनार,

कॉन्फ्रेन्स, मीटिंग, विशेषज्ञ व्यवस्था, उपकरण, फेलोशिप तथा सलाह प्रदान करने में सहायता, निदेशक मानकों के निर्माण तथा वाङ्मय सूचियों के निर्माण का कार्य करता है।

वर्ष 1976 में यूनेस्को ने प्रलेखन पुस्तकालय तथा संग्रहालय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रलेखन एवं सूचना विभाग के सहयोग से UNISIST नामक कार्यक्रम संचालन शुरू किया, आगे चलकर इसके समन्वय से पीजीआई (General Information programme) विभाग बन गया। बाद में प्रलेखन विभाग, यूनेस्को लाइब्रेरी तथा यूनेस्को संग्रहालय को संचालन की दृष्टि से पीजीआई से अलग कर दिया गया। अब पीजीआई तथा ऑपरेशन सर्विस डिवीजन को मिलाकर जनरल इन्फॉर्मेशन सर्विस विभाग का गठन कर दिया गया है। यूनेस्को के अन्य कार्यों में पुस्तकालय, प्रलेखन, सूचना, संग्रहालय, पुस्तक उत्पादन और कॉपीराइट के विषय शामिल हैं। विभिन्न विषयों का संचालन यूनेस्को के मुख्य कार्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. शिक्षा मन्त्रालय के इतिहास पर प्रकाश डालिए।
Throw light on the history of Ministry of Education.

उत्तर

शिक्षा मन्त्रालय का इतिहास
(History of Ministry of Education)

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय का नाम 29 जुलाई, 2020 को बदलकर शिक्षा मन्त्रालय कर दिया गया है। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है ताकि यह मन्त्रालय अधिक स्पष्टता एवं फोकस के साथ अपने काम को परिभाषित कर सके। हालांकि स्वतन्त्रता के बाद से इस मन्त्रालय को शिक्षा मन्त्रालय ही कहा जाता था लेकिन करीब 35 वर्ष पूर्व राजीव गाँधी की सरकार के समय इसका नाम परिवर्तित कर मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (Ministry of HRD-MHRD) कर दिया गया था। 26 सितम्बर, 1985 से शिक्षा मन्त्रालय को मानव संसाधन विकास मन्त्रालय कहा जाने लगा एवं इसके अन्तर्गत संस्कृति, युवा कल्याण, खेल एवं महिला व बाल विकास जैसे कई और विभाग भी रख दिए गए। हालाँकि इस निर्णय का विरोध भी हुआ था, लेकिन फैसला ले लिया गया था। राजीव सरकार ने मिलते-जुलते विकास कार्यों से जुड़े विभागों को एक बैनर के तले लाने के लिए ये बदलाव किए थे। राजीव सरकार में बने इस मन्त्रालय की सबसे बड़ी उपलब्धि 1986 की नई शिक्षा नीति थी। देश के इतिहास में यह दूसरी शिक्षा नीति रही, जो अब तक प्रचलित रही।

जब 1998 में अटलबिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तब सरकार ने मानव संसाधन विकास मन्त्रालय से संस्कृति को अलग किया गया एवं 1999 में अलग से संस्कृति मंत्रालय बना दिया गया, जिसकी कमान अनंत कुमार को सौंपी गई। इसी तरह, युवा मामलों को भी इस मंत्रालय से अलग कर एक नया मन्त्रालय बनाया गया एवं इसके मन्त्री भी अनन्त कुमार ही बनाए गए। वाजपेयी सरकार में इस तरह के बदलावों के साथ फिर अलग शिक्षा मंत्रालय बनाए जाने की राह बुलंद हुई थी। 2006 में यूपीए-1 सरकार के समय महिला एवं बाल विकास विभाग को अलग से मन्त्रालय बनाया गया। अब केवल शिक्षा से जुड़े तमाम पहलू ही इस मन्त्रालय में प्रमुख रूप से बाकी रह गए थे।

इस प्रकार इस मन्त्रालय में जो विभाग जोड़े गए थे, धीरे धीरे उनका अलग हो जाना वैसे भी इस मन्त्रालय के नाम एवं कल्पना को सार्थक नहीं कर रहा था, लेकिन इसके अलावा भी कई कारण रहे कि इस मन्त्रालय का नाम बदलकर फिर शिक्षा मंत्रालय किया गया। इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में RSS के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि संघ की बैठकों में कई बार इन मुददों पर चर्चा हुई एवं पिछले छह सालों में केंद्र को कुछेक बार लिखित तौर पर भी यह प्रतिवेदन भेजा गया कि शिक्षा मन्त्रालय को पुराना नाम दिया जाए। साथ ही, नई शिक्षा नीति 2020 के ड्राफ्ट के समय भी सरकार को कई सुझाव मिले। इन तमाम कारणों से इस मन्त्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। अत: प्राथमिक से उच्च स्तर तक की शिक्षा पर फोकस रखने वाले इस मन्त्रालय का इतिहास रोचक है।

स्वतन्त्र भारत के प्रथम शिक्षा मन्त्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे जबकि वर्तमान शिक्षामन्त्री (2020-21) धर्मेन्द्र प्रधान जी हैं। इसके बीच में भी कई मन्त्रियों को इस पद पर आसीन किया गया जिनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं—डॉ० के०एल० श्रीमाली

(राज्य मंत्री), हमायूँ कबीर, एम०सी०सी० छागला, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉ० त्रिगुण सेन, डॉ० वी०के०आर०वी० राव, सिद्धार्थ शंकर रे, प्रो० एस० नूरुल हसन (राज्य मंत्री), प्रो० प्रताप चंद्र चंदर, डॉ० कर्ण सिंह, बी० शंकरानंद, एस०बी० चव्हाण, शीला कौल (राज्य मंत्री), के०सी० पंत, पी०वी० नरसिंह राव (प्रधानमंत्री), पी० शिव शंकर, वी०पी० सिंह (प्रधानमंत्री), राजमंगल पांडे, अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी (प्रधानमंत्री), एस०आर० बोम्मई, डॉ० मुरली मनोहर जोशी, श्री कपिल सिब्बल, एम०एम० पल्लम राजू, स्मृति ईरानी, श्री प्रकाश जावड़ेकर, श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'।

शिक्षा मन्त्रालय के उद्देश्य (Objectives of Ministry of Education)

शिक्षा मन्त्रालय के उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाना एवं उसका अक्षरश: कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
2. पूरे देश, (जिसमें ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जहाँ शिक्षा तक लोगों की पहुँच आसान नहीं है) में शैक्षिक संस्थाओं की पहुँच में विस्तार एवं गुणवत्ता में सुधार करने सहित सुनियोजित विकास।
3. निर्धनों, महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों जैसे वंचित समूहों की ओर विशेष ध्यान देना।
4. समाज के वंचित वर्गों के पात्र छात्रों को छात्रवृति, ऋण सब्सिडी आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
5. शिक्षा के क्षेत्र में अंतरर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना जिसमें यूनेस्को एवं विदेशी सरकारों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कार्य करना शामिल है ताकि देश में शैक्षिक अवसरों में वृद्धि हो सके।

शिक्षा मन्त्रालय की योजनाएँ (Schemes of Ministry of Education)

शिक्षा मन्त्रालय की योजनाएँ निम्नलिखित हैं—

प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

1. शिक्षा गारंटी योजना एवं वैकल्पिक तथा परिवर्तित एवं औपचारिक शिक्षा सहित प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा के लिए प्रयोगात्मक एवं नवीन कार्यक्रम हेतु सहायता की योजना।
2. प्राथमिक शिक्षा हेतु दोपहर के भोजन की योजना।
3. वयस्क शिक्षा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन।
4. निरक्षरता उन्मूलन की परियोजनाओं के लिए अनुदान।
5. संसाधन केन्द्रों को अनुदान।
6. जन शिक्षण संस्थान-जिला भंडार।
7. महिला समाख्या के अधीन स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता योजना यूनेस्को के साथ भारतीय राष्ट्रीय सहयोग आयोग द्वारा वित्तीय सहायता की योजना भाषाओं का विकास।
9. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा सहित स्वैच्छिक संगठनों को हिन्दी के प्रोत्साहन एवं पुस्तकों के प्रकाशन और खरीद के लिए वित्तीय सहायता।

माध्यमिक शिक्षा विभाग

माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए बोर्डिंग एवं छात्रावास सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की योजना।

उच्चतर शिक्षा विभाग

1. स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना।
2. स्कूलों में स्तरीय सुधार योजना।
3. स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का सुधार।
4. स्कूली बच्चों को पर्यावरण सम्बन्धी शिक्षा।
5. स्कूलों में योग प्रोत्साहन योजना।
6. अपंग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा।
7. शिक्षा द्वारा मानव मूल्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता।

TOUCH 'n PASS

प्र.2. यूनेस्को (UNESCO) क्या है? यूनेस्को के उद्देश्य एवं कार्य की विवेचना कीजिए। [2021]
What is UNESCO? Discuss its objectives and functions.

उत्तर

यूनेस्को
(UNESCO)

यूनेस्को का पूर्ण नाम, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) है। यह संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था (यूनेस्को नामक) का गठन 16 नवम्बर, 1945 को यूनेस्को के संविधान पर हस्ताक्षर कर हुआ लेकिन यह 4 नवम्बर, 1946 को लागू हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) में है। इसकी स्थापना के पीछे इस समझ का आदर्श है कि 'चूँकि युद्ध लोगों के मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं, इसलिए मनुष्य के मस्तिष्क में ही शांति की रक्षा का सृजन होना चाहिए।' यूनेस्को जो कि एक विश्व संगठन है, का कार्य शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना करना है ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार तथा मौलिक स्वतत्रंता हेतु वैश्विक सहमति बन पाए।

यूनेस्को का मिशन शांति निर्माण, गरीबी उन्मूलन, धारणीय विकास तथा शिक्षा के माध्यम से अंत:सांस्कृतिक बातचीत, विज्ञान संस्कृति, संचार तथा सूचना में योगदान करना है। इसका प्रमुख घटक मानव विकास करना तथा शांति की संस्कृति का विकास करना है। भारत सरकार ने यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए 1949 में एक अंतरिम 'भारतीय राष्ट्रीय आयोग' (आई०एन०सी०यू०) का गठन किया, जिसे 1951 में स्थायी स्वरूप प्रदान किया गया। आयोग में शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार से सम्बन्धित पाँच उप आयोग हैं।

यनेस्को विशेष रूप से, निम्न वैश्विक प्राथमिकताओं पर केन्द्रित है—

1. शिक्षा, 2. प्राकृतिक विज्ञान, 3. सामाजिक तथा मानव विज्ञान, 4. संस्कृति, 5. सूचना तथा सम्प्रेषण।

यूनेस्को के उद्देश्य (Objectives of UNESCO)

यूनेस्को द्वारा निम्न उद्देश्यों की पूर्ति का लक्ष्य रखा गया है—

1. सभी के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा की व्यवस्था तथा जीवन पर्यन्त अधिगम के लिए प्रेरित करना तथा धारणीय विकास के लिए नीति तथा विज्ञान की जानकारी को गतिशील बनाना।
2. उभरती हुई सामाजिक तथा नैतिक चुनौतियों का समाधान करना।
3. सांस्कृतिक विविधता, अंत: सांस्कृतिक बातचीत तथा शांति की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना।
4. सूचना तथा संचार के माध्यम से समावेशी ज्ञान से युक्त समाज का निर्माण कर समाज कल्याण को बढावा देना।
5. विश्व के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना।

यूनस्को के कार्य (Functions of UNESCO)

यूनेस्को सदस्य देशों के साथ शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विकास में सहयोग करता है। यूनेस्को द्वारा बौद्धिक सहयोग के संवर्द्धन हेतु अनेक गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यूनेस्को अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन, विशिष्ट अध्ययनों का संचालन, तथ्यात्मक सूचनाओं का वितरण, शब्द तथा चित्र द्वारा विचारों के मुक्त प्रवाह का संवर्धन, व्यक्तियों तथा अन्य सूचनाओं तथा सामग्रियों के विनिमय को प्रोत्साहन, ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक महत्त्व की पुस्तकों तथा अन्य कलात्मक कृतियों के संरक्षण जैसे कार्य सम्पन्न करता है। यह ऐसी राष्ट्रीय परियोजनाओं को समर्थन देता है, जिनका लक्ष्य सभी के लिए जीवनपर्यन्त शिक्षा के उद्देश्य की ओर शिक्षा प्रणालियों को पुन: परिवर्तित करना होता है। यह मुख्यत: चार क्षेत्रों पर केन्द्रित होता है—

1. सभी के लिए मूलभूत शिक्षा उपलब्ध कराना
2. मूलभूत तथा उपलब्धता का विस्तार
3. मूलभूत शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना
4. 21वीं सदी हेतु शिक्षा।

यूनेस्को द्वारा विकासात्मक प्रयासों के एक अंग के रूप में शैक्षिक सुविधाओं के आधुनिकीकरण, शिक्षकों के प्रशिक्षण, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के शिक्षण प्रक्रिया में सुधार (संशोधन) पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यूनेस्को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है तथा समग्र जीवन स्तर में आवश्यक सुधार लाने वाले वैज्ञानिको के शोध कार्य को प्रोत्साहित करता है। प्राकृतिक विज्ञान तथा तकनीक के क्षेत्र में कुछ विशिष्ट कार्यक्रम इस प्रकार हैं—पर्यावरणीय संसाधन हेतु मानव तथा जैव मण्डल कार्यक्रम, जल संसाधनों के प्रबन्धन तथा निर्धारण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय जल वैज्ञानिक कार्यक्रम, कम्प्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु अन्त:सरकारी सूचनात्मक कार्यक्रम तथा विकास के निमित्त वैज्ञानिक तथा तकनीकी सूचनाओं के वितरण में सहयोग हेतु तथा सन् 1991 में एड्स निरोधी कार्यक्रम शुरू किया। इसके साथ इसने विश्व के धरोहर वाले स्थलों को संरक्षण प्रदान कर संस्कृति तथा विकास के बीच सामंजस्य स्थापित किया।

प्र.3. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् के संगठन की विवेचना कीजिए। इसके उद्देश्य एवं कार्य भी लिखिए।

Discuss the organisation of National Council of Educational Research and Training. Also write its objectives and functions.

***अथवा* राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् की भूमिका व कार्य के विषय में विस्तारपूर्वक समझाइए।** **[2021]**

***Or* Explain in detail the role and functions of National Council of Educational Research and Training.**

उत्तर

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्
(National Council of Educational Research and Training)

1 सितम्बर, 1961 में भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय के द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना है।

परिषद् का संगठन—राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना निम्नलिखित संस्थाओं को सम्मिलित करके की गयी थी—

1. बेसिक शिक्षा राष्ट्रीय संस्थान,
2. पाठ्यपुस्तक ब्यूरो,
3. शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो,
4. माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निदेशालय,
5. श्रव्य-दृश्य राष्ट्रीय संस्थान।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् के उद्देश्य एवं कार्य (Objectives and Functions of National Council of Educational Research and Training)

I. **परिषद् के उद्देश्य**—रा०शै०अ०प्र०प० एक स्वायत्त तथा पूर्णरूप से केन्द्र सरकार के द्वारा पोषित संस्था है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विशेष रूप से स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास मन्त्रालय भारत सरकार को सहयोग व परामर्श देना है जिससे शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों व नीतियों का निर्धारण व क्रियान्वयन समुचित रूप से हो सके।

II. **परिषद् के प्रमुख कार्य**—राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम व गतिविधियों का संचालन करती है—

1. **अनुसन्धान**—शिक्षा की समस्त शाखाओं में अनुसन्धान कार्य करना, अनुसन्धान कार्य में सहायता प्रदान करना तथा अनुसन्धान कार्य का समन्वय करना।
2. **प्रोत्साहन**—शिक्षण की उन्नत तकनीकों एवं नव संचारों को प्रोत्साहन देना।
3. **शैक्षिक सूचनाएँ**—शैक्षिक सूचनाओं का संचालन एवं सम्पादन करना।

4. **सहायता**—माध्यमिक शिक्षा का गुणात्मक उन्नयन करने के कार्यक्रमों को लागू करने में शिक्षा संस्थाओं को सहायता प्रदान करना।
5. **प्रशिक्षण**—सेवारत तथा सेवापूर्व अध्यापक प्रशिक्षण के उच्चस्तरीय कार्यक्रम संचालित करना।
6. **प्रसार सेवाएँ**—शैक्षिक पुनर्निर्माण के कार्य में संलग्न संस्थाओं के लिए प्रसार सेवाएँ आयोजित करना।
7. **समर्थक**—अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं; जैसे—यूनेस्को (UNESCO), यूनिसेफ (UNICEF) तथा अन्य राष्ट्रों की शिक्षा संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित रखना।

संरचना—राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) पर इसके सामान्य निकाय (General Body) तथा कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) का नियन्त्रण रहता है—

1. **सामान्य निकाय**—राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) का सामान्य निकाय वास्तव में इसका नीति निर्धारक निकाय है। इस निकाय की संरचना निम्न प्रकार है—
   (i) **अध्यक्ष**—इस सामान्य निकाय के अध्यक्ष (President) शिक्षा मन्त्री होते हैं।
   (ii) **सदस्य**—(अ) सभी राज्यों के शिक्षा मन्त्री, (ब) यू०जी०सी० के अध्यक्ष, (स) विश्वविद्यालयों के चार कुलपति, (द) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, (य) केन्द्रीय विश्वविद्यालय के संगठन के आयुक्त, (र) भारत सरकार के द्वारा मनोनीत चार अध्यापक तथा (ल) कार्यकारिणी के सभी सदस्य।
2. **कार्यकारिणी समिति**—राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) के संचालन एवं शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के लिए एक कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) का गठन किया गया है। इस समिति की संरचना निम्न प्रकार है—
   (i) **अध्यक्ष**—इस समिति के अध्यक्ष (President) भी शिक्षामन्त्री होते हैं।
   (ii) **सदस्य**—इसके सदस्य निम्न प्रकार होते हैं—(अ) केन्द्रीय राज्य शिक्षा मन्त्री, (ब) केन्द्रीय शिक्षा सचिव, (स) यू०जी०सी० के अध्यक्ष, (द) एन०सी०ई०आर०टी० के निदेशक व संयुक्त निदेशक (य) केन्द्रीय संसाधन विकास मन्त्रालय व केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय के एक-एक प्रतिनिधि, (र) दो अध्यापक, (ल) परिषद् के संकायों के तीन प्रतिनिधि तथा (व) दो प्रख्यात शिक्षाविद्।

   कार्य—कार्यकारिणी समिति परिषद के कार्यों से सम्बन्धित सभी मामलों पर निर्णय लेती है। एन०सी०ई०आर०टी० के दैनिक कार्यों के नियम तथा संचालन का उत्तरदायित्व निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं सचिव विभिन्न विभागों के अध्यक्षों की सहायता से सम्पन्न होता है।
3. **परिषद् के अंग**—परिषद् के अंग निम्न हैं—
   (i) **संघटक**—राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) अपने आठ संघटकों (Constituents) के माध्यम से अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करती है।
   (ii) **क्षेत्रीय सलाहकार**—देश के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् के क्षेत्रीय सलाहकारों (Field Advisors) को भी नियुक्त किया गया है। इन क्षेत्रीय सलाहकारों को राज्यों के साथ सम्पर्क करने का कार्य सौंपा गया है। प्रत्येक क्षेत्रीय सलाहकार का कार्यक्षेत्र निश्चित है। क्षेत्रीय सलाहकार निम्नलिखित कार्य करते हैं—(अ) वे अपने सम्बन्धित राज्य/राज्यों के शिक्षा अधिकारियों के सम्पर्क में रहते हैं। (ब) उन्हें परिषद् के क्रियाकलापों से अवगत कराकर राज्य के शैक्षिक विकास में परिषद् के योगदान का लाभ उठाने की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं।

ये सलाहकार राज्यों की शैक्षिक आवश्यकताओं की सूचना परिषद् को देते हैं, जिसके अनुसार शैक्षिक कार्यक्रमों को विकसित किया जा सके। इस प्रकार से क्षेत्रीय सलाहकार राज्यों के शैक्षिक विकास के मार्ग को प्रशस्त करने में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् तथा केन्द्रीय सरकार के योगदान में सुगमता लाने का कार्य करते हैं।

प्र.4. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के विषय में आप क्या जानते हैं? विस्तृत विवेचना कीजिए।
What do you know about District Institution of Education and Training. Give a detailed discussion.

उत्तर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET—District Institution of Education and Training) एक नोडल एजेंसी (Nodal Agency) है। DIET प्राथमिक शिक्षा में सुधार के विशेष उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया एक विशेष संस्थान है। यह संस्थान प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के विशेष सन्दर्भ में प्राथमिक और वयस्क शिक्षा के क्षेत्रों में किए गए विभिन्न रणनीतियों और कार्यक्रमों की सफलता के लिए जमीनी स्तर पर अकादमिक और संसाधन समर्थन प्रदान करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE—National Policy on Education) 1986 के अनुकूलन तक, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अकादमिक और संसाधन समर्थन प्रमुखतया से एन०सी०ई०आर०टी० (NCERT), एन०आई०ई०पी०ए० (NIEPA) तथा एस०सी०ई०आर०टी० (SCERT) जैसे संस्थान प्रदान कर रहे थे। इसी प्रकार वयस्क शिक्षा के क्षेत्र में, राष्ट्रीय स्तर पर वयस्क शिक्षा के केन्द्रीय निदेशालय एवं राज्य स्तर पर राज्य संसाधन केन्द्र समर्थन प्रदान कर रहे थे। राज्य स्तर के नीचे, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा संस्थान थे, किन्तु उनकी गतिविधियाँ अधिकतर प्री-सर्विस शिक्षक (Pre-Service Teacher) की शिक्षा तक ही सीमित थीं।

सन् 1986 में एन०पी०ई० के अनुकूलन के समय तक, प्राथमिक और वयस्क शिक्षा प्रणाली पहले ही राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियों द्वारा पर्याप्त रूप से समर्थित होने के लिए बहुत विशाल हो चुकी थी। एन०पी०ई० ने स्पष्ट रूप से गुणात्मक सुधार के साथ और विस्तार करने का आदेश दिया। एन०पी०ई० और पी०ओ०ए० ने तदनुसार समर्थन प्रणाली के लिए तीसरे स्तर (जिला स्तर) पर DIE की परिकल्पना की। एन०पी०ई० 86 के अनुसरण में केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता के साथ DIET की स्थापना की गयी। शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता से शिक्षा की गुणवत्ता अधिक प्रभावित होती है एवं यह शिक्षक शिक्षा संस्थानों की स्थिति के साथ-साथ उनकी भूमिका और कार्यों पर निर्भर करता है। अधिकांश शिक्षक शिक्षा संस्थानों के भौतिक, मानवीय और शैक्षणिक संसाधन प्री-सर्विस शिक्षक शिक्षा की भूमिका के लिए अपर्याप्त हैं।

DIET का मूलभूत दृष्टिकोण है शिक्षार्थियों को उत्साहजनक और सन्तोषजनक रूप से सीख देना, बजाय इसके कि उन्हें आधिकारिक निर्देशों द्वारा सिखाया जाए। प्रौढ़ शिक्षा के मामले में वयस्कों को एक सहभागी और सक्रिय रूप से कार्यात्मक साक्षरता दी जानी चाहिए। न केवल प्रत्येक डीईईटी प्राथमिक विद्यालयों, स्कूल परिसरों, शिक्षकों, हेड मास्टर, स्कूल पर्यवेक्षकों, प्रशिक्षकों/पर्यवेक्षकों के साथ और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ एक करीबी और निरन्तर वार्तालाप स्थापित करेगा बल्कि इन क्षेत्रों में कुछ अधिकारियों को भी स्थापित करेगा। राष्ट्रीय, राज्य, मण्डल और जिला स्तरों पर DIET उन संगठनों और संस्थानों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध भी स्थापित करेंगे जिनके उद्देश्य और हित उनके उद्देश्यों से मेल खाते हों।

DIET के कार्य (Functions of DIET)

1. **निम्नलिखित का प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण—**

(i) हेड मास्टर, स्कूल परिसर के प्रमुख और ब्लॉक स्तर तक शिक्षा विभाग के अधिकारी।

(ii) प्राथमिक विद्यालय शिक्षक (प्री-सर्विस और सर्विस दोनों)।

(iii) डी०बी०ई० और ग्राम एजुकेशन कमेटी (वी०ई०सी०) के सदस्य समुदाय के नेताओं, युवाओं और अन्य स्वयंसेवकों जो शैक्षिक गतिविधियों के रूप में काम करना चाहते हैं।

(iv) गैर-औपचारिक और वयस्क शिक्षा के प्रशिक्षकों और पर्यवेक्षकों का उन्मुखीकरण।

2. **अन्य तरीकों से जिले में प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रणालियों के लिए अकादमिक और संसाधन समर्थन—**

(i) शिक्षकों और प्रशिक्षकों के लिए संसाधन और शिक्षण केन्द्र की सेवाओं का प्रावधान।

(ii) क्षेत्र के साथ विस्तार गतिविधियाँ और बातचीत।

(iii) प्राथमिक विद्यालय के लिए एक मूल्यांकन केन्द्र के रूप में सेवा।

(iv) स्थानीय रूप से प्रासंगिक सामग्री का विकास; जैसे—शिक्षण सहायक उपकरण, मूल्यांकन उपकरण इत्यादि।

3. प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा के क्षेत्रों में उद्देश्यों के प्राप्त करने में जिले की विशिष्ट समस्याओं के निराकरण हेतु कार्य शोध और प्रयोग।

प्र.5. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय का संक्षेप में वर्णन करते हुए इसके कार्य पर प्रकाश डालिए।
Giving a brief description of National University of Educational Planning and Administration, throw light on its functions.

उत्तर

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय का इतिहास
(National University of Educational Planning and Administration)

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (NUEPA) शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में राष्ट्रीय शीर्षस्थ संस्था के रूप भारत सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्तशासी निकाय है। आरम्भ में संस्थान की स्थापना सन् 1962 में एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एशिया क्षेत्र के यूनेस्को केन्द्र के रूप में दस वर्षीय संविदा के अन्तर्गत किया गया था जिसे 1965 में एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान बना दिया गया। उस समय इसका नाम 'एशियन इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन' (Asian Institute of Educational Planning and Administration) था। इस संविदा की समाप्ति के पश्चात शिक्षा आयोग की सिफारिश पर इस संस्था को अपने हाथों में ले लिया तथा इसका नाम National Staff College for Educational Planning and Administration रखा। मई, 1979 में भारत सरकार ने इसका नाम राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (NIEPA) कर दिया। राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाकार एवं प्रशासक कालेज की बढ़ती भूमिकाओं तथा कार्यकलापों, विशेषकर क्षमता विकास, शोध तथा सरकारों को दी जा रही व्यावसायिक समर्थनकारी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए 1979 में पुन: इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय [National University of Educational Planning and Administration (NUEPA)] कर दिया गया। वर्तमान में इस संस्था को विश्वविद्यालय स्तर प्रदान किया गया है। यह नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) में 10 विभाग हैं। इनमें प्रतिष्ठित बहुशास्त्रीय संकाय है। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बहुत समृद्ध है। इसमें शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण पुस्तकें, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल और सरकारी दस्तावेज उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय अपने बहुआयामी गतिविधियों के अलावा शिक्षा नीति, योजना और प्रशासन के क्षेत्र में अन्तर-शास्त्रीय समाजविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में एम.फिल., पी.एच.डी. और अंशकालिक पी.एच.डी. पाठ्यक्रम भी संचालित करता है। न्यूपा के शोध कार्यक्रमों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणों से शिक्षा के सभी स्तरों तथा प्रकारों को शामिल किया जाता है।

न्यूपा के कार्य (Functions of NUEPA)

न्यूपा के कार्य निम्नलिखित हैं—

1. **अनुसन्धान कार्य**—न्यूपा की अनुसंधान गतिविधियाँ बहुमुखी हैं। यह अनुसंधान के क्षेत्र में शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के विभिन्न पक्षों में अनुसंधान कार्य प्रारम्भ करता है, सहायता प्रदान करता है, बढ़ावा देता है एवं समन्वित करता है। इनकी अनुसन्धानात्मक क्रियाओं में सर्वेक्षण विश्लेषणात्मक अध्ययन एवं अनुसन्धान प्रयोजनाएँ प्रमुख हैं। यहाँ विशेषज्ञों के द्वारा शैक्षिक प्रणाली प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण आदि पर अनुसन्धान कार्य किए जा चुके हैं एवं कई विषयों पर अनुसंधान, कार्य जारी है।
2. **प्रशिक्षण कार्यक्रम**—न्यूपा भारत के शैक्षिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है तथा शैक्षिक नीतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का भी आयोजन करती है इसके द्वारा उन्हें शैक्षिक प्रबन्ध की आधुनिक तकनीकों से परिचित कराया जाता है बहुस्तरीय नियोजन, मानव संसाधन विकास, नेतृत्त्व निर्णय, सूचना प्रणाली का प्रबन्ध, शैक्षिक वित्त प्रबन्धन आदि के साथ-साथ शिक्षा के सार्वभौमीकरण प्रौढ निरक्षरता की समाप्ति, स्त्री शिक्षा का विकास, उपलब्ध संसाधनों के आदर्श उपयोग आदि की समस्याओं के लिए भी यह कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। संस्थान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए डिप्लोमा कोर्स भी संचालित किए जाते हैं जिसमें 'DEPA' (Diploma in Educational Planning and Administration) प्रमुख है तथा इसकी अवधि छ: माह होती है। इस अवधि में उन्हें तीन माह पाठ्यक्रम कार्य कराते हैं तथा बाकी के तीन माह व्यवसाय से सम्बन्धित प्रोजेक्ट कार्य कराए जाते हैं। न्यूपा द्वारा विदेशी कार्यकर्ताओं के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं; जैसे—थाईलैण्ड, श्रीलंका, भूटान आदि के शिक्षाधिकारी इस संस्था द्वारा

प्रशिक्षित किए जाते हैं। न्यूपा शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से सम्बन्धित तीन पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष चलाए जाते हैं जिसमें दो पाठ्यक्रम भारत के लिए तथा एक विदेशी अधिकारियों के लिए होता है।

3. **परामर्शदात्री सेवाएँ**—न्यूपा विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के लिए परामर्शदात्री सेवाएँ प्रदान करता है। हरियाणा सरकार के आग्रह पर न्यूपा ने विद्यालय खोलने उन्हें विस्तार देने, विद्यालय भवनों का निर्माण एवं शिक्षकों के स्थानान्तरण सम्बन्धी नियमावली तैयार की है। न्यूपा ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के आयोजन में सहायता की है तथा साथ ही केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) की कई समितियों की व्यवसायिक सहायता भी की है। संस्थान द्वारा नौ सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में शिक्षा समिति के संगठन के लिए शैक्षिक सहायता दी गई है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण एवं प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम में न्यूपा भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों की सहायता करता है।
4. **नवाचारों का प्रसार**—नवाचारों के प्रसार के लिए न्यूपा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम कर रहा है। इसके लिए यह अन्तर्राज्यीय भ्रमणों का आयोजन करता है तथा अन्य माध्यमों का भी प्रयोग करता है। इसके द्वारा विभिन्न स्रोतों में खोजे प्रकाशित करते हुए दूसरों को लाभान्वित किया जाता है। 1983 में तमिलनाडू सरकार के द्वारा '+2' स्तर पर प्रारम्भ किए गए व्यवसायीकरण कार्यक्रम से परिचित कराने एवं 1985 में म.प्र. में प्रशिक्षण के दौरान जीवकोपार्जन योजना का अध्ययन करने के लिए न्यूपा ने अन्तर्राज्यीय भ्रमण आयोजित किया था। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण बालकों को विद्यालय में बनाए रखने की दर में वृद्धि शिक्षा में गुणात्मक सुधार जैसी चुनौतियों का सामना करने में 'भारत की स्कूल प्रणालियों के लिए पुनर्जीवन' नामक पुस्तक पूर्णतया सक्षम है।
5. **न्यूपा संकाय**—न्यूपा संकाय का गठन अनेक अकादमिक इकाइयों के रूप में किया गया है। जैसे—शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक योजना, शिक्षानीति आदि। इनमें से कुछ का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है—
   (i) **शैक्षिक प्रशासन इकाई**—न्यूपा शैक्षिक प्रशासकों के व्यावसायिक विकास के माध्यम से शैक्षिक प्रशासन की कार्यकुशलता में सुधार लाने का प्रयास करता है। यह संस्थागत प्रबन्ध, निर्णय कार्य, नेतृत्त्व, संघर्ष समाधान, संचार, संस्थागत मूल्यांकन एवं कार्यकर्ता मूल्यांकन आदि पक्षों पर शोधकार्य करने के साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है।
   (ii) **शैक्षिक योजना इकाई**—इसके अन्तर्गत सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों एवं शिक्षा के परस्पर सम्बन्धों व शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए रणनीतियों का निर्धारण किया जाता है। साथ ही यहाँ पर जनांकिकी की शिक्षा, प्रशिक्षण रोजगार व शिक्षा व सीमित साधनों से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने की योजना, शोध एवं प्रशिक्षण कार्य का आयोजन भी यहीं किया जाता है।
   (iii) **विद्यालय तथा औपचारिकेत्तर शिक्षा इकाई**—यह संकाय प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिक कार्यक्रम, बालिकाओं एवं वंचित बच्चों की शिक्षा एवं औपचारिकेत्तर शिक्षा के नियोजन एवं प्रशासन सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन कर तत्सम्बन्धित अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है।
   (iv) **उच्चतर शिक्षा इकाई**—यह संकाय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यकर्ताओं की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। उच्चतर शिक्षा के नियोजन एवं प्रशासन की तात्कालिक समस्याओं पर शोध कर उनका समाधान संकाय का प्रमुख लक्ष्य है।
   (v) **उपराष्ट्रीय शिक्षा इकाई एवं अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम इकाई**—ये संकाय क्रमशः राष्ट्र के विभिन्न राज्यों की विकास नीति एवं योजनाओं पर तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग व विचारों के आदान-प्रदान पर बल देते हैं। अन्तर्देशीय विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत शैक्षिक योजना तथा प्रशासन से सम्बन्धित विशेषताओं का लेन-देन भी किया जाता है।
   (vi) **शिक्षा नीति इकाई**—इसके अन्तर्गत शिक्षा सिद्धान्त, लक्ष्य, शिक्षा एवं विकास में परस्पर सम्बन्ध, शिक्षा तथा समानता, जीवन स्तर, राष्ट्रीय स्तर आदि के सम्बन्ध को समझा जाता है तथा वंचित जन के लिए प्रोत्साहनों के कुशल प्रबन्ध पर ध्यान भी दिया जाता है।
   (vii) **शैक्षिक वित्त**—इसके अन्तर्गत शिक्षा में अनावश्यक व्यय को घटाने, विश्वविद्यालयों के वित्त अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा उनकी क्षमता बढ़ाने का काम किया जाता है।
6. **प्रकाशन कार्यक्रम**—न्यूपा शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से सम्बन्धित पुस्तक पत्रिकाओं एवं शोध रिपोर्ट का प्रकाशन कर रही है। इनमें से कुछ प्रकाशित पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं—'एजूकेशन एण्ड दि न्यू इन्टरनेशनल ऑर्डर',

'रिवाइटलाइजिंग स्कूल काम्प्लेक्सेज इन इण्डिया', 'गवर्नमेन्ट सपोर्ट फॉर हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च', 'एन एटलस ऑफ इण्डियन एजूकेशन फाइव इयर प्लान्स एण्ड एजूकेशन', 'एजूकेशन एण्ड रिसर्च', संस्थान द्वारा प्रकाशित एक त्रैमासिक पत्रिका 'एजूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन' है जो हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित होती है।

7. **सहयोग**—विभिन्न राष्ट्रीय संगठनों; जैसे—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT), विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् (C.S.I.R.), योजना आयोग, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, केन्द्रीय विद्यालय संगठन नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मेनपावर रिसर्च प्रौढ शिक्षा निदेशालय एवं भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद् आदि से सम्बन्ध रखता है तथा समय-समय पर इनका सहयोग करता है। यह संस्थान यूनेस्को रीजनल ऑफिस बैंकाक, इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशनल प्लानिगं पेरिस, कामनवेल्थ सचिवालय लन्दन आदि अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से भी घनिष्ट सम्बन्ध रखता है।

प्र.6. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् के संगठन, उद्देश्य एवं कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए।
Give a detailed description of the organisation, objectives and functions of National Council for Teacher Education.

उत्तर

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् का संगठनात्मक ढाँचा
(Organisational Structure of National Council for Teacher Education)

इस परिषद् का प्रमुख कार्यालय दिल्ली में स्थापित है। परिषद् के सांविधिक दायित्वों की पूर्ति करने के लिए चार क्षेत्रीय समितियाँ जयपुर, बंगलुरू, भुवनेश्वर एवं भोपाल में गठित की गई हैं जो क्रमश: उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र के लिए है। ये क्षेत्रीय समितियाँ अपने-अपने क्षेत्र में अध्यापक-शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता देने के लिए कार्य करती हैं। एन.सी.टी.ई. की नियोजित एवं समन्वित विकास तथा अध्यापक शिक्षा में नवाचारों की शुरूआत करने सहित अपने आवंटित कार्य निष्पादित करने में समर्थ बनाने के उददेश्य से दिल्ली स्थित एन.सी.टी.ई. में और साथ ही इसकी 4 क्षेत्रीय समितियों में वित्त, स्थापना और विधिक मामलों और अनुसन्धान, नीति नियोजन, मॉनीटरिंग, पाठ्यचर्या, नवाचारों, पुस्तकालय तथा प्रलेखन, सेवाकालीन कार्यक्रमों पर कार्रवाई करने के लिए क्रमश: प्रशासनिक और शैक्षणिक स्कन्ध हैं। एन.सी.टी.ई. मुख्यालय अध्यक्ष की अध्यक्षता में तथा प्रत्येक क्षेत्रीय समिति क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में काम करती है।

वर्तमान में इस संस्था में 3 पूर्णकालीन अधिकारी हैं- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव। इन सबका कार्यकाल चार-चार वर्ष का होता है। इनके अतिरिक्त 52 सदस्य हैं जिनमें से कुछ पदेन हैं एवं शेष मनोनीत। केन्द्रीय सरकार का शिक्षा सचिव, यू.जी.सी. का अध्यक्ष, एन.सी.ई.आर.टी. निदेशक, सी.बी.एस.ई. का अध्यक्ष, योजना आयोग का परामर्शदाता, वित्त सलाहकार, ऑल इण्डिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) का सेक्रेटरी और क्षेत्रीय कार्यालयी अध्यक्ष, इस संस्था के मुख्य पदेन सदस्य हैं एवं मनोनीत सदस्यों में मुख्य सदस्य हैं—तीन सदस्य संसद से, तीन सदस्य प्राथमिक, माध्यमिक एवं प्रसिद्ध शिक्षा संस्थाओं से नौ सदस्य प्रान्तीय सरकारों में प्रतिनिधित्व करने वालों में से और 13 सदस्य विभिन्न स्तर की शिक्षा के विशेषज्ञों में से। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 2-2 वर्ष का होता है। इस प्रकार इसमें कुल 55 सदस्य होते हैं जिसमें शिक्षक विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

1 जनवरी 2007 तक एन.सी.टी.ई. ने 9045 पाठ्यक्रमों के माध्यम से 7.72 लाख प्रशिक्षु अध्यापकों को प्रशिक्षण देने हेतु 7461 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान की। एन.सी.टी.ई. ने सी.एड., डी.एड., डी.पी.एड. एवं एम.एड. जैसे विभिन्न अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नए नियम और मानक जारी किए हैं। नए नियम अध्यापक कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुधारने और अध्यापक शिक्षण संस्थानों में अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त बुनियादी मजबूती के लिए बनाए गए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् के उद्देश्य एवं कार्य
(Objectives and Functions of National Council for Teacher Education)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) की स्थापना इस लक्ष्य के साथ की गई थी कि पूरे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित एवं समन्वित विकास किया जाए एवं साथ ही कुछ आवश्यक नियम बनाकर अध्यापक शिक्षा के मानकों एवं स्तरों का उचित संरक्षण किया जा सके। एन.सी.टी.ई. को दिया गया अध्यादेश अत्यंत व्यापक है एवं वह अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के समूचे कार्यक्षेत्र को समाहित करता है जिसमें स्कूलों में, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर तथा

गैर-औपचारिक शिक्षा, अंशकालिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा (पत्राचार) पाठयक्रमों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण शामिल हैं। इसके अलावा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए स्तरों का निर्धारण करना, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं हेतु दिशा निर्देश तैयार करना, सर्वेक्षण और अध्ययन करना, अनुसन्धान एवं नवीन तरीके अपनाना एवं शिक्षा के व्यावसायीकरण पर प्रतिबन्ध लगाना इत्यादि है। वर्तमान समय में इस परिषद् के निम्नलिखित उद्देश्य एवं कार्य हैं—

1. शिक्षक, शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य एवं नवाचारों के प्रयोगों को बढ़ावा देकर शोध के स्तर को उन्नत करना।
2. सभी शिक्षक, शिक्षा संस्थाओं का समय-समय पर निरीक्षण कराकर उन्हें सुधार हेतु सुझाव देना एवं निम्न स्तर की संस्थाओं की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति करना।
3. शिक्षक, शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तर पर सम्बन्ध स्थापित करना, नई-नई जानकारियाँ प्राप्त करना एवं उपयोगी तथ्यों का लाभ उठाना।
4. सभी प्रकार की शिक्षक, शिक्षा संस्थाओं में अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना एवं उनकी चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में सलाह देना।
5. सभी प्रकार की शिक्षक, शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करना एवं उनके वेतनमान निर्धारित करना।
6. शिक्षक, शिक्षा से सम्बन्धित सभी पक्षों का सर्वेक्षण कराना एवं सर्वेक्षण परिणामों को प्रकाशित एवं प्रसारित करना।
7. किसी भी नई शिक्षक संस्था को मान्यता देने से पूर्व उसका निरीक्षण कराना एवं मानदण्ड पूरा करने पर मान्यता प्रदान करना।
8. शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पक्षों के सम्बन्ध में केन्द्र तथा प्रान्तीय सरकारों, यू.जी.सी. एवं विश्वविद्यालयों को सलाह देना।
9. सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए मानदण्ड निर्धारित करना।
10. सभी शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए शिक्षण शुल्क, अन्य शुल्क एवं छात्रवृत्तियों का निर्धारण करना।
11. सभी प्रकार की शिक्षक, शिक्षा संस्थाओं हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित करना तथा समय-समय पर नवीन पाठ्यक्रम को शुरू करना।
12. प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च सभी स्तर के सेवारत शिक्षकों हेतु पूनर्बोधन कार्यक्रमों का निर्माण करना।
13. शिक्षक शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकना एवं इसके स्तरमान को बनाए रखना।
14. शिक्षक शिक्षा के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करना।
15. भारत के समस्त शिक्षक, शिक्षा संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना एवं किसी भी स्तर की शिक्षक, शिक्षा के प्रसार में सन्तुलन बनाए रखना।

प्र.7. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उद्भव एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।
Describe the evolution and functions of University Grants Commission.

उत्तर

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
(UGC—University Grants Commission)

उद्भव—प्राचीन काल में भारत में नालन्दा, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के विश्वप्रसिद्ध स्थल थे। ये संस्थान न केवल पूरे देश से बल्कि कोरिया, चीन, बर्मा (अब म्यान्मार), सिलोन (अब श्रीलंका), तिब्बत और नेपाल जैसे दूरस्थ देशों से भी छात्रों को आकर्षित करते रहे हैं। आज, भारत विश्व के सबसे बड़े उच्चतर शिक्षा प्रणालियों में से एक का प्रबन्धन करता है।

उच्चतर शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था सन् 1823 ई० की माउण्टस्टुआर्ट एलफिन्स्टोन की टिप्पणियों में दर्ज है, जिसमें अंग्रेजी तथा यूरोपीय विज्ञान को पढ़ाने के लिए विद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया गया था। तत्पश्चात् लॉर्ड मैकाले ने सन् 1835 ई० में अपनी टिप्पणियों में, "देश के निवासियों को बेहतर ढंग से अच्छे अंग्रेजी विद्वान" बनाने के प्रयासों की वकालत की। सन् 1854 ई० के सर चार्ल्स वुड के पत्र, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का 'मैग्नाकार्टा' के रूप में जाना जाता है, ने प्राथमिक शिक्षा से विश्वविद्यालयी शिक्षा की एक उचित रूपरेखा तैयार करने की योजना बनाने की सिफारिश की। इसके माध्यम से स्वदेशी शिक्षा

को प्रोत्साहित करने और शिक्षा की एक सुसंगत नीति तैयार करने की योजना बनाई जानी थी। इसके पश्चात् सन् 1857 ई० में कोलकाता, बॉम्बे (अब मुम्बई) तथा मद्रास (अब चेन्नई) विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, तदुपरान्त सन् 1887 ई० में इलाहाबाद (अब प्रयागराज) विश्वविद्यालय स्थापित किया गया।

शिक्षा, संस्कृति, खेल और सम्बद्ध क्षेत्रों में जानकारी और सहयोग को साझा करके विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए सन् 1925 ई० में अन्त:विश्वविद्यालय बोर्ड (जिसे बाद में भारतीय विश्वविद्यालय संघ के रूप में जाना जाने लगा) की स्थापना की गई।

देश में युद्ध के पश्चात् शिक्षा के विकास पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड जिसे सार्जेंट रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है; के साथ ही भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तैयार करने का पहला प्रयास सन् 1944 ई० में किया गया। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन की सिफारिश की गयी, जिसका गठन सन् 1945 ई० में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कामकाज की देखरेख करने के लिए किया गया था। सन् 1947 ई० में समिति को उस समय मौजूदा विश्वविद्यालयों के साथ कार्य व्यवहार करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद 'भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट तैयार करने हेतु एवं उन सुधारों और विस्तारों का सुझाव देने हेतु जो वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं और देश की आकांक्षाओं के अनुरूप वांछनीय हो सकते हैं।' हेतु डॉ० एस० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सन् 1948 ई० में स्थापना की गई थी। उन्होंने अनुशंसा की कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामान्य मॉडल पर किया जाए जिसमें विख्यात शिक्षाविदों में से पूर्णकालिक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाए।

सन् 1952 ई० में केन्द्र सरकार ने निर्णय किया कि सार्वजनिक निधियों से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के संस्थानों को अनुदान सहायता के आवंटन सम्बन्धी सभी मामलों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सन्दर्भित किया जा सकता है; फलस्वरूप तत्कालीन शिक्षा मन्त्री, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसन्धान मन्त्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 28 दिसम्बर, 1953 को औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उद्घाटन किया। फिर भी देश में विश्वविद्यालयी शिक्षा के मानकों का समन्वय करने, निर्धारण करने तथा रखरखाव करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को औपचारिक रूप से नवम्बर 1956 ई० में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। पूरे देश में प्रभावी क्षेत्रवार कवरेज सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोलकाता, भोपाल, पुणे, हैदराबाद, गुवाहाटी और बंगलुरू में छह क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करके अपना परिचालन विकेन्द्रीकृत किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में बहादुरशाहजफर मार्ग पर स्थित है, जिसमें दो अतिरिक्त ब्यूरो 35 फिरोजशाह रोड तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण कैंपस से भी चल रहे हैं।

कार्य—1. विश्वविद्यालय शिक्षा का संवर्धन और समन्वयन।

2. विश्वविद्यालय में शिक्षा, परीक्षा और शोध के मानकों का निर्धारण और रखरखाव।
3. शिक्षा के न्यूनतम मानकों के सम्बन्ध में विनिमयन।
4. महाविद्यालयी एवं विश्वविद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की निगरानीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदानों का संवितरण।
5. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य।
6. विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार करने हेतु किए जाने वाले अनिवार्य उपायों के सम्बन्ध में केन्द्र और राज्य सरकारों को परामर्श।

❑

मॉडल पेपर

शिक्षा की अवधारणात्मक संरचना

B.A.-I (SEM-I) [पूर्णांक : 75

नोट—सभी खण्डों को निर्देशानुसार हल कीजिए।

खण्ड-अ : अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

***निर्देश—सभी पाँच प्रश्नों** के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न **3 अंक** का है। अधिकतम 75 शब्दों में अतिलघु उत्तर अपेक्षित हैं।* **[5 × 3 = 15]**

1. शिक्षा की प्रकृति लिखिए।
2. शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य लिखिए।
3. किण्डरगार्टन पद्धति को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।
4. 'खुला विश्वविद्यालय' से क्या अभिप्राय है?
5. यूनेस्को क्या है?

खण्ड-ब : लघु उत्तरीय प्रश्न

***निर्देश**—निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किन्हीं **दो प्रश्नों** के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न **7.5 अंक** का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित हैं।* **[2 × 7.5 = 15]**

6. प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं को लिखिए।
7. औपचारिकेत्तर शिक्षा से क्या अभिप्राय है?
8. विश्वविद्यालय की स्वायत्तों से क्या तात्पर्य है? वर्णन कीजिए।

खण्ड-स : विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

***निर्देश**—निम्नलिखित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं **तीन प्रश्नों** के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न **15 अंक** का है। अधिकतम 500-800 शब्दों में विस्तृत उत्तर अपेक्षित हैं।* **[3 × 15 = 45]**

9. "शिक्षा राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी स्रोत है।" इस कथन पर प्रकाश डालिए।
10. भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
11. भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिए।
12. भारत में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार में क्या बाधाएँ हैं? इसके समुचित प्रसार के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए?
13. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की भूमिका व कार्य के विषय में विस्तारपूर्वक समझाइए।

❑

- यद्यपि इस पुस्तक को यथासम्भव शुद्ध एवं त्रुटिरहित प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास किया गया है, तथापि इसमें कोई कमी अथवा त्रुटि अनिच्छाकृत ढंग से रह गई हो तो उससे कारित क्षति अथवा सन्ताप के लिए लेखक, प्रकाशक तथा मुद्रक का कोई दायित्व नहीं होगा। सभी विवादित मामलों का न्यायक्षेत्र मेरठ न्यायालय के अधीन होगा।
- इस पुस्तक में समाहित सम्पूर्ण पाठ्य-सामग्री (रेखा व छायाचित्रों सहित) के सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन हैं। अतः कोई भी व्यक्ति इस पुस्तक का नाम, टाइटिल-डिजाइन तथा पाठ्य-सामग्री आदि को आंशिक या पूर्ण रूप से तोड़-मरोड़कर प्रकाशित करने का प्रयास न करें, अन्यथा कानूनी तौर पर हर्जे-खर्चे व हानि के जिम्मेदार होंगे।
- इस पुस्तक में रह गई तथ्यात्मक त्रुटियों तथा अन्य किसी भी कमी के लिए विद्वत् पाठकगण से भूल-सुधार/सुझाव एवं टिप्पणियाँ सादर आमन्त्रित हैं। प्राप्त सुझावों अथवा त्रुटियों का समायोजन आगामी संस्करण में कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार के भूल-सुधार/सुझाव आप info@vidyauniversitypress.com पर भी ई-मेल कर सकते हैं।